भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए
संख्या-3
(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए
संख्या-3
(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां		(v)
विहंगावलोकन		(vii)...(xxvi)

पहला अध्याय
राज्य सरकार के लेखे

प्रस्तावना	1.1	1
सारांशित वित्तीय स्थिति	1.2	2
परिसम्पत्तियां एवं दायित्व	1.3	11
राजस्व प्राप्तियां	1.4	13
राजस्व व्यय	1.5	20
पूंजीगत व्यय	1.6	26
घाटा	1.7	29
लोकऋण	1.8	30
अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट	1.9	33
कैश बैलेंस के प्रोत्साहन हेतु सांविधिक निगमों के माध्यम से ऋण जुटाना	1.10	34
निक्षेप शीर्ष का अनुचित कार्यचालन	1.11	35

दूसरा अध्याय
विनियोग लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

बजट एवं व्यय	2.1	38
विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	38
विभागीय आंकड़ों का समाधान	2.3	49
आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	2.4	49

तीसरा अध्याय
सिविल विभाग

ग्रामीण विकास विभाग		
रोजगार आश्वासन स्कीम	3.1	52
कार्यों की अपूर्णता के कारण सरकारी धन का अवरोधन	3.2	70

	परिच्छेद	पृष्ठ
राजस्व विभाग		
भूमि अर्जन, अंतरण तथा उसकी उपयोग	3.3	72
विकास में जन सहयोग की निधियों पर ब्याज की हानि	3.4	83
विकास कार्यों की निधियों का अवरोधन	3.5	85
उपायुक्त, हमीरपुर के कार्यालय में सरकारी निधियों का गबन	3.6	86
सामान्य प्रशासन विभाग		
हैलीकॉप्टर की प्रयुक्ति	3.7	88
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	3.8	92
जनजातीय विकास विभाग		
जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	3.9	105
वनकृषि तथा संरक्षण विभाग		
अग्नि विमुख वृत्तों में आग बुझाने हेतु केन्द्रीय सहायता का दुरुपयोग	3.10	120
तकनीकी शिक्षा विभाग		
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी चार वर्ष तक प्रशिक्षण से वंचित	3.11	121
शिक्षा विभाग		
माध्यमिक शिक्षा	3.12	122
गृह विभाग		
पुलिस विभाग में जनशक्ति प्रबन्ध	3.13	154
विविध विभाग		
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन	3.14	168
दुर्विनियोजन, व्यपहरण इत्यादि	3.15	171

चौथा अध्याय

निर्माणकार्य व्यय

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	4.1	172
बहाव सिंचाई स्कीम, छत्तर छनौटा पर निष्फल व्यय	4.2	192
अजीव्य उठाऊ सिंचाई स्कीम, दियोली ग्राम समूह	4.3	193
परित्यक्त नलकूपों पर व्यर्थ व्यय	4.4	194
सिंचाई क्षमता की अधोप्रयुक्ति	4.5	196
सांगला कूहल के चक विकास पर अपव्यय	4.6	197

	परिच्छेद	पृष्ठ
1992 से निष्क्रिय रही एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम	4.7	198
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अनुचित सहायता देने के लिए सरकारी धन का आहरण	4.8	199
लोकनिर्माण विभाग		
आर्टिरियल सड़कों का स्तरीकरण तथा सुधार	4.9	200
सम्पर्क सड़क को न बनाने के कारण पुल का प्रयोग न होना	4.10	212
सरकारी देयों की वसूली न करना	4.11	212
ठेकेदारों को वॉयर क्रेटों को उपलब्ध न करवाने के कारण परिहार्य व्यय	4.12	214
सड़कों के निर्माण पर निष्फल व्यय	4.13	215
ठेकेदारों से सामग्री की लागत तथा अन्य राशियों की वसूली न करना	4.14	217
अतिरिक्त क्षतिपूर्ति तथा ब्याज का परिहार्य भुगतान	4.15	219
वृद्धि प्रभारों का अधिक भुगतान	4.16	220
अनधिकृत व्यय तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ	4.17	221

पांचवां अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग		
सामग्री प्रबन्ध तथा वस्तुसूची नियंन्त्रण	5.1	223
लोक निर्माण विभाग		
सामग्री की आपूर्ति में अनियमितताएं	5.2	229
भण्डार में कमियां तथा सामग्री की कम प्राप्ति	5.3	231
विविध विभाग		
नकारा उपस्कर	5.4	232

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

सामान्य	6.1	234
पशुपालन विभाग		
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ सीमित	6.2	238
अनुदान	6.3	251
नगरीय विकास विभाग		
नगर निगम, शिमला	6.4	253
तकनीकी शिक्षा विभाग		
जनजातीय छात्रों के छात्रावास पर परिहार्य व्यय	6.5	262

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट -I	अनावश्यक पूरक अनुदानों/विनियोगों के मामले	267
परिशिष्ट-II	निधियों का अभ्यर्पण	268
परिशिष्ट-III	वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं	269
परिशिष्ट-IV	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले	270
परिशिष्ट-V	औसत अपराध मामलों तथा निवासियों के साथ पुलिस कर्मियों के अनुपात दर्शाने वाली विवरणी	272
परिशिष्ट-VI	कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए प्राप्त केन्द्रीय सहायता, बजट प्राक्कलन तथा व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणी	273
परिशिष्ट-VII	दरमियाना सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत सृजित सम्भाव्य सिंचाई प्रयुक्ति का ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणी	274
परिशिष्ट-VIII	वर्ष 1992-98 के दौरान प्राप्त उपलब्धियों तथा मुख्य सड़कों के शेष कार्य दर्शाने वाली विवरणी	276
परिशिष्ट-IX	उन निकायों तथा प्राधिकरणों के नामों को दर्शाने वाले विवरण जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।	278
परिशिष्ट-X	आबण्टित दुकानों का ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणी	281

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह मुख्यत: हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्‌भूत अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 1997-98 के विनियोग लेखाओं से प्रकट हुए मामलों से सम्बन्धित है। इसमें वर्ष 1997-98 के वित्त लेखाओं से उद्‌भूत कुछ रुचिकर प्रसंग भी सम्मिलित हैं।

2. सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों तथा राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

3. इस प्रतिवेदन में वर्ष 1997-98 में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामले तथा पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगोचर हुए किन्तु पिछले प्रतिवेदन में स्थान न पा सकने वाले मामले भी उल्लिखित हैं। आवश्यकतानुसार वर्ष 1997-98 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बद्ध मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो अध्याय हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 1997-98 के वित्त एवं विनियोग लेखाओं पर तथा चार अन्य अध्याय शामिल हैं जिनमें सरकार के कतिपय चयनित कार्यक्रमों व क्रियाकलापों तथा वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर आधारित 7 समीक्षाएं व 34 परिच्छेद हैं। इस प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत है।

1. **राज्य सरकार के लेखे**

** वर्ष 1997-98 के अन्त में राज्य सरकार की परिसम्पत्तियां व दायित्व क्रमशः 3649.20 करोड़ रुपए व 4421.87 करोड़ रुपए थे। वर्ष 1994-95 तक राज्य की परिसम्पतियां उसके दायित्वों से अधिक थीं। वर्ष 1995-96 से राज्य के दायित्व परिसम्पत्तियों से अधिक है। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1997-98 में परिसम्पत्तियों व दायित्वों में अन्तराल 217 प्रतिशत बढ़ गया। 1995-98 वर्षों में परिसम्पतियों व दायित्वों में वृद्धिकारी अन्तराल मुख्यतः 1994-98 वर्षों के दौरान निरन्तर राजस्व घाटे के कारण था। वर्ष 1996-97 में 154.86 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के प्रति यह वर्ष 528.69 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के साथ संवृत्त हुआ।

** वर्ष के दौरान 2170.45 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति राजस्व लेखे पर व्यय 2699.14 कसोड़ रुपए था। कर एवं कर-भिन्न राजस्व कुल मिलाकर केवल 698.20 करोड़ रुपए था जो कि सरकार के आयोजनेतर राजस्व व्यय (1857.31 करोड़ रु०) से भी नीचे था। राज्य 1997-98 वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों का 32 प्रतिशत (कर राजस्वः 22 प्रतिशत तथा कर-भिन्न राजस्वः 10 प्रतिशत) ही जुटा पाया। केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान व संघीय करों व शुल्कों का भाग राज्य की कुल प्राप्तियों का क्रमशः 38 प्रतिशत व 30 प्रतिशत था।

** सरकार के अनुरोध पर गांधी कुटीर योजना के निष्पादन हेतु राज्य सरकार की ओर से आवास तथा नगर विकास निगम से हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड द्वारा लिया गया 65.25 करोड़ रु० का ऋण शीर्ष "0216-आवास, 03 ग्रामीण आवास, 800-अन्य प्राप्तियां" के अन्तर्गत जमा करवाकर इस सीमा तक नकली राजस्व दर्शाया गया।

** राजस्व व्यय 1996-97 वर्ष (2146.88 करोड़ रु०) की तुलना में वर्ष 1997-98 (2699.14 करोड़ रु०) के दौरान 26 प्रतिशत बढ़ा। आयोजनेतर राजस्व व्यय 1993-98 वर्षों में 97 प्रतिशत बढ़ा जबकि इसी अवधि में योजनागत राजस्व व्यय 106 प्रतिशत बढ़ा।

** राजस्व व्यय की स्टॉफ लागत विगत वर्ष के दौरान लगभग 34 प्रतिशत की तुलना में 1997-98 के दौरान लगभग 39 प्रतिशत थी।

** विभिन्न सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारिताओं में सरकार का निवेश 1993-94 वर्ष के अन्त में 295.78 करोड़ रु० से बढ़ कर वर्ष 1997-98 के अन्त में 858.38 करोड़ रु० हो गया लेकिन वर्ष 1997-98 के दौरान केवल 0.24 करोड़ रु० की अल्प राशि ही लाभांश के रुप में प्राप्त की गई थी। हानि वहन करने वाले 14 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के मामलें में संचित हानि 257.83 करोड़ रु० की थी जबकि सरकार ने इनमें वर्ष 1997-98 तक 224.83 करोड़ रु० निवेशित किए थे।

** राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय का अन्तराल अर्थात् राजस्व घाटा 307.92 करोड़ रु० से बढ़कर 1994-98 वर्षों में 528.69 करोड़ रु० हो गया।

** राजकोषीय घाटा अर्थात् राजस्व प्राप्तियों से राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (प्रदत्त निवल ऋणों सहित) से अधिक होने के कारण 1993-98 के दौरान बढ़ कर 152.14 करोड़ रु० से 1202.19 करोड़ रु० हो गया।

** राज्य विधानमण्डल ने राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की सीमा के निर्धारणार्थ कोई कानून पारित नहीं किया था। 1993-98 वर्षों में आन्तरिक ऋण का निर्वहन उसकी वृद्धियों के 58 प्रतिशत तथा 121 प्रतिशत (ब्याज भुगतान सहित) के बीच रहा। उपर्युक्त अवधि में अन्य दायित्वों का निर्वहन उनकी वृद्धि के 85 प्रतिशत तथा 95 प्रतिशत के बीच था। अन्य दायित्वों पर ब्याज का बोझ वर्ष 1993-94 के 60.76 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 91.92 करोड़ रु० हो गया।

** सरकार ने गत वर्ष के दौरान 694.47 करोड़ रु० के प्रति 1997-98 वर्ष में आन्तरिक ऋण पर 2136.97 करोड़ रु० के मूलधन तथा ब्याज की चुकौती की। इसमें 1849.82 करोड़ रु० (1996-97 के 420.94 करोड़ रु० सम्मिलित करके) के ओवरड्राफ्टों की चुकौती सम्मिलित थी।

** सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारिताओं आदि द्वारा लिए गए ऋणों की चुकौती हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियां 31 मार्च 1994 के 819.71 करोड़ रु० से बढ़कर 31 मार्च 1998 को 2357.08 करोड़ रु० हो गई।

** वर्ष 1997-98 के दौरान 372.07 करोड़ रु० के ब्याज के प्रति ब्याज प्राप्तियां केवल 13.02 करोड़ रु० थीं। ब्याज भुगतान भी 209.65 करोड़ रु०

(1993-94) से बढ़कर 372.07 करोड़ रु0 (1997-98) हो गए जो 77 प्रतिशत की वृद्धि थी।

** वर्षान्त में अर्थोपाय अग्रिम के रुप में 33.67 करोड़ रु0 बकाया पड़े थे।

** वर्ष 1994-98 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक्स निगम द्वारा उठाए गए 909.49 करोड़ रु0 के ऋणों को सरकार द्वारा ओवरड्राफ्टों के समाशोधन हेतु प्रयुक्त किया गया तथा अर्थोपाय स्थिति सुदृढ़ की।

** दैनिक वेतन कर्मियों तथा कार्य प्रभारित स्टाफ की मजदूरी में वृद्धि के कारण बकायों का भुगतान करने के लिए 86 करोड़ रु0 की निधियां लोक निर्माण विभाग (60.75 करोड़ रु0) तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य (25.25 करोड़ रु0) विभागों द्वारा प्रत्याहरित (मार्च 1995) करके मार्च 1995 में निदेशक, लघु बचत के नाम डाकघर के बचत खाते में जमा करवाई गई। यह राशि निदेशक, लघु बचत द्वारा अप्रैल 1995 में डाकघर से निकालकर "8443- सिविल ऋण" शीर्ष के अन्तर्गत जमा करवाई गई। तदनुसार राज्य सरकार के अर्थोपाय स्थिति की सहायतार्थ जून 1995 तथा सितम्बर 1996 के दौरान जमा शीर्ष लेखे तथा बचत लेखे में विभिन्न लेन-देन किए गए। जनवरी 1996 तथा मार्च 1997 के मध्य सम्बन्धित विभाग द्वारा 68.58 करोड़ रु0 संवितरित किए गए तथा 21.13 करोड़ रु0 अप्रयुक्त पड़े हुए थे। 1995-98 के दौरान बचत लेखे में जमा राशि पर ब्याज के अर्जित 3.71 लाख रु0 सरकारी लेखे में जमा नहीं कराए गए।

(परिच्छेद 1.1 से 1.11)

2. **विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण**

** वर्ष 1997-98 के दौरान 42 मामलों में कुल 140.66 करोड़ रु0 की बचतें थीं परन्तु 27 मामलों में राज्य सरकार का व्यय उसके प्रावधान से 2275.36 करोड़ रु0 बढ़ गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत इस व्यय-आधिक्य का नियमन अपेक्षित था।

** वर्ष 1997-98 के दौरान प्राप्त 587.25 करोड़ रु0 का अनुपूरक प्रावधान 3089.18 करोड़ रु0 के मूल बजट प्रावधान का 19 प्रतिशत था। चार मामलों में वर्ष के दौरान 40.67 करोड़ रु0 का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था।

** 16 अनुदानों तथा दो विनियोगों के 18 मामलों में से प्रत्येक मामले में 50 लाख रु० या अधिक की बचतें हुईं जो कुल मिलाकर 137.93 करोड़ रु० थीं।

** वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की तीन वर्षों की अवधि के दौरान 10 अनुदानों व दो विनियोगों से अन्तःग्रस्त के तेरह मामलों में 6 प्रतिशत से 1395 प्रतिशत तक निरन्तर बचत/आधिक्य रहा।

** 20 अनुदानों तथा सात विनियोगों में कुल 113.70 करोड़ रु० की बचतें सम्बद्ध विभागों ने अभ्यर्पित नहीं की। दूसरी ओर 10 मामलों में अभ्यर्पणार्थ उपलब्ध केवल 16.98 करोड़ रु० की बचतों के प्रति वस्तुतः 19.69 करोड़ रु० की राशि अभ्यर्पित की गई थी। 5 अनुदानों में 7.13 करोड़ रु० अभ्यर्पित किए गए थे जबकि व्यय अनुदान से अधिक था तथा कोई भी बचत उपलब्ध नहीं थीं। ये उदाहरण अपर्याप्त बजट नियन्त्रण के द्योतक थे।

** 10 अनुदानों/विनियोगों के 33 उप-शीर्षों के मामले में 5.37 करोड़ रु० अविवेकपूर्ण रुप से पुनर्विनियोजित किए गये जबकि या तो मूल अनुदान उपयुक्त थे या फिर पुनर्विनियोग हेतु बचतें उपलब्ध नहीं थीं।

** चार विभागों द्वारा अप्रैल 1994 से मार्च 1997 तक अपनी आवश्यकताओं से पूर्व आहृत 26.25 करोड़ रु० में से 14.79 करोड़ रु० जुलाई 1998 के अन्त तक बैंकों/डाकघरों में अप्रयुक्त पड़े थे।

(परिच्छेद 2.2.1 से 2.4)

3. रोजगार आश्वासन स्कीम

रोजगार देने तथा उपलब्ध मानव संसाधनों को सफल उपयोग करने की दृष्टि से भारत सरकार ने अक्तूबर 1993 में रोजगार आश्वासन स्कीम आरम्भ की। स्कीम को आरम्भ में राज्य के सात खण्डों में अक्तूबर 1993 में चलाया गया तथा राज्य के शेष 65 खण्डों की बारी 1994-98 वर्षों के दौरान आई। समीक्षा से स्कीम के क्रियान्वयन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों का पता चला:

** नमूना जांच किए गए किसी जिले/खण्ड में निधियों की संस्वीकृति से पूर्व जिला और खण्ड स्तर पर परियोजनाओं की शैल्फ नहीं बनाई गई थी। स्कीम के प्रावधानों के विपरीत जल तथा भू-संरक्षण कार्यों को कम प्राथमिकता और सम्पर्क मार्गों को उच्चतर प्राथमिकता दी गई।

** मार्च 1998 के अन्त तक क्रियान्वयन एजेन्सियों के पास केन्द्रीय अंशदान की विलम्ब से प्राप्ति तथा कार्यों को देर से निष्पादित करने के कारण अप्रयुक्त शेष 17.51 करोड़ रु0 संचित हो गए थे।

** जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, चम्बा, किन्नौर और ऊना के परियोजना अधिकारियों द्वारा भारत सरकार को व्यय के गलत/झूठे आंकड़े बताए गए।

** 52.96 लाख रु0 का अपवर्तन 1996-98 के दौरान चार जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों तथा आठ खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा दोपहर का भोजन, आप्रेशन ब्लैक बोर्ड, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गांधी कुटीर योजना, वाहनों की खरीद तथा ग्रामीण शौचालय जैसी अन्य स्कीमों पर अनधिकृत रुप से किया गया।

** राज्य सरकार के अनुदेशों के विपरीत जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, बिलासपुर तथा चम्बा ने चार लोक निर्माण मण्डलों को चल रहे/अधूरे मार्गों के निर्माण हेतु 80.90 लाख रु0 की स्कीम निधियां जारी की जो कि राज्य निधियों से बाहर निष्पादित की जा रही थी।

** बिलासपुर, किन्नौर, सोलन तथा ऊना ज़िलों में स्कीम आरम्भ होने से लेकर लगभग 75 हजार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया बताया जबकि न तो कर्मियों के नाम पंजीकृत किये न ही परिवार कार्ड जारी किये गये थे। जिला अथवा खण्ड स्तर पर अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिससे यह पता चला कि कर्मियों को 100 दिनों का आश्वासन रोजगार दिया गया था।

** श्रम दिवसों के अनुसार 1994-98 वर्षों के दौरान रोजगार में कमी 58 तथा 84 प्रतिशत के मध्य रही। प्रत्येक वर्ष के दौरान 100 दिवसों के आश्वासन रोजगार सृजन के प्रति 1994-95 से 1997-98 वर्षों के दौरान केवल 16 से 42 श्रमदिवस प्रतिव्यक्ति हेतु रोजगार उपलब्ध करवाया जा सका।

** काम पर लगाए गए व्यक्तियों के पते, परिवार कार्ड, संख्या आदि जैसे आवश्यक विवरणों को मस्टरोलों मे दर्ज नहीं किया गया था। बिलासपुर, किन्नौर, सोलन तथा ऊना जिलों में परिवार कार्ड जारी नहीं किए गए थे। लोक निर्माण तथा वन विभागों द्वारा वे व्यक्ति काम पर लगाए गए जो पंचायतों के पास पंजीकृत नहीं थे जैसा कि अपेक्षित था।

** खण्ड विकास अधिकारी, घुमारवीं ने 1995-96 तथा 1997-98 वर्षों के दौरान रोजगार सृजन के बढ़ा-चढ़ा कर आंकड़े बताए।

** 1994-98 वर्षों के दौरान 694 कार्यों के निष्पादन में सामग्री घटक पर 2.25 करोड़ रु० तथा मजदूरी पर 0.98 करोड़ रु० खर्च किए जिसका अनुपात 40:60 के निर्धारित मानक के प्रति 70:30 था।

** यद्यपि स्कीम को केवल अकृषि मौसम के दौरान क्रियान्वित किया जाना था किन्तु 1994-98 वर्षों के दौरान कृषि मौसम में चार जिलों में 3.03 करोड़ रु० मजदूरी के रुप में दिए गए थे।

** यद्यपि स्कीम के अन्तर्गत पांच जिलों में 1994-98 वर्षों के दौरान 10.31 करोड़ रु० की परिसम्पत्तियां सृजित की गई किन्तु सम्बन्धित विभाग द्वारा मदसूची का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.1)

4. जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता

जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य योजना की योगज थी तथा विद्यमान योजना स्कीमों के स्थान पर नहीं थी यह जनजातीय उप-योजना योजना का भाग है जो अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा जनजातियों के शोषण के प्रति सुरक्षा के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के वित्तीय परिव्ययों में अन्तर को पूर्ण करती है। स्कीम के क्रियान्वयन की समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला:

** अधिकांशतः से वर्षों में राज्य सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबण्टित पूर्ण निधियों को प्रयुक्त नहीं कर सकी। 1992-97 वर्षों के दौरान जनजातीय विकास विभाग ने क्रियान्वयन एजेन्सियों को 4.11 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों को जारी करने में 2 से 10 महीनों का विलम्ब किया।

** जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों को वायुमार्ग सुविधा जुटाने के लिए 1992-95 वर्षों के दौरान हैलीकॉप्टर सेवाएं किराए पर लेने हेतु जनजातीय विकास विभाग द्वारा स्कीम निधियों में से 2.16 करोड़ रु० का भुगतान किया गया जबकि स्कीम में इसका प्रावधान नहीं था।

** 1992-98 वर्षों के दौरान क्रियान्वयन विभागों में नियुक्त स्टॉफ को विशेष केन्द्रीय सहायता में से वेतन तथा भत्तों के रुप में 2.50 करोड़ रु० अनधिकृत रुप से दिए गए तथा भरमौर, किन्नौर, स्पिती के एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों और जनजातीय विकास विभाग द्वारा वाहनों,

फोटोस्टेट मशीनों, कम्प्यूटरों तथा फैक्स मशीनों तथा जलपान प्रभारों, आदि के भुगतान पर 43.95 करोड़ रु0 का दुरुपयोग किया गया जो स्कीम के अन्तर्गत अनुमत नहीं था।

** 1992-98 वर्षों के दौरान स्कीम के अन्तर्गत 31.79 करोड़ रु0 के कुल व्यय में से 21.79 करोड़ रु0 स्कीम से असम्बन्धित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए गए।

** सरकार का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सहायता का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का दावा विश्वसनीय नहीं था। क्रियान्वित की जाने वाली 47 अनुमोदित नमूना जांच से पता चला कि स्कीमों में से केवल 15 स्कीमों को क्रियान्वित किया गया तथा शेष 32 स्कीमों को मार्च 1998 तक आरम्भ नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा 32.95 करोड़ रु0 की कुल उपलब्ध निधियों में से 41 अपात्र स्कीमों को 15.56 करोड़ रु0 की लागत से क्रियान्वित किया गया।

** तीन पिंजन संयन्त्रों की प्रतिष्ठापना तथा पांच विद्यमान संयन्त्रों की मरम्मत हेतु अगस्त 1996 में निदेशक को जारी 45 लाख रु0 में से 9.45 लाख रु0 विद्यमान पिंजन संयन्त्रों की मरम्मत पर खर्च किए गए तथा शेष 35.55 लाख रु0 बैंक में मार्च 1998 तक अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

** 1992-98 वर्षों के दौरान अधिकारियों द्वारा स्कीमों/कार्यों के निरीक्षणों, अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट आवधिकता और दौरों की अनुसूची निर्धारित नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.9)

5. माध्यमिक शिक्षा कार्यप्रणाली के कुछ पहलुओं का कार्यचालन

राज्य में मार्च 1998 तक 424 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, 977 उच्च स्कूल तथा 1219 माध्यमिक स्कूल थे जिनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा के कुछ पहलुओं की समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला:

** 1995-98 वर्षों के दौरान माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय की औसत पर स्टॉफ पर व्यय 88 प्रतिशत था। निदेशक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारियों के पास विभाग में स्टॉफ की संस्वीकृत संख्या अथवा कार्यरत कर्मियों की संख्या से सम्बन्धित सूचना नहीं थी।

** वर्ष 1996-97 के दौरान 28 वरिष्ठ माध्यम पाठशालाओं में 58 अधिक प्राध्यापकों के वेतन एवं भत्तों पर 52.56 लाख रु० खर्च किए गए थे।

** वर्ष 1997-98 के दौरान 597 माध्यमिक पाठशालाओं में शास्त्री अथवा प्राच्य अध्यापकों के 597 पदों की अधिक नियुक्ति की गई थी तथा 1997-98 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर 3.58 करोड़ रु० खर्च किए गए। वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न माध्यमिक तथा उच्च पाठशालाओं में कनिष्ठ अध्यापकों, वरिष्ठ देशी भाषा अध्यापकों, बैण्ड मास्टरों तथा हस्त प्रशिक्षण अनुदेशकों के 262 पद कार्यचालन में थे जबकि इन पदों का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इनके वेतन तथा भत्तों पर 1997-98 के दौरान 1.10 करोड़ रु० खर्च किए गए।

** शिक्षा निदेशक ने नई प्रयोगशालाओं को लगाने हेतु 62 स्कूलों में अनुमोदित दरों से कम 23.25 लाख रु० वितरित किए। प्रयोगशालाओं को बनाने हेतु रखे गए 11.68 लाख रु० 22 स्कूलों में अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

** वर्ष 1997-98 के शैक्षणिक सत्र हेतु निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के बदले 32.56 लाख रु० का नगद भुगतान 0.22 लाख विद्यार्थियों को नहीं किया गया था। पुस्तकों के अपूर्ण सैटों की खरीद के कारण 6 जिलों के 93 स्कूलों में 8.51 लाख रु० की अधिक संख्या की पुस्तकें अवितरित पड़ी हुई थीं। मार्च 1998 तक 0.31 लाख विद्यार्थियों को 23.56 लाख रु० मूल्य के पूर्ण सैटों (1.70 लाख पुस्तकें) की आपूर्ति नहीं की जा सकी। कांगड़ा, मण्डी तथा सिरमौर जिलों के 28 स्कूलों में छठी से दसवीं कक्षाओं के लगभग 2400 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वर्ष 1996-97 के दौरान पुस्तकों की आपूर्ति नहीं की गई थीं।

** छः जिलों के 77 स्कूलों में छठी से दसवीं कक्षाओं की लगभग 3,000 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को 1995-98 वर्षों के दौरान या तो छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं किया गया था अथवा 12.84 लाख रु० तक की कम छात्रवृत्तियों का भुगतान किया गया था। वर्ष 1995-98 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों से 4,988 छात्रों को दिए जाने वाली छात्रवृत्तियां नहीं दी गई।

** 1995-98 वर्षों के दौरान माध्यमिक तथा उच्च स्कूलों का दर्जा उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का स्तर किया गया जो निर्धारित लक्ष्यों से अधिक था।

** मई 1998 तक 372 स्कूल भवन अपूर्ण पड़े हुए थे। विभाग को इन भवनों के कार्यारम्भ की अवधि तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का पता नहीं था। नमूना जांच किए गए छः जिलों में पच्चीस स्कूल भवन टूटी-फूटी स्थिति में पड़े हुए थे।

** 1990-97 वर्षों के दौरान निजी प्रबन्धन द्वारा चलाए जा रहे 229 स्कूलों को दिए गए 1.66 करोड़ रु0 के अनुदानों के प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

** वर्ष 1996-97 के दौरान अध्यापक तथा विद्यार्थी की कुल 1:19 अनुपात की औसत के प्रति किन्नौर तथा लाहौल एवं स्पिती जिलों के 52 माध्यमिक स्कूलों में अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात 1:3 था। माध्यमिक स्कूल, टेलिंग (लाहौल एवं स्पिती जिला) में वर्ष 1996-97 के दौरान तीन विद्यार्थियों के लिए पांच अध्यापकों की नियुक्ति की गई और माध्यमिक स्कूल छखंग (लाहौल एवं स्पिति जिला) में वर्ष 1997-98 के दौरान छः विद्यार्थियों के लिए छः अध्यापक नियुक्ति किए गए थे।

** शिक्षा निदेशक के पास निरीक्षण किए गए स्कूलों की संख्या नहीं थी। जिला शिक्षा अधिकारी, चम्बा, किन्नौर तथा मण्डी ने क्रमशः 1995-96, 1995-97 तथा 1995-98 के दौरान वार्षिक निरीक्षण नहीं किए। निरीक्षण प्रतिवेदनों को अन्तिम दो वर्षों के दौरान नहीं देखा गया था।

** 1995-96 वर्ष के दौरान 17.97 करोड़ रु0 का अभ्यर्पण मुख्य शीर्ष "2202" के अन्तर्गत पांच उप शीर्षों में किया गया जबकि व्यय अन्तिम आबण्टन से अधिक था। परिणामतः 6.76 करोड़ रु0 अन्तिम अनुदान से अधिक हुए।

(परिच्छेद 3.12)

6. पुलिस विभाग में जनशक्ति प्रबन्धन

55,673 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में तथा 51.7 लाख (1991 की जनगणना) की जनसंख्या में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में मार्च 1998 तक 96 पुलिस स्टेशन और 94 पुलिस चौकियां थी। लेखापरीक्षा में नमूना जांच से निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों का पता चला:

** स्थापना पर व्यय पुलिस विभाग के कुल व्यय के 88 तथा 96 प्रतिशत के मध्य रहा।

** रिक्त पदों हेतु 1995-98 वर्षों के दौरान बजट नियमावली के उपबन्धों की उपेक्षा करके 5.95 करोड़ रु० का प्रावधान बजट प्राक्कलनों में किया गया।

** पुलिस कर्मियों की तैनाती जिलों की जनसंख्या अथवा अपराध घटनाओं को देखकर नहीं की गई। उच्चतर अपराध दरों वाले चार जिलों (शिमला, कांगड़ा, मण्डी तथा सोलन) में एक पुलिस कर्मचारी के लिए जनसंख्या क्रमशः 429, 1307, 1334 तथा 550 बनती थीं। अतः पुलिस कर्मियों की तैनाती में अनुपातीकरण की सम्भावना थी।

** अप्रैल 1993 तथा मार्च 1998 के मध्य भारत सरकार के पूर्वानुमोदन बिना अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के तीन अतिरिक्त पद सृजित तथा भरे गए।

** किन्नौर सीमान्त जिले में सामरिक प्रतिष्ठानों विशेषकर महत्वपूर्ण पुलों की चौकसी के लिए वर्ष 1960 में संस्वीकृत सहायक उपनिरीक्षकों (7), हेड कॉस्टेबलों (9) तथा कॉंस्टेबलों (86) के 102 पद अभीष्ट कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं किए गए थे।

** यद्यपि सभी पुलिस स्टेशनों में नियमित जलापूर्ति थी तब भी पुलिस अधीक्षक, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, सोलन तथा पुलिस प्रशिक्षण कालेज, दरोह के कार्यालयों में अभी तक 41 जलवाहकों के पद कार्यचालन में थे। 1994-98 वर्षों के दौरान उनके वेतन तथा भत्तों पर 60.20 लाख रु० खर्च किए गए।

** वर्ष 1995-96 के दौरान तीन परिक्षेत्रों के सम्बन्धित उप पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा भर्ती किए गए 35 प्रत्याशियों को चिकित्सा बोर्ड द्वारा द्वितीय चिकित्सा जांच के दौरान स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

** फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए खरीदे गए 11.43 लाख रु० के उपकरणों को प्रयुक्त नहीं किया गया था क्योंकि प्रयोगशाला के दो मण्डल अक्तूबर 1993 से कार्यचालन में नहीं थे।

** पुलिस सूचना कक्ष, शिमला में लगाए गए तीन कैमरों सहित कलोज सर्कट टेलीविजन सैट बड़ी मरम्मत न होने के कारण जून 1997 से अप्रयुक्त पड़े थे।

(परिच्छेद 3.13)

7. **कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम**

कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु सिंचाई सम्भावना के प्रयोग की बेहतर तथा अधिक कुशल सुनिश्चितता बनाने के उद्देश्य से कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें क्षेत्रीय नालों तथा नालियों के निर्माण, भूमि को समतल तथा आकार देना, फसल का चयन तथा लागू करना और लाभार्थियों को बराबर जल वितरण हेतु बाराबन्दी का क्रियान्वयन परिकल्पित था। 1991-98 वर्षों के दौरान कार्यक्रम पर 9.44 करोड़ रु0 का व्यय किया गया। कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान ध्यान में आए महत्वपूर्ण तथ्यों को नीचे सारांशित किया गया है:-

** पांच कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का घटकक्रमानुसार व्यय जांच हेतु संवेदनशील नहीं था क्योंकि विभिन्न घटकों पर व्यय के ब्यौरों का पृथक अनुरक्षण नहीं किया गया था।

** बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों के मूल प्राक्कलन वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए। इस परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु प्रति हैक्टेयर लागत 6,398 रु0 से 27,320 रु0 हो गई।

** पूर्ण की गई चार परियोजनाओं (भाबौर साहिब चरण-I, बल्ह घाटी, 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं का समूह तथा गिरी) में सृजित सिंचाई सम्भाव्यता का उपयोग इन परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में शून्य तथा 64 प्रतिशत के मध्य रहा।

** कुल 1.40 लाख मीटर क्षेत्र जलमार्गों को 2.02 करोड़ रु0 की लागत से लाइन किया गया जो संस्वीकृत प्राकलनों में नीहित प्रावधानों से अधिक था।

** परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रुप देने से पूर्व तीन परियोजनाओं में भू-सर्वेक्षणों को नहीं करवाया गया। बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना में 90 प्रतिशत कृषि जलमार्गों का निर्माण करने के पश्चात केवल वर्ष 1997-98 के दौरान भू-सर्वेक्षण करवाया गया था।

** चार परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में 4,760 हैक्टेयर भूमि में लाभार्थियों के खेतों मे पानी देने को सुनिश्चित करने के लिए भी भूमि को समतल तथा आकार नहीं दिया गया।

** भाबौर साहिब चरण-II तथा 32-लघु सिंचाई परियोजनाओं में कृषि जलमार्गों का निर्माण 1,780 हैक्टेयर में किया गया जबकि बाराबन्दी 950 हैक्टेयर में की गई जिससे लाभार्थियों में बराबर तथा निश्चित जल वितरण की सुनिश्चितता के वितरण में रुकावट आई।

** 8.57 करोड़ रु0 की लागत से 11,879 हैक्टेयर में निर्मित कृषि जलमार्ग लाभार्थियों/किसान संघों को नहीं सौपे गए। कृषि जलमार्ग 5-6 वर्षों के अल्प समय के भीतर क्षतिग्रस्त हो गए जबकि इनकी विहित अवधि 60 वर्ष थी।

** मुख्य गुरुत्व/वितरण प्रणाली में उपयुक्त प्रकार के पाइपों के न लगाने के कारण भाबौर साहिब सिंचाई परियोजना चरण-I ठीक से काम नहीं कर रही थी।

** पांच में से किसी एक परियोजना में भी अनुश्रवण कक्षों को नहीं बनाया गया था। मुख्य अभियन्ता/प्रमुख अभियन्ता द्वारा परियोजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया गया था जैसा कि निर्माण में गम्भीर कमियों तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास निर्माणकार्यों की प्रयुक्ति से इंगित था।

** गिरी सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में 2.92 की अनुमानित लागत लाभ अनुपात के प्रति वास्तविक लाभ लागत का अनुपात 1:48 था।

(परिच्छेद 4.1)

8. **आर्टिरियल सड़कों की उन्नति तथा सुधार**

** 1992-97 वर्षों के दौरान 181 करोड़ रु0 के परिव्यय का आर्टिरियल मानकों पर विद्यमान मार्गों की उन्नति तथा सुधार का कार्यक्रम पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि केवल 40 करोड़ रु0 आबण्टित किए गए तथा 20 करोड़ रु0 वास्तविक रुप में खर्च किए गए।

** घमनीय स्तर के 16 विद्यमान मार्गों की 1,094 किलोमीटर लम्बाई के सुधार की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के प्रति मार्च 1998 तक कुल लम्बाई के केवल 19 प्रतिशत भाग को ही पक्का किया जा सका।

** सोलन-यशवन्तनगर-नेरीपुल-सैंज मार्ग के ओछघाट से सोलन सैक्शन की उन्नति तथा सुधार पर 22.34 लाख रु0 खर्च किए गए थे जबकि वाणिज्यिक यातायात परिवर्तित करके सोलन नगर बाईपास के प्रस्ताव को अंतिम रुप दे दिया था।

** स्वारघाट-मरानवाला मार्ग के 54,622 वर्गमीटर क्षेत्र में टेक कोट के बिना ही बिल्ड अप स्प्रे-ग्राऊट बिछाया गया जिसके कारण 25.95 लाख रु0 के कार्य का घटिया स्तर का निष्पादन हुआ।

** तीन मण्डलों में भूमि के गलत वर्गीकरण के कारण ठेकेदारों को 16.27 लाख रु० का अधिक भुगतान हुआ।

** मार्गों की कोलतार हेतु मानकों को संशोधित नहीं किया गया था तथा सात मण्डलों में मार्गों की कोलतार पारम्परिक ढंग से 5.4 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में बिछाने से 33.25 लाख रु० का परिहार्य व्यय हुआ।

(परिच्छेद 4.9)

9. **हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ सीमित**

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ सीमित की स्थापना जनवरी 1980 में एक सहकारी सभा के रुप में की गई थी। इसके उद्देश्यों में कृषक समुदाय के आर्थिक विकास हेतु दूध तथा दूध उत्पादों के उन्नत उत्पादन, प्रापण, विधायन तथा विपणन हेतु कार्य करने और दूध उत्पादन से जुड़े लोगों के आर्थिक सुधार सम्मिलित थे। 1993-98 अवधि के दुग्ध संघ के लेखाओं की समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला:

** मार्च 97 तक दुग्ध संघ की संचित हानि 8.97 करोड़ रु० थी जिसमें 4.43 करोड़ रु० की प्रदत्त पूंजी को क्षय कर दिया।

** सरकार ने दिसम्बर 1994 में हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक से दुग्ध संघ के माध्यम से सिविल जमा में जमा हेतु 10 करोड़ रु० का नकद प्राप्त किया। सरकार ने फरवरी 1995 में दुग्ध संघ को राशि प्रत्यर्पित की।

** 1994-98 वर्षों के दौरान काम कर रही ग्रामीण डेयरी सहकारिताओं की संख्या आशानुकूल नहीं बढ़ी जबकि उनकी सदस्यता में 17 प्रतिशत की कमी आई। दुग्ध संघ की मुख्य गतिविधियां केवल मण्डी तथा सिरमौर जिलों तक ही सीमित रही।

** यद्यपि शिमला दुग्ध संयन्त्र की वर्ष 1995-96 में क्षमता दो गुणा हो गई जबकि संसाधित दूध की बिक्री वर्ष 1995-96 में 15.30 लाख लीटर से घटकर वर्ष 1997-98 में 4.10 लाख लीटर हो गई तथा उसी अवधि में बिना विधायन दुग्ध की बिक्री 3.17 लाख लीटर से बढ़कर 8.33 लाख लीटर हो गई। मण्डी तथा कांगड़ा संयन्त्रों में वास्तविक दूध संग्रहण 1997-98 में 1993-94 की तुलना में कम हुआ।

** राज्य में एकत्रित दूध 1993-94 में 56 लाख लीटर से घटकर वर्ष 1995-96 में 48 लाख लीटर रह गया जबकि राज्य से बाहर संसाधनों से दुग्ध संग्रहण 1993-94 में 19 लाख लीटर से बढ़कर 1997-98 में 35 लाख लीटर हो गया।

** 1993-97 वर्षों के दौरान 12 द्रुतशीतन संयन्त्रों की स्थापित क्षमता का उपयोग 1 तथा 20 प्रतिशत के मध्य रहा और 8 संयन्त्रों की उपयोगिता 15 तथा 44 प्रतिशत के मध्य रही।

** मण्डी यूनिट में 19.4 हजार किलोग्राम स्प्रेटा दूध पाऊडर की अधिक खपत "बसारहित ठोस तत्वों" की दूध में वृद्धि हेतु की गई जिसके कारण 11.77 लाख रु० का अतिरिक्त् व्यय हुआ।

** दुग्ध संघ द्वारा संसाधित तथा थैली बन्द दूध की बिक्री 1993-94 में 69 प्रतिशत से घटकर 1997-98 में 9 प्रतिशत रह गई क्योंकि वे ताजा दूध बेचने में विफल रहे।

** वित्तीय तथा अन्य कार्यों के सुधार हेतु दुग्ध संघ ने ग्रामीण प्रबन्धकारिणी संस्थान की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया। राज्य के छोटे तथा सीमान्त कृषकों को लाभप्रद रोजगार तथा अतिरिक्त आय जुटाने के लक्ष्य अधिकांशत: प्राप्त नहीं किए जा सके।

(परिच्छेद 6.2)

10. **भू-अर्जन, अन्तरण तथा प्रयुक्ति**

हिमाचल प्रदेश भूमि सीमा होल्डिग अधिनियम, 1972 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण सामान्य भूमि अधिनियम, 1974 तथा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के क्रियान्यवयन की नमूना जांच से कुल्लू, मण्डी, शिमला तथा सोलन जिलों में निम्नलिखित बातों का पता चला:

** वर्ष 1985-93 के दौरान बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना, बागी के अधिशासी अभियन्ता द्वारा 43.22 लाख रु० की भूमि आवश्यकता से अधिक अभिगृहीत की थी। भूमि अभी तक (मई 1998) उस समय के मालिकों के अधिकार में थी तथा वे उसकी काश्त कर रहे थे।

** शिमला नगर के आस-पास 99 वर्षों के लिए पट्टे पर 31.15 बीघे भूमि तीन भवन निर्माण सहकारी समितियों को 5.91 लाख रु० के एकमुश्त भुगतान पर दी गई। सरकार की अनुमोदित दर के अनुसार उक्त राशि समस्त पट्टावधि हेतु 2.78 करोड़ रु० होनी चाहिए थी।

** वन विभाग ने कुल्लू जिले में अक्तूबर 1992 से 40.3 बीघा जमीन का पट्टा किराया 1.08 लाख रु० प्रति वर्ष निर्धारित (नवम्बर 1993) कर दिया जिसका बाजारी मूल्य 31.55 लाख रु० था। सरकारी अनुदेशों के अनुसार राशि चालू प्रचलित उच्चतर बाजारी मूल्य के 18 प्रतिशत की दर पर प्रभारित की जानी थी। 10 वर्षों का अवनिर्धारण 46 लाख रु० बनता था।

** बिलासपुर, किन्नौर, शिमला तथा सोलन जिलों में 8082-30-70 हैक्टेयर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के 46,151 मामलों को राजस्व अधिकारियों द्वारा मई 1998 तक बेदखल नहीं किया गया था।

** आठ तहसीलों में 1968-69 तथा 1997-98 के मध्य 1.53 करोड़ रु० के 1,000-18-8 बीघा जमीन पर कब्जा करने के 689 मामले अप्रैल-मई 1998 तक छः महीनों से 29 वर्षों तक बेदखली हेतु लम्बित पड़े थे।

** सरकारी जमीनों के निर्धारित रजिस्टर का अनुरक्षण बिलासपुर, किन्नौर, शिमला तथा सोलन के उपायुक्तों द्वारा नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.3)

11. **राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम**

देश में मलेरिया रुग्णता को निम्न स्तर तक कम करने के उद्देश्य से, जिससे यह बीमारी स्वास्थ्य की मुख्य समस्या न रहे, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था। 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मलेरिया उन्मूलन हेतु आरम्भ किया गया था। नमूना जांच किए गए अभिलेखों से निम्नांकित बातों का पता चला:

** राज्य में 1992-97 वर्षों के दौरान कांगड़ा तथा सिरमौर जिलों ने कुल 34,768 मलेरिया मामलों की संख्या का 26 तथा 21 प्रतिशत लेखाबद्ध किया।

** 12 में से 10 जिलों में पहले दौर में कमरों का छिड़काव कार्य 1992-97 वर्षों के दौरान लक्ष्यों से 38 तथा 47 प्रतिशत के मध्य तथा दूसरे दौर में 65 तथा 96 प्रतिशत कम रहा।

** सात जिलों में पहले दौर में खर्च किए गए 25.39 लाख रु० व्यर्थ गए क्योंकि दूसरे दौर का छिड़काव 1992 तथा 1995 वर्षों मे नहीं किया गया था।

** मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर तथा सोलन द्वारा 11.49 लाख रु० का 17.06 मिट्रिक टन डी डी टी या तो फर्जी रुप से खपत किया गया अथवा कम न लेखाबद्ध किया गया दर्शाया गया।

** यद्यपि बी एच सी छिड़काव पर प्रतिबन्ध लगाया गया था किन्तु वर्ष 1997 के छिड़काव मौसम के दौरान छिड़काव पर 5.72 लाख रु० खर्च किए गए।

** रक्त स्लाइडों की जांच में 15 से 109 दिनों के विलम्ब के कारण बीमारी के मामलों का समय पर निदान नहीं किया गया था। अंतिम निदान हेतु रक्त नमूनों के संग्रहण से विभिन्न अवस्थाओं पर विलम्ब ने कार्यक्रम के प्रभाव को कम कर दिया।

** 8,910 औषधि वितरण केन्द्रों को खोलने के प्रति 1997 तक केवल 3,914 केन्द्र खोले गए थे। वर्ष 1997 तक 4455 ज्वर उपचार डिपुओं के लक्ष्य के प्रति 2,241 ज्वर डिपू ही खोले गए थे।

** कांगड़ा तथा सोलन जिलों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केवल 2 से 40 प्रतिशत तक पांच राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम वाहनों का प्रयोग किया गया किन्तु उक्त कार्यक्रम हेतु हमीरपुर तथा ऊना जिलों में वाहन नहीं दिए गए।

** नवम्बर 1995 से जनवरी 1997 के दौरान क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय से सिविल अस्पताल, देहरा को प्रयोगशाला तकनिशियनों की अनियमित तैनाती ने अतिसंवेदनशील/बायो परीक्षण जांच तथा विधायन एवं मच्छारों का सूक्ष्म परीक्षण कार्य प्रभावित किया।

** धर्मशाला के उप निदेशक (मलेरिया) तथा क्षेत्रीय मलेरिया अधिकारी द्वारा राज्य के कार्यक्रम के गतिविधि प्रतिवेदनों को नहीं बनाया गया था।

** कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु 1992-97 वर्षों के दौरान भारत सरकार के स्वतन्त्र मूल्यांकन दल ने राज्य का दौरा नहीं किया।

(परिच्छेद 3.8)

12. **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सामग्री प्रबन्धन तथा वस्तुसूची नियंत्रण**

** सुन्दरनगर मण्डल द्वारा मार्च 1993 में जस्तयुक्त लोहे की पाइपों की खरीद हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 23 लाख रु0 का अनुचित अग्रिम भुगतान किया जबकि पाइपों की खरीद नहीं की गई थी।

** 51 कार्यों के प्रति नौ मण्डलों में मार्च 1992 तथा मार्च 1997 के मध्य 1.64 करोड़ रु0 के भण्डार बुक किए गए, जबकि ऐसे भण्डारों की इन कार्यों हेतु आवश्यकता नहीं थी तथा या तो स्टॉक में वापस ले लिए गए अथवा अन्य कार्यों को स्थानान्तरित कर दिए गए।

** शिमला मण्डल संख्या-II द्वारा मार्च 1996 और मार्च 1998 के मध्य हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सीमेण्ट आपूर्ति हेतु 8.77 करोड़ रु0 का अनुचित अग्रिम दिया गया। निगम ने 15 लाख रु0 के सीमेण्ट की आपूर्ति की तथा 55 लाख रु0 अप्रैल 1998 में वापस किए। शेष 8.07 करोड़ रु0 वापस नहीं किए थे।

** 12 मण्डलों में मशीनरी, पाइपें तथा विद्युत फीटिंग की 2.68 करोड़ रु0 की विभिन्न मदें बिना आवश्यकता के प्राप्त की।

** उठाऊ जलापूर्ति स्कीम, ठियोग हेतु वर्ष 1997-98 में शिमला मण्डल संख्या-I द्वारा 37.59 लाख रु0 की पम्पिंग मशीनरी प्राप्त की गई थी स्कीम सन् 2001 तक पूर्ण की जानी थी। मशीनरी की गारण्टी अवधि मशीन लगाने/चालू करने से पूर्व समाप्त हो जानी थी।

** पांच मण्डलों के भण्डारों में सितम्बर 1992 तथा मार्च 1996 के मध्य 15.61 लाख रु0 मूल्य की सूचित/पकड़ी गई कमी और हिसाब मे न लिए गए भण्डारों की वसूली/छानबीन नहीं की गई।

** तीन मण्डलों में आठ पूर्ण किए गए कार्यों के लेखों में अप्रयुक्त पड़े हुए 25.34 लाख रु0 मूल्य के भण्डारों को स्टॉक में वापस नहीं लिया गया तथा अन्य कार्यों को स्थानान्रित नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 5.1)

13. **नगर निगम, शिमला**

** आयुक्त के आवास की मरम्मत/नवीकरण पर 8.38 लाख रु० के मूल आकलन के प्रति 28.80 लाख रु० खर्च किए गए। सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति/अनुमोदन से बचने के लिए आकलनों को विभाजित किया गया।

** सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगम को वितरणार्थ उपलब्ध करवाए गए 4.16 करोड़ किलो लीटर पानी के प्रति 2.20 करोड़ किलोलीटर पानी का क्षय हुआ। निगम के अपने मानकों के अनुसार पानी की 35 प्रतिशत सामान्य क्षति को हिसाब में लेने पर भी 0.74 करोड़ लीटर पानी की अधिक क्षति हुई जिसके कारण 1993-97 वर्षों के दौरान 1.33 करोड़ रु० की हानि हुई।

** मलव्यवस्था प्रणाली में कोई केन्द्रीयकृत अभिक्रिया सुविधा नहीं थी। बिना अभिक्रिया का मल जलधाराओं में डाला जा रहा था तथा प्राकृतिक सतह को दूषित कर रहा था।

** मार्च 1997 तक 2.92 करोड़ रु० के नगर कर वसूली के लिए बकाया पड़े थे।

** आधुनिक कसाईखाने के निर्माण हेतु रखी गई 60 लाख रु० की निधियां जुलाई 1998 तक अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

(परिच्छेद 6.4)

14. **विकास कार्यों की अपूर्णता के कारण सरकारी पैसे का अवरोधन**

** 1982-83 से 1996-97 वर्षों की निर्धारित अवधि के दौरान विकास में जन सहयोग, स्थानीय जिला आयोजना, आदि विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूल भवनों, खेल मैदानों, पंचायत घरों, सामुदायिक हालों आदि जैसे 435 कार्यों के निष्पादन में निष्पादन ऐजेन्सियों की विफलता के कारण 1.87 करोड़ रु० की सरकारी निधियों के अवरोधन के अतिरिक्त लोगों को इच्छित लाभ से वंचित रहना पड़ा।

(परिच्छेद 3.2 तथा 3.5)

15. **उपायुक्त, हमीरपुर के कार्यालय में सरकारी निधियों का गबन**

** जिला नाजिर द्वारा चैकों आदि की राशि में हेरफेर करके 9.28 लाख रु० गबन किये गये।

(परिच्छेद 3.6)

16. **हैलीकाप्टर का प्रयोग**

** राज्य सरकार द्वारा एक निजी ऐजैन्सी को 1.40 करोड़ रु० का भुगतान किया गया जबकि हैलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

** राज्य सरकार द्वारा बनाई गई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भारतीय वायु सेना/पवन हंस को भुगतान किए गए 1.77 करोड़ रु० की वसूली एजेन्सी से नहीं की गई थी।

** 12वीं लोकसभा की चुनावी घोषणा के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा दिसम्बर 1997 तथा जनवरी 1998 के दौरान सरकारी तौर पर हैलीकॉप्टर का प्रयोग किया जिसके कारण 50.66 लाख रु० का अनधिकृत व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.7)

17. **दुर्विनियोजन, चूकें आदि**

** विभागीय प्रक्रियाओं की पूर्णता में विलम्ब के कारण 53.67 लाख रु० के 89 दुर्विनियोजनों, चूकों आदि के मामले जून 1998 तक अन्तिम निपटान हेतु लम्बित पड़े हुए थे। 22.04 लाख रु० के 43 मामले लोकनिर्माण विभाग तथा 11.79 लाख रु० के 25 मामले सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित थे।

(परिच्छेद 3.15)

18. **देयोली ग्राम समूह की अव्यवहार्य ऊठाऊ सिंचाई योजना**

** 43.18 लाख रु० खर्च करके 11 वर्षों के पश्चात् भी स्कीम 195 हैक्टेयरों में से केवल 30 हैक्टेयर कृषि कमाण्ड क्षेत्र (15 प्रतिशत) आवृत्त कर सकी। 9.4 हजार प्रति हैक्टेयर की अनुमानित लागत की तुलना में स्कीम द्वारा सिंचित क्षेत्र की प्रति हैक्टेयर लागत वृद्धि 1.44 लाख रु० हो गई।

(परिच्छेद 4.3)

19. **सिंचाई सम्भाव्यता की अवप्रयुक्ति**

** 1992-96 वर्षों के दौरान 1.74 करोड़ रु0 की लागत से सात मण्डलों में पूर्ण की गई 15 सिंचाई स्कीमों की सिंचाई सम्भाव्यता का प्रयोग अधिकतम केवल छः प्रतिशत तक किया जा सका।

(परिच्छेद 4.5)

20. **ऊठाऊ सिंचाई स्कीम का वर्ष 1992 से कार्यचालन में न रहना**

** घैणी नयास्सर (जिला शिमला) की ऊठाऊ सिंचाई स्कीम की नालियों की क्षतियों की बहाली में असाधारण विलम्ब के कारण निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण पर किया गया 41.10 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा।

(परिच्छेद 4.7)

21. **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अनुचित लाभ देने हेतु सरकारी निधियों का आहरण**

** शिमला मण्डल संख्या-II द्वारा मार्च 1997 में वास्तविक आवश्यकताओं से पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अनुचित लाभ देने हेतु उसके पास 4 करोड़ रु0 जमा करवाए गए। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने जुलाई 1998 तक केवल 93.26 लाख रु0 प्रयुक्त किए थे।

(परिच्छेद 4.8)

22. **सम्पर्क मार्ग न बनाने के कारण पुल का प्रयोग न होना**

** गंगुवाल के निकट 19.44 लाख रु0 से पूर्ण किया गया पुल इसके लिए सम्पर्क सड़क के निर्माण के अभाव में सितम्बर 1996 से प्रयुक्त नहीं किया जा सका।

(परिच्छेद 4.10)

23. **सरकारी पैसों की वसूली न होना**

** विभाग की बैंक प्रत्याभूतियां पुनर्वैध करने में विफलता तथा करारनामों की दण्ड शर्तें लगाने में विलम्ब के कारण राष्ट्रीय उच्चमार्ग-22 पर तीन पुलों के निर्माण में लगी फर्म से 40.11 लाख रु0 की वसूली नहीं की जा सकी।

(परिच्छेद 4.11)

24. **मूल्यवृद्धि प्रभारों का अधिक भुगतान**

** बड़सर, रामपुर, सुन्दरनगर तथा ऊना मण्डलों में मार्च 1996 के स्थान पर जनवरी 1994 से मजदूरों को मजदूरी में बढ़ी वृद्धि अनुमत करने से ठेकदोरों को 26.21 लाख रु0 का अधिक भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 4.16)

पहला अध्याय

राज्य सरकार के लेखे

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 सरकारी लेखे की संरचना

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:-

(i) समेकित निधि,
(ii) आकस्मिकता निधि और
(iii) लोक लेखा

खण्ड-I समेकित निधि

राज्य सरकार के राजस्व, कर्जों एवं कर्जों की वसूली से सम्बद्ध सभी प्राप्तियाँ राज्य की समेकित निधि में संगृहीत होती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(I) के अन्तर्गत गठित किया गया है। सभी सरकारी व्यय इस निधि से वहन होता है और राज्य विधान मण्डल के प्राधिकार के बिना इस निधि से किसी भी राशि का प्रत्याहरण नहीं किया जा सकता। इसके दो मुख्य भाग अर्थात् राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (पूंजीगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत व्यय, लोक ऋण तथा कर्जे आदि) हैं।

खण्ड-II आकस्मिकता निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अन्तर्गत सृजित आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय निधि है जिसे अत्यावश्यक व अपूर्वदृष्ट व्यय की पूर्ति हेतु राज्य के राज्यपाल के नियन्त्रणाधीन रखा गया है और इस पर राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत किए जाने का निर्णय अपेक्षित होता है। तदनन्तर ऐसे व्यय के लिए राज्य विधानमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और इतनी ही राशि समेकित निधि से अन्तरित करके आकस्मिकता निधि में डाल दी जाती है। इस वर्ष विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत इस निधि से 0.50 करोड़ रुपए दिए गए।

खण्ड-III लोक लेखा

समेकित निधि से भिन्न लघु बचतें, भविष्य निधियां, जमा राशियाँ, आरक्षित निधियाँ, उचन्त, प्रेषण आदि लोक लेखे में लेखाबद्ध किए जाते हैं और इन पर राज्य विधानमण्डल में मतदान नहीं होता।

1.1.2 वार्षिक लेखे

राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन वार्षिक रुप से हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार द्वारा किया जाता है। इन्हें दो खण्डों अर्थात् वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे में तैयार किया जाता है। वित्त लेखे सरकारी लेखाओं में उपयुक्त वर्गीकरण के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बद्ध सभी लेन-देनों के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं जबकि विनियोग लेखे बजट अनुदानों में राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा वास्तविक व्ययित राशियों के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक हुए व्यय का विधानमण्डल से नियमन अपेक्षित होता है।

1.1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वित्त लेखे व विनियोग लेखे तथा इन लेखाओं के अन्तर्गत हुए विभिन्न लेन-देन भी नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुरुप भारत के नियन्त्रक-महालेखाप़रीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते हैं। नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक लेखाओं का सत्यापन करते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुरुप राज्य के राज्यपाल को पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बद्ध नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को निम्नांकित रुप में व्यवस्थित किया गया है:-

प्रतिवेदन संख्या	.....से सम्बद्ध निरुपण
1	हिमाचल प्रदेश सरकार: राजस्व प्राप्ति
2	हिमाचल प्रदेश सरकार: वाणिज्यिक
3	हिमाचल प्रदेश सरकार: सिविल

1.2 सारांशित वित्तीय स्थिति

वर्ष 1997-98 के विनियोग लेखे व वित्त लेखे से उद्भूत तथा पृथकरुपेण एकत्रित अतिरिक्त सूचना से अनुपूरित हिमाचल प्रदेश सरकार की 31 मार्च 1998 को सारांशित वित्तीय स्थिति तथा वर्ष की प्राप्तियों व संवितरणों का सार निम्नांकित विवरणियों में प्रदत्त है:-

विवरणी-I 31 मार्च 1998 को राज्य सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

31 मार्च 1997 को राशि (करोड़ रुपयों में)	दायित्व		31 मार्च 1998 को राशि (करोड़ रुपयों में)
420.71	**आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्टों को छोड़कर)**		523.53
	व्याज वाले बाजार ऋण	341.98	
	बिना व्याज वाले बाजार ऋण	0.17	
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	16.64	
	भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	9.44	
	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	38.21	
	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	31.77	
	अन्य संस्थाओं से ऋण	51.65	
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	33.67	
1715.60	**केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		2378.62
	वर्ष 1984-85 से पूर्वकालिक ऋण	86.76	
	आयोजनेतर ऋण	1876.60	
	राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	363.50	
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	0.47	
	केन्द्रीय आयोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	51.29	
1.00	**आकस्मिकता निधि**		1.00
1001.09	**लघु बचतों, भविष्य निधियां आदि**		1197.67
137.02	**जमा**		133.50
420.94	**भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट**		---
4.49	**आरक्षित निधियाँ**		103.66
66.70	**प्रेषण शेष**		83.89
3767.55			4421.87

31 मार्च 1997 को राशि (करोड़ रुपयों में)	परिसम्पत्तियाँ		31 मार्च 1998 को राशि (करोड़ रुपयों में)
3116.08	**सकल पूंजीगत परिव्यय**		3656.81
	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	858.38	
	अन्य पूंजीगत व्यय	2798.43	
521.53	**ऋण एवं अग्रिम**		654.30
	ऊर्जा के लिए ऋण	515.29	
	अन्य विकास ऋण	70.98	
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	68.03	
0.50	**आकस्मिता निधि को विनियोग**		0.50
29.93	**उचन्त एवं विविध शेष**		38.84
0.09	**अग्रिम**		0.10
(-)144.56	**नकद**		(-)701.35
	कोषागारों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	12.51	
	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	0.35	
	नकद शेष निवेश लेखा	0.14	
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-)714.35	
243.98	**सरकारी लेखे में कमी**		772.67
	31 मार्च 1997 तक सन्चित घाटा	234.41	
	जमा करें		
	(i) चालू वर्ष का घाटा	528.69 *	
	(ii) समायोजन	9.57	
	(iii) विविध सरकारी लेखा	$	
3767.55			4421.87

---

* वर्ष 1997-98 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 के अनुसार सरकारी लेखे में (-)763.10 करोड़ रु0 का राजस्व घाटा था। (-)9.57 करोड़ रु0 के अन्तर की व्याख्या निम्नलिखित है:

		(करोड़ रुपयों में)
(i)	"7810-अन्तर्राज्यीय समायोजन "शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित प्रगामी राशि	(-)1.43
(ii)	"8680-विविध सरकारी लेखा "शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित प्रगामी राशि	(-)0.14
(iii)	निदर्श समायोजित निवल राशि	(-)8.00
	जोड़	(-)9.57

$ केवल 29388 रु0

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ:

1. ये सारांशित वित्तीय विवरणियां राज्य सरकार के वित्त लेखाओं एवं विनियोग लेखाओं की विवरणियों पर आधारित है तथा उनमें निहित टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के अनुसार हैं।

2. सरकारी लेखें मुख्यत: नकद आधार पर होने के कारण राजस्व अधिशेष या घाटा नकद आधार पर संगणित किया गया है। परिणामत: भुगतान योग्य या प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास या स्टॉक-आंकड़ों में भिन्नता आदि जैसी मदें इन लेखाओं में प्रदर्शित नहीं होती।

3. यद्यपि प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व व्यय (अनुदानों) का अंश तथा ऋण पूंजी रचना के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेकिन राज्य सरकार के लेखाओं में उनका वर्गीकरण साध्य प्रयोग द्वारा अप्रभावित रहता है।

4. सरकारी लेखापद्धति के अन्तर्गत राजस्व अधिशेष या घाटा वार्षिक रुप से सरकारी लेखे में सम्वृत होता है। 31 मार्च 1983 को 285.32 करोड़ रुपए के संतुलनकारी आंकड़े को 1983-84 के लिए प्रथम विवरणी को बनाने के लिए संचित अधिशेष के रुप में माना गया।

5. उचन्त एवं विविध शेषों में जारी किए गए लेकिन भुगतान न किए गए चैक, राज्यों की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य बकाया पड़े समायोजन आदि शामिल हैं। उचन्त एवं विविध के अन्तर्गत शेष 31 मार्च 1997 के 29.93 करोड़ रुपए (डैबिट) से बढ़कर 31 मार्च 1998 को 38.84 करोड़ रुपए (डैबिट) हो गए थे।

6. लेखाओं में प्रदर्शित शेष 714.35 करोड़ रुपए (क्रैडिट) जो 5.18 करोड़ रुपए (डैबिट) का अन्तर दशति हैं, के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत अन्तिम शेष 709.17 करोड़ रुपए (डैबिट) था। जबकि 4.95 करोड़ रुपए के अन्तर का समाधान हो चुका था, शेष (0.23 करोड़ रुपए) समाधानाधीन था (सितम्बर 1998)।

विवरणी-II वर्ष 1997-98 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

प्रवर्ग-क-राजस्व

प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपयों में)

I.	**राजस्व प्राप्तियाँ**		**2170.45**
(i)	कर राजस्व	476.16	
(ii)	कर-भिन्न राजस्व	222.04	
(iii)	संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	651.23	
(iv)	आयोजनेतर अनुदान	178.43	
(v)	राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	561.13	
(vi)	केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	81.46	
II	**प्रवर्ग ख में ले जाया गया राजस्व घाटा**		**528.69**
			2699.14

संवितरण

(करोड़ रुपयों में

1 राजस्व व्यय **2699.14***

	प्रवर्ग		आयोजनेतर	योजनागत	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (योजनागत स्कीमों सहित)	योग
(क)	सामान्य सेवाएं		819.82	18.66	3.95	842.43
(ख)	सामाजिक सेवाएं		586.22	338.62	68.60	993.44
(ग)	आर्थिक सेवाएं					
	(i)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	130.40	149.49	16.58	296.47
	(ii)	ग्रामीण विकास	26.54	50.06	2.38	78.98
	(iii)	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	17.16	20.46	0.11	37.73
	(iv)	ऊर्जा	83.00	3.33	0.90	87.23
	(v)	उद्योग एवं खनिज	4.41	33.55	22.65	60.61
	(vi)	परिवहन	175.53	9.31	0.25	185.09
	(vii)	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण		0.98	0.33	1.31
	(viii)	सामान्य आर्थिक सेवाएं	9.76	94.61	0.25	104.62
(घ)	सहायता अनुदान एवं अंशदान		4.47	6.76	--	11.23
			1857.31	725.83	116.00	2699.14

योग **2699.14**

विवरणी-II-वर्ष 1996-97 की प्राप्तियों एवं संवितरण का सार

प्रवर्ग-ख-अन्य

प्राप्तियां

(करोड़ रुपए में)

III	**स्थायी अग्रिम तथा नकद शेष निवेश सहित नकद शेष आदि**			(-)144.56
IV	**ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां**			18.27
	(i)	ऊर्जा से	1.60	
	(ii)	सरकारी कर्मचारियों तथा विविध ऋणों से	12.83	
	(iii)	अन्य से	3.84	
V	**लोक ऋण प्राप्तियां**			1046.19
	(i)	अर्थोपाय अग्रिमों सहित आंतरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राप्ट छोड़कर)	330.54	
	(ii)	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	715.65	
VI	**लोक लेखा प्राप्तियां**			3512.21
	(i)	लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	393.51	
	(ii)	आरक्षित निधियां	342.08	
	(iii)	जमा एवं अग्रिम	1481.85	
	(iv)	उचन्त एवं विविध	85.93	
	(v)	प्रेषण	1208.84	
VII	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवर ड्राप्ट**			--
				4432.11

संवितरण (करोड़ रुपए)

II	**भारतीय रिजर्व बैंक से आदि ओवर ड्राफ्ट**				**420.94**
III	**पूंजीगत परिव्यय**				**540.73***
	प्रवर्ग	**आयोजनेतर**	**योजनागत**	**योग**	
	(क) सामान्य सेवाएं	--	19.56	19.56	
	(ख) सामाजिक सेवाएं	--	144.56	144.56	
	(ग) आर्थिक सेवाएं				
	(i) कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	(-)3.07	13.51	10.44	
	(ii) ग्रामीण विकास	--	0.04	0.04	
	(iii) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रक	--	41.87	41.87	
	(iv) ऊर्जा	—	176.00	176.00	
	(v) उद्योग एवं खनिज	--	1.75	1.75	
	(vi) परिवहन	--	137.43	137.43	
	(vii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	--	9.08	9.08	
IV	**संवितरित ऋण एवं अंग्रिम**				**151.04**
	(i) ऊर्जा के लिए			115.58	
	(ii) सरकारी कर्मचारियों के लिए तथा विविध ऋण			20.63	
	(iii) अन्य के लिए			14.83	
V	**कम किया गया राजस्व घाटा**				**528.69**
VI	**लोक ऋण की चुकौती**				**280.35**
	(i) अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट छोड़कर)			227.72	
	(ii) केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती			52.63	
VII	**लोक लेखा संवितरण**				**3211.71**
	(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि			196.92	
	(ii) आरक्षित निधियां			242.92	
	(iii) जमा एवं अग्रिम			1485.38	
	(iv) उचन्त एवं विविध			94.84	
	(v) प्रेषण			1191.65	
VIII	**वर्ष के अन्त में नकद शेष**				**(-)701.35**
	(i) कोषागारों में शेष तथा स्थानीय प्रेषण			12.51	
	(ii) स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष लेखा			0.35	
	(iii) नकद शेष निवेश लेखा			0.14	
	(iv) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा			(-)714.35	
					4432.11

* ये वसूलियों को व्यय से कम करके समायोजित करने के पश्चात् निवल आंकड़े हैं अर्थात् राजस्व व्यय: 225.79 करोड़ रु०; पूंजीगत व्यय: 64.26 करोड़ रु०

विवरणी-III

निधियों के स्त्रोत एवं उनकी प्रयुक्ति

निम्न विवरणियों में वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकार की निधियों के स्त्रोत एवं उनकी प्रयुक्ति के ब्यौरे समाविष्ट है:

स्त्रोत (प्राप्तियां)		**प्रयुक्ति (व्यय)**	
	(करोड़ रुपयो में)		(करोड़ रुपयों में)
कर राजस्व	476.16	राजस्व व्यय	2699.14
कर भिन्न राजस्व	222.04		
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	821.02	पूंजीगत व्यय	540.73
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	651.23		
निगम करों से भिन्न आय पर कर	95.17		
संघीय उत्पाद शुल्क	556.06		
अर्थोपाय एवं अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट छोड़कर)	330.54	अर्थोपाय एवं अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण का निर्वहन (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्टों को छोड़कर)	227.73
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	715.65	केन्द्रीय सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों का निर्वहन	52.63
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	18.27	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	151.04
लोक लेखा के अन्तर्गत निवल प्राप्ति	300.50		
नकद शेष निवेश	556.79	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट में ह्रास	420.94
लेखा, विभागीय नकद शेष, स्थायी अग्रिमों सहित नकद शेष में निवल ह्रास			
योग	**4092.20**		**4092.20**

इन विवरणियों तथा सहायक आंकड़ों पर आधारित इस अध्याय के निम्न परिच्छेदों में राज्य सरकार के 1997-98 के दौरान वित्त के सम्बन्ध का, जिसे गत चार वर्षों में प्राप्त स्थिति से सम्बद्ध किया गया है, विश्लेषण प्रस्तुत है।

1.3 परिसम्पतियां एवं दायित्व

1993-98 के गत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार की परिसम्पतियां (जिसमें पूंजीगत निवेश एवं दिये गये ऋण सम्मिलित है) तथा दायित्व की स्थिति निम्नांकित थी:

के अन्त में	परिसम्पतियां	दायित्व	परिसम्पतियों तथा दायित्वों के मध्य अन्तर अधिक्य (+)/कमी (-)
		(करोड़ रुपए)	
1993-94	2405.20	2035.78	(+)369.42
1994-95	2658.50	2597.30	(+) 61.20
1995-96	3215.60	3304.72	(-) 89.12
1996-97	3523.57	3767.55	(-)243.98
1997-98	3649.20	4421.87	(-)772.67

चार वर्षों की अवधि में परिसम्पतियां में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उसी अवधि में दायित्वों में 117 प्रतिशत की अधिकता आई। तालिका दर्शाती है कि 1995-96 तक सरकार की परिसम्पतियां दायित्वों की तुलना में अधिक थी। फिर भी वर्ष 1996-97 से सरकार के दायित्व परिसम्पतियों से बढ़ गए। यह मुख्यत: वर्ष 1994-95 से राजस्व घाटे में वृद्धि (परिच्छेद 1.7.1 में राजस्व घाटे के ब्यौरों द्वारा) के कारण हुआ।

1.3.1 राज्य की वित्तीय स्थिति

(i) वित्त लेखाओं से यथाप्रकटित राज्य सरकार की 1997-98 के दौरान की वित्तीय स्थिति ने उद्घाटित किया कि राज्य सरकार की वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां 2170.45 करोड़ रुपए थी जिसके प्रति राजस्व व्यय 2699.14 करोड़ रुपए था जिसके परिणामस्वरुप 528.69 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ जो राजस्व प्राप्तियों का 24 प्रतिशत बनता था।

(ii) राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (476.16 करोड़ रुपए), कर भिन्न राजस्व (222.04 करोड़ रुपए), केन्द्रीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश (651.23 करोड़ रुपए) तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान (821.02 करोड़ रुपए) सम्मिलित हैं। कर राजस्व के मुख्य स्त्रोत बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर (171.17 करोड़ रुपए) तथा राज्य उत्पाद शुल्क (159.54 करोड़ रुपए) थे। कर-भिन्न राजस्व मुख्यत: आवास (65.86 करोड़ रु0) वानिकी एवं वन्य प्राणी (41.15 करोड़ रुपए) तथा अलौह, खनिज एवं खनन उद्योग (30.93 करोड़ रु0) से

प्राप्त हुआ। तथापि आवास के अन्तर्गत 65.25 करोड़ रु0 की प्राप्ति बनावटी रुप से सृजित की गई जिसका विवरण परिच्छेद 1.4.3 (क) में दिया गया है।

(iii) वर्ष 1997-98 के दौरान राजस्व के चार प्रमुख स्त्रोतों अर्थात राजस्व (22 प्रतिशत), कर भिन्न राजस्व (10 प्रतिशत), केन्द्रीय सरकार से अनुदान (38 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा (30 प्रतिशत), से अंशदान निम्नांकित चार्ट में दर्शाया जाता है:

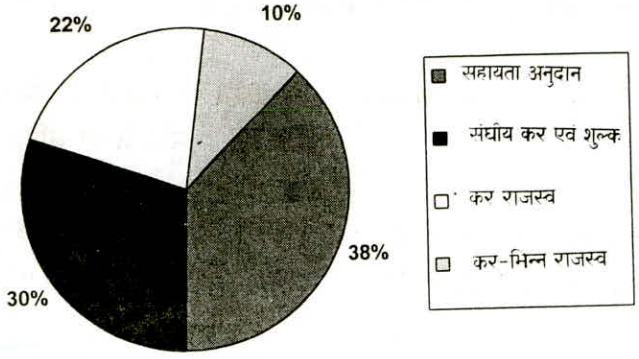

(iv) 2699.14 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय सामान्य सेवाओं (31.2 प्रतिशत), आर्थिक सेवाओं (31.6 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं (36.8 प्रतिशत) एवं सहायता अनुदान के अशंदान (0.4 प्रतिशत) पर था।

(v) राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय 540.73 करोड़ रुपए था जिसे सामान्य सेवाओं (3 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं (27 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं (70 प्रतिशत) में वितरित किया गया था।

(vi) राज्य सरकार का लोक ऋण पूर्व वर्ष की तुलना में 1997-98 के दौरान 344.90 करोड़ रुपए बढ़ गया जिससे ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवा का बोझ बढ़ गया। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (372.07 करोड़ रुपए) राज्य के राजस्व व्यय का 14 प्रतिशत बनता था।

1.3.2 समेकित निधि

गत वित्तीय वर्ष सहित 1997-98 के लिए राज्य की समेकित निधि के अन्तर्गत

प्राप्तियां एवं व्यय निम्नवत् था:

(करोड़ रुपयों में)

1996-97	प्राप्तियां	1997-98	1996-97	व्यय	1997-98
राजस्व लेखे					
1992.02	राजस्व प्राप्तियां	2170.45	2146.88	राजस्व व्यय	2699.14
154.86	घाटा(-)	528.69			
2146.88	**योग**	**2699.14**	**2146.88**	**योग**	**2699.14**
पूंजीगत लेखा					
---	पूंजीगत प्राप्तियां	---	351.79	पूंजीगत व्यय	540.73
16.03	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	18.27	81.41	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	151.04
936.66	लोक ऋण के रुप में दर्ज की गई प्रातियां	2475.07	684.78	लोक लेखे की चुकौती	2130.18
165.29	पूंजीगत घाटा	328.61	209.09	पूंजीगत अधिशेष	--
1117.98	**योग**	**2821.95**	**1117.98**	**योग**	**2821.95**
320.15	समेकित निधि में कमी	857.30			

वर्ष 1996-97 की 1992.02 करोड़ रु0 की तुलना में वर्ष 1997-98 में राजस्व प्राप्तियां 2170.45 करोड़ रु0 हो गई जो पूर्व वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती थी। राजस्व व्यय वर्ष 1996-97 के 2146.88 करोड़ रु0 से वर्ष 1997-98 में 2699.14 करोड़ रु0 हुआ जिसमें पूर्व वर्ष से वृद्धि 26 प्रतिशत थी। पूंजीगत व्यय 54 प्रतिशत की वृद्धि दशति हुए वर्ष 1996-97 के 351.79 करोड़ रु0 से वर्ष 1997-98 में 540.73 करोड़ हुआ। राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में राजस्व प्राप्तियों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि के कारण समेकित निधि में वर्ष 1997-98 के दौरान 857.30 करोड़ रु0 की कमी हुई। पूर्व वर्ष की तुलना में पूंजीगत घाटे में 168 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.4 राजस्व प्राप्तियां

1.4.1 पांच वर्षों (1993-98) की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्नवत् थी:

वर्ष	बजट आकलन*	वास्तविक राजस्व प्राप्तियां	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/ह्रास(-) (करोड़ रुपए)	पूर्व वर्ष पर वृद्धि (+)/ ह्रास(-) की प्रतिशतता
1993-94	1435.74	1465.13	(+)412.64	(+)39
1994-95	1235.85	1306.36	(-)158.77	(-)11
1995-96	1738.90	1754.03	(+)447.67	(+)34
1996-97	1910.60	1992.02	(+)237.99	(+)14
1997-98	2117.57	2170.45	(+)178.43	(+) 9

यह द्रष्टव्य है कि वर्ष 1993-98 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 48 प्रतिशत थी।

* स्रोत: राज्य सरकार के दस्तावेजानुसार

वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोंतों से राजस्व उगाहियों की स्थिति तथा राज्य के कुल राजस्व में उनका योगदान निम्न चार्ट में यथा प्रदर्शित है:

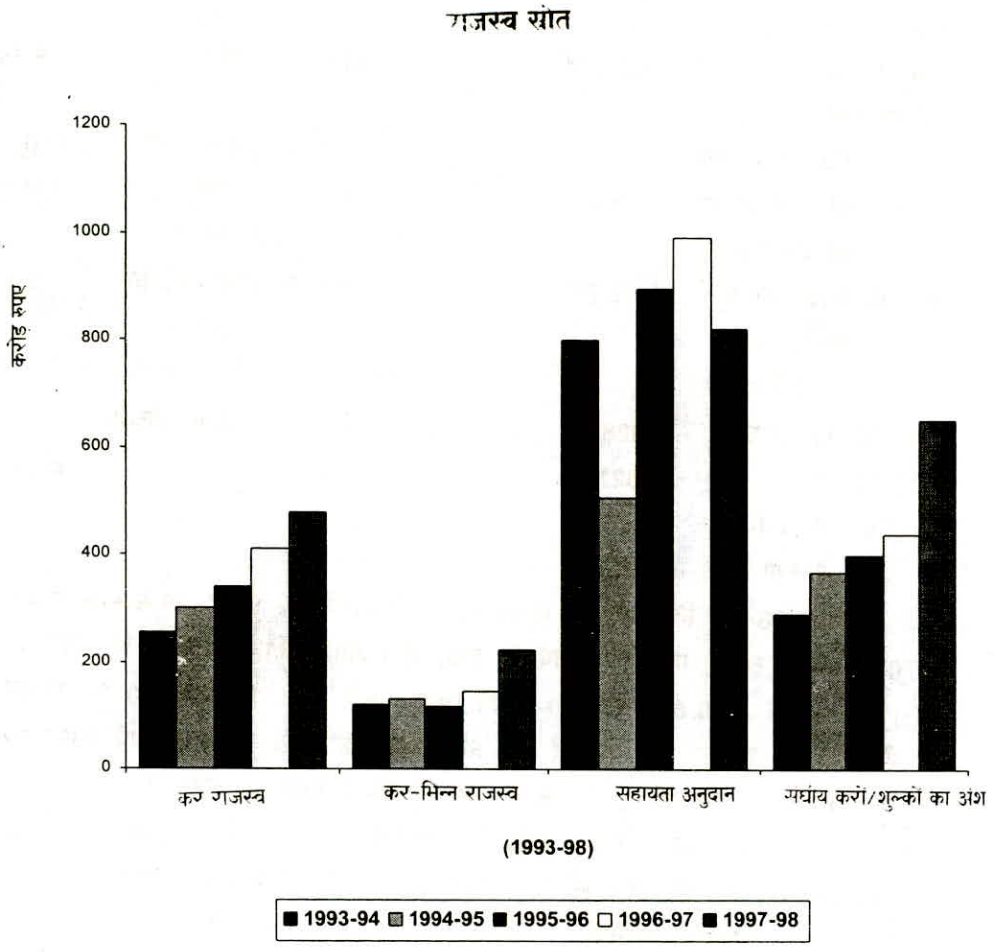

विभिन्न स्त्रोंतों से प्राप्तियों का विशलेषण आगे के परिच्छेदों में निहित है:

1.4.2 **कर राजस्व**

राज्य सरकार की अंतिम पांच वर्षों (1993-98) के दौरान कर राजस्व की

कर राजस्व--5 वर्षों में वृद्धि

वर्ष	बजट आकलन*	वास्तविक प्राप्ति	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	कुल राजस्व प्राप्ति के सन्दर्भ में प्रतिशतता वृद्धि
			(करोड़ रुपयों में)	
1993-94	221.92	255.74	15	17
1994-95	297.01	299.45	17	23
1995-96	336.18	341.52	14	19
1996-97	373.86	412.11	21	21
1997-98	436.53	476.16	16	22

(क) राज्य सरकार का कर राजस्व 1996-97 में 412.11 करोड़ रुपए से बढ़कर 1997-98 में 476.16 करोड़ रुपए हो गया जो 16 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

(ख) 1993-94 से 1997-98 की अवधि के दौरान विभिन्न करों तथा शुल्कों से प्राप्ति का निम्नांकित तालिका में विश्लेषण किया गया है:

कर राजस्व के घटक

क्रमांक	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
			(करोड़ रुपए)		
1. बिक्री कर	93.88	107.18	122.83	146.26	171.18
	(37)	(36)	(36)	(35)	(36)
2. राज्य आबकारी	83.53	94.55	105.50	132.47	159.54
	(33)	(32)	(31)	(32)	(34)
3. वाहन कर	11.56	11.17	12.32	14.47	15.83
	(4)	(4)	(4)	(4)	(3)
4. माल तथा यात्री कर	35.22	39.77	45.80	65.26	96.80
	(14)	(13)	(13)	(16)	(20)
5. विद्युत पर कर एवं शुल्क	2.10	9.88	17.92	18.64	7.05
	(1)	(3)	(5)	(5)	(2)
6. भू-राजस्व	1.01	1.15	0.87	5.95	1.67
	(--)	(--)	(--)	(1)	(-)
7. स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	10.19	12.00	13.78	15.44	18.77
	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
8. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	18.25	23.75	22.50	13.62	5.32
	(7)	(8)	(7)	(3)	(1)
जोड़	**255.74**	**299.45**	**341.52**	**412.11**	**467.16**

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े कुल कर राजस्व के प्रति एकैक करों की प्रतिशतता दशति हैं।

* स्रोत: राज्य सरकार के दस्तावेजानुसार

(ग) गत वर्ष के सम्बन्ध में 1997-98 के दौरान 64.05 करोड़ रुपए की कर राजस्व संग्रहण में वृद्धि का मुख्य कारण माल एवं यात्री करों (31.54 करोड़ रुपए) राज्य आबकारी (27.07 करोड़ रुपए) तथा बिक्री कर (24.92 करोड़ रुपए) से अतिरिक्त प्राप्ति थी। अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा इसके लिए उद्धृत (जुलाई 1998) कारण निम्नांकित थे:

"माल व यात्री कर" के अन्तर्गत वृद्धि किराया प्राप्तियों, निजी वाहनों के लिए यात्री कर का एकमुश्त उद्ग्रहण तथा फ्लाई एश के लिए अतिरिक्त भाड़ा कर के उद्ग्रहण के कारण थी।

"राज्य आबकारी" के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यत: निलामी धन की अधिक प्राप्ति, शराब की खपत में वृद्धि, आबकारी शुल्क की दरों में बढ़ौतरी तथा 35 नये बार लाइसैन्सों के जारी करने के कारण थी।

"बिक्री कर" के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यत: वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि के कारण थी।

(घ) बजट आकलनों एवं संशोधित आकलनों की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से कर राजस्व की वसूली के विश्लेषण से महत्वपूर्ण भिन्नताओं का पता चला। ये भिन्नताएं संशोधित आकलनों की तुलना में भू-राजस्व के मामले में 74 प्रतिशत तक उच्च थी तथा विद्युत करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में (-) 58 प्रतिशत तक निम्न थी। इस सम्बन्ध में ब्यौरा निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

1996-97 के वास्तविक आंकडे	राजस्व शीर्ष	1997-98			आकलनों के संदर्भ में वृद्धि (+)/कमी(-)	
		बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक आंकड़े (करोड़ रुपए में)	बजट आकलन	संशोधित आकलन
5.95	भू-राजस्व	0.96	0.96	1.67	(+) 74	(+)74
15.44	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	12.20	14.30	18.77	(+)54	(+)31
132.47	राज्य आबकारी	120.00	136.70	159.54	(+)33	(+)17
146.26	बिक्री कर	160.00	162.00	171.18	(+) 7	(+) 6
18.64	विद्युत पर कर एवं शुल्क	16.63	16.63	7.05	(-)58	(+)58
13.62	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	5.54	5.54	5.32	(-)4	(-) 4
65.26	माल तथा यात्री कर	77.00	78.00	96.80	(+)26	(+)24
14.47	वाहन कर	13.14	22.39	15.83	(+)20	(-)29

मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा (जुलाई 1998) विद्युत पर करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में 58 प्रतिशत की कमी को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत शुल्क की अदायगी में विलम्ब की अदायगी बताया।

1.4.3 कर-भिन्न राजस्व

गत पांच वर्षों के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि/कमी निम्नांकित थी:

वर्ष	बजट आकलन*	कर-भिन्न राजस्व (वास्तविक)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी(-)	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रुप में
		(करोड़ रुपयों में)		
1993-94	84.79	120.61	(+)81	(+)8
1994-95	87.24	132.74	(+)10	(+)10
1995-96	112.20	117.35	(-)12	(+)7
1996-97	138.62	146.86	(+)25	(+)7
1997-98	123.80	222.04	(+)51	(+)10

(क) राज्य सरकार का कर-भिन्न राजस्व 1996-97 में 146.86 करोड़ रुपए से बढ़कर 1997-98 में 222.04 करोड़ रुपए हो गया, जो गत वर्ष (1996-97) की तुलना में 51 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

वृद्धि मुख्यत: निम्नांकित शीर्षों में अतिरिक्त वसूली के कारण थी:

लेखा शीर्ष		वास्तविक आंकड़े		वृद्धि की प्रतिशतता
		1996-97	1997-98	
0202	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2.68	6.13	129
0216	आवास	0.58	65.86	11255
0425	सहकारिता	1.16	2.47	113
0853	अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	13.22	30.93	134

1995-96 वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड ने गांधी कुटीर योजना के निष्पादनार्थ राज्य सरकार की ओर से आवास तथा शहरी विकास निगम से 105.32 करोड़ रु० का ऋण लिया इसमें से वर्ष 1996-97 (25.35 करोड़ रु०) तथा वर्ष 1997-98 (10.09 करोड़ रु०) के दौरान प्राप्त 35.44 करोड़ रु० सरकार के कहने पर सरकारी लेखे में शीर्ष "8448-स्थानीय निधि जमा- 108 राज्य आवास बोर्ड निधि" में जमा कर दिये। इस त्रुटि को हिमाचल प्रदेश सरकार

---

* स्रोत: राज्य सरकार के दस्तावेजानुसार

(सिविल) के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1996-97 के प्रतिवेदन के परिच्छेद 1.10.1 (ख) द्वारा इंगित किया गया था।

1997-98 वर्ष के दौरान शीर्ष " 8448-स्थानीय निधि जमा- 108 राज्य आवास तथा बोर्ड निधि" में पड़े 47.35 करोड़ रु0 (पूर्व शेष सहित) तथा वर्ष 1997-98 में आवास तथा शहरी विकास निगम से प्राप्त आगामी ऋण राशि के 17.90 करोड़ रु0 को हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड ने राज्य सरकार के कहने पर शीर्ष " 0216-आवास, 03-ग्रामीण आवास, 800-अन्य प्राप्तियां, 01-गांधी कुटीर योजना के लिए सहायता" में राजस्व प्राप्ति के रुप में संकलित किया। इस प्रकार सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान 65.25 करोड़ रु0 के बनावटी राजस्व का सृजन राजस्व घाटे को छिपाने के उद्देश्य से किया।

"अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग" शीर्ष के अन्तर्गत वृद्धि का कारण न्यायालय प्रकरण का राज्य सरकार के हक में निर्णय होना था जिसमें पर्याप्त राजस्व प्राप्तियां, जांच पोस्टों तथा उड़न दस्तों की स्थापना तथा राज्य में सीमेण्ट के उत्पादन में वृद्धि शामिल थी।

(ख) कर राजस्व के मामले की भांति वर्ष 1997-98 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वसूली में बजट तथा संशोधित आकलनों से महत्वपूर्ण भिन्नता थी। लेखा शीर्ष निम्नांकित हैं:

लेखा शीर्ष	बजट आकलन	संशोधित बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियां (करोड़ रुपए)	के सन्दर्भ में भिन्नताएं	
				बजट आकलन	संशोधित आकलन
0049-ब्याज	3.25	3.25	13.02	9.77 (+301)	9.77 (+301)
0050-लाभ तथा लाभांश	0.11	0.11	0.55	0.44(+400)	0.44(+400)
0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3.77	3.63	8.52	4.75(+126)	4.89(+135)
0202-शिक्षा	3.19	3.19	6.13	2.94(+126)	2.94(+126)
0406-वन एवं वन्य प्राणी	86.00	50.00	41.15	(-)44.85(-52)	(-)8.85(-18)
0851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग	0.13	0.15	1.14	1.01(+777)	0.99(+660)
0853-अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	7.00	10.00	30.93	23.93(+342)	20.93(+209)

टिप्पणी: कोष्ठकों में आंकड़े वृद्धि (+) तथा कमी (-) को दशति हैं।

ये भिन्नताएं ग्रामीण तथा लघु उद्योग के सम्बन्ध में 777 प्रतिशत तक उच्च थीं तथा वन एवं वन्य प्राणी के बारे में (-)52 प्रतिशत तक निम्न थीं।

यह द्रष्टव्य है कि 86 करोड़ के बजट प्रावधानों के प्रति वर्ष 1997-98 के दौरान "वन एवं वन्य प्राणी" के अन्तर्गत वास्तविक राजस्व प्राप्तियां 41.15 करोड़ रु0 थीं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सूचित किया (अगस्त 1998) कि वर्ष 1997-98 के लिए वन विभाग ने राज्य बजट अनुमानों में 40.50 करोड़ रु0 की राजस्व प्राप्तियां प्रस्तावित की थी जबकि बजट अनुमानों के अनुसार उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधान को 86 करोड़ रु0 रखा गया था। राज्य सरकार ने (-)52 प्रतिशत की भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए (सितम्बर 1998)।

1.4.4 संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

अंतिम पांच वर्षों के संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांशों का रुझान तथा केन्द्रीय सरकार के अनुदानों की प्रकृति निम्नांकित थी:

वर्ष	राज्यांश		सहायता अनुदान	कुल	प्रतिशतता	
	निगम कर से भिन्न आय पर करों का निवल आगम	संघीय आबकारी शुल्क			कुल राजस्व व्यय	कुल राजस्व प्राप्तियां
	(करोड़ रुपए)					
1993-94	45.97	243.55	799.26	1088.78	81	74
1994-95	51.31	317.52	505.34	874.17	54	67
1995-96	78.89	321.39	894.88	1295.16	68	74
1996-97	67.51	372.72	992.82	1433.05	67	72
1997-98	95.17	556.06	821.02	1472.25	55	68

संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश वर्ष 1993-94 (289.52 करोड़ रुपए) तथा 1997-98 (651.23 करोड़ रुपए) में 125 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष (440.23 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान वृद्धि 48 प्रतिशत थी। उसी अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान में 3 प्रतिशत वृद्धि हुई जो 799.26 करोड़ रुपए से बढ़कर 821.02 करोड़ रुपए हो गया। सहायता अनुदान वर्ष 1997-98 में 821.02 करोड़ रुपए रह गया जो पूर्व वर्ष में 992.82 करोड़ रु0 था। कमी 17 प्रतिशत हुई।

1.4.5 बकाया राजस्व

उपलब्ध सूचनानुसार राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत संग्रहण में बकायों की

स्थिति अंतिम पांच वर्षों में निम्नलिखित थी:

वर्ष	वर्षान्त में बकाया राजस्व (करोड़ रुपयों में)
1993-94	138.42
1994-95	128.04
1995-96	136.70
1996-97	155.48
1997-98	170.45

यह देखा गया कि बकाया राजस्व 1996-97 में 155.48 करोड़ रुपए से बढ़कर 1997-98 में 170.45 करोड़ रुपए हो गया जो 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अधिकतर बकाया वानिकी एवं वन्य प्राणी (76.68 करोड़ रुपए), बिक्री कर (49.73 करोड़ रुपए), जलापूर्ति, स्वच्छता एवं लघु सिंचाई (9.49 करोड़ रुपए तथा वस्तु एवं यात्रि से कर (7.46 करोड़ रुपए) में था।

1.5 राजस्व व्यय

1997-98 को समाप्त पांच वर्षीय अवधि के दौरान राज्य के राजस्व व्यय की प्रवृति निम्नवत् थी:

वर्ष	बजट आकलन*			वास्तविक आंकड़े			गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी(-)
	योजनागत	आयोजनेतर	जोड़	योजनागत	आयोजनेतर	जोड़	
	(करोड़ रुपए में)						
1993-94	381.38	960.63	1342.01	409.01	942.49	1351.50	(+)205.93
1994-95	442.33	1132.88	1575.21	440.73	1173.55	1614.28	(+)262.78
1995-96	517.63	1343.49	1861.12	560.59	1343.76	1904.35	(+)290.07
1996-97	616.21	1528.62	2144.83	650.55	1496.33	2146.88	(+)242.53
1997-98	726.99	1811.17	2538.16	841.83	1857.31	2699.14	(+)552.26

वर्ष 1993-94 तथा 1997-98 के मध्य योजनागत व्यय 106 प्रतिशत तथा आयोजनेतर व्यय 97 प्रतिशत बढ़ा। 1996-97 के स्तर की तुलना में राजस्व व्यय 1997-98 के दौरान 26 प्रतिशत बढ़ा तथा वर्ष 1993-98 की अवधि में वृद्धि 100 प्रतिशत थी।

राजस्व व्यय का अधिकतर भाग मुख्यत: ब्याज भुगतानों (372.07 करोड़ रु०), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (165.49 करोड़ रु०), राज्य विद्युत बोर्ड को सहायता (83 करोड़ रु०), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता (60.66 करोड़ रु०) तथा स्थानीय निकायों इत्यादि

---

* स्रोत: राज्य सरकार के दस्तावेजानुसार

को वित्तीय सहायता (204.77 करोड़ रु0) के सम्बन्ध में था। शेष राशि (1813.15 करोड़ रु0) में से लगभग 1049.64 करोड़ रु0 कर्मचारी* वर्ग की लागत के लिए लेखाबद्ध किया गया जो 1997-98 के दौरान कुल राजस्व व्यय का 39 प्रतिशत था। 1996-97 के दौरान कर्मचारी* वर्ग की लागत पर व्यय लगभग 722.40 करोड़ रु0 था जो कुल राजस्व व्यय (2146.88 करोड़ रु0) का 34 प्रतिशत बनता था।

सरकार ने बताया (जनवरी 1999) कि 1996-97 के स्तर से 1997-98 के दौरान आयोजनेतर राजस्व व्यय में लगभग 361 करोड़ रु0 की वृद्धि मुख्यत: (i) वेतनमानों के संशोधन (120 करोड़ रु0), (ii) ब्याज-दायित्वों (59 करोड़ रु0) (iii) सेवानिवृतकों (39 करोड़ रु0), (iv) सिंचाई स्कीमों के साथ-साथ सड़कों, भवनों, जलापूर्ति के अनुरक्षण पर व्यय (40 करोड़ रु0), हिमाचल पथ परिवहन निगम को रियायती पासों के सम्बन्ध में उनके घाटे की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त उपदान (30 करोड़ रु0) और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को वेतनमानों के संशोधन के कारण उनका घाटा पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपदान (73 करोड़ रु0) के कारण थी।

इसी प्रकार, 1997-98 के दौरान योजनागत राजस्व व्यय में 191 करोड़ रु0 की वृद्धि 1996-97 की तुलना में 1997-98 में योजना के आकार में वृद्धि के कारण बताई गई (जनवरी 1999)।

राजस्व लेखे के व्यय का 1993-94 से 1997-98 तक सैक्टर क्रमानुसार विश्लेषण निम्नांकित था

सैक्टर	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
	(करोड़ रुपए)				
सामान्य सेवाएं (आयोजनेतर)	446.98	508.44	603.77	681.18	819.82
सामान्य सेवाएं (योजनागत)	13.45	16.27	19.77	21.42	22.61
सामाजिक सेवाएं (आयोजनेतर)	320.70	381.67	454.57	486.40	586.22
सामाजिक सेवाएं (योजनागत)	162.58	189.04	255.57	303.93	407.22
आर्थिक सेवाएं (आयोजनेतर)	171.14	279.78	281.24	324.10	446.80
आर्थिक सेवाएं (योजनागत)	232.98	235.42	285.25	325.20	405.24
सहायता अनुदान व अंशदान (आयोजनेतर)	3.67	3.66	4.18	4.65	4.47
सहायता अनुदान व अंशदान (योजनागत)	--	--	--	--	6.76

* मार्च 1997 तथा अप्रैल 1998 के दौरान वरिष्ठ उपमहालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय द्वारा प्रदत्त वाउचरों से वेतन व्यय के संकलन पर आधारित।

गत वर्ष (1996-97) की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर योजनागत व्यय में क्रमश: 6,34 तथा 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इन्ही सेवाओं पर आयोजनेतर व्यय में वृद्धि क्रमश: 20, 21 तथा 38 प्रतिशत रही।

करोड़ रुपए

योजनागत राजस्व व्यय की प्रवृत्ति

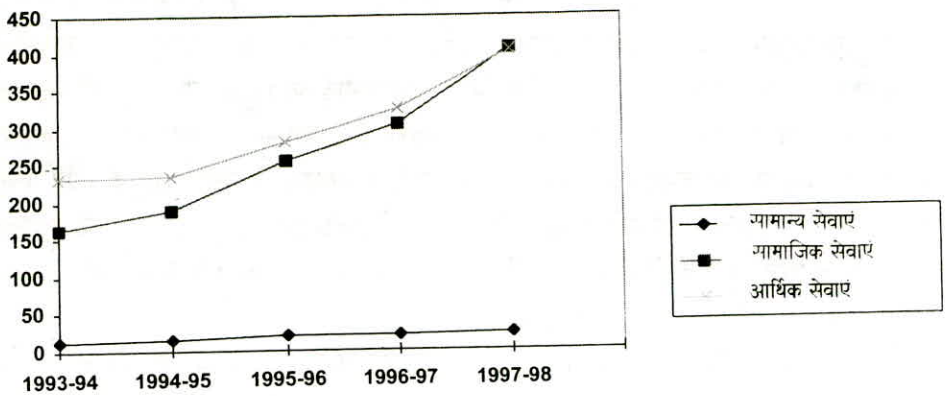

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
सामान्य सेवाएं	13.45	16.27	19.77	21.42	22.61
सामाजिक सेवांए	162.58	189.04	255.57	303.93	407.22
आर्थिक सेवाएं	232.98	235.42	285.25	325.20	405.24

आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रवृत्ति

करोड़ रुपए

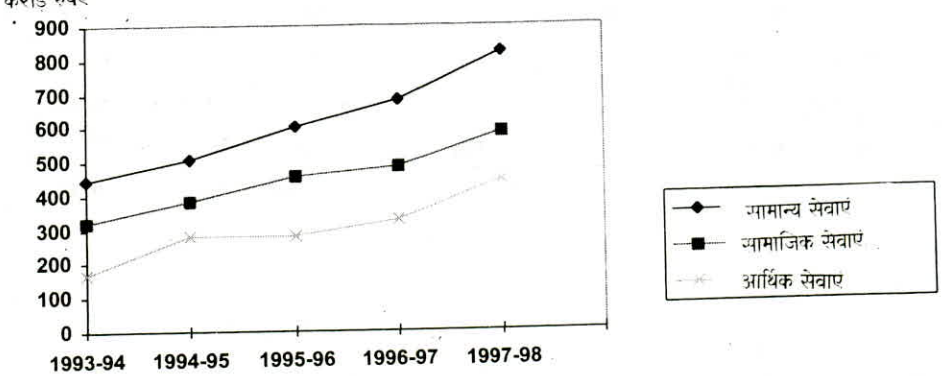

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
सामान्य सेवाएं	446.98	508.44	603.77	681.18	819.82
सामाजिक सेवांए	320.70	381.67	454.57	486.40	586.22
आर्थिक सेवाएं	171.14	279.78	281.24	324.10	446.80

1.5.1 **ब्याज भुगतान**

अंतिम पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की प्रवृति निम्नवत् थी:

वर्ष	पर दिया गया ब्याज				कर राजस्व के सन्दर्भ में ब्याज अदायगियों की प्रतिशतता
	आन्तरिक ऋण	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	जोड़	
			(करोड़ रुपए में)		
1993-94	31.00	117.89	60.76	209.65	82
1994-95	36.86	118.01	67.73	222.60	74
1995-96	48.10	160.26	76.89	285.25	84
1996-97	55.85	178.91	78.22	312.98	76
1997-98	59.43	220.72	91.92	372.07	78

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कुल ब्याज भुगतान 1993-94 में 209.65 करोड़ रुपए से बढ़कर 1997-98 में 372.07 करोड़ रुपए हो गया जिसमें पांच वर्षों की अवधि की तुलना में 77 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित थी। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों पर पांच वर्षों की अवधि की तुलना में ब्याज भुगतान में वृद्धि 87 प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋण पर 92 प्रतिशत रही।

इस प्रकार ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का 14 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 1997-98 के दौरान कर राजस्व 78 प्रतिशत के बराबर लेखाबद्ध हुआ।

1993-94 से प्राप्त ब्याज तथा भुगतान किए गए ब्याज के मध्य अंतर भी बढ़ती प्रकृति को दर्शाता है। यह 1993-94 में 206.43 करोड़ रुपए से बढ़कर 1997-98 में 359.05 करोड रुपए हो गया, जिसमें 74 प्रतिशत की वृद्धि रही। ब्यौरा निम्नांकित है:

वर्ष	प्राप्त ब्याज	ब्याज भुगतान (करोड़ रुपए)	अंतर
1993-94	3.22	209.65	206.43
1994-95	9.23	222.60	213.37
1995-96	25.37	285.25	259.88
1996-97	24.35	312.98	288.63
1997-98	13.02	372.07	359.05

1.5.2 स्थानीय निकायों तथा अन्यों को वित्तीय सहायता

1997-98 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानीय निकायों आदि को दी गई सहायता की प्रमात्रा (अनुदान एवं ऋण) निम्नांकित थी:

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
		(करोड़ रुपए)			
विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	21.77	15.95	36.63	30.06	66.60
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	7.03	6.92	11.20	12.06	31.75
जिला परिषदें तथा पंचायती राज संस्थाएं	0.87	1.63	2.08	11.18	20.45
विकास एजेंसियां	14.03	9.18	9.76	24.98	48.68
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	0.55	--	3.42	4.17	3.89
अन्य संस्थाएं	30.89	28.20	91.01	49.75	33.40
जोड़	**75.14**	**61.88**	**154.10**	**132.20**	**204.77**
गत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि (+)कमी(-)	(+)104	(-)18	(+)149	(-)14	(+)55
राजस्व प्राप्ति	1465.13	1306.36	1754.03	1992.02	2170.45
राजस्व प्राप्तियों के प्रति सहायता की प्रतिशतता	5	5	9	7	9
राजस्व व्यय	1351.50	1614.28	1904.35	2146.88	2699.14
राजस्व व्यय के प्रति सहायता की प्रतिशतता	6	4	8	6	8

स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता वर्ष 1996-97 में 132.20 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 204.77 करोड़ रु० होने से 55 प्रतिशत हो गई। स्थानीय निकायों तथा नगरपालिकाओं को वर्ष 1996-97 में वित्तीय सहायता 12.06 करोड़ रु० से वर्ष 1997-98 में 31.75 करोड़ रु० हो गई जो पूर्व वर्ष की तुलना में 163 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। निदेशक, शहरी विकास विभाग ने (सितम्बर 1998) शहरी स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान की वित्तीय सहायता में वृद्धि को संशोधित वेतनमानों के बकाया की अदायगी के दायित्वों को पूरा करने, नगर निगम शिमला

तथा नगर परिषद् धर्मशाला को विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रदत्त विशेष अनुदानों से सम्बद्ध किया। निदेशक, पंचायतीराज ने (सितम्बर 1998) पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता में वृद्धि को सिलाई अध्यापकों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को मानदेय की अदायगी से सम्बद्ध किया। 1993-98 वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 5 से 9 प्रतिशत के मध्य स्थानीय निकायों तथा अन्यों को सहायता के रुप में दिया गया जबकि उसी अवधि में राजस्व व्यय का भाग 4 से 8 प्रतिशत था।

1.5.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

(i) राज्य सरकार सरकारी कंपनियों, निगमों, स्वायत निकायों, सहकारिताओं, गैर सरकारी संस्थाओं आदि को विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक कार्यों हेतु ऋण दे रही है। 1993-94 से आरम्भ पांच वर्षों के ऐसे ऋणों की स्थिति निम्नवत् थी।

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
		(करोड़ रुपए)			
आदि शेष	552.61	598.01	416.37	456.15	521.53
वर्ष के दौरान अग्रिम स्वरुप दी गई राशि	53.49	(-)163.30*	65.67	81.41	151.04
वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि	8.09	18.34	25.89	16.03	18.27
अंत शेष	598.01	416.37	456.15	521.53	654.30
निवल बढ़ौतरी	45.40	(-)181.64	39.78	65.38	132.77
प्राप्त किया गया तथा राजस्व में जमा ब्याज	2.50	1.77	4.55	3.17	3.48
वर्ष के दौरान दीर्घ कालीन उधारों से निविल प्राप्तियां	117.66	289.86	193.07	360.39	765.83

(ii) **बकाया वसूलियां:** उन ऋणों, जिनके विस्तृत लेखाओं का अनुरक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है, 31 मार्च 1998 को अग्रिमस्वरुप दिए गए ऋणों के प्रति वसूली हेतु जिसकी जिस सीमा तक सूचना प्राप्त हुई थी, अति देय कुल राशि, ब्याज के 4.93 करोड़ रुपए सहित 12.41 करोड़ रुपए थी। बकाया राशि का मुख्य भाग उद्योग विभाग के अन्तर्गत "लघु उद्योगों

---

* ऋणात्मक लेनदेन ऋण को इक्विटी पूंजी में बदलने के कारण है।

को ऋण तथा मारजिन मनी" (2.47 करोड़ रुपए), बागवानी विभाग के अन्तर्गत "बागवानी" ऋण (3.67 करोड़ रु0), कृषि विभाग के अंतर्गत "भू-संरक्षण ऋण" (2.76 करोड़ रुपए) तथा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत "सहकारी समितियों के लिए ऋण", (2.76 करोड़ रुपए) से सम्बन्धित था।

1.6 पूंजीगत व्यय

1.6.1 अधिकांश परिसम्पत्तियां पूंजी व्यय में से बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिसम्पत्तियां सरकार से बाहर संस्थाओं या उपक्रमों (जो लोक क्षेत्र उपक्रम, निगम आदि हैं) तथा ऋणों एवं अग्रिमों में निवेशित राशियों से बनती है। गत पांच वर्षों में पूंजी व्यय की प्रवृति निम्नांकित थी:

वर्ष	बजट आकलन*	पूंजीगत व्यय (वास्तविक आंकड़े)			गत वर्ष की तुलना में आधिक्य (+) / कमी(-) की प्रतिशतता
		योजनागत	आयोजनेतर	जोड़	
		(क रो ड़ रु प ए)			
1993-94	232.95	223.04	(-)2.67	220.37	(+)7
1994-95	229.35	490.42	3.70	494.12	(+)124
1995-96	256.33	329.47	1.81	331.28	(-)33
1996-97	314.72	353.25	(-)1.46	351.79	(+)6
1997-98	324.91	543.80	(-)3.07	540.73	(+)54

54 प्रतिशत वृद्धि दशनि वाला पूंजीगत व्यय 1996-97 में 351.79 करोड़ रुपए के प्रति 1997-98 में 540.73 करोड़ रुपए था। राजस्व व्यय (योजनागत तथा आयोजनेतर दोनों) 1993-98 के दौरान शत प्रतिशत बढ़ा जबकि पूंजीगत व्यय उसी अवधि के दौरान 145 प्रतिशत हो गया।

1993-94 से 1997-98 तक पूंजीगत लेखे पर व्यय का सैक्टर क्रमानुसार विश्लेषण निम्नांकित तालिका में दिया गया है:

सैक्टर		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
		(क रो ड़ रु प ए)				
सामान्य सेवाएं	योजनागत	5.89	11.74	15.86	17.49	19.56
	आयोजनेतर	--	--	--	--	--
सामाजिक सेवाएं	योजनागत	67.90	87.03	95.91	116.32	144.56
	आयोजनेतर	--	4.27	--	--	--
आर्थिक सेवाएं	योजनागत	149.25	391.65	217.70	219.44	379.68
	आयोजनेतर	(-)2.67	(-)0.57	1.81	(-)1.46	(-)3.07

* स्रोत: राज्य सरकार के दस्तावेजानुसार

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि गत वर्ष (1996-97) की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजी योजनागत व्यय क्रमश: 12, 24 तथा 73 प्रतिशत बढ़ा था।

1.6.2 निवेश तथा प्रतिफल

सरकार की वर्ष 1997-98 तक की पांच वर्षों की सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारिता बैंको तथा समितियों में निवेश की लाभांश/ब्याज प्राप्ति सहित विस्तृत स्थिति निम्नांकित है:

वर्ष के अन्त में	कुल निवेश	वर्ष में प्राप्त लाभांश/ब्याज (करोड़ रुपए में)	प्रतिशतता कालम 2 की 3 पर
(1)	(2)	(3)	(4)
1993-94	295.78	0.34-	0.11
1994-95	575.24	0.08-	0.01
1995-96	644.89	0.11-	0.02
1996-97	722.84*	0.54-	0.07
1997-98	858.38	0.24-	0.03

राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश में वर्ष 1993-94 के 295.78 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1997-98 में 858.38 करोड़ रुपए के निवेश से 190 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि कुल निवेश पर लाभांश की प्रतिशतता वर्ष 1993-94 में 0.11 से वर्ष 1997-98 में 0.03 ही रही।

हानि में चल रही 14 सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों जिनमें सरकार ने वर्ष 1997-98 तक 224.83 करोड़ रुपए का निवेश किया था, संचित हानियां 257.83 करोड़

- अनन्तिम आंकड़े

* राज्य सरकार के साथ समाधान के कारण वर्ष 1996-97 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से 6.35 करोड़ रु० का अन्तर

रुपए (उनके अंतिम उपलब्ध लेखों के अनुसार) थी। उपर्युक्त में से 8 सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों में संचित हानियां निवेश से अधिक थी। ब्यौरा निम्नांकित है:-

क्रंमाक	कम्पनी/निगम का नाम	वर्ष 1997-98 तक निवेश	संचित हानि	तक
		(करोड़ रुपए में)		
1.	हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन तथा प्रोसेसिंग कार्पोरेशन	10.74*	21.40	1996-97
2.	हिमाचल प्रदेश एग्रों इन्डस्ट्रीयल पैकीजिंग इण्डिया लिमिटैड	16.75$	25.43	1995-96
3.	हिमाचल प्रदेश स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2.47	2.58	1996-97
4.	नाहन फाउंडरी लिमिटेड	3.87	7.61	1996-97
5.	हिमाचल प्रदेश स्टेट हैण्डीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	4.07	6.26	1996-97
6.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	114.70	149.49	1997-98
7.	हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12.08	14.37	1993-94
8.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	1.43	2.28	1996-97
	जोड़	**166.11**	**229.42**	

---

* वर्ष 1996-97 के दौरान दिखाये गये 12.24 करोड़ रु0 के निवेश में भारत सरकार से प्राप्त 1.50 करोड़ रु0 का निवेश भी सम्मिलित है

$ वर्ष 1996-97 में दर्शाये गये 17.25 करोड़ रु0 के निवेश में हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम सिमित द्वारा किया गया 0.50 करोड़ का निवेश भी है।

1.7 घाटा

1.7.1 राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के मध्य अन्तर होता है। पिछले पांच वर्षों के लिए राजस्व घाटे की प्रवृत्ति निम्नवत् थी:

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा(-)/ बढ़ोतरी(+)
		(करोड़ रुपए में)	
1993-94	1465.13	1351.50	(+)113.63
1994-95	1306.36	1614.28	(-)307.92
1995-96	1754.03	1904.35	(-)150.32
1996-97	1992.02	2146.88	(-)154.86
1997-98	2170.45	2699.14	(-)528.69

राजस्व बढ़ोतरी/घाटा

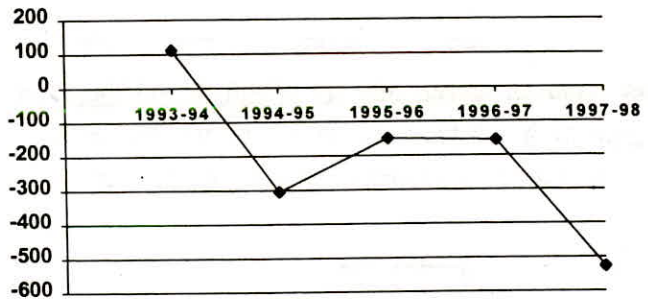

यद्यपि वर्ष 1993-94 तथा 1997-98 के मध्य राजस्व प्राप्तियां 48 प्रतिशत बढ़ी लेकिन इसी अवधि में राजस्व व्यय में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1997-98 के लेखे गत वर्षों के 154.86 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के प्रति 528.69 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे (241 प्रतिशत की वृद्धि) से सम्वृत हुए।

1.7.2 वित्तीय घाटा

वित्तीय घाटे से अभिप्राय राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त किये गये सहायता अनुदानों सहित) पर राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (प्रदत्त निवल ऋणों सहित) की अधिकता से है।

पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय घाटे की स्थिति निम्नवत् थी:

वर्ष	वित्तीय घाटा
	(करोड़ रुपए)
1993-94	152.14
1994-95	620.40
1995-96	521.38
1996-97	572.03
1997-98	1202.19

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय घाटे ने वर्ष 1993-94 से अस्थिर प्रवृत्ति दिखाई। तथापि, वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1997-98 में 1050.05 करोड़ रुपए की कुल वृद्धि थी। गत 1996-97 वर्ष की तुलना में वर्ष 1997-98 में 110 प्रतिशत की वृद्धि थी। राजस्व घाटा वित्तीय घाटे का 44 प्रतिशत था।

1.8 लोक ऋण

राज्य सरकार का लोक ऋण आंतरिक ऋण तथा केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिमों को दर्शाता है। इसके लोक वित्त-व्यवस्था, कराधारा तथा व्यय नीतियों, बजट अधिशेष तथा घाटे, विकास व्यय तथा आर्थिक वृद्धि के सभी पहलुओं से व्यापक सम्बन्ध होते हैं।

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य उसी सीमा (यदि कोई हो) के अन्दर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारतीय क्षेत्र में उधार ले सकता है जो राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए। राज्य विधानमण्डल ने ऐसी कोई सीमा निर्धारित करने वाला कानून पारित नहीं किया था।

1.8.1 आन्तरिक ऋण

पिछले पांच वर्षों के लिए आन्तरिक ऋण की स्थिति निम्नवत् थी:

वर्ष	वर्ष के दौरान वृद्धि	ऋण कार्य तथा ब्याज भुगतान			कॉलम 2 पेर कॉलम 3 की प्रतिशतता
		मूलधन	ब्याज	जोड़	
		(करोड़ रुपए में)			
1993-94	841.68	899.09	31.00	930.09	111
1994-95	384.03	235.63	36.86	272.49	71
1995-96	915.43	482.03	48.10	530.13	58
1996-97	600.46	638.62	55.85	694.47	116
1997-98	1759.42	2077.55	59.43	2136.98	121

वर्ष 1997-98 के दौरान 2136.98 करोड़ रुपए के आन्तरिक ऋण के मूलधन तथा ब्याज का निर्वहन वर्ष के दौरान 1759.42 करोड़ रुपए के संयोजन की अपेक्षा अधिक था। वर्ष 1993-94 में राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण का अग्रेषित शेष 298.01* करोड़ रुपए था जो कि वर्ष 1993-98 के दौरान 76 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए वर्ष 1997-98 में 523.53* करोड़ रुपए तक बढ़ गया।

1.8.2 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम

पिछले पाँच वर्षों के लिए भारत सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों की स्थिति निम्नवत् थी:

वर्ष	वर्ष के दौरान संयोजन	ऋण की चुकौती			निवल प्रवाह	कॉलम 2 पर कॉलम 5 की प्रतिशतता
		मूलधन	ब्याज	जोड़ 3+4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(करोड़ रुपए)			
1993-94	146.05	57.32	117 89	175.21	(-)29.16	120
1994-95	307.13	57.99	118.01	176.00	131.13	57
1995-96	185.98	39.23	160.26	199.49	(-)13.51	107
1996-97	336.20	46.16	178.91	225.07	111.13	67
1997-98	715.65	52.63	220.72	273,35	442.30	38

केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों की पुनः अदायगी की अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान 273.35 करोड़ रुपए (मूलधनः 52.63 करोड़ रुपए तथा ब्याजः 220.72 करोड़ रुपए) की अदायगी करनी थी। राशियों का भुगतान समय पर किया गया। वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय सरकार को ऋण सेवा आबलिगेशन निपटान वर्ष के दौरान नये ऋणों तथा अग्रिमों का 38 प्रतिशत था।

1.8.3 अन्य दायित्व

राज्य की समेकित निधि में लेखाबद्ध किये गये ऋणों के अतिरिक्त लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि, आरक्षित निधियाँ तथा निक्षेप लोक लेखा के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए जाते हैं। लोक लेखे में शेष प्रतिवर्ष अग्रेषित किये जाते हैं।

---

* स्रोतः वित्त लेखे 1994-95 तथा 1997-98: विवरणी-3

पिछले पाँच वर्षों के लिए इन दायित्वों की प्रवृत्ति निम्नवत् थी:

वर्ष	वर्ष के दौरान संयोजन*	ऋण भुगतान*	ब्याज	कुल (3+4)	कॉलम 2 पर कॉलम 5 की प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए में)			
1993-94	480.30	348.68	60.76	409.44	85
1994-95	885.41	722.43	67.73	790.16	89
1995-96	1113.17	982.43	76.89	1059.32	95
1996-97	1445.90	1264.25	78.22	1342.47	93
1997-98	2119.47	1827.24	91.92	1919.16	91

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1993-98 के दौरान संयोजनों की तुलना में लोक लेखे से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन 85 तथा 95 प्रतिशत के मध्य रहा।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारिताओं आदि द्वारा ऋणों की वापसी तथा उस पर ब्याज के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए आकस्मिक दायित्व की स्थिति निम्नवत् थी:

31 मार्च को	अधिकतम प्रत्याभूत राशि (केवल मूलधन)	बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
	(करोड़ रुपए)		
1994	819.71	483.25	18.77
1995	948.40	476.41	19.00
1996	1464.17	789.58	8.40
1997	1642.81	977.64	11.24
1998	2357.08	1617.31	16.50

पाँच वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया प्रत्याभूतियों की राशि (ब्याज सहित) में 225 प्रतिशत की वृद्धि थी।

राज्य सरकार प्रत्याभूत राशि पर प्रत्याभूति शुल्क के रुप में 0.5 प्रतिशत तथा प्रतिबद्धता प्रभारों के रुप में 0.1 प्रतिशत प्रभारित करती है। विभिन्न कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से प्रत्याभूति शुल्क तथा प्रतिबद्धता प्रभारों के रुप में 31 मार्च 1998 को 1.64 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

---

* ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियां, निक्षेप आदि के लेनदेन सम्मिलित हैं।

1.9 अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबन्ध के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बैंक के पास 20 लाख रुपए का न्यूनतम नकदी शेष रखना अपेक्षित है। यदि किसी दिन का बकाया सहमत हुए न्यूनतम शेष से कम होता है, तो इस कमी को बैंक से अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट लेकर पूर्ण किया जाता है। नकद शेष की कमी को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार के राजकोष बिलों को भी पुनः बट्टे में दिया जाता है।

1993-98 के दौरान राज्य सरकार ने जिस सीमा तक बैंक के पास न्यूनतम शेष रखा वह निम्नवत् है:

वर्ष	न्यूनतम शेष अनुरक्षित किए जाने वाले दिवस		उन दिवसों की संख्या जिनमें ओवरड्राफ्ट लिया गया	उन दिवसों की संख्या जिनमें भारत सरकार खजाना बिलों की पुनः छूट प्राप्त की गई
	अग्रिम प्राप्त किए बिना	अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके		
1993-94	44	86	218	17
1994-95	191	9	21	144
1995-96	130	23	14	199
1996-97	122	21	10	212
1997-98	135	34	9	187

राज्य सरकार के वर्ष 1993-94 से 1997-98 के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्टों तथा ब्याज अदायगी का ब्यौरा निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित है:

		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
				(करोड़ रुपए)		
(1)	अर्थोपाय अग्रिम					
(i)	वर्ष के दौरान लिए गए अग्रिम (कुल)	208.93	22.74	51.95	88.23	218.05
(ii)	वर्ष के अन्त में बकाया अग्रिम	16.87	16.87	16.87	33.67	33.67
(iii)	ब्याज भुगतान	1.17	0.15	0..10	0.10	0.24

		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
				(करोड़ रुपए)		
2.	ओवरड्राफ्ट					
(i)	वर्ष के दौरान लिए गए ओवरड्राफ्ट (सकल)	595.72	315.15	807.67	435.48	1428.88
(ii)	वर्ष के अन्त में बकाया ओवरड्राफ्ट	51.48	159.17	546.25	420.94	--
(iii)	ब्याज भुगतान	2.96	0.78	0.71	1.04	0.73
3.	भारतीय खजाना बिलों को पुन: भुनना					
(i)	वर्ष के दौरान पुन: भुनाये गए बिलों की राशि	64.50	733.30	1207.75	1417.80	2824.83
(ii)	वर्ष के अन्त में बकाया राशि	--	--	--	--	--
(iii)	ब्याज भुगतान	0.30	16.68	9.48	9.30	2.06

वित्त विभाग

1.10 कैश बैलेंस के प्रोत्साहन हेतु सांविधिक निगमों के माध्यम से ऋण जुटाना

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बद्ध 31 मार्च 1995 तथा 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्षों के प्रतिवेदनों के परिच्छेद 1.9.4 में राज्य मे वर्ष 1994-95 तथा वर्ष 1995-96 के दौरान विकट वित्तीय स्थिति से उभरने तथा अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से ऋणों को लेने का उल्लेख किया गया था।

पुन: यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड* द्वारा वर्ष 1994-97 के दौरान गैर सांविधिक द्रवता अनुपात बन्धपत्रों के स्थापन से 453.46 करोड़ रु0 की जुटाई गई कुल ऋण राशि में से 440 करोड़ रु0 अप्रैल 1997 में सरकारी लेखे में जमा किए गए तथा सरकार ने इसे दिसम्बर 1998 तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को नहीं लौटाया था।

---

* हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वर्ष 1994-95 (219.05 करोड़ रु0), वर्ष 1995-96 (89.41 करोड़ रु0) तथा वर्ष 1996-97 (145 करोड़ रु0) में गैर सांविधिक द्रवता अनुपात बन्धपत्रों के द्वारा लिए गए ऋण।

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बद्ध 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन के परिच्छेद 1.10.3 में भी हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के माध्यम से अग्रिम रॉयल्टी के भुगतान के लिए ऋणों को जुटाने का उल्लेख किया गया था।

पुनः यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा वर्ष 1996-98 के दौरान गैर सांविधिक द्रवता अनुपात बन्धपत्रों के स्थापन से जुटाए गए 456.03 करोड़ रु० की ऋण राशि सरकारी लेखे में अप्रैल 1997 (150.70 करोड़ रु०), सितम्बर 1997 (0.04 करोड़ रु०), जनवरी 1998 (304 करोड़ रु०) तथा फरवरी 1998 (1.29 करोड़ रु०) में जमा करवाई गई। हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को यह राशि 30 मार्च 1998 को सरकार ने लौटाई जिस कारण सरकार का 464 करोड़ रु० का ओवरड्राफ्ट हुआ। उसके पश्चात् हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम ने 456.03 करोड़ रु० पुनः सरकारी लेखे में 6 अप्रैल 1998 को जमा करवाए। इससे राज्य सरकार के ओवरड्राफ्ट को समाप्त करने में सहायता पहुंची जो 7 अप्रैल 1998 को शून्य हो गया। क्योंकि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार का बहुत ऋण* देना था अतः उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के प्रावधानों का उल्लंघन किया तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (453.46 करोड़ रु०) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम (456.03 करोड़ रु०) के माध्यम से अपने अर्थोपाय स्थिति को बढ़ाने हेतु 909.49 करोड़ रु० के ऋण जुटाए।

मामला सरकार को दिसम्बर 1998 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित था।

1.11 निक्षेप शीर्ष का अनुचित कार्यचालन

लोकनिर्माण (60.75 करोड़ रु०) तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य (25.25 करोड़ रु०) विभागों ने दैनिकभोगी कार्यकर्ताओं तथा निर्माणकार्य को प्रभारित स्टाफ को मजदूरी में हुई वृद्धि के बकाया की अदायगी करने के लिए 86 करोड़ रु० सम्बन्धित लेखा शीर्षों से निकाले (मार्च 1995) तथा निदेशक, लघु बचत के नाम मुख्य डाकखाना, शिमला में 31 मार्च 1995 को बचत शीर्ष में जमा किए।

निदेशक लघु बचत के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर-नवम्बर 1997) से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:-

(i) वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि महालेखाकार के विशेष आदेशों के अनुसार "अन्य निक्षेपों" शीर्ष के अन्तर्गत धन जमा किया जा सकता है।

यह ध्यान में आया कि यद्यपि महालेखाकार ने कोई अनुमति प्रदान नहीं की थी तथापि निदेशक, लघु बचत ने बचत खाते से 86 करोड़ रु० प्रत्याहित किए तथा जिला खजाना, शिमला में "8443-सिविल डिपोजिट, 111-अन्य विभागीय डिपोजिट," शीर्ष में जमा कराये (अप्रैल 1995)। इस राशि को पुनः डिपोजिट शीर्ष से जून 1995 में प्रत्याहित किया तथा बचत लेखे में जमा किया।

---

* 31 मार्च 1998 को राज्य सरकार का कुल ऋण 2902.44 करोड़ रु० (लोक तथा अन्य एजेंसियां : 523.82 करोड़ रु० तथा केन्द्रीय सरकार: 237.62 करोड़ रु०) था।

तदन्नतर, निदेशक, लघु बचत ने मार्च 1996 से आगे डाकघर बचत लेखे तथा डिपोजिट शीर्ष के लेखे के मध्य निम्नांकित लेनदेनों का उपर्युक्त प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रयोग किया जिनके कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

(क) 7 मार्च 1996 को डाकघर बचत लेखे से डिपोजिट शीर्ष के लेखे में 50 करोड़ रु० स्थानान्तरित किए गए। यह राशि 29 मार्च 1996 को डाकघर बचत खाते में पुनः स्थानान्तरित कर दी गई।

(ख) अप्रैल 1996 में डाकघर बचत लेखे से डिपोजिट लेखा शीर्ष में 55.74 करोड़ रु० स्थानान्तरित किए तथा मई 1996 में डिपोजिट लेखा शीर्ष से डाकघर बचत लेखे में 52.51 करोड़ रु० स्थानान्तरित किए।

(ग) सितम्बर 1996 में डाकघर बचत लेखे से डिपोजिट लेखा शीर्ष में 25 करोड़ रु० स्थानान्तरित किए।

इस प्रकार, डिपोजिट लेखा शीर्ष का अनधिकृत कार्यचालन राज्य सरकार की अर्थोपाय स्थिति को अनुकूल रखने के लिए किया गया।

निदेशक, लघु बचत ने बताया (अक्तूबर 1998) कि महालेखाकार के विशेष आदेशों के अन्तर्गत " 8443-सिविल डिपोजिट-अन्य डिपोजिट" शीर्ष के अन्तर्गत राशि को रखने का कोई प्रावधान नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ये प्रावधान वित्तीय नियमों में सम्मिलित किए गए थे। उनका पालन किया जाना चाहिए था।

(ii) वित्तीय नियमों में अनुबन्धित है कि खजाने से धन आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसकी तुरन्त संवितरण या किसी स्थायी अग्रिम से संवितरित निधियों को पूरा करने हेतु आवश्यकता न हो। अव्ययित शेष को यथाशीघ्र खजाने में वापिस ले लेना चाहिए।

मार्च 1995 में आहरित उपर्युक्त 86 करोड़ रु० में से निदेशक लघु बचत ने जनवरी 1996 तथा मार्च 1997 के मध्य मजदूरों को बकाया की अदायगी करने हेतु लोकनिर्माण विभाग (36.43 करोड़ रु०) तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग (36.82 करोड़ रु०) को बचत खाते में से धन निर्मुक्त किया। इसमें से 68.58 करोड़ रु० (लोक निर्माण: 35.06 करोड़ रु० तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य: 33.52 करोड़ रु०) विभाग ने संवितरित किए तथा शेष 4.67 करोड़ रु० (लोकनिर्माण: 1.36 करोड़ रु० तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य : 3.31 करोड़ रु०) निदेशक, लघु बचत को लौटा दिए। सितम्बर 1998 तक 21.13 करोड़ रु० (8443 सिविल डिपोजिट: 19.23 करोड़ रु० तथा बचत खाता: 1.90 करोड़ रु०) अप्रयुक्त पड़े थे। इस प्रकार, आवश्यकता से पूर्व

निधियों का आहरण इन्हें सरकारी लेखों से बाहर रखने हेतु किया गया।

प्रमुख अभियन्ता लोकनिर्माण तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभागों ने बताया (सितम्बर 1998) कि राशि का आहरण क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बताई गई आवश्यकता के आधार पर मजदूरी के बकाये के भुगतान हेतु किया गया था। शेष राशि को सरकारी लेखे में लौटाने हेतु अंतिम आवश्यकता को जांचा जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया।

(iii) वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि सरकारी प्राप्तियां खजाने में जमा की जानी चाहिए।

यह ध्यान में आया कि 1995-98 के दौरान बचत खातें में जमा राशि पर अर्जित 3.71 करोड़ रु0 के ब्याज को सरकारी लेखे में जमा नहीं करवाया गया था।

ब्याज की राशि को सरकारी लेखे में जमा न करने के कारण निदेशक, लघु बचत ने नहीं दिए थे (सितम्बर 1998)।

ये अभ्युक्तियों सरकार को जुलाई 1998 में प्रतिवेदित की गई उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 1998)।

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

2.1 बजट एवं व्यय

वर्ष 1997-98 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति निम्नवत् थी:

	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक	कुल	वास्तविक व्यय *	अन्तर बचत(-)/ आधिक्य(+)
			(करोड़ रुपए)		
I. **राजस्व**					
दत्तमत	2088.64	327.63	2416.27	2544.82	(+)128.55
प्रभारित	424.02	2.38	426.40	380.11	(-)46.29
II. **पूंजीगत**					
दत्तमत	366.90	190.04	556.94	604.83	(+) 47.89
प्रभारित	--	0.79	0.79	0.16	(-) 0.63
III. **लोक ऋण**					
प्रभारित	142.49	--	142.49	2130.17@	(+)1987.68
IV **ऋण तथा अग्रिम**					
दत्तमत	67.13	66.41	133.54	151.04	(+)17.50
सकल जोड़	3089.18	587.25	3776.43	5811.13	(+)2134.70

2.2 विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम

2.2.1 अनुदानों/विनियोगों में बचत/आधिक्य

42 मामलों में बचत तथा 27 मामलों में आधिक्य का निवल परिणाम 2134.70 करोड़ रु0 का समग्र आधिक्य था जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:

	बचत		आधिक्य		निवल बचत (-)/आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
			(करोड़ रुपए)			
दत्तमत	80.71 (17 अनुदान)	12.10 (16अनुदान)	209.26 (13 अनुदान)	77.48 (9 अनुदान)	(+)128.55	(+) 65.38
प्रभारित	47.16 (6 विनियोग)	0.69 (3 विनियोग)	0.87 (3 विनियोग)	1987.75 (2 विनियोग)	(-) 46.29	(+)1987.06@

* ये सकल आंकड़े हैं जिनमें व्यय अर्थात् राजस्व व्यय: 225.79 करोड़ रु0; पूंजीगत व्यय: 64.26 करोड़ रु0 में कटौती के रुप में समायोजित वसूलियां सम्मिलित हैं।

@ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों तथा न्यूनताओं की चुकौती के सम्बन्ध में 1849.82 करोड़ रु0 भी शामिल हैं।

वर्ष 1997-98 के दौरान प्राप्त समग्र पूरक अनुदान व विनियोग मूल अनुदानों तथा विनियोगों के 19 प्रतिशत बनते थे।

चार मामलों में 40.67 करोड़ रुपए का पूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि इन सभी मामलों में व्यय मूल प्रावधानों से भी कम था। विवरण परिशिष्ट-I में दिये गये हैं।

दत्तमत अनुदानों के अन्तर्गत 92.81 करोड़ रुपए तथा प्रभारित विनियोगों के अन्तर्गत 47.85 करोड़ रुपए की अंतिम बचत में से 16 अनुदानों और दो विनियोगों में कुल 137.93 करोड़ रुपए की बचत हुई जो प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपए से कम नहीं थी। सरकार द्वारा बचतों के मुख्य कारण नीचे प्रेषित हैं:

क्रम संख्या	**अनुदान**	**बचत की राशि (बचत की प्रतिशतता) (करोड़ रुपए)**	**मुख्य कारण**
राजस्व दत्तमत			
1.	1- विधान सभा तथा निर्वाचन	1.35 (14)	विधानसभा भंग करना, मार्च 1998 हेतु वेतन का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष 1998-99 में करना, दैनिक मजदूरों का कम लगाना, चुनाव आयोग से यात्रा व्यय बिलों की कम प्राप्ति, मतपत्रों को बनाने तथा छपने हेतु विशेष सेवाओं हेतु को न लगाना, हैलीकॉप्टर सेवाओं के बिल प्राप्त न होना, अन्य विभागों के यात्रा व्यय बिल, हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक्स डिवेल्पमेण्ट निगम से मतदाताओं को फोटो पहचान पत्रों को जारी करने संबंधित दावे प्राप्त न होने तथा मध्यावर्ती चुनाव पर प्रत्याशा से कम व्यय।
2.	3-न्याय प्रशासन	2.41 (14)	रिक्त पदों को न भरना, पैट्रोल तेल तथा स्नेहक, गाड़ियों की मुरम्मत तथा पानी व टेलीफोन प्रभारों पर कम व्यय, कम यात्रा व्यय तथा मेडिकल प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति।
3.	4-सामान्य प्रशासन	34.65 (17)	बचत हेतु विभाग ने कारण नहीं बताए थे। तथापि पिछड़े क्षेत्र पर व्यय के लिए विकेन्द्रीकृत सेक्टर योजना के अन्तर्गत अनुचित बजट नियन्त्रण तथा अन्य मुख्य शीर्षों की पिछड़ा वर्ग क्षेत्र योजना स्कीमों में अत्यधिक आधिक्यता होना। इन मामलों में व्यय उचित प्राधिकरण के बिना किया गया था।

क्रम संख्या	अनुदान	बचत की राशि (बचत की प्रतिशतता) (करोड़ रुपए)	मुख्य कारण
4.	7-पुलिस तथा अन्य संगठन	1.50 (1)	मार्च 1998 के वेतन भुगतान को आगामी वित्तीय वर्ष 1998-99 में करना, वर्ष के दौरान मानदेय की अदायगी न करना, पैट्रोल, तेल तथा स्नेहक पर कम व्यय, यात्राओं पर कम व्यय, टेलीफोन/बिजली बिलों की कम प्राप्ति, सामग्री, मशीनरी तथा उपस्करों की खरीद के लिए संहिता औपचारिकताएं पूरी न करना, सामग्री की कम खरीद, विशेष सेवार्थ कम व्यावसायिकों को लगाना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, दैनिक भोगी कर्मियों को काम पर कम लगाना, किराया बिलों की कम प्राप्ति तथा गृह रक्षकों के किराया प्रभारों पर कम व्यय।
5.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10.63 (6)	कारण अपेक्षित थे (अक्तूबर 1998)।
6.	14-पशुपालन तथा दुग्ध विकास	0.78 (2)	मार्च 1998 के वेतन का आगामी वित्तीय वर्ष 1998-99 में भुगतान, प्रचार सामग्री की कम आवश्यकता, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, सहायता अनुदान प्रकरणों की कम प्राप्ति, गाड़ियां न खरीदना, उपस्करों की कम खरीद, प्रतिकर की अदागयी के प्रकरण का निपटान न होना, दैनिक भोगी बेलदारों को काम पर कम लगाना, सहायता अनुदान प्रकरण की कम प्राप्ति, दवा तथा खरगोश खाद्यान्न की कम आवश्यकता, छात्रवृत्ति प्रकरणों की कम प्राप्ति, निर्माण कार्यों का कम निष्पादन, पैट्रोल, तेल एवं स्नेहकों की कम खरीद, कृषि उपस्करों की कम खरीद, पशुभोज सामग्री तथा बीजों की कम आवश्यकता, पशु कांसिल तथा वध घर के प्रकरण की सहायता अनुदान का निपटान न होना, प्रशिक्षण कोर्सों के लिए कम अभ्यर्थियों का आना, संशोधित वेतनमानों के बकाया का कम आहरण, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति, वाहनों के

क्रम संख्या	अनुदान	बचत की राशि (बचत की प्रतिशतता) (करोड़ रुपए)	मुख्य कारण
			रख रखाव पर कम व्यय, किराया बिलों का कम निपटान तथा ऋण के बट्टे खाते डालने के प्रकरणों को अन्तिम रुप न देना।
7.	16-वन एवं वन्य प्राणी	4.21 (4)	मार्च 1998 के वेतन की आगामी वित्तीय वर्ष 1998-99 में अदायगी, कम यात्रा व्यय, छात्रवृत्ति, स्टाइफण्ड के लिए कम आवश्यकता, कम निर्माण, गैर-योजना के अन्तर्गत मजदूरी में कमी, सामग्री व प्रचार पर कम व्यय, गाड़ियों के रख रखाव पर कम व्यय, उपस्कर तथा कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, ब्याज के लिए उपदान की आवश्यकता न होना, भारत सरकार से पौध उगाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का अनुमोदन न होना तथा मशीनरी, उपस्कर तथा गाड़ियों के लिए कोई व्यय न करना।
8.	18-आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज	0.92 (2)	लाभार्थियों/उद्योगों/अनुसूचित जाति के उद्यमियों तथा सलाहकार संगठनों से कम मांग, दैनिक भोगी मजदूर को काम पर कम लगाना, रिक्त पदों को न भरना, भारत सरकार से हथकरघा तथा रेशम उत्पादन उद्योगों के लिए कम निधि प्राप्त होना, स्कीमों का निष्पादन न होना, उद्योग क्षेत्रों/जिलों से कम मांग तथा प्रतिकर के मामलों को अन्तिम रुप न देना।
9.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषाहार सहित)	3.04 (6)	मार्च 1998 के वेतन की आगामी वित्तीय वर्ष 1998-99 में अदागयी, दैनिक भोगी मजदूरों को काम पर कम लगाना, सहायता अनुदान के कम मामले प्राप्त होना, मनोरंजन तथा छात्रवृत्ति आदि पर कम व्यय, भवनों को किराये पर न लेना, पैट्रोल, तेल तथा स्नेहकों की कम खरीद, कम चिकित्सा दावे, कम बैठकें आयोजित करना तथा कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, छात्रवृत्ति के कम प्रस्ताव प्राप्त होना, लोकनिर्माण विभाग द्वारा किराया बिलों को अन्तिम रुप न देना, नयी परियोजनाओं को वाहन उपलब्ध न करवाना,

क्रम संख्या	अनुदान	बचत की राशि (बचत की प्रतिशतता) (करोड़ रुपए)	मुख्य कारण
			निर्माण कार्य निष्पादित न करना, स्कीम का सरकार से स्वैच्छिक संगठन को स्थानान्तरण, गाड़ियों की मरम्मत पर कम व्यय तथा पैंशन प्रकरणों को अन्तिम रुप न देना।
10.	21-सहकारिता	1.11 (11)	कारण अपेक्षित थे (अक्तूबर 1998)।
11.	25-जलमार्ग परिवहन तथा सिविल एविऐशन	1.45 (3)	मार्च 1998 के वेतन का आगामी वित्तीय वर्ष 1998-99 में भुगतान, वस्तुओं की कम खरीद, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय का न खुलना, उप महाप्रबन्धक के रिक्त पद को न भरना, दैनिक भोगी कर्मियों को नियमित न करना, कम यात्रा व्यय, कम संयोगिक बिल, हिमाचल पथ परिवहन से परिवहन सेवाओं की सहायतार्थ कम मांग प्राप्त होना तथा स्कीम को अन्तिम रुप न देना।
12.	27-श्रम एवं रोजगार	1.48 (13)	कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, कम निर्माण कार्य, रिक्त पदों को न भरना, पैट्रोल, तेल तथा स्नेहकों पर कम व्यय, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति, यात्राओं पर कम व्यय, मशीनरी की कम खरीद तथा क्राफ्ट कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए कच्चे माल की कम खरीद।
13.	29-वित्त	16.34 (8)	महालेखाकार पंजाब (ले0 व ह0) से पंजाब पुन-र्गठन अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत अधिवार्षिता मामलों से सम्बद्ध डेबिटों की प्रत्याशा से कम प्राप्ति।
पूंजीगत			
14.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	7.89 (8)	हिमाचल प्रदेश फेज परियोजना के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता के लिए पेयजल आपूर्ति परियोजना को अन्तिम रुप न देना, शिमला शहर परियोजना को आंशिक रुप से अन्तिम रुप देना, योजना सिलींग में कमी करना, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड से ऋण हेतु मांग प्राप्त न होना तथा सामान्य श्रेणी से आवासीय ऋणों हेतु कम मांग प्राप्त होना।

9 अनुदानों तथा एक विनियोग में अभ्यर्पित राशि समग्र बचत से अधिक थी। इसके अतिरिक्त पांच अनुदानों के मामले में 7.13 करोड़ रु0 अभ्यर्पित किये गये यद्यपि व्यय अनुदान से बढ़ गया और अभ्यर्पण हेतु कोई बचत उपलब्ध नहीं थी। सम्बद्ध ब्यौरे निम्नांकित हैं:

(क) उपलब्ध बचतों से अधिक निधियों का अभ्यर्पण:

क्रम संख्या	अनुदान	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि
		(लाख रुपए)	
	राजस्व-दत्तमत		
1.	3- न्याय प्रशासन	241.21	252.55
2.	6-आबकारी एवं कराधान	41.54	47.09
3.	14-पशु पालन एव दुग्ध विकास	77.88	156.56
4.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषण सहित)	304.31	306.59
5.	25-सड़क, जल परिवहन तथा नागरिक उड्डयन	144.50	144.53
6.	26-पर्यटन एवं अतिथि संगठन	12.62	18.02
	पूंजीगत- दत्तमत		
7.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	16.89	22.26
8.	22-खाद्य एवं भाण्डागारण	49.85	136.44
9.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	789.31	863.12
	राजस्व प्रभारित		
10.	3-न्याय प्रशासन	19.55	22.28
	जोड़	**1697.66**	**1969.44**

(ख) समग्र अधिक व्यय के बावजूद निधियों का अभ्यर्पण:

क्रमांक	अनुदान	अधिक व्यय की राशि	अभ्यर्पित राशि
		(लाख रुपए)	
	राजस्व-दत्तमत		
1.	10-लोकनिर्माण	6906.84	1.11
2.	15-मत्स्य	9.63	0.24
3.	20-ग्रामीण विकास	16.05	111.50
4.	22- खाद्य एवं भाण्डागारण	116.20	215.35
5.	31-जनजातीय विकास	979.40	384.92
	जोड़	**8028.12**	**713.12**

इन सभी मामलों में राशियां वर्ष के केवल अन्तिम दिन अभ्यर्पित की गई थीं। ये उदाहरण व्यय पर अप्रभावी नियंत्रण तथा निगरानी के परिचायक थे।

2.2.4 अनुदान/विनियोग में आधिक्य

राजस्व प्रवर्ग में 13 अनुदानों में कुल आधिक्य 209.26 करोड़ रु० तथा तीन विनियोगों में 0.87 करोड़ रु० का आधिक्य था जबकि पूंजीगत प्रवर्ग में नौ अनुदानों में 77.48 करोड़ रु० तथा दो विनियोगों में 1987.55 करोड़ रु० के आधिक्य थे। इन आधिक्यों (नीचे दिया गया विवरण) का संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन विनियमन करना अपेक्षित था:

क्रमांक	अनुदान	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि
		रुपए	रुपए	रुपए
	दत्तमत अनुदान			
	राजस्व			
1.	2-राज्यपाल तथा मंत्रीमण्डल	4,01,39,000	4,12,20,424	10,81,424
2.	5-भू-राजस्व	69,45,17,000	87,30,72,520	17,85,55,520
3.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	4,04,74,32,000	4,75,02,11,973	70,27,79,973
4.	10-लोकनिर्माण	1,03,54,64,000	1,72,61,47,663	69,06,83,663
5.	11-कृषि	92,90,11,400	98,57,86,976	5,67,75,576
6.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	52,33,99,000	59,21,96,632	6,87,97,632
7.	13-भू एवं जल संरक्षण	18,05,31,000	18,52,72,504	47,41,504
8.	15-मत्स्य	3,00,25,,000	3,09,87,646	9,62,646
9.	17-सड़कें तथा पुल	1,20,97,04,000	1,22,43,82,070	1,46,78,070
10.	20-ग्रामीण विकास	88,15,66,000	88,31,71,374	16,05,374
11.	22-खाद्य एवं भाण्डागारण	17,82,77,000	17,98,96,629	1,16,19,629
12.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	1,72,13,47,860	1,98,36,81,033	26,23,33,173
13.	31-जनजातीय विकास	1,15,88,89,617	1,25,68,29,331	9,79,39,714
	पूंजीगत			
14.	4-सामान्य प्रशासन	43,86,000	32,48,65,188	32,04,79,188
15.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	11,07,02,000	13,17,08,384	2,10,06,384
16.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11,09,43,000	11,45,17,686	35,74,686
17.	10-लोकनिर्माण	16,03,32,000	17,08,27,671	1,04,95,671
18.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	30,98,84,000	35,24,65,647	4,25,81,647
19.	17-सड़कें एवं पुल	83,07,30,000	1,01,85,33,911	18,78,03,911
20.	21-सहकारिता	11,13,44,000	12,88,05,750	1,74,61,750
21.	23-जल एवं विद्युत विकास	2,67,32,58,000	2,83,91,57,000	16,58,99,000
22.	26-पर्यटन एवं अतिथि संगठन	7,31,21,000	7,86,50,000	55,29,000

क्रमांक	अनुदान	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि
		रुपए	रुपए	रुपए
प्रभारित विनियोग				
राजस्व				
23.	2-राज्यपाल एवं मंत्रीपरिषद	1,07,53,000	1,15,01,443	7,48,443
24.	4-सामान्य प्रशासन	1,25,71,331	2,05,49,233	79,77,902
25.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	42,63,360	42,73,360	10,000
पूंजीगत				
26.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,83,022	11,66,034	5,83,012
27.	29-वित्त	1,42,48,81,000	21,30,17,70,121*	19,87,68,89,121

आधिक्य के कारण अक्तूबर 1998 तक उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

2.2.5 नई सेवा पर व्यय

नई सेवा वह होती है जिसके लिए अधिकृत व्यय की अनुसूची में व्यय हेतु विचार न किया गया हो। नई सेवा के लिए विधान मण्डल की अनुमति के बिना व्यय नहीं किया जा सकता है। अत्यावश्यक प्रकरणों में व्यय या तो आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर जिसके लिए विधान मण्डल से बाद में अनुमोदन लिया जाता है या फिर पूरक आक्कलनों के माध्यम से किया जाता है।

एक अनुदान (19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण) के विषय में 18.50 लाख रु० "2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - 02 सामाजिक कल्याण-102- बाल कल्याण-10-मशोबरा स्थित बाल-बालिका आश्रम तथा टुटी कण्डी गैर-योजना" शीर्ष को डेबिट किए गए यद्यपि वर्ष के लिए अधिकृत व्यय की अनुसूची में इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। इस प्रकार विधानमण्डल की अनुमति लिए बिना व्यय किया गया।

2.2.6 बचतों/आधिक्यों का स्पष्टीकरण प्राप्त न होना

प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को बन्द करने के पश्चात विस्तृत विनियोग लेखे जिनमें अन्तिम अनुदान/विनियोग, वास्तविक व्यय तथा परिणामी भिन्नताएं दर्शाई जाती हैं, नियन्त्रण अधिकारी को भेज दिए जाते हैं। उन भिन्नताओं को सामान्यत: महत्वपूर्ण शीर्षों/उप-शीर्षों के अन्तर्गत विशेष रुप से स्पष्ट करना होता है।

वर्ष 1997-98 के लिए 561 शीर्षों/उप-शीर्षों से सम्बन्धित विनियोग लेखाओं के विषय में भिन्नताओं हेतु ऐसे स्पष्टीकरण आवश्यक थे परन्तु 128 शीर्षों/उप-शीर्षों के मामले में अक्तूबर 1998 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

@ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों तथा न्यूनताओं की चुकौती के सम्बन्ध में 1849.82 करोड़ रु० शामिल हैं।

2.2.7 व्यय की कमी के रुप में वसूलियां

अनुदान मांगें एक विशिष्ट वर्ष में किए जाने वाले व्यय की सकल राशि हेतु होती हैं और व्यय की कमी के रुप में ली जाने वाली वसूलियों को उसके नीचे पाद टिप्पणियों में अलग से दर्शाया जाता है । इसी प्रकार, विनियोग लेखाओं में भी वसूलियों को उसके परिशिष्ट में अलग से दिखाया जाता है। वर्ष 1997-98 के लेखाओं की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राजस्व प्रवर्ग में 140.45 करोड़ रु0 के बजट आकलनों के प्रति वास्तविक वसूलियां 225.79 करोड़ रु0 थीं। पूंजीगत प्रवर्ग में 57.99 करोड़ रु0 के बजट आकलनों के प्रति 64.26 करोड़ रु0 की वास्तविक.वसूलियां तथा समायोजन थे। इस प्रकार, राजस्व प्रवर्ग में पांच अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की कमी हेतु 85.33 करोड़ रु0 की वसूलियों का कम अनुमान लगाया गया। इसी प्रकार पूंजीगत प्रवर्ग में चार अनुदानों के मामले में 8.26 करोड़ रु0 तक की वसूलियां तथा समायोजन कम आकलित किए और तीन अनुदानों के लिए कोई भी आकलन तैयार नहीं किए थे जबकि वास्तविक वसूलियां 0.07 करोड़ थीं। मुख्य भिन्नताओं का ब्यौरा जो मूल आकलनों का 20 प्रतिशत तथा एक करोड़ रु0 से कम नहीं है, परिशिष्ट-III में दिया गया है।

2.2.8 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

अनुदान अथवा विनियोग को उपशीर्षों अथवा मानक उद्देश्यों (जिन्हें प्राथमिक इकाइयां कहा जाता है) में विभाजित किया जाता है जिनके अन्तर्गत इसे लेखाबद्ध करना होता है। निधियों का पुनर्विनियोजन किसी अनुदान या विनियोग में उसकी प्राथमिक इकाइयों के मध्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व हो सकता है। निधियों का पुनर्विनियोजन केवल उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब यह ज्ञात हो अथवा यह प्रत्याशा हो कि इकाई जिससे निधियां स्थानान्तरित की जानी हैं, में विनियोजन का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा कथित इकाई के विनियोग में बचत की जा सकती है।

1997-98 के लेखाओं की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 10 अनुदानों/विनियोगों से अन्त:ग्रस्त 33 उप-शीर्षों के मामलों में 5.37 करोड़ की राशि के पुनर्विनियोजन किए गए थे।

(क) उपशीर्षों के अधीन मूल प्रावधान, जिसमें पुनर्विनियोजन द्वारा निधियां स्थानान्तरित की गई थी, पर्याप्त थे और परिणामत: पुनर्विनियोजित राशियां अप्रयुक्त रहीं (परिशिष्ट-IV-I)।

(ख) इसके अतिरिक्त, वे शीर्ष जिनसे निधियां अन्तरित की गई में पुनर्विनियोजन हेतु उनके अधीन कोई भी बचत उपलब्ध नहीं थी (परिशिष्ट-IV-II)।

2.3 विभागीय आंकड़ों का समाधान

विभाग के अध्यक्ष द्वारा विभागीय आंकड़ों का समाधान महालेखाकार के कार्यालय में बुक किए गए आंकड़ों से प्रत्येक महीने किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभागीय लेखे पूर्णतया सही हैं और लेखा कार्यालय में सही रुप से लेखे रखे गए हैं, जिसमें से अन्तिम मुद्रित लेखे संकलित किए जाते हैं।

सरकार को समाधान में विलम्ब की सीमा आवधिक रुप से सूचित किए जाने पर भी, वर्ष 1997-98 के पूरे वर्ष के लिए एक विभागाध्यक्ष* ने व्यय के 23.81 करोड़ रु० का तीन लेखाशीर्षों जबकि दूसरे विभागाध्यक्ष** ने व्यय के 27.84 करोड़ रु० का एक लेखाशीर्ष के सम्बन्ध में समाधान नहीं किया था। इस प्रकार, 51.65 करोड़ रु० का व्यय असमायोजित रहा।

सरकार को मामला अगस्त 1998 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

2.4 आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि किसी भी धनराशि का खजाने से तब तक आहरण नहीं करना चाहिए जब तक वह तुरन्त भुगतान के लिए अथवा स्थाई अग्रिम से संवितरित निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक न हो। ऐसे निर्माणकार्यों के निष्पादन, जिनकी पूर्णता में पर्याप्त समय लगने की सम्भावना हो, के लिए भी खजाने से अग्रिमों का आहरण अनुमत नहीं है। अव्ययित राशि/शेष राशि को शीघ्र खजाने में जमा करना अपेक्षित है।

विभिन्न स्कीमों/विकास कार्यों के निष्पादन हेतु वर्ष 1994-95 तथा 1996-97 के मध्य आहृत 26.25 करोड़ रु० की राशि में से 14.79 करोड़ रु० जुलाई 1998 तक अप्रयुक्त पड़े थे।

शिक्षा, उद्योग, राजस्व तथा सामाजिक तथा महिला कल्याण विभागों के लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1994-95 तथा 1996-97 के मध्य विभिन्न स्कीमों/विकास कार्यों के लिए 1.38 करोड़ रु० (निदेशक, प्राथमिक शिक्षा: 0.98 करोड़ रु० तथा निदेशक, सामाजिक तथा

---

* प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य (2702-लघु सिंचाई: 10.75 करोड़ रु०; 4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय: 9.81 करोड़ रु० तथा 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय: 3.25 करोड़ रु०)

** सदस्य सचिव, जल एवं वायु प्रदूषण बोर्ड (2215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता: 27.84 करोड़ रु०)

महिला कल्याण: 0.40 करोड़ रु0) सहित 26.25 करोड़ रु0 की भारत सरकार से प्राप्त निधियां आहरित की गई थी। विभागों की राशियों को व्ययित करने में अक्षमता के कारण जुलाई 1998 की समाप्ति तक 14.79 करोड़ रु0 बैंकों/डाकघरों में पास अप्रयुक्त पड़े थे, जैसा कि नीचे विवेचित है:

क्रमांक	विभाग/ कार्यालय	आहृत राशि (करोड़ रुपए)	प्रयोजन	आहरण वर्ष	अप्रयुक्त राशि (करोड़ रुपए)	विभाग द्वारा बताए गए कारण
शिक्षा						
1.	निदेशक प्राथमिक शिक्षा	8.53	विभिन्न विकासात्मक निर्माण कार्यों तथा रंगीन टेलीविजन के क्रयार्थ	1994-95 1995-96 1996-97	0.01 1.01 3.40	सामग्री की अप्राप्ति, अपूर्ण औपचारिकताएं, पाठय पुस्तकों के दुलान के वाऊचरों के प्रस्तुत न करने के कारण राशि प्रयुक्त नहीं की जा सकी। राशि बैंकों/ डाकघरों में पड़ी थी।
उद्योग						
2.	महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, सोलन	0.38	परवाणू स्थित उद्यमी विकास संस्थान का निर्माण कार्य	1995-96	0.19	वर्तमान भवन के परिवर्तन एवं परिवर्धन का कार्य लगभग पूरा हो चुका था। नये ब्लॉक का कार्य शहरी एवं ग्रामीण योजना विभाग के अनुमोदन के उपरान्त शुरु किया जाना था। धन बैंक में अप्रयुक्त पड़ा था।
राजस्व						
3.	उपायुक्त, शिमला	10.43	विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए	1996-97	3.27	राशि निष्पादित एजेन्सियों को विमोचित नहीं की गई थी तथा विभिन्न बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी थी।
4.	उपायुक्त, मण्डी	0.15	सार्वजनिक प्रशासन के प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण, भाषण कक्ष तथा कार्यालय कक्ष के निर्माण के लिए	1995-96 1996-97	0.06 0.09	आकलन तथा नक्शों को जुलाई 1998 तक अन्तिम रुप नहीं दिया गया था। धन डाकघरों के बचत खातों में अप्रयुक्त पड़ा था।
समाज एवं महिला कल्याण						
5.	निदेशक, सामाजिक एवं महिला कल्याण	6.76	वेतन एवं कार्यालय खर्चे	1996-97	6.76	संहिता सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण राशि प्रयुक्त नहीं की जा सकी तथा बैंकों में पड़ी थी।
	जोड़	26.25			14.79	

निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:

(i) जिलाधीश, शिमला ने वर्ष 1996-97 में विकास कार्यों के निष्पादन के लिए 10.43 करोड़ रु0 आहरित किए। निष्पादन एजैन्सियों को 7.16 करोड़ रु0 दिए तथा शेष 3.27 करोड़ रु0 बैंक में अप्रयुक्त पड़े थे जिनमें 3.14 करोड़ रु0 का आहरण अव्याख्यायित प्रतिबद्ध दायित्व के प्रति था।

जिलाधीश ने सूचित किया (जुलाई 1998) कि निधियों का मुख्य भाग (2.62 करोड़ रु0) 1996-97 के अन्त में आहरित किया गया जिस कारण अव्ययित शेष रहे। यह भी सूचित किया गया कि 12 लाख रु0 के सिवाय पूर्ण राशि खर्च की जा चुकी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रयुक्ति प्रमाणपत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां जिलाधीश द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

(ii) परवाणू स्थित, उद्यमी विकास संस्थान के निर्माणार्थ उद्योग निदेशक से महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र सोलन द्वारा प्राप्त (नवम्बर 1995) 37.46 लाख रु0 में से 18 लाख रु0 हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम को दिए तथा शेष 19.46 लाख रु0 बैंकों में अप्रयुक्त पड़े थे। महाप्रबन्धक ने बताया (जुलाई 1998) कि ग्रामीण एवं शहरी योजना विकास विभाग द्वारा नये ब्लौकों के लिए अनुमोदन देने के पश्चात् कार्य आरम्भ किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ड्राईंग के अनुमोदन की प्रत्याशा में धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए था।

(iii) निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान ने 1995-96 से 1996-97 के दौरान 14.90 लाख रु0 (मार्च 1996: 5.90 लाख रु0 तथा दिसम्बर 1996: 9 लाख रु0) मण्डी स्थित जिला लोक प्रशासन के प्रशिक्षण संस्थान, सिनेमा हाल तथा कार्यालय कक्ष भवन के निर्माण के लिए जिलाधीश मण्डी को दिए। निधियां जिलाधीश द्वारा डाकघर में जमा करवा दी गईं तथा जुलाई 1998 तक अप्रयुक्त पड़ी रहीं। जिलाधीश ने बताया (जुलाई 1998) कि विस्तृत आकलन तथा कार्य प्रारुप को तैयार किया जा चुका है तथा अन्तिम रुप दिया जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रारुप इत्यादि राशि के आहरण से पहले तैयार किए जाने चाहिए थे।

मामला सरकार को जून 1998 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्तूबर 1998)।

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

ग्रामीण विकास विभाग

3.1 रोजगार आश्वासन स्कीम

3.1.1 परिचय

रोजगार जुटाने तथा उपलब्ध मानव संसाधनों का प्रभावी प्रयोग करने के लिए भारत सरकार ने अक्तूबर 1993 में रोजगार आश्वासन स्कीम चलाई। हिमाचल प्रदेश में रोजगार आश्वासन स्कीम प्रारम्भ में जनजातीय क्षेत्रों में स्थित तीन जिलों* के 7 खण्डों में अक्तूबर 1993 में आरम्भ की गई। इसे वर्ष 1994-95 के दौरान चार जिलों** के 11 और खण्डों में बढ़ाया गया। राज्य के शेष 54 खण्ड 1996-98 वर्षों के दौरान आवृत्त किए गए।

सभी ग्रामीण क्षेत्रों के व्यस्क शारीरिक रुप से योग्य व्यक्तियों को जो काम के जरुरतमंद तथा इच्छुक, किन्तु जो फार्म अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यों पर अथवा सामान्य योजना/गैर योजना कार्यों पर उस अवधि के दौरान काम प्राप्त नहीं कर सके, को सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर श्रम कार्य में अकृषि मौसम के दौरान लाभप्रद रोजगार देना स्कीम का मुख्य उद्देश्य था। दीर्घकालीन रोजगार तथा विकास सुदृढ़ प्रकार की आर्थिक संरचना और सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना स्कीम का दूसरा उद्देश्य था।

3.1.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य में रोजगार आश्वासन स्कीम के क्रियान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक एवं अतिरिक्त सचिव (निदेशक) की थी। जिले का उपायुक्त जो कि जिला ग्रामीण विकास ऐजैंसी का अध्यक्ष था, जिलों में क्रियान्वयन का प्राधिकारी था। उसे जिले में कार्यों का आबण्टन करना था, जो जिला स्तर पर लोक निर्माण, सिंचाई, वन, भूमि संरक्षण तथा उद्यान की भांति विभिन्न विकासात्मक विभागों के विभागाध्यक्ष थे। मुख्यमन्त्री को अध्यक्ष तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के मंत्री को उपाध्यक्ष के रुप में सम्मिलित करके दस गैर सरकारी सदस्यों और 40 सरकारी सदस्यों को मिलाकर ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु बनाई गई राज्य स्तर की समन्वय समिति दिशा निर्देशानुसार पूर्ण पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन तथा अनुश्रवण हेतु जिम्मेवार थी।

---

* चम्बा, किन्नौर, लाहौल एवं स्पिति

** बिलासपुर, चम्बा, सोलन तथा ऊना

3.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

1993-98 वर्षों के दौरान स्कीम के क्रियान्वयन की समीक्षा दिसम्बर 1997 से अप्रैल 1998 के दौरान निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, शिमला, पांच* परियोजना अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों, 15** खण्ड विकास अधिकारियों, 4*** अधिशासी अभियन्ताओं, भवन एवं मार्ग मण्डल, लोक निर्माण विभाग तथा दो**** मण्डलीय वन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित थी। समीक्षा के परिणामों की आगामी परिच्छेदों में व्याख्या की गई है।

3.1.4 मुख्य बातें

** **जांच किए गए किसी भी जिले व ब्लाक में जिला व ब्लाक स्तर पर परियोजनाओं की सूचि तैयार नहीं की गई थी। स्कीम की प्रावधान के विरुद्ध जल तथा भू संरक्षण कार्यों के लिए निम्न प्राथमिकता दी गई थी और उच्चतम प्राथमिकता सम्पर्क सड़कों को दी गई थी।**

[परिच्छेद 3.1.5 (i)]

** **केन्द्रीय अंशदान की विलम्बित प्राप्ति तथा कार्यों के विलम्बित निष्पादन के कारण मार्च 1998 के अंत तक क्रियान्वयन एजेन्सियों के पास खर्च न किए गए भारी शेषों के रूप में 17.51 करोड़ रु0 संचित हो गए। 1993-98 के दौरान क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध निधियां 94 से 38 प्रतिशत तक खर्च नहीं की जा सकी। पांच जिलों की नमूना जांच में राज्यांश वर्ष 1994-96 में 1 वर्ष से 3 वर्ष देरी से निस्सारित किया गया।**

(परिच्छेद 3.1.6)

** **जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, चम्बा, किन्नौर तथा ऊना के परियोजना अधिकारियों द्वारा भारत सरकार को व्यय के गलत/बढ़ा-चढ़ा कर आंकड़े सूचित किए गए।**

[परिच्छेद 3.1.6(v)]

---

* बिलासपुर, चम्बा, किन्नौर, सोलन तथा ऊना

** अम्ब, बंगाणा, भरमौर, भटियात, बिलासपुर, चम्बा, धर्मपुर (सोलन जिला), गगरेट, घुमारवीं, झण्डूता, कल्पा, कुनिहार, निचार, पूह तथा ऊना

*** बिलासपुर, भरमौर, चम्बा तथा घुमारवीं

**** भरमौर तथा बिलासपुर

** दोपहर का भोजन (3.84 लाख रु0), ऑप्रेशन ब्लैक बोर्ड (12.48 लाख रु0), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (5.94 लाख रु0), गांधी कुटीर योजना (13 लाख रु0), वाहनों की खरीद (2.70 लाख रु0) तथा ग्रामीण शौचालय (15 लाख रु0) जैसी स्कीमों पर 52.96 लाख रु0 का अनधिकृत विचलन चार जिलों की ग्रामीण विकास एजेन्सियों और 8 विभाग खण्ड अधिकारियों द्वारा वर्ष 1996-98 के दौरान किया गया।

[परिच्छेद 3.1.6 (vi)]

** राज्य सरकार के निदेशों के विपरीत ग्रामीण जिला विकास एजेन्सी बिलासपुर और चम्बा ने 80.90 लाख रु0 की स्कीम की निधियां लोक निर्माण मण्डलों को चल रहे/अपूर्ण सड़कों के निर्माण हेतु निस्तारित की जो राज्य निधि से बाहर निष्पादित किए जा रहे थे।

[परिच्छेद 3.1.6(vii)]

** बिलासपुर, किन्नौर, सोलन तथा ऊना जिलों में स्कीम में लागू होने से रोजगार उपलब्ध करवाए बताए गए 74,947 व्यक्तियों के नाम न तो पंजीकृत करवाए गए थे न ही परिवार कार्ड जारी किए गए थे। रोजगार आश्वासन स्कीम के अन्तर्गत जिला अथवा खण्ड स्तर पर ऐसे अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिससे यह दर्शाया जा सके कि कामगरों को 100 दिनों का आश्वासन रोजगार उपलब्ध करवाया गया था।

[परिच्छेद 3.1.7 (ख) (i) और (ii)]

** प्रतिवर्ष 100 दिवसों के आश्वासन रोजगार सृजन के प्रति कार्य दिवसों के अनुसार रोजगार के सृजन में गिरावट 1994-98 में 58 तथा 84 के मध्य रही। 1994-95 से 1997-98 वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति केवल 16 से 42 कार्यदिवस हेतु ही रोजगार उपलब्ध करवाया जा सका।

[परिच्छेद 3.1.7(ग)(i)]

** मस्टरोल पर लगे व्यक्तियों का जरुरी विवरण जैसे पता, परिवार कार्ड नं0 आदि दर्ज नहीं पाया गया। बिलासपुर, किन्नौर, सोलन व ऊना जिलों में परिवार कार्ड जारी नहीं किए गए थे। लोक निर्माण तथा वन विभाग द्वारा जो व्यक्ति कार्य पर लगाये गए थे उन्हें पंचायतों में पंजीकृत नहीं किया गया था, जैसा कि अपेक्षित था।

[परिच्छेद 3.1.7(ग)(ii) तथा (iii)]

** खण्ड विकास अधिकारी, घुमारवीं ने वर्ष 1995-96 तथा 1997-98 के दौरान रोजगार सृजन के बताए गए बढ़ाये-चढ़ाये आंकड़े सूचित किए। बिलासपुर, धर्मपुर, कुनिहार तथा झण्डूता खण्डों में 78 कर्मियों के नाम मतदाता सूचित में नहीं थे।

[परिच्छेद 3.1.7 (ग)(iv) तथा (v)]

** 1994-98 वर्षों के दौरान 2.25 करोड़ रु0 सामग्री घटक पर तथा 0.98 करोड़ रु0 मजदूरी पर 70:30 के अनुपात निर्धारित मानक 40:60 के प्रति 694 कार्यों के निष्पादन पर खर्च किए गए। परिणामत: 95.87 लाख रु0 सामग्री घटक पर अधिक व्यय किए।

[परिच्छेद 3.1.7 (घ)(i)]

** 1994-98 वर्षों के दौरान यद्यपि स्कीम को केवल क्षीण कृषि मौसम के दौरान ही क्रियान्वित किया जाना था। अक्षीण कृषि मौसम के दौरान 3.03 करोड़ रु0 चार जिलों में मजदूरी के रुप में भुगतान किए गए।

[परिच्छेद 3.1.7(च)]

** यद्यपि स्कीम के अन्तर्गत 10.31 करोड़ रु0 की परिसम्पत्तियां पांच जिलों में वर्ष 1994-98 में सृजित की गई थीं तथापि न तो ऐसी परिसम्पत्तियों की किसी मदसूची का सम्बन्धित विभाग द्वारा अनुरक्षण किया गया था और न ही इन परिसम्पत्तियों को स्कीम के अन्तर्गत अपेक्षित विभागीय/स्थानीय निकायों को अनुरक्षणार्थ आंतरित किया गया था।

[परिच्छेद 3.1.7(छ)]

** पांच खण्डों में वर्ष 1994-98 के दौरान 2.97 करोड़ रु0 की अदायगी इस प्रमाणपत्र से समर्थित नहीं थी की यह स्थानीय आदाताओं को दी गई है।

[परिच्छेद 3.1.7 (छ)(i)]

** साप्ताहिक अदायगियों की जगह कर्मियों को मासिक अदायगियां दी गई थीं। 1996-98 के दौरान कर्मियों की अदायगियों में जिला बिलासपुर में 20 से 465 दिनों का विलम्ब था।

[परिच्छेद 3.1.7(छ)(ii)]

** जिला रोजगार आश्वासन स्कीम समितियों तथा खण्ड जिला रोजगार आश्वासन स्कीम समितियों के बनाने में 46 महीनों का विलम्ब था। समितियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.1.8)

** **राज्य सरकार द्वारा स्कीम का प्रभाव जानने हेतु मूल्यांकन नहीं किया गया जैसा कि स्कीम में निर्धारित था।**

(परिच्छेद 3.1.9)

3.1.5 **योजना**

सामान्य योजना/गैर-योजना बजट के अन्तर्गत खण्ड क्रम के कार्यों वाले उत्पादक कार्यों की परियोजनाओं की शैल्फ उपायुक्त द्वारा तैयार की जानी अपेक्षित थी तथा जिले में चालू और अनुवर्ती वर्षों में विभिन्न क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा खण्ड क्रम योजनाओं के आधार पर नए कार्यों को रोजगार आश्वासन स्कीम के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित था। सामान्यतः दो वर्षों की अवधि में पूर्ण किए जाने वाले कार्यों को परियोजनाओं की शैल्फ में सम्मिलित किया जाना था। परियोजनाओं की शैलफ को प्रत्येक वर्ष दिसम्बर तक अन्तिम रुप दिया जाना था तथा अनुरक्षण निर्धारित प्रपत्र में जिला और खण्ड स्तर पर करना था। कार्यों/परियोजनाओं की शैल्फ में केवल सुदृढ़ परिसम्पत्तियों के सृजन वाले उत्पादकता प्रकार के श्रम गहन कार्यों को सम्मिलित किया जाना था।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में आईं:-

(i) किसी भी नमूना जांच किए गए जिला स्तर/खण्ड स्तर में जिला तथा खण्ड स्तर पर परियोजनाओं की शैल्फ नहीं बनाई गई थी। उपायुक्तों ने योजनाओं, आकलनों की लागत तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण के बिना दिसम्बर में अपेक्षित के स्थान पर सारा वर्ष खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित कार्यों को थोड़ा-थोड़ा करके अनुमोदित किया। जल तथा भू-संरक्षण कार्यों को निर्धारित 40 प्रतिशत के प्रति कम प्राथमिकता (6 प्रतिशत) दी गई तथा सम्पर्क मार्गों को निर्धारित 20 प्रतिशत के प्रति उच्चतम प्राथमिकता (47 प्रतिशत) दी गई जो स्कीम के प्रावधानों के विपरीत था। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि खण्ड के दो कनिष्ठ अभियन्ताओं के लिए अपने रोज के कार्य के साथ इन औपचारिकताओं को पूर्ण करना सम्भव नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यों का आबण्टन केवल परियोजनाओं की शैल्फ बनाने के पश्चात् ही किया जाना था।

परियोजना की सूची तथा लागत आकलन तैयार नहीं किए गए थे। स्कीम के प्रावधानों के विपरीत भू-संरक्षण कार्यों को निम्न प्राथमिकता दी गई थी।

(ii) खण्ड विकास अधिकारी, भरमौर ने स्वयं 1993-94 तथा 1994-95 वर्षों के मध्य 1.48 करोड़ रु0 की लागत से सम्पर्क मार्गों, स्कूलों तथा आंगनबाड़ी भवनों जैसे 113 कार्यों के निर्माण अनुमोदित किए थे। इनमें से 77 कार्यों का निष्पादन शुरु किया गया तथा वर्ष 1994-95 के दौरान 34.40 लाख रु0 खर्च किए। सितम्बर 1998 तक उपायुक्त का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। खण्ड विकास अधिकारी ने बताया (जनवरी 1998) कि कार्यों को परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, चम्बा के मौखिक आदेशों अनुसार अनुमोदित तथा आरम्भ किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यों को केवल उपायुक्त के अनुमोदनोपरान्त ही निष्पादित किया जाना चाहिए था। अतः उपायुक्त के अनुमोदन बिना कार्यों पर व्यय करना अनियमित था।

3.1.6 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

रोजगार आश्वासन स्कीम का व्यय केन्द्रीय तथा राज्य के मध्य 80:20 अनुपात के आधार पर बांटा जाना था। स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सीधे दी गई थी। अनुकूल भाग केन्द्रीय सहायता के जारी होने के एक पखवाड़े के भीतर राज्य सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को दिया जाना था।

वर्ष 1993-94 में अव्ययित शेष 0.41 करोड़ रु0 से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 17.51 करोड़ रु0 हो गए।

1993-98 वर्षों के दौरान स्कीम के अन्तर्गत राज्य में वर्षवार जारी तथा प्रयुक्त की गई निधियों का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	अथशेष	भारत सरकार द्वारा जारी निधियां	राज्य सरकार द्वारा जारी निधियां	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च किया गया व्यय	अव्ययित शेष	कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में अव्ययित शेष की प्रतिशतता
				(लाख रुपए)			
1993-94	शून्य	35.00	8.75	43.75	2.47	41.28	94
1994-95	41.28	500.00	35.00	576.28	115.02	461.26	80
1995-96	461.26	450.00	90.00	1001.26	455.55	545.71	55
1996-97	545.71	1590.00	397.50	2533.21	1161.23	1371.98	54
1997-98	1371.98	2550.00	700.00	4621.98	2871.32	1750.66	38
जोड़		5125.00	1231.25		4605.59		

1993-98 वर्षों के दौरान वर्षानुवर्ष बहुत अव्ययित शेष थे। अव्ययित शेष वर्ष 1993-94 में 0.41 करोड़ रु0 से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 17.51 करोड़ रु0 हो गए। अव्ययित निधियां प्रत्येक वर्ष में राज्यांश से बहुत अधिक थी। अतः अव्ययित निधियां अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार की निधियां थी जिन्होंने राज्य सरकार के अंतिम शेष को बढ़ाने में सहायता की। निदेशक ने बताया (जुलाई 1998) कि निधियों को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय भाग की 1993-94 व 1994-95 वर्षों के दौरान मार्च में विलम्ब से प्राप्ति और 1996-98 वर्षों के दौरान स्कीम के अन्तर्गत आवृत्त किए गए 54 खण्डों के सम्बन्धों में भी निधियों की विलम्ब से प्राप्ति के कारण प्रयुक्त नहीं किया जा सका।

जिलों की नमूना जांच में निम्नलिखित बातों का पता चला:

(i) नमूना जांच किए गए जिलों में अव्ययित शेषों के विवरण निम्नलिखित थे:

वर्ष	अथशेष	द्वारा जारी निधियां		जोड़	कुल उपलब्ध	व्यय	अव्ययित	बचत
		भारत सरकार	राज्य सरकार		निधियां		शेष	प्रतिशतता
				(लाख रुपए)				
1993-94	शून्य	25.00	6.25	31.25	31.25	-	31.25	100
1994-95	31.25	370.00	25.00	395.00	426.25	110.50	315.75	74
1995-96	315.75	450.00	60.00	510.00	825.75	371.92	453.83	55
1996-97	453.83	770.00	312.50	1082.50	1536.33	1140.10	396.23	25
1997-98	396.23	890.00	262.50	1152.50	1548.73	1224.71	324.02	21

1993-98 वर्षों के दौरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल निधियों की तुलना में अव्ययित शेषों की प्रतिशतता 21 तथा 100 के मध्य रही।

यद्यपि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के पास उपलब्ध निधियों का 50 प्रतिशत दूसरी तथा बाद कि किश्तों को लेते समय प्रयुक्त किया जाना था तथापि भारत सरकार ने 1993-94 से 1995-96 के दौरान निधियां जारी की जबकि प्रत्येक वर्ष के दौरान अव्ययित शेष 50 प्रतिशत से अधिक थे। निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग ने बहुत अव्ययित शेषों का कारण केन्द्रीय भाग की विलम्ब से प्राप्ति तथा 1996-97 और 1997-98 वर्षों के मध्य नए चयनित 54 खण्डों को निधियों का देरी से जारी करना और कार्यों का भी देर से निष्पादन/निष्पादन न करना बताया (जुलाई 1998)।

(ii) 1994-95 तथा 1995-96 वर्षों के दौरान राज्यांश 1.20 करोड़ रु0 कम जारी किया गया और 1996-97 तथा 1997-98 वर्षों के दौरान 1.60 करोड़ रु0 अधिक जारी किए। 1994-95 तथा 1995-96 वर्षों के दौरान राज्यांश को जारी करने में विलम्ब 12 तथा 36 महीनों के मध्य रहा।

निदेशक ने कम जारी करने का कारण वार्षिक बजट अनुमानों में प्रावधान न करना तथा विगत दायित्वों को निपटाने के लिए अधिक जारी करना बताया (अप्रैल 1998)। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निधियों को भारत सरकार द्वारा जारी निधियों के एक पखवाड़ें के भीतर सरकार द्वारा अनुमोदित अनुपात में जारी किया जाना था।

(iii) 1993-94 से 1997-98 वर्षों के दोरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा बचत बैंक खातों में जमा करवाई गई स्कीम निधियों के सम्बन्ध में अर्जित 58.35 लाख रु0 का ब्याज न तो प्रयुक्त किया गया न ही अप्रैल 1998 तक भारत सरकार को प्रत्यर्पित किया गया था। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामण विकास एजेंसी/खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि इसके प्रयोग हेतु मार्गदर्शनों में प्रावधान नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यक्रम निधियों में सम्वृद्धि की ब्याज प्राप्तियों के प्रयोग से

सम्बन्धित अनुदेशों को निदेशक द्वारा अक्तूबर 1997 में जारी किया गया था। उसके उपरान्त कोई कार्रवाई नहीं की गई (अप्रैल 1998)।

(iv) भारत सरकार के जारी अनुदेशों के अनुसार कुल आबण्टित निधियों का 2 प्रतिशत, जो प्रति खण्ड प्रति वर्ष न्यूनतम एक लाख रु0 तथा अधिकतम दो लाख रु0 से अधिक न हो, प्रशासकीय लागत के सम्बन्ध में काटा जा सकता है।

नमूना जांच से पता चला कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त कुल निधियों का 2 प्रतिशत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा पहली बार काटा गया। पुनः क्रियान्वयन एजेंसियों (खण्ड विकास अधिकारियों) ने प्राप्त निधियों से 2 प्रतिशत काटा और उसे नियमित स्टॉफ के वेतन, दैनिक भोगी मजदूरों की मजदूरी तथा लेखन सामग्री आदि पर प्रयुक्त किया। इसके परिणामस्वरुप 1995-96 से 1997-98 वर्षों के दौरान प्रशासकीय लागत के 28.08 लाख रु0 अधिक काटे जो अनुमत नहीं थे। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों से अनुदेश प्राप्त नहीं हुए थे तथा कटौतियां स्कीम में प्रावधानानुसार की गई थीं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रशासकीय लागत को निर्धारित सीमा में रखना चाहिए था।

(v) 1994-95 से 1996-97 वर्षों के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, चम्बा, किन्नौर तथा ऊना के प्रमाणित लेखों* में आने वाले 8.05 करोड़ रु0 के अव्ययित शेषों के प्रति भारत सरकार के अव्ययित शेषों के रुप में केवल 5.53 करोड़ रु0 बताए गए, परिणामतः 2.52 करोड़ रु0 का बढ़ा-चढ़ा कर व्यय बताया गया। परियोजना अधिकारियों ने भिन्नताओं का कारण जिलों के जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित खण्ड विकास अधिकारियों से प्रयुक्ति एवं पूर्णता प्रमाणपत्रों का विलम्ब से प्राप्त होना बताया (जनवरी 1998-अप्रैल 1998)। परियोजना अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि खण्ड विकास अधिकारियों को जारी चैकों को सम्बद्ध वर्षों के दौरान व्यय के रुप में दर्शाया गया था ताकि केन्द्रीय तथा राज्यांश वित्तीय सहायता में कटौती से बचा जाता। निदेशक ने बताया (जुलाई 1998) कि परियोजना अधिकारियों तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से प्रयुक्तता प्रमाणपत्र तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति के आधार पर भारत सरकार को निधियों का प्रयोग सूचित किया गया था। उत्तर बताता है कि परियोजना अधिकारियों द्वारा भ्रामक तथा अशुद्ध आंकड़े सूचित किए गए थे। जब कि निदेशक भारत सरकार/ राज्य सरकार को सूचित करने से पहले इन्हें जांचने में असमर्थ रहा।

भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, चम्बा, किन्नौर तथा ऊना ने व्यय के आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर सूचित किए।

* इन लेखों को चार्टर लेखाकारों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(vi) नमूना जांच से पता चला कि 4* जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा 8** खण्ड विकास अधिकारियों ने 1996-98 वर्षों के दौरान स्कीम की निधियों में से 52.96 लाख रु0 का विचलन विभिन्न स्कीमों (दोपहर का भोजन: 3.84 लाख रु0; ऑप्रेशन ब्लैक बोर्ड: 12.48 लाख रु0; एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम: 5.94 लाख रु0; गांधी कुटीर योजना: 13 लाख रु0; वाहन खरीद: 2.70 लाख रु0 तथा ग्रामीण शौचालय: 15 लाख रु0) के लिए किया। निधियों की भरपाई अप्रैल 1998 तक नहीं की गई थी।

परियोजना अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि दोपहर का भोजन, जो कि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, पर व्यय रोजगार आश्वासन स्कीम में से किया गया था जिसकी भरपाई बाद में की जानी थी। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा गांधी कुटीर योजना के अन्तर्गत निधियों की कमी के कारण निधियों का विचलन किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ये पृथक स्कीमें थी तथा रोजगार आश्वास स्कीम निधियों में से वित्तपोषित नहीं की जानी थीं।

(vii) राज्य सरकार द्वारा जारी (जुलाई 1995) अनुदेशों के अनुसार सभी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जारी अनुदेशों के अनुसार लाइन विभागों के अपूर्ण कार्यों की पूर्णता हेतु रोजगार आश्वासन स्कीम की निधियों की प्रयुक्ति पूर्णत: अस्वीकार्य थी। रोजगार आश्वासन स्कीम विभागीय कार्यों के लिए सहायक अथवा एवजी के रुप में नहीं लेनी चाहिए थी।

1996-98 वर्षों के दौरान सम्पर्क मार्गों के निर्माणार्थ जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बिलासपुर तथा चम्बा ने अधिशासी अभियन्ता, बिलासपुर II, भरमौर, चम्बा तथा घुमारवीं मण्डलों को 80.90 लाख रु0 जारी किए गए। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 20 सम्पर्क मार्गों के 3.90 करोड़ रु0 के प्राक्कलन पहले ही अनुमोदित करवाए गए थे और इन कार्यों पर 1979 तथा 1989 वर्षों के मध्य गैर राज्य निधियों में से 1.90 करोड़ रु0 का व्यय पहले ही किया गया था। अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया (दिसम्बर 1997-जनवरी 1998) कि निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से अपूर्ण/चल रहे कार्यों की पूर्णता हेतु प्राप्त की गई थीं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्कीम में लाइन विभागों के अपूर्ण/चल रहे कार्यों पर व्यय करने के लिए प्रावधान नहीं था। उपायुक्त बिलासपुर ने बताया (जुलाई 1998) कि निधियां सम्पर्क मार्गों के लिए जारी की गई थी क्योंकि कार्यकारी एजेंसियों से ऐसे कार्यों के निष्पादनार्थ राज्य निधियों से सूचना नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह स्कीम के मार्गदर्शनों के विपरीत था। उपायुक्त चम्बा का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 1998)।

स्कीम में प्रावधान के बिना अपूर्ण/चल रहे कार्यों पर किया गया व्यय।

---

* सोलन:= 2.59 लाख रु0; चम्बा: 0.90 लाख रु0; ऊना : 2.70 लाख रु0; तथा किन्नौर: 0.35 लाख रु0

** अम्ब: 9 लाख रु0; बंगाणा: 6 लाख रु0; बिलासपुर: 10 लाख रु0; भरमौर: 2 लाख रु0; गगरेट: 3 लाख रु0; घुमारवीं: 7.98 लाख रु0; पूह: 3.44 लाख रु0; तथा ऊना: 5 लाख रु0

3.1.7 स्कीम क्रियान्वयन

(क) प्रत्यक्ष तथा वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

राज्य अथवा जिला स्तर पर कार्यों के निष्पादन हेतु प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। कार्यों को थोड़ा-थोड़ा करके प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया गया था और तदनुसार निधियां प्रयुक्त की गई।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अपूर्ण कार्यों को अनुवर्ती वर्षों के दौरान पूर्ण किया गया।

1993-98 के दौरान कार्यों के निष्पादन में नमूना जांच किए गए जिलों में कार्यों की पूर्णता के निर्धारित अवधि के संदर्भ में जिलावार गिरावट निम्नलिखित थी:

	बिलासपुर	चम्बा	किन्नौर	सोलन	ऊना
			(प्रतिशत)		
प्रत्यक्ष	49 से 64	57 से 100	11 से 100	20 से 99	18 से 77
वित्तीय	5 से 71	41 से 100	26 से 100	27 से 94	19 से 44

परियोजना अधिकारियों ने गिरावटों के कारण निधियों की देर से प्राप्ति, कार्यों के निष्पादन में विलम्ब तथा सीमित कार्य मौसम बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998)।

(ख) व्यक्तियों का पंजीकरण और पारिवारिक कार्डों को जारी करना

मार्गदर्शनों में उन व्यक्तियों के पंजीकरण की व्यवस्था है जो 18 वर्ष से ऊपर तथा 60 वर्ष की आयु के नीचे हों और जो ग्राम पंचायतों से रोजगार के जरूरतमंद हो। ऐसे पंजीकृत किए गए व्यस्क व्यक्तियों को ग्राम पंचायतों द्वारा प्रत्येक वर्ष के दौरान एक परिवार के दो वयस्कों को 100 दिनों के रोजगार आश्वासन प्राप्ति हेतु पारिवारिक कार्डों को जारी किया जाना था। 100 दिनों के रोजगार की सुनिश्चितता हेतु पारिवारिक कार्डों में रोजगार का विवरण दिया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित चूकों का पता चला:

कामगरों को पारिवारिक कार्ड जारी न करने के कारण रोजगार दिए गए व्यक्तियों की पात्रता की उचितता तथा एक परिवार के दो वयस्कों को 100 दिनों के रोजगार के आश्वासन की जांच नहीं की जा सकी।

(i) नमूना जांच किए चार* जिलों में न तो कामगारों के नाम ही पंजीकृत किए गए थे न ही स्कीम के लागू होने से रोजगार जुटाने हेतु 74947 व्यक्तियों को पारिवारिक कार्ड जारी किए बताए गए।

---

* बिलासपुर, किन्नौर, सोलन तथा ऊना

(ii) जिला अथवा खण्ड स्तरों पर रोजगार आश्वासन स्कीम के अन्तर्गत कामगरों को 100 दिनों का आश्वासन रोजगार दिया गया था, इसकी सुनिश्चितता के अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया।

खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि कामगरों को प्रपत्र अनुपलब्धता के कारण पंजीकृत नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्कीम के उचित क्रियान्वयन के लिए मार्ग दर्शनों की आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए था। इस समय उपायुक्त, सोलन ने बताया (जुलाई 1998) कि मार्ग दर्शनों में इस उद्देश्य हेतु व्यय के प्रावधान न होने के कारण प्रपत्र की समय पर आपूर्ति नहीं की जा सकी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कुल आबण्टित निधियों को दो प्रतिशत प्रशासनिक लागत पर व्यय किया जा सकता था। अत: 74,947 कामगरों को रोजगार देने तथा प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का रोजगार आश्वासन देने की प्रात्रता पर सन्देह था।

रोजगार दिए गए 74,947 व्यक्तियों की पात्रता की उचितता संदेहप्रद थी।

(ग) **रोजगार सृजन**

राज्य अथवा जिला स्तर पर रोजगार आश्वासन स्कीम के अन्तर्गत रोजगार के सृजन हेतु लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया गया था। नमूना जांच किए गए जिलों में श्रम दिवसों के अनुसार रोजगार के सृजन की उपलब्धि निम्नलिखित थी:

वर्ष	रोजगार दिए गए व्यक्तियों की संख्या (मासिक प्रगति प्रतिवेदनानुसार)	100 दिनों के लिए रोजगार जुटाकर सृजित किए जाने वाले श्रमदिवस	सृजित श्रमदिवसों की संख्या (मासिक प्रगति प्रतिवेदनानुसार सृजित किए जाने	श्रमदिवसों के सृजन में गिरावट की प्रतिशतता	प्रति व्यक्ति रोजगार दिवसों की संख्या
		(लाख रुपए)			
1993-94	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1994-95	0.07	6.85	2.90	58	42
1995-96	0.24	24.30	4.77	80	20
1996-97	0.41	40.86	8.93	78	22
1997-98	0.34	34.42	5.61	84	16

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित टिप्पणियां की जाती हैं:

(i) 1994-98 वर्षों के दौरान 100 दिनों का आश्वासन रोजगार जुटाने में गिरावट

की प्रतिशत 58 तथा 84 के मध्य रही। यह भी पाया गया कि 100 दिनों के निर्धारित रोजगार सृजन के प्रति 1994-98 वर्षों के दोरान वर्ष में रोजगार 16 से 42 दिन प्रतिव्यक्ति जुटाया गया था।

निदेशक गिरावट के संतोषजनक कारण नहीं दे सका।

(ii) 11 खण्डों के मस्टरोलों की जांच से पता चला कि पूर्ण पता, पारिवारिक कार्ड संख्या आदि जैसे विवरणों को मस्टरोलों पर दर्ज नहीं किया गया था। इसका पता नहीं लगाया जा सका कि मस्टरोलों पर लगाए गए व्यक्ति खण्ड के जरुरतमन्द तथा पंजीकृत व्यक्ति थे अथवा नहीं। उन मामलों में जहां पारिवारिक कार्ड जारी किए गए थे मस्टरोलों में संख्या लिखी जा सकती थी। जबकि ये कार्ड उपायुक्त चम्बा द्वारा जारी किए गए थे। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि कार्यों का निष्पादन ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाया गया जिन्होंने मस्टरोलों में पूर्ण ब्यौरों को दर्ज नहीं किया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मस्टरोलों पर पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए था ताकि सुनिश्चित किया जा सकता कि रोजगार केवल जरुरतमन्द तथा पंजीकृत व्यक्तियों को दिया गया था।

मस्टरोलों में लगे हुए व्यक्तियों का जरुरी विवरण नहीं दिया गया।

(iii) भारत सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार 1996-98 वर्षों के दौरान लोक निर्माण तथा वन विभागों ने 1,69,388 श्रम दिवस रोजगार सृजित किए।

नमूना जांच से पता चला कि ये लोग पंचायतों में पंजीकृत नहीं किए गए थे जैसा स्कीम के अन्तर्गत अपेक्षित था। अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया (दिसम्बर 1997-जनवरी 1998) कि कार्यों का निष्पादन विभागीय रुप से किया गया और स्थानीय व्यक्तियों, जो काम के लिए आगे आए, को मस्टरोलों पर लगाया गया तथा पंचायत सचिवों के पास पंजीकृत व्यक्तियों की सूची प्राप्त नहीं की गई थी। वन मण्डलीय अधिकारी बिलासपुर ने बताया (दिसम्बर 1997) कि रोजगार केवल विभाग में नियमित रुप से पंजीकृत व्यक्तियों को दिया गया था न कि उनको जो पंचायत के पास पंजीकृत थे। उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि कम कृषि मौसम के दौरान जरुरतमन्द व्यक्तियों को रोजगार जुटाने का उद्देश्य विफल हो गया था।

(iv) मस्टरोलों के अनुसार सृजित वास्तविक कार्य दिवसों को खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा परियोजना अधिकारियों को मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में सूचित किया जाना होता है।

खण्ड में अनुरक्षित रोजगार सृजन से सम्बन्धित मस्टरोलों की नमूना जांच जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, घुमारवीं (बिलासपुर जिला) द्वारा बताए गए आंकड़ों से पता चला कि

भारत सरकार को बताए गए आंकड़े बढ़ाये-चढ़ाये थे जैसा कि निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	रोजगार के सूचित आंकड़े		मस्ट्रोल के अनुसार वास्तविक		विचलन आधिक्य(+)/कमी(-)	
	रोजगार दिए गए व्यक्तियों की संख्या	सृजित श्रम-दिवस	रोजगार दिए गए व्यक्तियों की संख्या	सृजित श्रम-दिवस	रोजगार दिए दिए व्यक्तियों की संख्या	श्रमदिवस
1995-96	1746	33650	1127	21021	(+)619	(+)12629
1996-97	2775	55956	2956	47608	(-)181	(+)8348
1997-98	3235	66246	2699	65946	(+)536	(+) 300
जोड़	**7756**	**155852**	**6782**	**134575**	**(+)974**	**(+)21277**

खण्ड विकास अधिकारी ने बताया (मई 1998) कि समय पर प्रगति प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मास/वर्ष के दौरान खर्च किए कुल व्यय को मानकीय मजदूर दर द्वारा बांटा गया था और परिणामी आंकड़ों को रोजगार सृजन के रुप में पूर्ण लेखों, खण्ड के पिछड़े क्षेत्रों में तैनात पंचायत सचिवों से प्रतिवेदनों तथा विवरणियों की प्राप्ति न होने के कारण बताया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि रोजगार सृजन के आंकड़े वास्तविक श्रम दिवस सृजन के अनुसार बताए जाने थे।

(v) बिलासपुर तथा सोलन जिलों में बिलासपुर, धर्मपुर, कुनिहार तथा झण्डूता खण्डों में पंचायत मतदाता सूचि के अनुसार मस्टरोलों की लेखापरीक्षा जांच (जुलाई 1998) से पता चला कि 1995-98 वर्षों के दौरान 619 कामगरों को मजदूरी के सम्बन्ध में 5.52 लाख रु0 वितरित किए गए थे। इनमें से 78 राज्य के बाहर से थे इन कामगारों के नाम खण्डों की मतदाता सूची में नहीं थे। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (जुलाई 1998) कि कार्य हेतु स्थानीय कामगारों के आगे न आने के कारण बाहरी मजदूरों को काम पर लगाया गया। यह भी बताया गया कि कई बार स्थानीय व्यक्तियों के नाम मस्टरोलों में उनके छोटे नामों के रुप में लिखे जाते थे जो मतदाता सूची में दर्शाए गए वास्तविक नामों से भिन्न होते थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कामगर की आयु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संख्या ओर पारिवारिक कार्ड संख्या, आदि जैसे अन्य विवरण कामगरों को पहचानने के लिए मस्टरोलों में दर्ज नहीं किए गए थे।

(vi) वर्ष 1996-97 के दौरान परियोजना अधिकारी, जिला गामीण विकास एजेंसी, बिलासपुर द्वारा कार्यालय भवन के निर्माण पर 1.80 लाख रु0 खर्च किए गए जो स्कीम के अन्तर्ग नहीं आते थे। परियोजना अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 1997) कि व्यय रोजगार आश्वासन स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त निधियों के जमा लेखों पर अर्जित ब्याज राशि से किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ब्याज की राशि भी रोजगार आश्वासन स्कीम निधियों का एक भाग थी तथा शहरी क्षेत्र में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु खर्च नहीं की जा सकती थी।

(घ) **मजदूरी सामग्री अनुपात का पालन न करना**

(i) स्कीम में प्रावधान है कि रोजगार आश्वासन स्कीम के अन्तर्गत आरम्भ किए गए सभी कार्य गहन श्रम के होने चाहिए। गहन श्रम कार्यों का अभिप्राय उनसे है जिनकी मजदूरी का अनुपात उपकरण तथा सामग्री के 60:40 के अनुपात से कम न हो।

नमूना जांच से पता चला कि स्कूलों, आंगनबाड़ी, महिला मण्डल भवनों, पंचायत घरों, लघु सिंचाई कूल्हों, सम्पर्क मार्गों, सराएं तथा सामुदायिक केन्द्रों के भवनों आदि के निर्माण की भांति 694 कार्य 1994-98 वर्षों के दौरान 3.23 करोड़ रु0 की लागत पर अनुमोदित तथा निष्पादनार्थ हाथ में लिए गए। मजदूरी (0.98 करोड़ रु0) तथा सामग्री (2.25 करोड़ रु0) पर वास्तविक व्यय 30:70 के अनुपात में था। इसके परिणामस्वरुप निर्धारित मानकों से अधिक सामग्री घटक पर 95.87 लाख रु0 का अधिक व्यय हुआ। यह भी देखा गया कि इन कार्यों पर किया गया व्यय परियोजना अधिकारियों द्वारा मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटकों पर 60:40 के निर्धारित मानक के आधार पर भारत सरकार को सूचित किया गया था। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि यदि सुदृढ़ परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाना है तो 60:40 का अनुपात बनाना सम्भव नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मार्गदर्शनों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए था।

सामग्री संघटक व्यय निर्धारित मानकों से अधिक हुआ।

(ii) स्कीम के मार्गदश्नों में परिकल्पित है कि रोजगार आश्वासन स्कीम के अन्तर्गत सभी कार्य विभागीय तौर पर निष्पादित किए जाने चाहिए तथा क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा इन कार्यों के निष्पादन हेतु किसी भी सूरत में ठेकेदार को तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत वर्ष 1995-96 के दौरान निचार तथा ऊना खण्डों में तीन कार्य ठेकेदारों के माध्यम से 1.56 लाख रु0 की लागत से निष्पादित करवाए गए। इसने कामगरों के 3,409 श्रम दिवसों के रोजगार अवसरों को विफल कर दिया। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (मार्च-अप्रैल 1998) कि स्थानीय लोग अपनी फसलों के कार्यों में व्यस्त थे तथा पंचायतों की अनिच्छा के कारण भी इन कार्यों को लोकहित में ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित करवाया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्कीम को जरुरतमन्द व्यक्तियों को कम कृषि मौसम के दोरान लाभप्रद रोजगार जुटाने के लिए बनाया गया था।

(ड.) **प्राथमिकता की गतिविधियों में विकृति**

जैसा कि स्कीम में विहित है कि जल तथा भू-संरक्षण कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी जानी थी। कार्यों की वास्तविक अवस्था इसकी प्राथमिकता में विहित है जैसा कि नीचे

दर्शाया गया है:

क्रमांक	कार्य की प्रवृत्ति	आबण्टन के मानक (प्रतिशतता में)	वास्तविक आबण्टन (प्रतिशतता में)
1.	वनीकरण, कृषि उद्यान तथा सिल्वीपास्चर आदि को मिलाकर जल तथा भू-संरक्षण कार्य	40	6
2.	लघु सिंचाई कार्य	20	19
3.	जिले की मुख्य योजना में सम्मिलित सम्पर्क मार्गों को बिना जोड़े गए गांवों से जोड़ने में वृद्धि करना	20	47
4.	प्राथमिक स्कूल तथा आंगनबाड़ी भवन	20	28

इस प्रकार जल तथा भू-सरंक्षण कार्यों को निर्धारित 40 प्रतिशत के प्रति कम प्राथमिकता (6 प्रतिशत) तथा सम्पर्क मार्गों में निर्धारित 20 प्रतिशत के प्रति उच्च प्राथमिकता (47 प्रतिशत) दी गई जो स्कीम के प्रावधानों के विपरीत थी। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि कार्यों को आवश्यकता के आधार पर अनुमोदित करवाया गया था न कि प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत निर्धारित निधियों की प्रतिशततानुसार। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निर्धारित मानक को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं की वार्षिक शैल्फ नहीं बनाई गई तथा अनुमोदित की गई जैसा कि अपेक्षित है। खण्ड विकास अधिकारियों ने प्राथमिकता में विकृति को नहीं बताया गया था अथवा सुविधानुसार उचित बताया।

(च) लीन मौसम

कम कृषि मौसम के दौरान आश्वासन रोजगार दिलवाना स्कीम का मुख्य लक्ष्य था। मार्गदर्शनों में भी निर्धारित था कि कार्यों को केवल कम कृषि मौसम के दौरान ही किया जाना था। राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना था कि कौन से सम्बद्ध जिलों में लीन सीजन होगा जिसके दौरान जरुरतमन्द व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत कार्यों को आरम्भ करवाया जाएगा/जारी रखा जाएगा।

नमूना जांच से पता चला कि चार* जिलों में कृषि मौसम के दौरान 1994-98 वर्षों में 3.03 करोड़ रु0 कार्यों पर खर्च किए और 6.70 करोड़ रु0 कम कृषि मौसमों के दोरान खर्च किए।

चार जिलों में कर्मचारियों को 3.03 करोड़ रु0 मजदूरी के रुप में कृषि मौसम में दिए गए।

खण्ड विकास अधिकारियों ने इसका कारण किसानों की कम-भूमि जिस पर निरन्तर कार्य करते हैं तथा चम्बा जिले में लीन सीजन की घोषणा न करना भी बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998)।

---

* बिलासपुर, चम्बा, किन्नौर तथा सोलन

(छ) **परिसम्पत्तियों की मद सूची तथा इसका स्थानान्तरण अनुरक्षण न करना**

रोजगार आश्वासन स्कीम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण बहुत महत्वपूर्ण था राज्य तथा जिला स्तर के विभागों द्वारा किए जाने वाले अनुरक्षण वाली परिसम्पत्तियां उनके अनुरक्षणार्थ सम्बन्धित विभागों/स्थानीय निकायों को सौंपी जानी थी और विभागों द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण किए जाने वाले रजिस्टर में निगमित की जानी थी।

स्कीम के अन्तर्गत 10.31 करोड़ रु0 की सृजित परिसम्पत्तियों की मदसूची का अनुरक्षण नहीं किया गया था न ही विभागों/स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित की गई जैसा कि अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा से पता चला कि 1994-98 वर्षों के दौरान नमूना जांच किए गए पांच जिलों में 10.31 करोड़ रु0 की परिसम्पत्तियां सृजित की गई थी फिर भी न तो परिसम्पत्तियों की मद सूची का अनुरक्षण सम्बन्धित विभागों द्वारा किया गया था न ही इनकों विभागों/स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित किया गया था। चारटड एकाऊटैन्टों ने अपने लेखों को प्रमाणित करते हुए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी बिलासपुर, किन्नौर, सोलन तथा ऊना के तुलनपत्रों में परिसम्पत्ति रजिस्टर के अनुरक्षण न करने की टिप्पणी नहीं की थी। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि परिसम्पत्तियों के रजिस्टरों का अनुरक्षण कर लिया जाएगा तथा सम्बन्धित परिसम्पत्तियां सम्बद्ध विभागों/स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित कर दी जाएंगी। निदेशक ने स्वीकार किया (जुलाई 1998) कि परिसम्पत्तियों के रजिस्टरों का अनुरक्षण जिला व ब्लाक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित कार्य रजिस्टरों से किया जाएगा।

(ज) **मजदूरी का भुगतान**

स्कीम में प्रावधान है कि कामगरों को दी गई मजदूरी करवाए गए कार्य की गुणवत्ता तथा मात्रा पर आधारित होगी। इसकी सुनिश्चितता के लिए एक दिन में आठ घण्टे कार्य करने वाले अकुशल कामगर द्वारा किए जाने वाले कार्यों की मात्रा के अनुसार विनिर्देशन के मानकों को निर्धारित किया जाना था। इस प्रकार मजदूरी भुगतान से पूर्व किए गए कार्य की सुनिश्चितता बनाई जानी थी। स्कीम में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान भी है कि मजदूरी प्रत्येक सप्ताह कार्य स्थल पर सरपंचों एवं पंचों और खण्ड समिति सदस्यों की उपस्थिति में दी जानी चाहिए। नमूना जांच के दौरान निम्नलिखित चूकें ध्यान में आईं:

(i) विभाग द्वारा विनिर्देशन के स्तर निश्चित नहीं किए गए थे और कामगरों को उनके द्वारा किए गए कार्यों की सुनिश्चितता बनाए बिना मजदूरी का भुगतान किया गया। किए गए कार्य का

विवरण और इस आशय का प्रमाण पत्र कि भुगतान वास्तविक प्राप्तकर्ता को सरपंचों, खण्ड समिति सदस्यों आदि की उपस्थिति में कर दिए गए हैं पांच* खण्डों के पंचायत सचिवों द्वारा अनुरक्षित मस्टरोलों पर दर्ज किए गए नहीं पाए गए। ऐसे अभिलेखों और स्कीम के मार्गदर्शनों के विपरीत अपंजीकृत कामगरों को किए गए दर्शाए भुगतान की अनुपस्थिति में भी 1994-98 वर्षों के दौरान 2.97 करोड़ रु० के इन भुगतानों की उचितता सन्देहप्रद थी।

अदायगियां वास्तविक आदाताओं को देने का प्रमाणपत्र रिकार्ड नहीं किया गया।

(ii) कामगरों को भुगतान यथा निर्धारित के स्थान पर मासिक किया गया था। 1996-98 वर्षों के दौरान बिलासपुर जिले में 444 मस्ट्रोलों के मजदूरी भुगतान में विलम्ब 20 तथा 465 दिनों के मध्य रहा जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रमांक	खण्ड का नाम	मस्ट्रोलों की संख्या	विलम्बावधि (दिनों में)
1.	बिलासपुर सदर	85	20 से 193
2.	घुमारवीं	239	29 से 228
3.	झण्डूता	120	26 से 465

खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि कार्यों को प्राकलनों के प्रावधानों के अनुसार करवाया गया और मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नहीं किया जा सका क्योंकि यह खण्ड के दो कनिष्ठ अभियन्ताओं के लिए व्यवहारिक नहीं था कि वह अपने अन्य विभागीय कार्यों के साथ सैंकड़ों कार्यों का साप्ताहिक मापतोल करे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक किया जाना था जिससे जरुरतमन्द कामगरों को लाभप्रद रोजगार की सुनिश्चितता बनाई जा सकती। भुगतानों में विलम्ब करने के कारण कामगर समय के आधार पर इस मजदूरी के लाभ से वंचित रहे।

3.1.8 अनुश्रवण

(i) स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अनुश्रवणार्थ राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर समन्वय समिति, जिला रोजगार आश्वासन समितियां और खण्ड रोजगार आश्वासन स्कीम समितियां गठित किया जाना अपेक्षित था। राज्य स्तर समन्वय समिति रोजगार आश्वासन स्कीम के पूर्ण निरीक्षण मार्गदर्शन तथा अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी थी।

---

* अम्ब, भटियात, बंगाणा, गगरेट तथा ऊना

नमूना जांच के दौरान यह भी देखा गया कि राज्य स्तर समन्वय समिति का गठन फरवरी 1994 में किया गया था। जिला रोजगार आश्वासन समितियां तथा खण्ड रोजगार आश्वासन समितियां अगस्त 1997 में गठित की गई थी। अतः अक्तूबर 1993 में स्कीम के आरम्भ करने की तिथि से जिला रोजगार आश्वासन स्कीम समितियों/खण्ड रोजगार आश्वासन स्कीम समितियों के गठन में 46 महीनों का विलम्ब हुआ।

जिला रोजगार आश्वासन स्कीम समितियों/खण्ड रोजगार आश्वासन स्कीम समितियों के गठन में 46 महीनों का विलम्ब।

अप्रैल 1998 तक राज्य स्तर समन्वय समिति तथा जिला रोजगार आश्वासन स्कीम समितियों द्वारा बैठकों, निरीक्षण और कार्यस्थल दौरों को करवाने के लिए आवधिकता नहीं बनाई गई और अनुमोदित नहीं करवाए गए। निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (अप्रैल 1998) कि यद्यपि राज्य स्तर समन्वय समिति फरवरी 1994 में तथा जिला रोजगार आश्वासन स्कीम समितियां एवं खण्ड रोजगार आश्वासन स्कीम समितियां अगस्त 1997 में गठित की गई थी तब भी अप्रैल 1998 तक निरीक्षण नहीं करवाए गए थे। अतः स्कीम का उपयुक्त स्तरों पर अनुश्रवण नहीं किया जा रहा था।

निरीक्षण नहीं किए गए।

(ii) परियोजना अधिकारी, उपमण्डलीय अधिकारी, तहसीलदार तथा खण्ड विकास अधिकारियों जैसे क्रियान्वयन प्राधिकारी (उपायुक्त) और अन्य अधिकारियों को कार्यों का नियमित रुप से निरीक्षण करना था तथा अपनी टिप्पणियां तथा जानकारियों को दर्ज करना था। इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य से खण्ड स्तरों तक प्रत्येक निरीक्षण स्तर के कार्य स्थल दौरों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करनी थी और सुनिश्चित करना था कि इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा था। ऐसी बनाई गई निरीक्षणों की अंनुसूची राज्य स्तर समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित की जानी थी और उसकी प्रतिलिपि भारत सरकार को भेजनी थी।

यह देखा गया कि न तो दौरों/निरीक्षणों की कोई अनुसूची बनाई गई थी और न ही इन कार्यों का कोई निरीक्षण खण्ड विकास अधिकारियों को छोड़कर उपायुक्तों अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया था। उपायुक्तों ने बताया (जुलाई 1998) कि वे व्यक्तिगत रुप में अपने विभिन्न व्यस्त कर्तव्यों के साथ इन सभी कार्यों को नहीं देख सकते। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यस्थल दौरों की अनुसूची बनाकर राज्य सरकार से अनुमोदित करवानी थी और कार्यों का निरीक्षण स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित अनुसार किया जाना था। इस प्रकार उपायुक्तों द्वारा कार्यों का अनुश्रवण नहीं किया गया था।

3.1.9 मूल्यांकन

मार्गदर्शानानुसार मूल्यांकन अध्ययन भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा किया जाना था। राज्य सरकारों द्वारा किए गए ऐसे मूल्यांकन अध्ययनों की प्रतिलिपियां भारत सरकार को भेजी जानी थी।

राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित स्कीम के प्रभाव को जानने हेतु मूल्यांकन अध्ययन नहीं किए गए थे।

नमूना जांच से पता चला कि राज्य में स्कीम के आरम्भ करने से पड़े प्रभाव को जानने हेतु अप्रैल 1998 तक भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन अध्ययन नहीं किए गए थे। निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, ने बताया (अप्रैल 1998) कि स्कीम के मूल्यांकन अध्ययन नहीं किए गए थे। अतः स्कीम का प्रभाव नहीं जाना जा सका।

यह समीक्षा अभ्युक्तियां सरकार को जून 1998 में भेजी गई। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

3.2 कार्यों की अपूर्णता के कारण सरकारी धन का अवरोधन

छः जिलों में सात* खण्ड विकास अधिकारियों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (मार्च 1997-मार्च 1998) कि 1.59 करोड़ रु० की अनुमानित लागतों के 1985-86 तथा 1996-97 वर्षों के मध्य सम्बन्धित उपायुक्तों द्वारा स्वीकृत प्राथमिक स्कूल भवनों, खेल मैदानों, पंचायत घरों, सामुदायिक हालों आदि जैसे 390** विकास कार्यों पर 1.10 करोड़ रु० खर्च करने के पश्चात भी अपूर्ण पड़े हुए थे। इन कार्यों को मूलतः पंचायतों, नगर समितियों आदि जैसी निष्पादन एजेन्सियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था और खण्ड विकास अधिकारियों को भेजा गया उन्होनें इनको समेकित किया तथा उपायुक्तों को प्रस्ताव योजना भेजीं। उपायुक्तों ने कार्यों को अंतिम रुप से अनुमोदित/संस्वीकृत किया और

छः जिलों में 390 अपूर्ण विकास कार्य जनता को वांछित लाभ से वंचित तथा 1.59 करोड़ रु० के अवरोधन में परिणत हुआ।

* आनी, भरमौर, भटियात, चौपाल, नूरपुर, रिवालसर तथा शिलाई

** चम्बा: 157; कांगड़ा: 14; कुल्लू: 89; मण्डी: 46; शिमला: 42 और सिरमौर: 42

विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत निधियों को जारी किया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्रमांक	खण्ड का नाम	कार्यों की संख्या	अनुमानित राशि	किया गया व्यय (करोड़ रुपए)
1.	आनी	89	0.43	0.35
2.	भरमौर	61	0.15	0.10
3.	भटियात	96	0.08	0.05
4.	चौपाल	42	0.31	0.14
5.	नूरपुर	14	0.40	0.31
6.	रिवालसर	46	0.17	0.10
7.	शिलाई	42	0.05	0.05
	जोड़	**390**	**1.59**	**1.10**

इन कार्यों का निर्माण विभिन्न निष्पादन एजेन्सियों द्वारा मार्च 1986 तथा दिसम्बर 1997 के मध्य आरम्भ किया गया था। स्वीकृति की तिथि से तीन सप्ताह से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने वाले इन कार्यों को मार्च 1998 तक पूर्ण नहीं किया गया था। इन कार्यों की पूर्णता में हुआ विलम्ब तीन महीनों से 11 वर्षों के मध्य रहा। मार्च 1998 तक इन कार्यों पर 1.10 करोड़ रु0 खर्च किए गए थे और शेष 49 लाख रु0 की निधियां विभिन्न बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (मार्च 1997 तथा मार्च 1998) कि कार्यों को निधियों की कमी, मजदूरों की अनुपलब्धता, कार्यस्थलीय झगड़े, स्टॉफ की कमी, ग्राम पंचायतों की कम रुचि आदि के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि इन पहलुओं पर योजना आरम्भ करने के समय तथा पैसा निकालने से पूर्व विचार किया जाना चाहिए था। इतना ही नहीं उपायुक्तों को इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए था और इन कार्यों के निष्पादन का अनुश्रवण करते समय इन विवशताओं को दूर किया जाना चाहिए था।

अत: दोषपूर्ण योजना के कारण निर्धारित अवधि के भीतर इन कार्यों की अपूर्णता से लोग इच्छित लाभों से वंचित हुए व 1.59 करोड़ रु0 की सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ।

मामला सरकार को मई 1998 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

3.3 भूमि अर्जन, अंतरण तथा उसकी प्रयुक्ति

बंजर भूमि युक्त सरकारी भूमि, वन भूमि, सरकारी विभागों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों हेतु अर्जित भूमि, हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण सामान्य भूमि अधिनियम, 1974 में आने वाली भूमि आवश्यकतानुसार राज्य की विकासात्मक गतिविधियों हेतु सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है। भू-अर्जन अधिनियम, 1894 जो समय-समय पर यथा संशोधित जन उद्देश्यों हेतु सम्पत्ति अर्जन और प्रतिपूर्ति के भुगतानसे सम्बन्धित है।

कुल्लू, मण्डी, शिमला तथा सोलन जिलों में सात* उपमण्डलों तथा नौ** तहसीलों सहित 1995-98 की अवधि हेतु सरकारी भूमि से सम्बन्धित अर्जन, आंतरण और प्रयुक्ति के अभिलेखों की मार्च-मई 1998 के दौरान नमूना जांच की गई थी और आगे की सूचना ऊना जिले तथा बन्दोबस्त के विभागों वन, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य और लोकनिर्माण से प्राप्त की थी। नमूना जांच के परिणामों की चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई है:

3.3.1 भूमि का अनुचित अर्जन

जोन संख्या 1 में 1,217 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु प्रावधित 17 किलोमीटर की नहर निर्माण के लिए बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना का 3.03 करोड़ रु0 का मूल स्वीकृत अनुमान मार्च 1982 में अनुमोदित किया गया। नहर के किनारे नहर में सतह मलवा रोकने के साथ सरल अनुरक्षण निरीक्षण ओर गिटटक के लिए घाटी की तरफ तीन मीटर चौड़ी सड़क औऱ पहाड़ी की तरफ एक मीटर चौड़ा पतरे का निर्माण भी किया जाना था। इस सम्बन्ध में किलोमीटर 0/0 से 12/0 तथा किलोमीटर 12/0 से 17/0 तक क्रमशः बारह मीटर 2.5 मीटर चौड़ी भूमि का अर्जन किया जाना अपेक्षित था। कार्यक्षेत्र को 1987 में संशोधित किया गया और 1207 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 20 किलोमीटर लम्बी नहर का निर्माण किया जाना था। अर्जित की जाने वाली भूमि की चौड़ाई किलोमीटर 0/0 से 16/0 और किलोमीटर 16/0 से 17/0 से क्रमशः 25 मीटर तथा दस मीटर थी। समुचय भू-क्षेत्र को अर्जित करने की उचितता का उल्लेख अभिलेखों में नहीं किया गया था।

---

* कुल्लू, मण्डी, रामपुर, सोलन, शिमला (ग्रामीण), शिमला (शहरी) तथा ठियोग

** कुल्लू, कुमारसेन, कोटखाई, मण्डी, रामपुर, शिमला (ग्रामीण) शिमला (शहरी), सोलन तथा ठियोग

अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि 1985-86 तथा 1992-93 के मध्य कुल 3.28 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र 91.58 लाख रु० की लागत पर नहर के निर्माण हेतु अर्जित किया गया जिसे मार्च 1994 में पूर्ण किया गया था। नहर निर्माण किलोमीटर 0/0 से 16/0 तक किया गया और उसके पश्चात् पानी को आर सी सी/एम एस की पाइपों के द्वारा 18/454 किलोमीटर तक ले जाया गया था। फ्री बोरड़ पश्चात् नहर की चौड़ाई बनाए गए रुपांकन के आधार पर 1.60 मीटर तथा 3.66 मीटर के मध्य रही। निरीक्षण रास्ता किलोमीटर 0/0 से 12/500 तक बनाया गया। मण्डल ने किलोमीटर 0/0 से 12/500 तक नहर की केन्द्रीय रेखा के दोनों तरफ 12.5 मीटर भूमि (कुल चौड़ाई 25 मीटर) तथा किलोमीटर 12/500 से 16/0 किलोमीटर तक (दोनों ओर 4 मीटर) 8 मीटर भूमि का अर्जन किया। जल निकासियों के आधार पर यद्यपि स्थान-स्थान से नहर की चौड़ाई कम की गई किन्तु अर्जित भू-क्षेत्र को अनुपातिक रुप से नहीं घटाया गया। यदि अर्जित क्षेत्र को अनुपातिक रुप से नहर की चौड़ाई को देखते हुए कम किया जाता तो 1.73 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त होता।

43.22 लाख रु० की भूमि का वास्तविक आवश्यकता से अधिक अर्जन किया गया।

यह देखा गया कि 43.22 लाख रु० की लागत से अनुचित रुप से अर्जित किया गया 1.55 लाख वर्गमीटर भूमि का शेष क्षेत्र अभी तक (मई 1998) पहले स्वामियों के अधिकार में था और वे उसकी काश्त कर रहे थे।

बग्गी मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 1998) कि भूमि को इंतकाल तथा निशानदेही न होने के कारण नहीं लिया जा सका तथा राजस्व विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाएगा। अत: 43.22 लाख रु० की भूमि वास्तविक आवश्यकता से अधिक अर्जित की गई थी।

3.3.2 सरकारी भूमि का पट्टा

3.3.2.1 पट्टा राशि का अवनिर्धारण

सरकार ने निर्णय लिया (दिसम्बर 1984) कि पट्टे की सरकारी भूमि के सारे मामलों में पट्टा राशि भूमि को पट्टे पर देने के लिए विद्यमान उच्चतम बाजारी मूल्य के 18 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष प्रभारित की जानी चाहिए। सरकार ने पुन: दोहराया (जुलाई 1998) कि पट्टाधारकों से प्रभारित की जाने वाली पट्टा राशि प्रभावी उच्चतम बाजारी मूल्य 18 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी जिसकी गणना उसी स्थान में भूमि के उसी वर्गीकरण के नवीनतम बिक्री मूल्य के आधार पर की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए भूमि का औसतन मूल्य नहीं लिया जाएगा।

शिमला में तीन आवास सहकारिता के 2.72 करोड़ रु० पट्टा धन का अवनिर्धारण

(i) नमूना जांच से पता चला कि शिमला शहर के चारों ओर 31-15बीघा* सरकारी भूमि दो मामलों में पट्टा भूमि के बिक्री मूल्य के पांच वर्षों के औसतके आधार पर एक बार में ही 5.91 लाख रु0 देकर सरकार द्वारा मार्च 1989 तथा जून 1991 से तीन** मकान भवन सहकारी समितियों को 99 वर्षों के पट्टे पर दे दी। तीसरे मामले में पट्टा राशि निश्चित करने का आधार अभिलेख में नहीं था। पट्टा धारकों द्वारा अगस्त 1998 तक निर्धारित पट्टा राशि नहीं दी गई थी।

फरवरी 1988 से दिसम्बर 1988 के दौरान उपायुक्त तथा उपमण्डलीय अधिकारी (नागरिक) द्वारा पट्टा भूमि का बाजारी मूल्य 15.62 लाख रु0 निर्धारित किया गया था। इसके बाजारी मूल्य का 18 प्रतिशत 2.81 लाख रु0 प्रतिवर्ष और सारी पट्टा अवधि हेतु 2.78 करोड़ रु0 बनता था। अतः सरकारी अनुदेशों का पालन न करने के कारण 2.72 करोड़ रु0 की पट्टा राशि का अवनिर्धारण और अल्प वसूली हुई।

(ii) पट्टा भूमि के नवीनतम उच्चतम बाजारी मूल्य पर वार्षिक 18 प्रतिशत निर्धारित की जाने वाली पट्टा राशि पर होटल (उद्योग) चलाने के लिए एक पार्टी को 50 वर्षों के पट्टे पर शिमला जिले में गवाही गावों में 4-5 बीघा सरकारी भूमि की मंजूरी को सरकार ने अनुमोदित (जनवरी 1998) किया। क्योंकि अन्तिम पांच वर्षों के दोरान गवाही गांव में भूमि आन्तरण का लेन-देन नहीं हुआ था, तहसीलदार शिमला (ग्रामीण) ने साथ के गांव पनोग की मार्च 1997 से फरवरी 1998 तक 3,340 रु0 प्रति बीघा का बाजारी मूल्य लेते हुए पट्टा राशि 2555 रु0 प्रतिवर्ष निर्धारित (मार्च 1998) की।

लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि दूसरे मामले में उसी तहसीलदार ने वर्ष 1996 के दौरान उसी गांव में वैसी ही वर्गीकरण की भूमि का मूल्य 3.10 लाख रु0 प्रतिबीघा निर्धारित किया था जो गवाही गांव में भूमि की पट्टा राशि निर्धारण के लिए आधार बनाया जाना चाहिए था। अतः इस मामले में पट्टाधारक के साथ अनुचित पक्षपात किया गया था।

इस मामले में सरकारी अनुदेशों का पालन न करने के कारण पट्टावधि के प्रथम दस वर्षों के लिए 23.46 लाख रु0 का अवनिर्धारण हुआ जिसके पश्चात् अगले संशोधन पर विचार किया जाना था। उपायुक्त ने बताया (मई 1998) कि इन दोनों मामलों की छानबीन की जा रही थी तथा अन्तिम उत्तर दे दिया जाएगा।

(iii) मण्डी शहर के खलियार क्षेत्र में स्थित 4148.70 वर्गमीटर सरकारी भूमि कृषि विभाग को सितम्बर 1986 में सब्जी मण्डी के निर्माण हेतु आंतरित की गई। जून 1991 में उपायुक्त

---

* बीघा: 20 बीसवा, 5 बीघा: 1 एकड़

** 1. अधिकारी सहकारी आवास समिति: 4-11 बीघा; 2. सचिवालय कर्मचारी सहकारी आवास भवन समिति: 14-8 बीघा; 3. हिम विधायक सहकारी आवास भवन समिति: 12-16 बीघा।

मण्डी ने इस भूमि का स्वामित्व सम्भाला, क्योंकि यह पांच वर्ष तक अप्रयुक्त रही। इस भूमि में 1,050 वर्ग मीटर भाग 95 वर्षों के लिए मई 1992 में एक निजी समिति को दैनिक शारिरीक अभ्यासों और अन्य उत्सवों को करने के लिए एक रु0 के टोकन वार्षिक किराये पर पट्टे पर दे दी। जुलाई 1998 के सरकारी अनुदेशों के अनुसार निजी व्यक्तियों को भूमि पट्टे पर देना हतोत्साहित किया गया था क्योंकि सरकारी भूमि कम हो रही थी और राज्य की विकासात्मक गतिविधियों के लिए भूमि को प्राप्त करना कठिन हो गया था। राजस्व प्राधिकारियों द्वारा भूमि का उच्चतम बाजारी मूल्य 3.18 लाख रु0 निर्धारित किया गया था और 18 प्रतिशत पट्टा किराया 0.57 लाख रु0 प्रतिवर्ष बनता था। अतः सरकारी अनुदेशों की अवज्ञा की गई तथा उक्त भूमि की निजी समिति को पट्टे पर देने की मंजूरी से 53.86 लाख रु0 की पट्टाराशि का अवनिर्धारण हुआ तथा समुदाय सब्जी मण्डी की सुविधाओं से भी वंचित रहा।

(iv) मण्डी शहर में खलियार में स्थित 3,290 वर्गमीटर की 2.38 लाख रु0 की सरकारी भूमि निजी न्यास को पब्लिक स्कूल चलाने के लिए 95 वर्षों हेतु एक रु0 वार्षिक के टोकन किराए पर इस शर्त पर पट्टे पर दी गई (दिसम्बर 1990) कि राज्य सरकार स्कूल की प्रबन्ध समिति के दो सदस्य नामित करेगी और राज्य सरकार द्वारा नामित गरीब परिवारों से 10 प्रतिशत विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जाएगी। नमूना जांच से पता चला कि न तो कोई सदस्य प्रबन्ध् समिति में नामित किया गया न ही राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 1998 तक 10 प्रतिशत विद्यार्थी गरीब परिवारों से नामित किए गए।

इसके परिणामस्वरुप गरीब परिवारों के बच्चे पब्लिक स्कूल में निशुल्क शिक्षा से वंचित हुए तथा पट्टावधि के लिए 40.74 लाख रु0 की पट्टाराशि का अवनिर्धारण हुआ।

उपायुक्त ने बताया (सितम्बर 1998) कि प्रबन्ध समिति को सदस्य नामित करने के तथा प्रवेश हेतु विद्यार्थियों को नामित करने के प्रयत्न किए जा रहे थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपायुक्त द्वारा प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नामांकन और पब्लिक स्कूल के प्रवेश हेतु गरीब परिवारों के विद्यार्थियों के नामांकन के प्रयत्न नहीं किए गए थे।

(v) कुल्लू जिले में बड़ाग्रां में स्थित 40.3 बीघा वन भूमि एक कम्पनी को अक्तूबर 1972 से 99 वर्षों के लिए मुख्य अरण्यपाल द्वारा निर्धारित 4,433 रु0 वार्षिक किराए पर मोटल निर्माणार्थ पट्टे पर दी गई। कम्पनी के प्रबन्ध में परिवर्तन के कारण सितम्बर 1981 में नया पट्टा विलेख बनाया गया। विलेख में यह प्रावधान किया गया था कि किराया प्रत्येक 10 वर्षों की अवधि पश्चात् (अक्तूबर 1982 से प्रभावी) सम्बद्ध समय पर भूमि के बाजारी मूल्य का 5 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

नमूना जांच से पता चला कि इस विलेख का पहला संशोधन अक्तूबर 1992 से देय था, किन्तु वन विभाग ने दिसम्बर 1984 से सरकारी अनुदेशों के विपरीत अपनी मर्जी से राजस्व विभाग से बाजारी मूल्य पूछे बिना अक्तूबर 1992 से पट्टा किराया 1.08 लाख रु0 प्रतिवर्ष निर्धारित

(नवम्बर 1993) कर दिया जिसमें प्रावधान था कि पट्टा राशि प्रचलित उच्चतम बाजारी मूल्य के 8 प्रतिशत की दर पर प्रभारित की जानी थी। यह भी देखा गया कि तहसीलदार, कुल्लू ने इस भूमि का बाजारी मूल्य 31.55 लाख रु० निर्धारित (मार्च 1994) किया। राज्य सरकार के अनुदेशों (दिसम्बर 1984) के अनुसार तहसीलदार, कुल्लू ने जून 1992 से पट्टा राशि 5.68 लाख रु० प्रतिवर्ष निर्धारित की। वर्ष 1992-98 के 33.13 लाख रु० के किराए को वसूलने हेतु सितम्बर 1998 तक कार्रवाई नहीं की गई थी।

उपायुक्त कुल्लू ने बताया (अप्रैल 1998) कि पट्टा राशि वन विभाग द्वारा निर्धारित की गई थी। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं भेजा (अगस्त 1998)। अतः सरकार के दिसम्बर 1984 के अनुदेशों की पालना न करने के कारण दस वर्षों के दौरान आगामी संशोधन करने से पूर्व 4.60 लाख रु० प्रतिवर्ष की दर पर 46 लाख रु० की पट्टा राशि का अवनिर्धारण हुआ।

पट्टाधारक ने वर्ष 1988-89 में साथ लगती 22-2 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया था जो वर्जित वन का भाग था। अप्रैल 1994 में अवैध कब्जे वाली उपरोक्त जमीन सहित 27.12 बीघा जमीन राजस्व विभाग द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमोदनोपरान्त (नवम्बर 1993) मोटल प्रबन्धन को पट्टे पर दी गई। दिसम्बर 1996 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा पट्टे को इस आधार पर रद्द कर दिया कि राज्य सरकार ने पब्लिक न्यास का उल्लंघन करके पारिस्थितिक-भूमि पट्टे पर मोटल प्रबन्धन को दी।

3.3.2.2 पट्टा समाप्ति के बाद भूमि का पुनः ग्रहण न करना

नमूना जांच से पता चला कि कुल्लू शहर में स्थित 12.2 बीघा सरकारी भूमि 23 व्यक्तियों को दिसम्बर 1965 तथा सितम्बर 1970 के मध्य एक से पांच वर्षों की अवधि हेतु वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने और शैडों के निर्माण के लिए पट्टे पर दी। पट्टे की समाप्ति पर (जुलाई 1969 से सितम्बर 1975 तक) समय वृद्धि की प्रार्थना मण्डलीय आयुक्त कांगड़ा ने अस्वीकृत कर दी और सभी मामलों को फरवरी 1982 तथा मार्च 1998 के मध्य उपमण्डलीय अधिकारी (नागरिक) और तहसीलदार कुल्लू को भूमि खाली करवाने तथा इसका अधिग्रहण करने के लिए प्रेषित किए थे।

पट्टाधारक द्वारा 11.8 बीघा सरकारी भूमि 23 से 29 वर्षों तक अनधिकृत रुप से रखी गई।

लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला (अप्रैल 1998) कि केवल 0.19 बीघा भूमि ही चार व्यक्तियों से खाली करवाई गई थी जबकि 19 व्यक्तियों से 11.3 बीघा भूमि मई 1998 तक खाली नहीं करवाई गई थी। पुनः 0.5 बीघा खाली भूमि नगर समिति कुल्लू, द्वारा अनधिकृत रुप से रोक ली गई। तहसीलदार कुल्लू ने बताया (अप्रैल 1998) कि फील्ड कानूनगो को शेष मामलों में रिपोर्ट करने को कहा जा रहा था और अवैध कब्जे हेतु नगर समिति के प्रति कार्यवाही की जानी थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि 55.73 लाख रु0 मूल्य की 11.8 बीघा सरकारी भूमि को खाली करवाने के लिए विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं की गई थी। बिना किसी भुगतान के पूर्व पट्टाधारकों द्वारा 23 से 29 वर्षों तक सरकारी भूमि को अनधिकृत रुप से अपने पास रखा।

3.3.3 फालतू भूमि का आन्तरण न करना

24 जनवरी 1971 से प्रभावी हिमाचल प्रदेश भू-सीमा जोत अधिनियम 1972 मे प्रावधान है कि नियुक्ति दिवस पर अनुमत क्षेत्र से अधिक भूमि सरकारी होगी। राज्य सरकार को मिली फ़ालतू भूमि का प्रयोग आबण्टन हेतु भूमिहीन व्यक्ति अथवा कोई अन्य पात्र व्यक्ति और अपंग अथवा अपंग गृहरहित व्यक्ति के गृह निर्माण हेतु किया जाना था।

राज्य के विकास को देखते हुए राज्य सरकार को फालतू भूमि का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया था।

इस अधिनियम के अन्तर्गत दिसम्बर 1997 से मार्च 1998 के दौरान कुल्लू, शिमला तथा सोलन जिलों के उपायुक्तों द्वारा सरकार को 27,432 एकड़ भूमि फालतू बताई।

नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला:

(i) उपायुक्त, शिमला द्वारा शिमला जिले में 9,005 एकड़ फालतू घोषित भूमि का मई 1998 तक स्वामित्व नहीं लिया गया था क्योंकि 4,509 एकड़ भूमि झगड़े वाली थी और 4,496 एकड़ भूमि खरीददारों (दावेदर बाई)। अवैध कब्जा करने वाले के अधिकार में थी जिन्होंने सीमा से बचने के लिए इस अधिनियम के शुरु होने के दौरान अथवा पूर्व लेन-देन किया गया था।

उपायुक्त शिमला ने बताया (अप्रैल 1998) कि जिले में बन्दोबस्त कार्य के दौरान खरीददार/अधिक्रमणकर्ता उक्त लेन-देन के आधार पर दावेदार में दर्ज किया गया था और बहुत से मामलों में बन्दोंबस्त विभाग द्वारा अधिक्रमण फाइलें तैयार की गई थी जिसका निर्णय विभाग द्वारा किया जाना था। उसने पुनः बताया कि सभी उपमण्डलीय अधिकारियों (नागरिक) से नवीनतम स्थिति जानने के लिए पूछा गया था और इसे प्राप्त होने पर भेज दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इन खरीददारों/अधिक्रमणकर्ताओं से भूमि को खाली करवाने की कार्यवाही नहीं की गई थी और उन्हें अवैध रुप से 4,496 एकड़ भूमि रखने दी गई।

(ii) हिमाचल प्रदेश काश्तकारी तथा भू-सुधार अधिनियम, 1972 भू-स्वामियों को किराया प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता है जो उसकी भूमि पर काश्तकारों द्वारा लगाई गई फसल के एक चौथाई अथवा उत्पाद मूल्य के एक चौथाई से अधिक न हो।

सोलन जिले में फालतू घोषित 1587 एकड़ भूमि काश्तकारों के अधिकार में थी किन्तु काश्तकारों द्वारा जमीन के प्रयोग हेतु किराए वसूल नहीं किया गया था।

उपायुक्त ने बताया (मई 1998) कि सरकार से अधिनियम के अन्तर्गत फालतू घोषित भूमि पर काश्तकारों से किराये की वसूली हेतु अनुदेश प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अधिनियम में किराया वसूली के लिए प्रावधान है।

3.3.4 सरकारी भूमि पर अधिक्रमण

3.3.4.1 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार राजस्व अधिकारियों को अधिक्रमणकर्ता से उनके द्वारा अनधिकृत रुप से रोकी गई भूमि से बेदखल करने की शक्तियां दी गई हैं। इन प्रावधानों के उल्लघंन से राज्य सरकार ने निर्णय लिया (सितम्बर 1992) कि बन्दोबस्त कार्य के दौरान ध्यान में आये अधिक्रमण मामलों वाले व्यक्तियों को बेदखल नहीं किया जाएगा क्योंकि इस विषय पर सरकार द्वारा नीति नहीं बनाई गई थीं।

चार जिलों में अधिक्रमण की गई 8,082 हैक्टेयर सरकारी भूमि खाली नहीं की गई।

लेखापरीक्षा मे देखा गया कि 8082-30-70 हैक्टेयर सरकारी भूमि से अन्तःग्रस्त अधिक्रमण के 46,151 मामले 1978 तथा 1997 के मध्य 4* जिलों में बन्दोबस्त विभाग द्वारा पहचान किए गए थे। अधिकृत भूमि अभी तक अधिक्रमणकर्ताओं के अधिकार में थी क्योंकि मई 1998 तक विभाग द्वारा उनका बेदखली हेतु अधिनियम के प्रावधान को लागू नहीं किया गया था। बन्दोबस्त अधिकारी, शिमला ने बताया (मई 1998) कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई थी क्योंकि सितम्बर 1992 के पश्चात सरकार से आगे के अनुदेश प्राप्त नहीं हुए थे।

3.3.4.2 इसके अतिरिक्त 31 दिसम्बर 1997 की समाप्ति पर उपायुक्तों द्वारा सरकारी भूमि (क्षेत्र का पता नहीं) पर अधिक्रमण के 1619** मामले सम्बन्धित मण्डलीय आयुक्तों को सूचित किए थे। कुल्लू जिले में विभाग को अधिक्रमण क्षेत्र का पता नहीं था।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का पता चला:

(क)(i) उपायुक्त, कुल्लू ने मण्डलीय आयुक्त, मण्डी को सूचित किया (अप्रैल 1998) कि कुल्लू तहसील में एक वर्ष से ऊपर अधिक्रमण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। तथापि कुल्लू तहसील के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि 16.76 लाख रु0 के अनुमानित मूल्य के 41-9-10 बीघा भूमि के अधिक्रमण के 16 मामले चार से तेरह वर्षों से अधिक अवधि से लम्बित थे। मण्डलीय आयुक्त, मण्डी (मई 1998) को उपायुक्त द्वारा गलत सूचना देने के लिए पूछे गए कारण जून 1998 तक प्रतीक्षित थे।

16.76 लाख रु0 मूल्य के 41-9-10 बीघा भूमि के अधिक्रमण के सोलह मामले 4 से 13 वर्षों से अधिक समय तक लम्बित थे।

---

* बिलासपुर: 2,487 मामले; किन्नौर: 7,251 मामले; शिमला: 36,327 मामले तथा सोलन: 86 मामले

** कुल्लू: 181 मामले; मण्डी: 775 मामले; शिमला: 485 मामले तथा सोलन: 178 मामले

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि तहसीलदार, कुल्लू द्वारा 1985 तथा 1989 के मध्य अधिक्रमण किए गए 4 लाख रु0 मूल्य के 9-11-10 बीघा भूमि के चार मामलों पर कार्रवाई शुरु की गई थी। मई 1990 के पश्चात इन मामलों में नोटिस नहीं भेजे गए थे।

तहसीलदार, कुल्लू ने बताया (अप्रैल 1998) कि इन मामलों की प्रक्रिया अब शुरु की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मामलों की प्रक्रिया समय पर की जानी चाहिए थी। अत: नोटिसों को जारी न करने के कारण अधिक्रमणकर्ताओं को अनुचित लाभ दिया गया।

(ii) उपायुक्त, मण्डी ने मण्डलीय आयुक्त, मण्डी को सूचित किया (दिसम्बर 1997) कि मण्डी तहसील में दो वर्षों से अधिक से लम्बित अधिक्रमण का मामला नहीं था।

नमूना जांच से पता चला कि 8-19-07 बीघा भूमि के बारह अधिक्रमण मामले चार से आठ वर्षों से लम्बित थे।

उपायुक्त ने बताया (सितम्बर 1998) कि मामले की तहसीलदार, मण्डी से पूछताछ की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जांच पश्चात् दिसम्बर 1997 में सही स्थिति नहीं बताई गई थी।

(ख) सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग उप-मण्डल तथा नायब तहसीलदार, बन्दोबस्त रामपुर ने तहसीलदार, कुमारसेन को अगस्त 1988 और दिसम्बर 1990 के मध्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 पर 1-59-14 हैक्टेयर भूमि के अधिक्रमण के 25 मामले सूचित किए। इन सभी 25 मामलों को तहसीलदार, कुमारसेन द्वारा जून 1989 को सितम्बर 1991 के मध्य अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल, रामपुर को स्थानान्तरित किए क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं को लोक परिसर (बेदखली तथा किराया वसूली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत समाहर्ता की शक्तियां प्रयोग करने के लिए अधिकार दिया था (फरवरी 1989)। अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डल ने समाहर्ता की हैसियत से दो से चार वर्षों से अधिक की समाप्ति पश्चात अगस्त-सितम्बर 1993 में अधिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किए। इसी समय सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, उपमण्डल द्वारा मार्च 1989 तथा जून 1993 के मध्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग- 22 पर 1-13-80 हैक्टेयर क्षेत्र पर अधिक्रमण के 15 और मामले अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल, रामपुर को भी सूचित किए।

अधिशासी अभियन्ताओं की शक्तियां अक्तूबर 1993 में वापिस ले ली गई और 28 महीनों की समाप्ति पश्चात् सभी 40 मामले समाहर्ता, रामपुर को स्थानान्तरित (फरवरी 1996) कर दिए थे। समाहर्ता ने इन मामलों की प्राप्ति के 26 महीनों पश्चात् अप्रैल 1998 में अधिक्रमणकर्ताओं को नये नोटिस भेजे और अन्तिम सूचना मई 1998 तक प्रतीक्षित थी। उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), रामपुर ने बताया (अप्रैल् 1998) कि विलम्ब का कारण कार्य की अधिकता तथा स्टाफ की कमी था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नोटिस विलम्ब से भेजने के कारण अधिक्रमणकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

3.3.4.3 बेदखली आदेशों/वारण्टों को तामिल न करना

(i) 1.53 करोड़ रु0 मूल्य के 1000-18-8 बीघा सरकारी भूमि के 1968-69 और 1997-98 के मध्य आठ* तहसीलों में अधिक्रमण के 689** मामलों में बेदखली आदेश के निष्पादन अप्रैल-मई 1998 तक छः महीनों से 29 वर्षों तक लम्बित थे। तहसीलदारों ने बताया (अप्रैल-मई 1998) कि बेदखली के वारण्ट फिल्ड स्टॉफ के पास लम्बित थे जिन्हें इनके शीघ्र निपटान के लिए कहा गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि तहसीलदारों को बेदखली आदेशों के शीघ्र निष्पादन की सुनिश्चितता बनानी चाहिए थी।

689 अधिक्रमण के मामलों में बेदखली आदेशों का निष्पादन नहीं किया गया।

अतः बेदखली आदेशों के तामिल न करवाने से अधिक्रमणकर्ताओं द्वारा अनधिकृत रुप से भूमि ली गई।

(ii) 4.50 लाख रु0 मूल्य की 1406 बीघा सरकारी भूमि के 35 मामलों (कोटखाई : 30 तथा ठियोग: 5) में बेदखली आदेश मार्च 1981 तथा सितमबर 1995 के मध्य तहसीलदारों द्वारा जारी किए गए थे। बेदखली हेतु वारण्टों को जारी करने में विलम्ब 1 तथा 17 वर्षों के मध्य रहा। तहसीलदार, कोटखाई ने बताया (अप्रैल 1998) कि विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के लिए कार्यवाही का मामला प्रक्रियाधीन था। तहसीलदार, ठियोग ने बताया कि एक मामले में विलम्ब न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण था और शेष चार मामलों में कसूरवार कर्मचारियों के प्रति कार्यवाही की जानी थी।

4.50 लाख रु0 मूल्य की 1406 बीघा सरकारी भूमि के बेदखली वारण्टों को जारी करने में 1 वर्ष से 17 वर्षों के मध्य का विलम्ब हुआ।

(iii) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), रामपुर ने ननखड़ी में सितम्बर 1996 से अप्रैल 1997 के मध्य 0-94-59 हैक्टेयर वन भूमि के 106 अधिक्रमण मामलों में बेदखली आदेश निकाले और बेदखली वारण्ट जारी किए। इन वारण्टों की तामिल अप्रैल 1998 तक नहीं की गई थी। उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), रामपुर ने बताया (अप्रैल 1998) कि वारण्ट तामिल न होने के कारण अलग से सूचित किए जाएगें। कारणों को जून 1998 तक सूचित नहीं किया गया था।

---

* कुल्लू: 91; कोटखाई: 110; कुमारसेन: 14; मण्डी: 156; शिमला (ग्रामीण): 241; शिमला (शहरी): 31; सोलन: 30 तथा ठियोग: 16

** 29 वर्षों से ऊपर: 1 मामला; 16 से 20 वर्ष: 6 मामले; 11 से 15 वर्ष: 79 मामले; 6 से 10 वर्ष: 199 मामले; 3 से 5 वर्ष: 228 मामले और 3 वर्षों से कम 176 मामले

3.3.5 गलत अधिक्रमण के कारण सरकारी भूमि की हानि

कुल्लू जिले में मनाली के निवासी ने कुल्लू के सिनियर सब जज के न्यायालय में इस घोषणा हेतु केस दायर किया (अप्रैल 1989) कि भूमि पर विपरीत अधिकार के जरिए मनाली में नसोगी में 2-14 बीघा सरकारी भूमि का मालिक बन गया था और मामले की भूमि 40 वर्षों से अधिक से उसके निरन्तर अधिकार में थी। उसने यह भी दावित किया कि उसने भूमि पर 1955 से सेब का बगीचा लगाया हुआ था और उसे 1972-73 वर्ष के राजस्व अभिलेखों में भू-स्वामी दर्शाया गया था। न्यायालय ने आदेश दिया (जुलाई 1990) कि वह गलत अधिकार के जरिए भू-स्वामी बन गया था। विभाग द्वारा दायर अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुल्लू द्वारा खारिज (अगस्त 1994) कर दी गई और सम्बन्धित भूमि को मार्च 1995 में दावेदार के नाम स्थानान्तरित कर दिया गया था।

तहसीलदार, कुल्लू ने बताया (अप्रैल 1998) कि मामले को देखा जाएगा और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राजस्व अभिलेखों में भूमि के अनधिकृत अधिकार हेतु तथा दावाकर्ता का गलत नाम दशनि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए था।

40 वर्षों तक सरकारी भूमि के अधिक्रमण हेतु विभाग की प्रक्रिया शुरु करने में विफलता के कारण 25 लाख रु0 मूल्य की सरकारी भूमि की हानि हुई।

3.3.6 आबण्टित भूमि का अधिग्रहण

ऊना तहसील में 1976-88 के दौरान 10 भूमिहीन तथा 12 अन्य योग्य व्यक्तियों को छः हैक्टेयर भूमि आबण्टित की गई थी। इसमें से 3.87.77 हैक्टेयर भूमि रेलवे लाइन बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी हमीरपुर द्वारा अधिगृहीत की गई थी। भूमि अधिग्रहण अधिकारी, हमीरपुर द्वारा आवण्टितियों को 1986-90 के बीच 18.26 लाख रु0 का मुआवजा दिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ऊना तहसील में आवण्टनीय पूल में 135 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध थी जिसमें से इन आवण्टितियों को विनिमय में भूमि आवण्टित की जा सकती थी। आवण्टनीय पूल से बदले में भूमि आबण्टन करने की बजाय लाभग्राहियों को 18.26 लाख रु0 का मुआवजा दिया गया था। इसके अतिरिक्त तीन व्यक्ति भूमिहीन हो गए क्योंकि उनको मूलरुपेण आवण्टित समस्त भूमि अधिगृहीत की गई थी।

उपायुक्त, ऊना ने बताया (मई 1998) कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी, हमीरपुर ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 तथा 6 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने से पूर्व उसके कार्यालय को कभी सूचित नहीं किया और इसीलिए उसका कार्यालय भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियों से सचेत नहीं था।

3.3.7 जब्ती आदेशों का अक्रियान्वयन

हिमाचल प्रदेश भूम्यधिकार तथा भूमि सुधार अधिनियम राज्य में ऐसे व्यक्ति द्वारा भूमि क्रय को निषिद्ध करता है जो कृषक न हो और इस प्रावधान के उल्लघंन की सूरत में भूमि संरचना/अधिरचना सहित राज्य सरकार में निहित होगी।

नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि इस अधिनियम का उल्लघंन करने के लिए उपायुक्त, सोलन ने कसौली पटवार वृत्त के अन्तर्गत धार ग्राम में समस्त ऋणग्रस्तताओं से मुक्त संरचना/अधिरचना समेत 10 विस्वा भूमि को सरकार में निहित किए जाने के आदेश दिए थे (अक्तूबर 1995)। इन आदेशों के विरुद्ध अपील को भी मण्डलायुक्त शिमला ने मार्च 1996 में खारिज कर दिया था। तथापि संरचना/अधिरचना सहित भूमि मई 1998 तक सरकार में निहित नहीं की गई थी। तहसीलदार, कसौली ने बताया (मई 1998) कि इस मामले में निष्कासनार्थ कोई भी आदेश/आज्ञापत्र उसने प्राप्त नहीं किया था। उपायुक्त ने मामले की फाइल लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की थी क्योंकि वह सहज अनुसरणीय नहीं थी।

3.3.8 आबण्टित भूमि का निरस्तीकरण

मण्डी जिले में 10 भूमिहीन तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को अगस्त 1975 तथा जुलाई 1982 के बीच किए गए 32-16-6 बीघा के भूमि आबण्टन को उपायुक्त, मण्डी ने मार्च 1993 तथा सितम्बर 1993 के बीच निरस्त कर दिया था। उपायुक्त ने बताया (सितम्बर 1998) कि विभाग द्वारा इस भूमि को कब्जे में लिए जाने से सम्बद्ध सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं थी। यह उत्तर समर्थनीय नहीं था क्योंकि आबण्टन के निरस्तीकरण की अनुवर्ती कार्रवाई पांच वर्षों की समाप्ति के पश्चात् भी सुनिश्चित नहीं की गई थी।

3.3.9 औद्योगिक क्षेत्र के स्थापनार्थ भूमि हस्तांतरण न करना

राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के स्थापनार्थ कुल्लू जिले में ग्राम कोठी सैरी पर स्थित 63-5 बीघे सरकारी भूमि के उद्योग विभाग को हस्तान्तरित करने की संस्वीकृति दी (जुलाई 1989)। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उद्योग विभाग को भूमि हस्तान्तरण हेतु अप्रैल 1998 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

कुल्लू जिले में औद्योगिक क्षेत्र के स्थापनार्थ सरकारी भूमि उद्योग विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गई।

यद्यपि भूमि के हस्तान्तरण के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे परन्तु उपायुक्त, कुल्लू ने बताया (अप्रैल 1998) कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार, कुल्लू से अनुरोध किया जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भूमि हस्तान्तरण हेतु उपायुक्त द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

इस प्रकार राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई न करने के कारण प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक भूमि लगभग एक दशक तक हस्तान्तरित नहीं की गई थी।

3.3.10 सरकारी भूमि के अभिलेख न रखना

हिमाचल प्रदेश सरकार पट्टा नियमावली में यह प्रावधान है कि जिला कलक्टरी में निर्धारित फार्म में सरकारी भूमि का रजिस्टर रखा जाना चाहिए तथा सरकारी भूमि की एक सूची प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को प्रेषित की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नमूना जांच की गई जिला कलक्टरियों में से किसी में भी ऐसा रजिस्टर नहीं रखा गया था। इन जिलों में सरकारी भूमि के क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाले विवरण भी उपलब्ध नहीं थे।

नमूना जांच की गई जिला कलक्टरियों द्वारा सरकारी भूमि के निर्धारित रजिस्टर नहीं बनाये गये थे।

उपायुक्तों ने बताया (अप्रैल-मई 1998) कि रजिस्टर क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना प्राप्ति के पश्चात बनाये जाएगें। उत्तर समर्थनीय नहीं था क्योंकि यथाअपेक्षित रजिस्टर बनाया जाना चाहिए था।

ये तथ्य सरकार को जुलाई 1998 में सन्दर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

3.4 विकास में जन सहयोग की निधियों पर ब्याज की हानि

विकेन्द्रीकृत विकास की प्रक्रिया में लोगों को प्रभावशाली ढंग से सम्मिलित करने हेतु सरकार ने वर्तमान कार्यक्रमों में संशोधन, जहां अपेक्षित थे, करने के पश्चात् विकास में जन सहयोग एक नए कार्यक्रम का आरम्भ किया (जनवरी 1993)। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास कार्यों की निर्माण लागत ग्रामीण क्षेत्रों में 30:70 तथा शहरी क्षेत्रों में 50:50 के अनुपात में जनता तथा सरकार द्वारा वहन की जानी थी। निर्माण लागत का 10 प्रतिशत विकास में जन सहयोग के अधीन सृजित की जाने वाली परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण कोष के रुप में प्रावधित किया गया था। उपायुक्तों द्वारा अनुरक्षण कोष का प्रबन्ध किया जाना था। सरकार ने अनुदेश जारी किए (जुलाई 1995) कि इस कोष निधि में से किसी भी धन का प्रयोग परिसम्पत्ति की पूर्णता तिथि के दो वर्षों के भीतर नहीं किया जाना चाहिए तथा इस अवधि के दौरान निधि का निवेश लघु बचतों में इस प्रकार किया जाना था जो ब्याज के रुप में उत्तम आय प्रदान कर सके तथा इस प्रकार अर्जित आय का प्रयोग सामान्य अनुरक्षण के लिए किया जा सके।

उपायुक्तों द्वारा लघु बचत प्रपत्रों में कोष निधियों का निवेश न करना 18.43 लाख रु0 के ब्याज हानि में परिणत हुआ।

जून तथा नवम्बर 1997 के बीच शिमला, सोलन तथा ऊना के उपायुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्न तथ्य उद्घाटित किए:

(क) उपायुक्त, सोलन ने अनुरक्षण कोष के रुप में 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान 49.11 लाख रु० प्राप्त किए। इनमें से 0.35 लाख रु० कार्यानुरक्षण के लिए प्रदान किए गए थे, 15 लाख रु० का निवेश सावधि निक्षेपों में किया गया था तथा 33.76 लाख रु० मूल कार्यों के निर्माणार्थ आवर्ती निधि के रुप में बचत बैंक खातें में रखे गए थे। इस बचत बैंक लेखे पर जुलाई 1997 तक 1.20 लाख रु० का ब्याज अर्जित हुआ था। यदि इस राशि (33.76 लाख रु०) का निवेश भी सावधि निक्षेपों में किया गया होता तो ब्याज के रुप में 4.75 लाख रु० (लगभग) अर्जित किए जा सकते थे। इस प्रकार अनुरक्षण कोष को लघु बचत प्रपत्रों में निवेश न करने तथा इसे आवर्ती निधि बनाने के कारण यह अगस्त 1997 तक 3.55 लाख रु० (लगभग) की ब्याज हानि में परिणत हुआ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए गए जाने पर मूल कार्यों के निर्माणार्थ आदित: व्यपवर्तित 33.76 लाख रु० की समग्र राशि प्रतिपूरित की गई थी (अगस्त 1998) तथा सावधि निक्षेपों में उसका निवेश किया गया था।

जिला योजना अधिकारी, सोलन ने बताया (अगस्त 1997) कि विकास में जन सहयोग के अधीन पर्याप्त निधियों की अप्राप्ति के कारण शीर्षान्तर्गत अतिलम्बमानता को समान करने हेतु अनुरक्षण राशि का निवेश विकास कार्यों के लिए किया गया था। यह उत्तर समर्थनीय नहीं था। क्योंकि निर्माणकार्यों के लिए कोष निधियों का प्रयोग नहीं किया जाना था तथा उनका निवेश लघु बचत प्रपत्रों में किया जाना था ताकि वे ब्याज के रुप में उत्तम आय दे सके।

(ख) इसी प्रकार शिमला तथा ऊना के उपायुक्तों ने अनुरक्षण कोष के अन्तर्गत 1994-95 तथा 1996-97 के बीच 84.66 लाख रु०* प्राप्त किए और इन्हें लघु बचत प्रपत्रों में निवेशित करने की बजाय बचत बैंक खातों में रखा। लघु बचत प्रपत्रों में निवेश की तुलना में निम्नतर दर पर बचत बैंक खातों में निधियों का निवेश 14.88 लाख रु० (लगभग) (शिमला: 9.87 लाख रु० तथा ऊना: 5.01 लाख रु०) की ब्याज हानि में परिणत हुआ।

इस प्रकार उपरोक्त सभी मामलों में जनवरी 1998 तक ब्याज हानि 18.43 लाख रु० थी।

मामला सरकार को मई 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

---

* शिमला: 1994-95: 22.73 लाख रु०; 1995-96: 29.32 लाख रु० तथा ऊना: 1994-95: 18.06 लाख रु०; 1995-96: 9.57 लाख रु० तथा 1996-97: 4.98 लाख रु०

3.5 विकास कार्यों की निधियों का अवरोधन

वित्तीय नियमों में यह प्रावधान है कि कोषागार से कोई भी धन राशि आहृत नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उसकी आवश्यकता तत्काल संवितरण अथवा किसी स्थायी अग्रिम में से संवितरित निधियों की प्रतिपूर्ति के लिए नहीं है। उन कार्यों के निष्पादनार्थ कोषागार से अग्रिम आहृत करना भी अनुमत नहीं है जिनकी पूर्णता में संभवत: पर्याप्त समय लगना है।

45 कार्यों को निष्पादन करने में निष्पादन अभिकरणों की विफलता के परिणामस्वरुप शिमला जिले में जनता को उद्दिष्ट लाभ अस्वीकृत किए गए तथा इसके अतिरिक्त 27.51 लाख रु0 की निधियों का अवरोधन हुआ।

उपायुक्त शिमला के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया (अगस्त 1997) कि विकास में जन सहयोग, स्थानीय जिला योजना आदि जैसी स्कीमों के अन्तर्गत 1982-83 से 1996-97 के दौरान 27.51 लाख रु0 की निधियों का आहरण किया गया था तथा 45 कार्यों* के निर्माणार्थ जिला के निष्पादन अभिकरणों को इनका प्रेषण किया गया था।

ये कार्य उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें निधियां उपलब्ध कराई गई थीं अथवा संस्वीकृति तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किए जाने निश्चित थे। 45 कार्यों में से 17 कार्य भूमि चयन न करने, पटवारियों द्वारा कार्यारम्भ न करने आदि के कारण शुरु नहीं किए गए थे जबकि शेष 28 कार्यों को आरम्भ न करने के कारण अभिलिखित नहीं थे। 45 कार्यों के निष्पादनार्थ निधियां बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी थी।

जिला योजना अधिकारी ने बताया (जुलाई 1997) कि निष्पादन अभिकरणों से चल रहे कार्यों को पूर्ण करने का अनुरोध किया जा रहा था।

इस प्रकार इन कार्यों को निष्पादित करने में सम्बद्ध अभिकरणों की विफलता 27.51 लाख रु0 की निधियों के अवरोधन के अतिरिक्त जनता को उद्दिष्ट लाभों की अस्वीकृति में परिणत हुई।

मामला सरकार को मई 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

---

* 9.61 लाख रु0 की लागत वाले 22 कार्य खण्ड विकास अधिकारी, छोहारा, चौपाल तथा ठियोग द्वारा निष्पादित किए जाने; 5.94 लाख रु0 की लागत वाले 6 कार्य अधिशासी अभियन्ताओं, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल, रामपुर तथा भवन एवं सड़क मण्डल, रोहडू द्वारा निष्पादित किए जाने तथा 11.96 लाख रु0 की लागत वाले 17 कार्य तहसीलदारों द्वारा निष्पादित किए जाने।

3.6 उपायुक्त, हमीरपुर के कार्यालय में सरकारी निधियों का गबन

31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार पर भारत के नियंत्रक-महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में विभिन्न उपायुक्त कार्यालयों के वित्तीय प्रबन्ध में त्रुटियों को इंगित करते हुए परिच्छेद 3.4 में उपर्युक्त का वर्णन भी किया गया था। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन अभी तक चर्चित नहीं किया गया था।

इसी दौरान उपायुक्त, हमीरपुर की मार्च 1988 से अक्तूबर 1997 तक की अवधि की रोकड़ पुस्तक की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने लोक निधियों के गबन के निम्नलिखित मामले उद्घाटित किए (दिसम्बर 1997):

(i) उपायुक्त ने अहमदनगर पद्धति स्कीम से सम्बद्ध बैंक खातें से 25,420 रु० की समग्र राशि आहरणार्थ जिला नाजिर के नाम चार चैक जारी किए (मई 1990-नवम्बर 1996) परन्तु जिला नाजिर ने इन चैकों में प्रक्षेप करके धोखे से 1,85,420 रु० का आहरण किया। इसमें से उसने केवल 23,420 रु० ही रोकड़ पुस्तक में लेखाबद्ध किए तथा 1,62,000 रु० की शेष राशि को लेखाबद्ध नहीं किया और इस प्रकार उसके द्वारा निम्नतालिका में दिए अनुसार गबन किया गया:

चैक की संख्या तथा तिथि	प्राधिकृत राशि	वस्तुत: आहृत राशि (रुपयों में)	रोकड़ पुस्तक में दर्ज की गई राशि	गबन की गई राशि
647735 दि० 3.5.1990	7,020	47,020	7,020	40,000
214776 दि० 20.1.1994	8,400	58,400	8,400	50,000
217236 दि० 12.5.1994	8,000	48,000	8,000	40,000
206815 दि० 23.11.1996	2,000	32,000	--	32,000
जोड़	**25,420**	**1,85,420**	**23,420**	**1,62,000**

उपायुक्त ने पुष्ट किया (जनवरी 1998) कि 1,62,000 रु० की राशि रोकड़ पुस्तक में दर्ज नहीं की गई थी। मामले की छानबीन जून 1998 तक नहीं की गई थी।

(ii) उपायुक्त ने नवम्बर 1992 तथा जनवरी 1997 के बीच जिला नाजिर के नाम 7,66,100 रु० के 12 चैक जारी किए थे परन्तु यह राशि अक्तूबर 1998 तक रोकड़ पुस्तक में लेखाबद्ध नहीं की गई थी यद्यपि यह अहमदनगर पद्धति स्कीम के नामे डाली गई थी। उपायुक्त ने बताया (अक्तूबर 1998) कि मामला छानबीन के अधीन था।

अन्य अनियमितताएं

(i) उपायुक्त ने अहमदनगर पद्धति स्कीम के अन्तर्गत 1987-88 तथा 1996-97 के बीच 33.18 लाख रु0 की समग्र राशि सार बिलों में आहृत की तथा इस राशि को बचत बैंक खातें में पश्चातवर्ती प्रयुक्ति हेतु जमा कर दिया। यह राज्य वित्तीय नियमों में समाविष्ट किसी सामान्य अथवा विशेष प्रावधान पर आधारित नहीं था।

(ii) अहमदनगर पद्धति स्कीम की रोकड़ पुस्तक की नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि 25.22 लाख रु0 के क्रय मार्च 1988 तथा दिसम्बर 1997 के बीच किए गए थे। इनमें से केवल 17.30 लाख रु0 के समर्थनकारी वाउचर ही लेखापरीक्षा के सत्यापनार्थ प्रस्तुत किए गए थे। 7.92 लाख रु0 की राशि के न तो वाउचर तथा न ही वास्तविक प्राप्तकर्ताओं की रसीदें उपलब्ध कराई गई थीं। वाउचरों तथा वास्तविक प्राप्तकर्ताओं की रसीदों की अनुपस्थिति में भुगतानों की प्रमाणिकता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

उपायुक्त ने बताया (जनवरी 1998) कि उपलब्ध वाउचर लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। उपायुक्त ने यह भी बताया (जून 1998) कि वाउचरों का पता लगाया जा रहा था तथा उचित स्थिति समाधान के पश्चात सूचित की जाएगी। उपायुक्त का उत्तर कार्यालय में वित्तीय कुप्रबन्ध तथा नियंत्रण में कमी का द्योतक था।

उपायुक्त द्वारा रखी गई रोकड़ पुस्तक की संवीक्षा ने निम्नलिखित त्रुटियों को प्रदर्शित किया:

(iii) फर्नीचर, फोटो कॉपीयर, इण्टरकौम सिस्टम तथा भण्डार वस्तुओं के क्रय/लघु निर्माणकार्यों आदि के कारण भुगतानार्थ रोकड़ पुस्तक में 19.23 लाख रु0 के भुगतानों के सम्बन्ध में की गईं प्रविष्टियां आहरण तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा रोकड़ पुस्तक हस्ताक्षरित करते समय सत्यापित, यथापेक्षित, नहीं की गई थी।

(iv) रोकड़ पुस्तक में बहुत काटछांट थी जो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सत्यापित, यथा अपेक्षित, नहीं की गई थी।

(v) 50 मासों के अन्तिम रोकड़ शेषों के ब्यौरे न तो दिनान्त में और न ही मासान्त में संगणित, यथापेक्षित, किए गए थे।

(vi) उपलब्ध रोकड़, अन्य बहुमूल्य वस्तुओं आदि का प्रभार 43 अवसरों पर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तथा दो अवसरों पर रोकड़िये द्वारा छुट्टी पर जाते समय अथवा पूर्व कर्मचारी के स्थानान्तरण पर नहीं सौंपा गया/संभाला गया था।

(vii) बचत बैंक खाता एकलरूपेण उपायुक्त द्वारा संचालित किया गया था परन्तु रोकड़ पुस्तक की प्रविष्टियां उपायुक्त के सहायक आयुक्त द्वारा सत्यापित की गई थीं। इस प्रकार संवितरण अधिकारी आहरण अधिकारी से भिन्न था।

(viii) 4.66 लाख रु0 के चैक सितम्बर 1990 तथा नवम्बर 1996 के बीच जारी किए गए थे परन्तु उनके प्रति कोई राशि आहृत नहीं की गई थी। ये चैक न तो रद्द और न ही नष्ट, नियमाधीन यथापेक्षित, किए गए थे तथा चैक बुकों में पड़े हुए थे।

इस प्रकार संहिता सम्बन्धी प्रावधानों के अननुपालन ने 9.28 लाख रु0 के सन्दिग्ध गबन को तथा ऊपर विवरणित अन्य अनियमितताओं के घटित होने को सुगम बना दिया।

मामला सरकार को मई 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

सामान्य प्रशासन विभाग

3.7 हैलीकॉप्टर की प्रयुक्ति

राज्य सरकार ने आपातकालीन निष्क्रमण, विकास क्रियाकलापों पर निगरानी हेतु अति महत्वपूर्ण व्यक्ति की उड़ानों, कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में प्रयोग तथा शीत ऋतु में जनजातीय क्षेत्रों को कूरियर उड़ानों आदि जैसी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु एक हैलीकॉप्टर को किराये पर लेने के लिए एक निजी अभिकरण के साथ पट्टानुबन्ध किया (सितम्बर 1995)। पट्टावधि दो वर्ष थी जो हैलीकॉप्टर की अवस्थिति की तिथि से संगणित की जानी थी। हैलीकॉप्टर अभिकरण द्वारा 4 जनवरी को अवस्थित किया गया था। इस प्रकार पट्टानुबन्ध की अवधि 4 जनवरी 1996 से 3 जनवरी 1998 तक थी।

हैलीकॉप्टर के क्रय तथा प्रयुक्ति पर परिहार्य व्यय से सम्बद्ध 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के परिच्छेद 3.13 में यह वर्णन किया गया था। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर चर्चा अभी तक नहीं की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्न तथ्य उद्घाटित किए (मार्च 1998)।

(क) पट्टानुबन्ध के अनुसार अभिकरण ने अनुबन्धावधि के दौरान 1200 घण्टों के लिए तथा 600 घण्टे प्रतिवर्ष तक परिचालनात्मक प्रयोग हेतु हैलीकॉप्टर उपलब्ध कराना था। इसके अतिरिक्त हैलीकॉप्टर इस अनुबन्धावधि के दौरान एक मास में लगभग 50 उड़ान घण्टों के लिए उपलब्ध कराना था। अभिकरण को भुगतान मासिक आधार पर 50 घण्टों के लिए 90,000

156 अप्रयुक्त घण्टों के लिए अभिकरण को 1.40 करोड़ रु0 का भुगतान किया गया था हालांकि हैलीकाप्टर राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया था।

रु0 प्रति घण्टे की दर से अर्थात् 45 लाख रु0 प्रतिमास करना था। मूल पट्टावधि अभी परिचालन में ही थी जब सरकार ने अभिकरण के साथ अनुपूरक पट्टानुबन्ध कर लिया (नवम्बर 1997) जिसके माध्यम से आरम्भिक पट्टानुबन्ध की शर्तें 4 मास अर्थात् 3 मई 1998 तक 200 उड़ान घण्टों की प्रयुक्ति और बढ़ा दी गई तथा 3 जनवरी 1998 तक अधोप्रयुक्त उड़ान घण्टों के स्पिल ओवर का अधिकार भी प्राप्त किया।

यह पाया गया कि हैलीकॉप्टर समग्र संविदावधि के दौरान 1260 उड़ान घण्टों* के लिए उपलब्ध कराया गया था तथा अभिकरण 27 फरवरी 1998 को हैलीकॉप्टर उड़ाकर वापस ले गया। इसमें से सरकार केवल 1,104 उड़ान घण्टों के लिए ही हैलीकॉप्टर प्रयोग में ला सकी। तथापि 1260 घण्टों के लिए 11.34 करोड़ रु0 का भुगतान किया गया था जिसमें 156 अप्रयुक्त घण्टों के लिए 1.40 करोड़ रु0 का भुगतान भी सम्मिलित था। सरकार ने बताया (अक्तूबर 1998) कि अभिकरण ने फरवरी 1998 के पश्चात् हैलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया था तथा इन अप्रयुक्त उड़ान घण्टों को प्रयुक्त करने का प्रश्न ही नहीं था। यह उत्तर असंगत था क्योंकि अप्रयुक्त उड़ान घण्टों के लिए 1.40 करोड़ रु0 का अतिरिक्त भुगतान किया गया था और इसलिए वसूलीयोग्य था।

27 फरवरी 1998 को इंजन ओवर हालिंग के लिए हैलीकॉप्टर को उड़ाकर वापस लाने के पश्चात् अभिकरण ने 28 मार्च 1998 को वचनबद्धता दी जो अन्य अनुपूरक अनुबन्ध का भाग बन गई (अप्रैल 1998) जिसमें यह प्रावधान था कि उसमें दिए गए मापदण्डों के अनुसार उसके हैलीकॉप्टर की अनुपस्थिति में भारतीय वायु सेना के हैलीकॉप्टर के किराया प्रभार अभिकरण द्वारा चुकता किए जाएंगे। चूंकि अभिकरण अपने हैलीकॉप्टर को 27 फरवरी 1998 के पश्चात् अवस्थित करने में विफल था अतः सरकार ने वैसे ही हैलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना/पवन हंस लिये तथा 1.77 करोड़ रु0 का भुगतान किया (भारतीय वायु सेना: 49.05 उड़ान घण्टों के लिए 1.59 करोड़ रु0 तथा पवन हंस: 66.20 उड़ान घण्टों के लिए 18.04 लाख रु0)। यद्यपि इस व्यय की प्रतिपूर्ति के बिल अभिकरण को प्रस्तुत किए गए थे परन्तु उसने अभी तक इनका निपटान नहीं किया था। सरकार ने बताया (अक्तूबर 1998) कि सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए अभिकरण द्वारा प्रभारों को चुकता करने से सम्बद्ध मामला अभिकरण के साथ उठाया गया था (सितम्बर 1998) परन्तु अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित था (अक्तूबर 1998)।

वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए भारतीय वायु सेना/पवन हंस को दिए गए 1.77 करोड़ रु0 की वसूली अभिकरण से नहीं की गई थी।

* अक्तूबर-नवम्बर 1996 के 40 उड़ान घण्टों को छोड़कर जिस अवधि के दौरान हैलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा इस अवधि के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था।

(ख)(i) अनुबन्ध में यह प्रावधान था कि अभिकरण पब्लिशड एअर वर्दीनैस स्टैंडर्ड के अनुसार हैलीकॉप्टर की ठीक से मरम्मत, रख रखाव, ओवरहॉल तथा सर्विस करेगा और इस प्रयोजनार्थ हवाई अड्डे में पर्याप्त अतिरिक्त कलपुर्जे तथा औजार रखेगा। यह भी प्रावधित था कि कम्पनी प्रतिमास तीन दिनों की दर से हैलीकॉप्टर को अनुरक्षणार्थ उड़ान से रोक सकती थी परन्तु एक समय में लगातार पांच दिनों से अधिक ऐसा नहीं कर सकती था। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान था कि यदि हैलीकॉप्टर को विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक दिनों के लिए खड़ा रखा जाता था तो यह सरकार के विवेक पर निर्भर होना था कि वह खड़े करने के अधिक दिनों के लिए आनुपातिक आधार पर उड़ान घण्टों के प्रभारों को कम करती।

सरकार ने हैलीकॉप्टर के सम्बन्ध में अभिकरण को 8.87 लाख रु0 का अस्वीकार्य भुगतान किया।

अभिलेखों की संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि हैलीकॉप्टर ने 5 अक्तूबर 1996 तथा 8 नवम्बर 1996 के बीच कोई उड़ान नहीं भरी परन्तु सरकार ने पांच दिवसों (5 अक्तूबर से 9 अक्तूबर 1996) के लिए 7.38 लाख रु0 के उड़ान प्रभारों का भुगतान किया। हैलीकॉप्टर को अभिकरण के दोष के कारण भूमि पर उतारा गया क्योंकि उसने औजारों का गलत परेषण प्राप्त किया। सरकार ने बताया (जनवरी 1998) कि हैलीकॉप्टर 9 अक्तूबर 1996 तक उड़ान के लिए उपलब्ध था तथा 10 अक्तूबर 1996 से 8 नवम्बर 1996 तक तकनीकी दोष के कारण उसे भूमि पर उतारा गया। तथापि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह इंगित होता था कि हैलीकॉप्टर ने 5 अक्तूबर 1996 से 9 अक्तूबर 1996 के बीच कोई उड़ान नहीं भरी जिसके लिए 7.38 लाख रु0 का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने हैलीकॉप्टर को भूमि पर उतारने के विषय में विभाग को पहले से सूचित नहीं किया था जैसा कि अनुबन्ध में प्रावधित था।

(ii) राज्य सरकार ने 6-9 नवम्बर 1996 के दौरान वैकल्पिक हैलीकॉप्टर के प्रयोगार्थ अभिकरण को 1.49 लाख रु0 का भुगतान किया (जनवरी 1997) जबकि 45 लाख रु0 प्रतिमास की दर से 6 लाख रु0 के मासिक न्यूनतम प्रभार अभिकरण को पहले ही दिए जा चुके थे (दिसम्बर 1996)।

सरकार ने बताया (जनवरी 1998) कि किसी भी कानूनी अन्तःग्रस्तता को दूर करने हेतु प्रत्येक स्थिति में अनुबंध के सम्बद्ध खण्डों के आधार पर सभी भुगतान कम्पनी को किए गए थे। उत्तर समर्थनकारी नहीं था चूंकि अनुबन्ध में यह निश्चित था कि अभिकरण ने उसी प्रकार की विनिर्दिष्टता के किसी भी वैकल्पिक हैलीकॉप्टर के लिए अपने खर्चे पर व्यवस्था करनी थी। इसलिए भुगतान अनुबन्ध से आवृत्त नहीं था।

इस प्रकार अनुबन्ध के सम्बद्ध खण्डों की उपेक्षा करके अभिकरण को 1.49 लाख रु0 अस्वीकार्य भुगतान किया गया था।

(ग) भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए (अप्रैल 1996) अनुदेशों के अनुसार राज्य लागत पर चालित अथवा किराये पर लिए गए राज्य के स्वामित्व वाले हैलीकॉप्टर (निश्चित पंखों वाला अथवा हैलीकॉप्टर) का प्रयोग सुरक्षा समेत किसी कारण से अनुमत नहीं होगा। इस सम्बन्ध में कोई अपवाद नहीं होने थे। ये अनुदेश चुनाव घोषणा की तिथि से चुनाव की पूर्णता तक लागू रहने थे। भारतीय चुनाव आयोग ने इन अनुदेशों को 16 दिसम्बर 1997 में दोहराया।

चुनाव आयोग के अनुदेशों की अवहेलना करके मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा किराये पर लिए गए हैलीकॉप्टर का प्रयोग 12वीं लोक सभा के चुनाव की घोषणा के पश्चात् किया।

अभिलेखों की नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि राज्य सरकार द्वारा किराये पर लिए गए हैलीकॉप्टर का प्रयोग 15 मार्च 1998 तक पूर्ण किए जाने वाले 12वीं लोकसभा चुनावों की घोषणा के बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 16 दिसम्बर 1997 से 4 जनवरी 1998 के दौरान किया था। इससे भारतीय चुनाव आयोग के अनुदेशों की पालना न करने के कारण हैलीकॉप्टर के प्रयोग पर 50.66 लाख रु0 का अनधिकृत व्यय हुआ।

सरकार ने बताया (जनवरी 1998) कि राज्य के स्वामित्व वाले हैलीकॉप्टर के प्रयोग से सम्बद्ध अनुदेश सामान्य प्रशासन विभाग में 30 दिसम्बर 1997 को प्राप्त हुए थे। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं था चूंकि भारतीय चुनाव आयोग का दिनांक 16 दिसम्बर 1997 का पत्र सचिवालय में 17 दिसम्बर 1997 को प्राप्त हुआ था और हैलीकॉप्टर के प्रयोग पर अनुदेश पहले से ही विद्यमान थे।

इस प्रकार भारतीय चुनाव आयोग के स्थायी अनुदेशों का पालन न करने के परिणामस्वरुप 50.66 लाख रु0 का अनधिकृत व्यय हुआ।

मामला सरकार को जून 1998 में सन्दर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

3.8 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

3.8.1 परिचय

भारत सरकार ने मलेरिया की बीमारी को निम्न स्तर तक घटाने के उद्देश्य से अप्रैल 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का सूत्रपात किया था ताकि बीमारी बड़ी जन स्वास्थ्य समस्या बनने से रुक जाए। कार्यक्रम के उत्साही परिणामों से सरकार राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1958 में उन्मूलन की रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित हुई। इस स्कीम का 1977 में संशोधन किया गया तथा कार्यचालन की संशोधित योजना मलेरिये के प्रभावशाली नियंत्रण तथा उसके कारण मृत्यु के निवारणार्थ आरम्भ की गई।

कार्यक्रम समुद्रतल से 5000 फुट की ऊंचाई से नीचे सभी क्षेत्रों को आवृत्त करता है। 46.19 लाख (1991 जनगणना) की ग्रामीण जनसंख्या वाले बारह जिलों में से दस जिले, किन्नौर, तथा लाहौल व स्पिति को छोड़कर, राज्य में कार्यक्रम के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

1992-98 के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा निदेशक स्वास्थ्य सेवा, आंचलिक मलेरिया अधिकारी, धर्मशाला तथा चार* मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से मार्च-जून 1998 के दौरान की गई थी। समीक्षा के परिणाम आगामी परिच्छेदों में चर्चित किए गए हैं:-

3.8.2 निधि पद्धति

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) से 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (श्रेणी-I) को राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णयानुसार राज्य सरकारों तथा केन्द्र के बीच 50:50 की भागीदारी के आधार पर 1979-80 के दौरान श्रेणी-II केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम बनाया गया था। केन्द्रीय सहायता सामग्री तथा उपस्कर, कीटनाशी-औषधियों तथा देशी रुप से प्राप्त जड़ी बूटियों के व्यय को आवृत्त करती है।

---

* हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन तथा ऊना

1992-98 के मध्य प्राप्त हुई केन्द्रीय सहायता/राज्य के भाग तथा वास्तविक व्यय (योजना) की स्थिति निम्नवत् थी:

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता*	राज्य योजना स्कीम 50:50 आधार के अधीन किया गया व्यय	कुल विभाज्य व्यय	50 प्रतिशत भाग	भारत सरकार को प्रत्यर्पणीय अन्तर
			(लाख रुपए)		
1992-93	111.37	66.32	177.69	88.85	22.53
1993-94	64.75	61.27	126.02	63.01	1.74
1994-95	85.11	51.11	136.22	68.11	17.00
1995-96	142.29	59.34	201.63	100.82	41.48
1996-97	100.62	56.98	157.60	78.80	21.82
1997-98	79.88	70.35	150.23	75.11	4.76
जोड़	584.02	365.37	949.39	474.70	109.33

राज्य सरकार ने भी कार्यक्रम के क्रियान्वयनार्थ अपने संसाधनों (आयोजनेतर) से 1992-98 के दौरान 24.61 करोड़ रु0 खर्च किए।

निम्नलिखित बातें ध्यान में आईं:-

(i) केन्द्रीय सरकार ने 1992-98 की अवधि के बीच अपने 4.75 करोड़ रु0 के भाग के विरुद्ध केन्द्रीय सहायता के रुप में 5.84 करोड़ रु0 का निस्तारण किया। 1.09 करोड़ रु0 की सहायता के अधिक निस्तारण का अगस्त 1998 तक प्रत्यर्पण/समायोजन नहीं किया गया था। उपनिदेशक (मलेरिया) ने बताया (जून 1998) कि भारत सरकार द्वारा वस्तुगत रुप में निस्तारित 1.09 करोड़ रु0 की अधिक केन्द्रीय सहायता का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सका।

मार्च 1998 तक निस्तारित अधिक केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाले 4.55 करोड़ रु0 समायोजित/भारत सरकार को प्रत्यर्पित नहीं किए गए थे।

(ii) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा 1991-92 तक केन्द्रीय सहायता के रुप में दी गई राशि में से अव्ययित शेष राशि का प्रत्यर्पण न करने के कारण राज्य से वसूली योग्य 3.46 करोड़ रु0 का समायोजन/प्रत्यर्पण मई 1998 तक नही किया गया था। उपनिदेशक (मलेरिया) ने बताया (जून 1998) कि भारत सरकार द्वारा 3.46 करोड रु0 के भुगतान योग्य राशि का संगणित आधार ज्ञात नहीं था। 3.46 करोड़ रु0 की प्रत्यर्पणीय राशि से सम्बन्धित स्थिति को भारत सरकार से समाधान करने की आवश्यकता थी।

---

* कीटनाशी तथा मलेरिया विरोधी औषधियों के रुप में

3.8.3 कार्यक्रम क्रियान्वयन

(i) मलेरिये के मामले

1992-97 के दौरान राज्य में मलेरिये के मामलों की जिलावार स्थिति* निम्नवत् थी:-

जिलों का नाम	1992	1993	1994	1995	1996	1997	योग	ग्रस्त मामलों की प्रतिशतता
				(संख्या)				
बिलासपुर	740	396	407	671	791	484	3,489	10
चम्बा	137	35	65	163	450	254	1,104	3
हमीरपुर	333	227	242	444	533	252	2,031	6
कांगड़ा	1,290	832	1,010	2,243	2,404	1,221	9,000	26
कुल्लू	305	209	179	324	231	162	1,410	4
मण्डी	948	566	305	639	729	498	3,685	11
शिमला	226	157	108	229	316	162	1,198	3
सिरमौर	1,914	1,145	342	786	1,654	1,416	7,257	21
सोलन	942	303	213	537	542	331	2,868	8
ऊना	416	192	220	659	699	540	2,726	8
जोड़	7,251	4,062	3,091	6,695	8,349	5,320	34,768	

निम्नलिखित बातें ध्यान में आईं:

इससे यह पता चला कि मलेरिये के मामलों की संख्या 1993 में 4062 से बढ़कर 1996 में 8349 हो गई जो 1997 में घटकर 5320 हो गई। राज्य में कुल मामलों में मलेरिया पोजिटिव की प्रतिशतता कांगड़ा जिले में उच्चतम (26 प्रतिशत) थी तथा सिरमौर में (21 प्रतिशत) की थी।

कांगड़ा जिले में मलेरिया के मामले सबसे अधिक थे।

राज्य में 1992-97 के दौरान पोजीटिव फाल्सीपेरम** मामलों की स्थिति का विश्लेषण यह सूचित करता था कि 47 मामलों का पता लगाया गया था तथा कुल मामलों में पोजीटिव फाल्सीपेरम मामलों की प्रतिशतता भी कांगड़ा (36 प्रतिशत) तथा सिरमौर (19 प्रतिशत) जिलों में उच्चतर थी।

---

* स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा आपूरित

** घातक प्रकार के मामले

(ii) **जनसंख्या व्याप्ति में लक्ष्य तथा उपलब्धियां**

एमपीओ के अन्तर्गत जनसंख्या का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष मलेरिये हेतु प्रेक्षित किया जाना था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने यह उद्घाटित किया कि 1992-97 के दौरान मलेरिया जनसंख्या हेतु प्रेक्षण में प्रतिशतता कमी 24 तथा 57 के बीच थी और 1995-97 के दौरान वार्षिक रक्त परीक्षण प्रतिवेदन की प्रतिशतता 4.86 तथा 4.33 (5 प्रतिशत से कम) के बीच रही जिसे सरकार ने घटिया श्रेणी में रखा था।

3.8.4 कृमिशास्त्रीय कार्य

(i) **प्रभाव्यता परीक्षणों का न करना**

समस्त जिलों में रोगवाहक के तथा रोगवाहन के कीटनाशी प्रतिरोध के ग्रहणशीलता परीक्षण कम से कम वर्ष में एक बार किए जाने अपेक्षित थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि दो जिलों में केवल 1992 के दौरान तथा चार जिलों में 1993 तथा 1994 के दौरान ग्रहणशीलता परीक्षण किए गए थे। 1995-97 के दौरान कोई परीक्षण नहीं किए गए थे क्योंकि नैदानिक मात्राओं के व्याप्तपत्र उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार छिड़काव कार्य डीडीटी को रोगवाहक की ग्रहणशीलता के कृमिशास्त्रीय अध्ययन के बिना ही किए गए थे।

(ii) **कृमिशास्त्रीय दलों द्वारा निरीक्षणों में कमी**

एमपीओ 1977 तथा एमएपी 1995 में ग्रहणशीलता परीक्षणों, रोगवाहक सघनता, पायरीथ्रम छिड़काव संग्रहण, रात्रि पर्यन्त संग्रहण, मच्छरों की चीरफाड़, बायो ऐसे परीक्षणों, आदि के लिए कृमिशास्त्रीय दलों द्वारा प्रत्येक मास चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निरीक्षणों का प्रावधान था। नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया कि 1992-97 के दौरान निरीक्षणों की 288 अपेक्षित संख्या के प्रति 1992 तथा 1997 के दौरान 151 निरीक्षण किए गए थे। परिणामस्वरुप 137 निरीक्षण कम हुए। इस प्रकार दल द्वारा अपेक्षित संख्या में परीक्षण नहीं किए गए थे।

3.8.5 छिड़काव कार्यों में कमी

मलेरिया कार्रवाई कार्यक्रम 1995 तथा एमपीओ-1977 के अनुसार उन चयनित क्षेत्रों में नियमित छिड़काव किया जाना था जिनका संक्रमण काल (अप्रैल से सितम्बर) के दौरान वार्षिक पराश्रयी सूचक 2 तथा उससे अधिक था। एमएपी 1995 के अन्तर्गत मानव कक्षों तथा मिश्रित

कक्षों का छिड़काव किया जाना था परन्तु पशुपालाओं में छिड़काव नहीं किया जाना था।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में आई:

(i) 1992-97 के दौरान कक्षों (मानव कक्ष) के छिड़काव में कमी पहले दौर में 38 तथा 47 प्रतिशत तथा दूसरे दौर में 65 तथा 96 प्रतिशत के बीच थी। इसी प्रकार पशुशालाओं के छिड़काव में कमी पहले दौर में 26 तथा 46 प्रतिशत और दूसरे दौर में 1992=96 के दौरान 63 तथा 95 प्रतिशत के बीच रही।

उपनिदेशक (मलेरिया) ने बताया (जून 1998) कि छिड़काव कार्य में कमी बेलदारों की संस्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, समुदाय द्वारा छिड़काव स्वीकार करने से मना करने तथा मक्खी व बिस्तरे वाले खटमलों की समस्या आदि से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा डायजीनोन की अनापूर्ति के कारण थी। यह उत्तर समर्थनीय नहीं था चूंकि उपनिदेशक (मलेरिया) से कार्यक्रम के क्रियान्वयनार्थ इन रुकावटों को दूर करना अपेक्षित था।

(ii) नमूना जांच किए गए जिलों में कक्षों के छिड़काव में कमी पहले दौर में 25 तथा 69 प्रतिशत और दूसरे दौर में 44 तथा 100 प्रतिशत के बीच थी। इसी प्रकार पशुपालनाओं के छिड़काव में कमी पहले दौर में 6 तथा 100 प्रतिशत और दूसरे दौर में 58 तथा 100 प्रतिशत के बीच रही।

इन निरन्तर रुकावटों को दूर करने हेतु उपनिदेशक (मलेरिया) ने की गई कार्रवाई के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए थे।

3.8.6 छिड़काव कार्यों में अनियमितताएं

(i) पशुशालाओं के छिड़काव पर निरर्थक व्यय

कीटनाशी औषधियों के संरक्षणार्थ भारत सरकार की विशेषज्ञ समिति ने 1995 में यह निर्णय लिया कि पशुशालाओं में छिड़काव नहीं किया जाना था। नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया कि पांच जिलों में 1995-96 के दौरान 2.26 लाख पशुशालाओं में छिड़काव किया गया था। इसके फलस्वरुप 23.77 लाख रु0 (मजदूरी: 11.93 लाख रु0 तथा कीटनाशी दवाइयां: 11.84 लाख रु0) का निरर्थक व्यय हुआ। उपनिदेशक मलेरिया ने इस निरर्थक छिड़काव के कारण नहीं बताए।

स्कीम के उपबन्धों के पति पशुशालाओं के छिड़काव पर 23.77 लाख रु० का निरर्थक व्यय किया गया था।

(ii) **छिड़काव कार्यों पर निरर्थक व्यय**

ऐन्युल पैरासाइट इन्डैक्स-2 तथा उससे ऊपर के क्षेत्रों में वैक्टर के संक्रमण को प्रभावी रुप से रोकने के लिए छह सप्ताह के अन्तराल पर नियमित डीडीटी छिड़काव के दो दौर प्राप्त करने थे। नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया कि 1992 के दौरान दूसरे दौर में चार जिलों में 94 तथा 100 प्रतिशत तथा 1995 के दौरान तीन जिलों में 62 तथा 86 प्रतिशत के बीच छिड़काव कार्यों में कमी थी। इस प्रकार 1992-95 के दौरान पहले दौर के छिड़काव कार्यों पर 25.39 लाख रु0 (कीटनाशी औषधियां: 14.72 लाख रु0 तथा मजदूरी: 10.67 लाख रु0) का व्यय अधिक था।

छिड़काव कार्यों पर 25.39 लाख रु0 का निरर्थक व्यय किया गया था।

(iii) **कीटनाशी दवाइयों के छिड़काव में कमी**

एमपीओ के अन्तर्गत उपकेन्द्र को इकाई के रुप में लेने के बाद एपीआई-2 तथा उससे अधिक में छिड़काव कार्य किए जाने थे।

निम्नलिखित बातें ध्यान में आई:

(क) 1992-97 के दौरान छिड़काव में पहले दौर में कमी 18 तथा 38 प्रतिशत तथा दूसरे दौर में 51 और 95 प्रतिशत के बीच थी। निदेशक स्वास्थ्य सेवा ने कमी के कारण बेलदारों के लिए संस्वीकृति की विलम्ब से प्राप्ति, समुदाय द्वारा छिड़काव कराने से इन्कार करना, भारत सरकार द्वारा डायजीनौन की अनापूर्ति, क्षेत्रीय पर्यवेक्षण पदों का सृजन न करने, पर्यवेक्षण स्टाफ को वाहन प्रदान न करने तथा निम्न मजदूरियों के कारण बेलदारों की अनुपलब्धता बताया (जून 1998)। उत्तर समर्थनीय नहीं था चूंकि यथा निर्धारित छिड़काव कार्य किए जाने चाहिए थे।

(ख) नमूना जांच किए गए जिलों में कीटनाशी छिड़काव में 1992-97 के दौरान पहले दौर में कमी 5 तथा 63 प्रतिशत तथा दूसरे दौर में 27 तथा 100 प्रतिशत के बीच थी।

नमूना जांच किए गए जिलों में कीटनाशी छिड़काव में कमी पहले दौर में 5 तथा 63 प्रतिशत तथा दूसरे दौर में 27 तथा 100 प्रतिशत के बीच थी।

3.8.7 कृत्रिम उपभोग/डीडीटी का कम लेखाबद्ध/अलेखाबद्ध किया जाना

(क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर के 1997 के छिड़काव काल के लिए 7,217 कि0ग्रा0 डीडीटी के उपलब्ध स्टॉक के प्रति उप निदेशक (मलेरिया) को प्रेषित दौरे वार

प्रतिवेदनों में 8,176 कि0ग्रा0 तथा मासिक छिड़काव प्रतिवेदनों के माध्यम से 15,816 कि0ग्रा0 उपयुक्त दर्शाया गया था। अठावन डीडीटी बेलदार छिड़काव प्रयोजन के लिए लगाए गए थे और उनकी मजदूरियों पर 3.78 लाख रु0 का व्यय किया गया था। इस प्रकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 5.8 लाख रु0 के मूल्य का 8,599 कि0ग्रा0 (8.6 मीट्रिक टन) डीडीटी कृत्रिम उपभोग तथा मजदूरियों पर 2.06 लाख रु0 का कृत्रित व्यय था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उपनिदेशक (मलेरिया) निर्धारित विवरणियों के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रबोधन में विफल रहे।

11.49 लाख रु0 के 17.06 मीट्रिक टन डीडीटी का कृत्रिम उपभोग/कम लेखाबद्धता/अलेखाबद्धता तथा श्रम पर 2.06 लाख रु0 का कृत्रिम व्यय

(ख) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा को प्रेषित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरमौर के मासिक छिड़काव प्रतिवेदनों ने 30 नवम्बर 1994 तक 14.5 मीट्रिक टन डीडीटी का अन्त शेष दर्शाया। दिसम्बर 1994 से मार्च 1995 के दौरान छिड़काव मास न होने के कारण कोई डीडीटी नहीं छिड़का गया था। अप्रैल 1995 को आदि शेष के रुप में 14.5 मीट्रिक टन की बजाय बारह टन दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरुप 1.68 लाख रु0 का 2.5 मीट्रिक टन डीडीटी कम लेखाबद्ध किया गया था। उपनिदेशक (मलेरिया) मासिक छिड़काव प्रतिवेदनों से अल्पलेखाबद्धता का पता लगाने में विफल रहा। अल्पलेखाबद्धता की जांच जुलाई 1998 तक नहीं की गई थी।

(ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरमौर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन को 1997 के दौरान 3.75 मीट्रिक टन डीडीटी हस्तान्तरित किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन ने केवल 3.5 मीट्रिक टन ही लेखाबद्ध किया फलतः 0.17 लाख रु0 के 0.25 मीट्रिक टन डीडीटी की अल्पलेखाबद्धता हुई। जुलाई 1998 तक मामले की छानबीन नहीं की गई थी।

(घ) 1996 के छिड़काव काल के पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा ने 34.79 मीट्रिक टन डीडीटी की खपत प्रतिवेदित की (दिसम्बर 1996) जबकि छिड़काव आंकड़ा रजिस्टर के अनुसार खपत 29.08 मीट्रिक टन थी। उप निदेशक (मलेरिया) ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (जून 1998) कि विस्तृत सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आंमत्रित की गई थी। 3.84 लाख रु0 के 5.71 मीट्रिक टन के अन्तर का न तो समाधान किया गया था और न ही शेष प्रत्यक्षतः सत्यापित किया गया था।

(ड.) **डीडीटी की अनापूर्ति**

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय, नई दिल्ली ने राज्य को 1997 के छिड़काव कार्यों के लिए 100 मीट्रिक टन डीडीटी आबण्टित किया (मई 1997) जो एक फर्म द्वारा पांच मुख्य चिकित्सा अधिकारियों* को समानरुप से आपूरित किया जाना था।

* बिलासपुर, कांगड़ा, मण्डी, सोलन तथा सिरमौर

फर्म 1997 के छिड़काव काल के दौरान डीडीटी आपूरित करने में विफल रही। उप निदेशक (मलेरिया) ने बताया (जून 1998) कि 1997 के छिड़काव कार्यों के लिए आवश्यक आपूर्तियां जनवरी 1998 मे प्राप्त हुई थीं। यह मानव कक्षों के छिड़काव में निरन्तर कमी में परिणत हुई और इस प्रकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(च) बीएचसी का अनधिकृत छिड़काव

भारत सरकार ने बैंजीन हैक्साक्लोराइड 50 प्रतिशत के प्रयोग तथा विनिर्माण पर मार्च 1997 तक पूर्णरुपेण प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया (जनवरी 1996)। राज्य ने 1992-95 के दौरान 17.12 लाख रु0 का नब्बे मीट्रिक टन बीएचसी उपार्जित किया। इसमें से 1992-96 के दौरान 70.75 मीट्रिक टन प्रयुक्त किया गया। प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद 1.72 लाख रु0 का 8.21मीट्रिक टन बीएचसी का छिड़काव 1997 के छिड़काव काल (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान किया गया था तथा 4 लाख रु0 मजदूरियों के भुगतान पर खर्च किए गए थे जिसके परिणामस्वरुप 5.72 लाख रु0 का अनधिकृत व्यय हुआ। उपनिदेशक (मलेरिया) से बीएचसी के अनधिकृत छिड़काव के लिए आमन्त्रित (जुलाई 1998) कारण सूचित नहीं किए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन ने बताया (अप्रैल 1998) कि अनधिकृत छिड़काव का कारण निदेशक, स्वास्थ्य सेवा से अनुदेशों का विलम्ब से प्राप्त होना था। स्टॉकों में पड़ा हुआ 11.04 मीट्रिक टन बीएचसी जून 1998 तक निपटानार्थ प्रतीक्षित था। अप्रयुक्त बीएचसी के निपटान का मामला भारत सरकार के विचाराधीन था।

3.8.8 मलेरिये के मामलों की निगरानी तथा उनका पता लगाना

(क) छिड़काव दस्ते

छिड़काव कार्यों के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल से सितम्बर तक छिड़काव दलों को नियुक्त किया जाना अपेक्षित था। नमूना जांच किए गए चार जिलों में 1992-97 के दौरान बेलदारों की नियुक्ति में 41,877 तक के कार्यदिवसों की देरी थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने छिड़काव में कमी का कारण डीडीटी बेलदारों की नियुक्तियां संस्वीकृतियों की मंजूरी में देर होना बताया (अप्रैल-मई 1998)। बेलदारों को देरी से कार्य पर लगाने के परिणामस्वरुप मलेरिया के मामलों का सामना करने के लिए छिड़काव की अल्प व्याप्ति हुई।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा तथा आंचलिक मलेरिया अधिकारी, धर्मशाला के अभिलेखों की नमूना जांच से यह उद्घाटित हुआ कि दो पर्यवेक्षण क्षेत्रीय कर्मी छिड़काव कार्यों के पर्यवेक्षणार्थ नियुक्त किए गए थे (अक्तूबर 1977)। उनमें से एक को उपकेन्द्र में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के रुप में कार्य करने के लिए तैनात किया गया (सितम्बर 1978) था तथा दूसरे को 1987 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवारना में तथा उसके पश्चात् आंचलिक मलेरिया कार्यालय में स्टोर प्रभारी के रुप में तैनात किया गया था। इन दोनों पर्यवेक्षण क्षेत्रीय कर्मियों ने छिड़काव कार्यों का कभी पर्यवेक्षण नहीं किया था क्योंकि विभाग ने उनकी सेवाओं का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया।

(ख) **रक्त चिन्हों के परीक्षण में विलम्ब**

(i) मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का एक आवश्यक पहलू रक्त परीक्षण कार्यक्रम द्वारा मलेरिया पैरासाइट के फैलने का पता लगाना था। रक्त चिन्हों का उनके संग्रहण के सात दिनों की निश्चित अवधि के बीच परीक्षण किया जाना था।

नमूना जांच किए गए चार जिलों में 1992-97 के दौरान संगृहीत तथा परीक्षित 1.86 लाख रक्त चिन्हों के परीक्षण में विलम्ब 15 तथा 30 दिनों के बीच था तथा 53 हजार रक्त चिन्हों के मामले में 31 से 109 दिन था जिसके परिणामस्वरुप पोजीटिव मामलों में समयोचित उपचार की कमी हुई। इस प्रकार रक्तचिन्हों के संग्रहण से अन्तिम उपचार तक विभिन्न चरणों पर विलम्ब ने कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता को न्यून कर दिया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (अप्रैल-मई 1998) कि परीक्षणों में विलम्ब अधिक कार्यभार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से रक्त की स्लाइडें देर से प्राप्त होने तथा तकनीशनों आदि के छुट्टी पर जाने के कारण अनुपलब्धता होना था। ये उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि रक्त चिन्हों की जांच यथानिर्धारित सात दिनों के अनुसूचित समय के भीतर की जानी चाहिए थी। इस प्रकार मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यथापरिकल्पित कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

रक्त स्लाइडों की जांच में 15 से 109 दिनों के विलम्ब के परिणामस्वरुप पोजीटिव मामलों के कालोचित उपचार की कमी हुई।

(ii) **ज्वर के मामलों में रक्तचिन्हों का असग्रंहण**

मार्गदर्शक सिद्धान्तानुसार सम्भाव्य उपचार सभी ज्वर के मामलों में रक्त चिन्ह संगृहीत करने के तुरन्त पश्चात उनकी जाति/आयु अथवा ज्वर वृत्त सहित मामलों का ध्यान न करते हुए किया जाना चाहिए था। 3,087 ज्वर मामलों में यह पाया गया कि नमूना जांच किए गए जिलों में (हमीरपुर: 78; कांगड़ा: 422; सोलन: 1942 तथा ऊना: 645) 1992-97 के बीच रक्त चिन्हों का संग्रहण नहीं किया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (अप्रैल-मई 1998) कि रोगियों की अस्वीकृति के कारण रक्त चिन्हों का संग्रहण नहीं किया जा सका था। इस प्रकार मलेरिये के पोजीटिव मामलों के पता लगाने की सम्भावना को नहीं बताया जा सकता था।

3.8.9 प्रारम्भिक उपचार

नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि 680 मामलों में (हमीरपुर: 141; कांगड़ा: 432 तथा ऊना: 107) मलेरिया पोजीटिव पाए गए रोगियों को प्रारम्भिक उपचार प्रदान नहीं किया गया था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (मई 1998) कि पोजीटिव मामलों में से कुछ, रोगियों के बिना सूचना स्थान छोड़ने, उनके गलत पतों तथा 8-एक्यू गोलियों के अभाव के कारण उपचार के बिना ही पड़े हुए थे। इस प्रकार ऐसे मामलों के अपर्याप्त प्रबोधन के कारण यथापेक्षित प्रारम्भिक उपचार प्रदान नहीं किया गया था।

3.8.10 रक्त के नमूनों के पर्याप्त परीक्षण की अनुपस्थिति

(i) 1994 में मलेरिये के पुनरुत्थान के पश्चात भारत सरकार ने बुरी तरह से प्रभावित मलेरिये वाले क्षेत्रों को पहचानने तथा विनिर्दिष्ट उपचारी उपायों के सुझाव हेतु एक विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की। विशेषज्ञ समिति ने प्रयोगशालाओं के पर्यवेक्षण तथा दक्षता के विषय में दृढ़ता से टिप्पणी की थी (जनवरी 1995)।

(ii) आठ* जिलों में 14.49 लाख संगृहीत स्लाइडों के प्रति 14.27 लाख रक्त स्लाइडों की जांच की गई थी। फलतः 1992-97 के दौरान 0.22 लाख स्लाइडों की जांच नहीं हुई।

उपनिदेशक (मलेरिया) ने रक्त स्लाइडों की जांच न करने के कारण प्रयोगशाला तकनीशनों को दिए जा रहे अनेक कर्तव्य, मलेरिया माइक्रोस्कोपी में प्रशिक्षण न दिए जा रहे नवनियुक्त तकनीशनों तथा प्रयोगशाला कर्मियों के अभाव को बताया (जून 1998)।

संगृहीत की गईं सभी रक्त स्लाइडें परीक्षित नहीं की गई।

(iii) 1995 में एमएपी के प्रारम्भ से क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं से सभी पोजीटिव मामले (50 प्रतिशत राज्य मुख्यालय प्रयोगशाला तथा 50 प्रतिशत क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी, चण्डीगढ़ को) और 10 प्रतिशत नैगेटिव रक्त स्लाइडें (8.5 प्रतिशत राज्य मुख्यालय प्रयोगशाला तथा 1.5 प्रतिशत क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी, चण्डीगढ़) परस्पर जांच हेतु भेजी जानी अपेक्षित थीं।

चार जिलों** में लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि 78 से 95 प्रतिशत पोजीटिव मामले, 3 से 41 प्रतिशत नैगेटिव मामले 1995-97 के दौरान राज्य मुख्यालय प्रयोगशाला को नहीं भेजे गए थे। इसी प्रकार क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी, चण्डीगढ़ को रक्त स्लाइडों के भेजने में कमी पोजीटिव मामलों में 80 तथा 100 प्रतिशत तथा नैगेटिव मामलों में 7 से 49 प्रतिशत के बीच थी।

अभिलेखों की जांच से यह भी उद्घाटित हुआ कि राज्य/क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा 1992-97 के दौरान परस्पर जांच किए गए मामलों में से 38 मामलों में (हमीरपुर:5; कांगड़ा: 16; सोलन:9 तथा ऊना: 8) पोजीटिव तथा नैगेटिव स्लाइडों के परिणामों में त्रुटियां पाई गई थीं।

---

* चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

** हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन तथा ऊना

(ख) स्टाफ का अनियमित नियोजन

(i) उपनिदेशक (मलेरिया) के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 1998) ने उद्घाटित किया कि चार कर्मचारी (वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, प्रवर लिपिक तथा लिपिक) अप्रैल 1994 से अन्य कार्यक्रमों में तैनात रहे तथा मार्च 1998 तक उनके वेतनों पर 5.11 लाख रु0 खर्च किए गए थे जो एनएमईपी के नामे डाले गए थे।

(ii) सोलन जिले में खाद्य निरीक्षक का अप्रैल 1992 से जून 1994 तक की अवधि का वेतन 1.22 लाख रु0 एनएमईपी से आहृत किया गया था जबकि कार्यक्रमान्तर्गत ऐसा कोई पद नहीं था।

(ग) प्रयोगशाला तकनीशन का अनियमित नियोजन

नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि आंचलिक मलेरिया कार्यालय की संख्या में एक प्रयोगशाला तकनीशन को निदेशक, स्वास्थ्य सेवा द्वारा सिविल अस्पताल, देहरा को प्रतिनियुक्त किया गया था (नवम्बर 1995)। कर्मचारी को फरवरी 1997 में आंचलिक अस्पताल, धर्मशाला (रक्त बैंक) को स्थानान्तरित किया गया था। कर्मचारी के वेतन पर 1.52 लाख रु0 व्यय किए गए थे जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के नामे डाले गए। अनियमित नियोजन से प्रयोगशाला में मच्छर के प्रोसैसिंग तथा चीरफाड़ कार्य पर प्रभाव पड़ा।

3.8.13 प्रबोधन तथा मूल्यांकन

(i) क्रियाकलाप प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए

राज्य स्तर पर निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत उपनिदेशक, (मलेरिया) द्वारा विभिन्न क्रियाकलाप प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यक्रम का प्रबोधन किया जाना था। नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि क्रियाकलाप प्रतिवेदन न तो उपनिदेशक (मलेरिया), शिमला और न ही आंचलिक (मलेरिया) अधिकारी, धर्मशाला द्वारा 1992-97 के दौरान तैयार किए गए थे।

(ii) मूल्यांकन

कार्यक्रम के मूल्यांकनार्थ भारत सरकार द्वारा वार्षिक रुप से अथवा ऐसे अन्तरालों पर यथावश्यक समझे जाने वाले स्वतन्त्र मूल्यांकन दलों का गठन किया जाना था। नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि किसी ऐसे दल ने कार्यक्रम के मूल्यांकनार्थ 1992-97 के दौरान राज्य का निरीक्षण नहीं किया।

3.8.14 प्रशिक्षण

व्यावसायिक तथा सम्बद्ध कर्मियों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बड़े उद्देश्यों में से एक था। राज्य में कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे किसी प्रशिक्षण की व्यवस्था 1992-97 के दौरान नहीं की गई थी।

ये तथ्य सरकार को जुलाई 1998 में सन्दर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

जनजातीय विकास विभाग

3.9 जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

3.9.1 प्रस्तावना

जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य योजना के लिए आवर्धक थी तथा वह विद्यमान योजना स्कीमों के स्थानापन्न के उद्देश्य से नहीं की गई थी। यह जनजातीय उप-योजना रणनीति का भाग थी ताकि निम्नांकित दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार के वित्तीय परिणामों के अन्तरालों को पूर्ण कर सके:

(i) अनुसूचित जनतातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास तथा

(ii) शोषण के विरुद्ध जनजातियों का संरक्षण

विशेष केन्द्रीय सहायता ने मूलतः कृषि, उद्यान, भूमि सुधारों, लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, पशुपालन, वानिकी, शिक्षा, सहकारिता, मत्स्य पालन, ग्राम तथा लघु स्तर के उद्योगों, न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम, परियोजनाओं द्वारा हटाए गए जनजातीय, औद्योगिक प्रभाव क्षेत्रों मे रहने वाले जनजातीय, जनजातीय स्त्रियों, तथा पर्यावरण एवं वातावरण आदि के प्रवर्गों में परिवारोन्मुखी आय सृजन करने वाली स्कीमों के लिए उद्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकासार्थ स्कीमों/परियोजनाओं को आदितः निधियां प्रदान करनी थी। भारत सरकार ने विशेष परिवारोन्मुखी आय सृजन करने वाली स्कीमों का निर्धारण किया था (सितम्बर 1985) जो विशेष केन्द्रीय सहायता से वित्तपोषण की पात्र थीं। किन्नौर, लाहौल एवं स्पिति जिलों, चम्बा जिले के भरमौर तथा पांगी खण्डों, संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति, जनजातीय क्षेत्रों तथा विसर्जित जनजातीय समूहों में 1,90,303 (1991 जनगणना) की जनजातीय जनसंख्या केन्द्रित थी।

जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का सूत्रपात राज्य में 1978-79 के दौरान तीन जिलों* के पांच** समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं से किया गया था। स्कीम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के बाहर रहने वाले विसर्जित जनजातियों के अतिरिक्त किन्नौर तथा लाहौल व स्पिति जिलों और चम्बा जिले के भरमौर तथा पांगी खण्डों में समग्र रुप से क्रियान्वित की जा रही थी। चम्बा जिले के चम्बा तथा भटियाल खण्डों के संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति जनजातीय क्षेत्रों को 1991-92 के दौरान राज्य में चिन्हित किया गया था। राज्य में कुल 32,156 अनुसूचित जनजातीय परिवारों में से 26,961 परिवार मार्च 1998 तक लाभान्वित हुए थे।

3.9.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य सरकार के सोलह विभाग*** स्कीम के क्रियान्वयन में सम्मिलित थे। राज स्तर पर स्कीम का समग्र पर्यवेक्षण वित्त आयुक्त व सचिव जनजातीय विकास विभाग द्वारा किया जा रहा था।

राज्य स्तर पर जनजातीय विकास विभाग स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नाभिकीय विभाग था। जिला स्तर पर उप आयुक्त तथा परियोजना स्तर पर आवासीय आयुक्त/अतिरिक्त उप आयुक्त अथवा परियोजना अधिकारी आईटीडीपीज समन्वयक के रुप में कार्य करते थे।

3.9.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

पांच विभागों**** द्वारा क्रियान्वित की जा रही 22 स्कीमों वाली पांच आईटीडीपीज में से तीन***** की अप्रैल-जून 1998 के बीच लेखापरीक्षा में 1992-98 के दौरान स्र्व के कार्यान्वयन की नमूना जांच की गई थी। यह निगम, हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश हथकरघा एवं हस्तकला निगम के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा अनुपूरित की गई थी। नमूना जांच के परिणाम आगामी परिच्छेदों में द्रर्शाए गए हैं:-

---

* चम्बा, किन्नौर तथा लाहौल एवं स्पिति

** भरमौर, किन्नौर, लाहौल, पांगी तथा स्पिति

*** कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, उद्योग, आर्थिक एवं सांख्यिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद, सामाजिक एवं महिला कल्याण, जनजातीय विकास, पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध क्रीड़ाएं, पंचायती राज, कला एवं संस्कृति तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

**** शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्योग, समाज एवं महिला कल्याण तथा जनजातीय विकास विभाग

***** किन्नौर, काजा स्थित स्पिती तथा भरमौर

3.9.4 मुख्य बातें

** राज्य सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबण्टित निधियों की पूर्ण राशि को बहुत से वर्षों में प्रयुक्त नहीं कर सकीं। जनजातीय विकास विभाग ने 1992-97 के दौरान क्रियान्वयन अभिकरणों को 4.11 करोड़ रु0 की विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों के निस्तारण में दो से 10 मास तक का विलम्ब किया जो कि अधिक था।

[परिच्छेद 3.9.6 (iii) तथा (v)]

** जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों को वायुयान यात्रा प्रदान करने हेतु 1992-95 के दौरान हैलीकॉप्टर सेवाएं किराये पर लेने के लिए जनजातीय विकास विभाग द्वारा 2.16 करोड़ रु0 दिए गए थे जो कि स्कीम के क्षेत्र से बाहर थे।

(परिच्छेद 3.9.7.1)

** 1992-98 के दौरान क्रियान्वयन विभागों में लगाए गए स्टाफ के वेतन तथा भत्तों के रुप में विशेष केन्द्रीय सहायता से 2.50 करोड़ रु0 का भुगतान अनधिकृत रुप से किया गया था। परियोजना अधिकारियों द्वारा वाहनों, फोटोस्टेट मशीनों, कम्प्यूटरों तथा फैक्स मशीन के क्रय पर, इन वस्तुओं की मरम्मत तथा अनुरक्षण, जलपान प्रभारों आदि पर 43.95 लाख रु0 का दुरुपयोग किया गया था जो स्कीम के अन्तर्गत अनुमत नहीं था।

(परिच्छेद 3.9.7.2)

** 1992-98 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत किए गए 31.79 करोड़ रु0 के कुल व्यय में से 21.79 करोड़ रु0 स्कीम से असम्बद्ध अन्य क्रियाकलापों के लिए किए गए थे।

(परिच्छेद 3.9.7 तथा 3.9.11)

** यद्यपि सरकार ने निर्धनता रेखा के नीचे रह रहे परिवारों की सहायता करने में लक्ष्य की 100 प्रतिशत उपलब्धि का दावा किया परन्तु नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया कि 47 अनुमोदित उपयुक्त परिवारोन्मुखी आय सृजन करने वाली स्कीमों में से केवल 15 स्कीमें क्रियान्वित की गई थीं। 32.95 करोड़ रु0 की कुल उपलब्ध निधियों में से 15.56 करोड़ रु0 की लागत से राज्य सरकार द्वारा 41 अनुपयुक्त स्कीमें क्रियान्वित की गई थीं।

[परिच्छेद 3.9.8 (ii) तथा (iv)]

** **तीन रुई पिंजने के संयन्त्रों के स्थापनार्थ (39.01 लाख रु0) तथा पांच विद्यमान संयन्त्रों की मरम्मत (5.99 लाख रु0) हेतु निदेशक उद्योग को अगस्त 1996 में निस्तारित 45 लाख रु0 में से 9.45 लाख रु0 का व्यय विद्यमान रुई पिंजने के संयन्त्रों पर किया गया था तथा शेष 35.55 लाख रु0 मार्च 1998 तक बैंक में अप्रयुक्त पड़े थे।**

[परिच्छेद 3.9.9.2 (i) तथा (ii)]

** **राज्य सरकार ने 1992-98 के दौरान अधिकारियों द्वारा स्कीमों/कार्यों के निरीक्षणों, प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण हेतु कोई विनिर्दिष्ट अवधि तथा निरीक्षणों की अनुसूचि निर्धारित नहीं की थी।**

(परिच्छेद 3.9.11)

3.9.5 सर्वेक्षण तथा योजना

स्कीम के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा 1993-94 के बीच अपने सर्वेक्षण में यथाचिन्हित निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जनजातियां निर्धनता रेखा से ऊपर परिवारों के उन्नयन हेतु लक्ष्य समूह थे। परन्तु राज्य सरकार ने ऐसे परिवारों की संख्या को पहचानने हेतु जून 1998 तक कोई मूल्यांकन नहीं किया था जिन्होंने 1992-98 के दौरान निर्धनता रेखा पार कर ली थी।

मार्गदर्शक सिद्धान्तानुसार जनजातीय विकास विभाग ने स्थानीय मापदण्डों पर आधारित विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाएं तैयार करनी थीं। ऐसी कोई कार्रवाई योजना विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए 1992-98 के दौरान तैयार नहीं की गई थी। वित्त आयुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने विशेष केन्द्रीय सहायता की पृथक् कार्रवाई योजना तैयार न करने के कोई कारण नहीं दिए।

3.9.6 वित्तीय निष्पादन

भारत सरकार ने राज्य सरकारों को तीन किश्तों में अनुदान के रुप में विशेष केन्द्रीय सहायता का निस्तारण करना था। सामग्री राशि प्रत्येक वर्ष में तीसरी तिमाही के अन्त तक उपलब्ध की जानी सम्भावित थी। निस्तारण राज्य सरकार द्वारा निष्पादन तथा पूर्व निस्तारित निधियों की प्रयुक्ति के अनुसार होने थे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई निधियां विशेष केन्द्रीय सहायता के निस्तारण की तिथि से एक मास के भीतर क्रियान्वयन अभिकरणों को निस्तारित की जानी अपेक्षित थीं। कोई भी

जनजातीय विकास विभाग ने निष्पादन अभिकरणों को 4.11 करोड़ रु0 की विशेष केन्द्रीय सहायता के निस्तारण में 1992-97 के दौरान दो से 10 मास तक का विलम्ब किया।

अव्ययित राशि आगामी वर्ष के दौरान व्यय हेतु अग्रेषित नहीं की जानी थी परन्तु भारत सरकार को अभ्यर्पित की जानी थी।

भारत सरकार द्वारा 1992-98 के दौरान निस्तारित निधियों तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की स्थिति निम्नवत् थी:

वर्ष	आदि शेष	भारत सरकार द्वारा निस्तारित निधियां	राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय	अव्ययित शेष
		(करोड़ रुपए)		
1992-93	-	4.03	3.32	0.71
1993-94	0.71	7.55	4.27	3.99
1994-95	3.99	4.51	7.62	0.88
1995-96	0.88	5.42	4.93	1.37
1996-97	1.37	6.22	5.42	2.17
1997-98	2.17	5.22	6.23	1.16
जोड़		32.95	31.79	

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें दृष्टिगत हुईं:

(i) जनजातीय विकास विभाग द्वारा आपूरित व्यय के आंकड़े क्रियान्वयन अभिकरणों से प्राप्त व्यय के त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों पर आधारित थे। इन आंकड़ों को उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्रयोजन हेतु समायोजन के रुप में माना गया था।

(ii) मार्गदर्शक सिद्धान्तानुसार कुल आबण्टन का 70 प्रतिशत एमएडीए क्षेत्र, समूह तथा डीडीटीज में जनजातीय जनसंख्या तथा 30 प्रतिशत क्षेत्रों, समूहों तथा डीटीजीज के भीतर जनजातीय जनसंख्या को लाभसहित राज्य के व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रतिकूल समानुपात के अनुसार वितरित किया जाना था।

नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि राज्य सरकार ने जनसंख्या के आधार पर 40 प्रतिशत, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 20 प्रतिशत तथा सापेक्ष आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 40 प्रतिशत निधियों का निस्तारण किया था। वित्तायुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने बताया (जून 1998) कि भारत सरकार ने निधियों की प्रयुक्ति हेतु कोई मानक विनिर्दिष्ट रुप से निर्धारित नहीं किए थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता के निस्तारणार्थ विनिर्दिष्टरुपेण मानक निर्धारित किए थे तथा राज्य सरकार द्वारा उनका पालन नहीं किया गया था।

(iii) राज्य सरकार बहुत से वर्षों में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबण्टित पूर्ण निधियों का प्रयोग नहीं कर सकी। सरकार ने निधियों की प्रयुक्ति में कमी का कारण सामान्यतः प्रत्येक वर्ष मार्च के मास में अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता का निस्तारण बताया (जून 1998)। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जनजातीय विकास विभाग को यथानिर्धारित प्रत्येक वर्ष तीसरी तिमाही तक निधियों के निस्तारण से सम्बद्ध मामला आरम्भ कर देना चाहिए था।

विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबण्टित निधियों को राज्य सरकार ने पूर्णतः उपयुक्त नहीं किया।

(iv) भारत सरकार ने 1992-97 के वर्षों से सम्बद्ध अव्ययित शेषों को दशनि वाले 9.12 करोड़ रु0 की पुनर्वैधता में 17 से 165 दिनों तक का विलम्ब किया।

(v) जनजातीय विकास विभाग ने 1992-93 से 1996-97 के दौरान राशि की पुनर्वैधता के पश्चात् क्रियान्वयन अभिकरणों को 4.11 करोड़ रु0 के निस्तारण में दो से 10 मास तक का विलम्ब किया। वर्ष 1995-96 के दौरान विलम्ब 10 महीनों से अधिक का था।

(vi) क्रियान्वयन अभिकरणों ने 1994-97 के दौरान वर्षान्त में भारत सरकार को 1.19 करोड़ रु0 की अप्रयुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता की राशियां यथा अपेक्षित वापस नही की थी (मई 1998) तथा उन्हें बैंकों में रखा था।

3.9.7 निधियों का व्यपवर्तन, अप्रयुक्ति तथा दुरुपयोग

1992-98 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन पर खर्च किए गए 31.79 करोड़ रु0 में से 24.29 करोड़ रु0 (76 प्रतिशत) या तो जनजातीय लोगों को हैलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करने, अनुपयुक्त स्कीमों के व्यय, स्टाफ के वेतनों, ऋणों का भुगतान करने, वाहनों के क्रय आदि जैसे अन्य क्रियाकलापों पर खर्च किए थे जो स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते थे या फिर निम्नलिखित परिच्छेदों में यथावर्णित अप्रयुक्त (2.50 करोड़ रु0) पड़े थे।

1992-98 के दौरान स्कीम पर व्यय किए गए 31.79 करोड़ रु0 में से 21.79 करोड़ रु0 उन क्रियाकलापों पर खर्च किए गए थे जो स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते थे।

3.9.7.1 हैलीकॉप्टर सेवाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की अनुचित प्रयुक्ति

सितम्बर 1985 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तानुसार विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रयोग केवल परिवारोन्मुखी आय सृजन करने वाली स्कीमों के लिए ही किया जाना था।

नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि जनजातीय विकास विभाग ने जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय लोगों तथा इन क्षेत्रों में तैनात सरकारी कर्मचारियों को वायुयान यात्रा प्रदानार्थ विभाग द्वारा किराए पर ली गई हैलीकॉप्टर सेवाओं के भुगतानार्थ 1992-95 के दौरान 2.16 करोड़ रु0 प्रयुक्त किए थे। स्कीम के क्षेत्र से बाहर के क्रियाकलाप पर व्यय करने हेतु भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

जनजातीय विकास विभाग ने 1992-95 के दौरान हैलीकॉप्टर की सेवाएं किराए पर लेने के लिए 2.16 करोड़ रु0 का भुगतान किया जो स्कीम के क्षेत्र से बाहर था।

वित्तायुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने बताया (जून 1998) कि भारी बर्फ के कारण वर्ष के पांच-छः मास के लिए यह क्षेत्र पूर्णतः पहुंच के योग्य नहीं रहता था तथा इस सेवा ने आपातकालीन/वास्तविक मामलों में तुरन्त वायुयान यात्रा प्रदान करनेमें सहायता की थी।

यह उत्तर समर्थनीय नहीं था क्योंकि स्थानीय लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों को हवाईयात्रा प्रदान करना स्कीम में सम्मिलित नहीं था तथा 2.16 करोड़ रु0 इस प्रयोजनार्थ विशेष केन्द्रीय सहायता को प्रभारित नहीं किए जाने थे।

3.9.7.2 विशेष केन्द्रीय सहायता की निधियों का अनधिकृत व्यपवर्तन तथा दुरुपयोग

(i) स्कीम के अन्तर्गत स्टाफ के वेतन तथा भत्तों और अन्य स्थापना व्यय के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि केवल परिवारोन्मुखी आय सृजन करने वाली स्कीमें ही विशेष केन्द्रीय सहायता से वित्तपोषित की जानी थी। इसके प्रतिकूल 1992-98 के दौरान 2.50 करोड़ रु0 का अनधिकृत भुगतान क्रियान्वयन विभाग में लगाए गए स्टाफ के वेतन तथा भत्तों पर विशेष केन्द्रीय सहायता से किया गया था (जनजातीय विकास विभाग: 1.73 करोड़ रु0; हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड: 0.43 करोड़ रु0 तथा हिमाचल प्रदेश हथकरघा तथा हस्तकला निगम: 0.34 करोड़ रु0)।

वित्तायुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने बताया (जुलाई 1998) कि विशेष केन्द्रीय सहायता का एक भाग उसके आनुषंगिक मूलाधार के विकासार्थ प्रयोग किया जाना भी अनुमत था तथा इसलिए वार्षिक योजना के विशेष केन्द्रीय सहायता से स्थापना पर व्यय हेतु प्रावधान बनाए जा रहे थे।

यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि केवल उपयुक्त आय सृजन करने वाली स्कीमों के आनुषंगिक मूलाधार के विकासार्थ विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रयोग किया जाना था। इसके अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य योजना प्रयत्न में वृद्धि करने वाली उद्दिष्ट थी और यह विद्यमान राज्य योजनाओं के लिए स्थानापन्न नहीं थी। इस प्रकार 2.50 करोड़ रु0 का व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता की निधियों के लिए उपयुक्त प्रभार नहीं था।

(ii) नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया कि 1992-98 के दौरान परियोजना अधिकारियों द्वारा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना भरमौर (5.43 लाख रु0), किन्नौर (2.85 लाख रु0) स्पिति (3.48 लाख रु0) तथा जनजातीय विकास विभाग (32.19 लाख रु0) ने 5 वाहनों (13.27 लाख रु0), तीन फोटोस्टेट मशीनों (5.04 लाख रु0) 8 कम्प्यूटरों (10.93 लाख रु0), एक फैक्स मशीन (0.20 लाख रु0) के क्रयार्थ इन मदों की मरम्मत तथा अनुरक्षण (10.48 लाख रु0) खानपान प्रभारों (0.57 लाख रु0) तथा टेलीफोन व बिजली के बिलों (3.46 लाख रु0) आदि के भुगतान पर गलत रुप से 43.95 लाख रु0 खर्च किए। इन स्कीमों के अन्तर्गत व्यय अनुमत्य नहीं था तथा यह निधियों के दुरुपयोग के अन्तर्गत आता था।

वित्तायुक्त व सचित (जनजातीय विकास विभाग) ने बचाव में (जुलाई 1998) जनजातीय विकास मशीनरी पर राशि की उपयोगिता को उचित बताया जिसमें वाहनों, कम्प्यूटरों, बिजली के बिलों जैसे स्थापना प्रभार सम्मिलित थे और यह उनके वार्षिक योजना प्रस्तावों के अनुसार थी। यह उत्तर समर्थनीय नहीं था क्योंकि व्यय स्कीम के क्षेत्र से बाहर था।

3.9.7.3 प्रयुक्ति प्रमाण पत्र

(i) प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का गलत प्रतिवेदित करना

(क) राज्य सरकार ने वास्तविक रुप से किए गए अन्तिम व्यय के रुप में राशि के प्रयुक्ति प्रमाणपत्र भारत सरकार को भेजने थे।

नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया कि पांच* क्रियान्वयन अभिकरणों को सात कार्यों/स्कीमों के प्रति प्रयुक्ति हेतु 1993-97 के दौरान 1.75 करोड़ रु0 का निस्तारण किया गया था जिसमें केवल 0.49 करोड़ रु0 प्रयुक्त किए गए थे तथा 1.26 करोड़ रु0 की अप्रयुक्त शेष राशि 31 मार्च 1998 तक सम्बद्ध अभिकरणों के पास बची हुई थी। 1.26 करोड़ रु0 में से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्बा को "डायमण्ड ऐण्ड जैम कटिंग ऐण्ड पोलीशिंग" स्कीम के क्रियान्वयन हेतु 21.62 लाख रु0 प्रदान किए थे जो उसने स्कीम को क्रियान्वित किंए बिना कोषागार में जमा कर दिए थे (अगस्त 1995)। परन्तु 1.75 करोड़ रु0 की समस्त राशि के प्रयुक्ति प्रमाणपत्र जलजातीय विकास विभाग द्वारा भारत सरकार को जून 1994 तथा सितम्बर 1997 के बीच भेजे गए थे। वित्त आयुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने बताया (जून 1998) कि प्रत्येक कार्य/स्कीम के प्रति खर्च की गई राशि को प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों के प्रयोजनार्थ समायोजन राशि के रुप में माना जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्कीमों के क्रियान्वयन पर वास्तविक रुप से किया गया व्यय प्रतिवेदित किया जाना था न कि अभिकरणों को निस्तारित राशि।

---

* शिक्षा, निगम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हिमाचल प्रदेश, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा उद्योग

(ख) 41 अनुपयुक्त स्कीमों पर किया गया 15.56 करोड़ रु0 का व्यय 1992-93 से 1997-98 तक के सम्बद्ध वर्षों के प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों में दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरुप प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों में गलत प्रतिवेदित हुआ।

(ii) **व्यय का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

मार्गदर्शक सिद्धान्तानुसार राज्य सरकार ने वित्तीय एवं प्रत्यक्ष उपलब्धियों के मूल्यांकनार्थ भारत सरकार को नियमितरुपेण व्यय के त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (निधियों की प्रयुक्ति) प्रस्तुत करने थे। त्रैमासिक प्रतिवेदन के भेजने की निश्चित तिथि वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर तथा वार्षिक प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष मई की समाप्ति थी। नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि वर्ष 1992-93 तथा 1996-97 के वार्षिक प्रयुक्ति प्रमाणपत्र क्रमश: एक वर्ष से तीन मास से भी अधिक के विलम्ब से भेजे गए थे।

3.9.8 निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सहायता

1992-98 के दौरान निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की सहायता के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य तथा उनके प्रति की गई उपलब्धियां विभाग द्वारा निम्नवत् प्रतिवेदित थी:

वर्ष	सहायता किए गए अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की संख्या	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
1992-93	325	325
1993-94	457	457
1994-95	810	810
1995-96	1,485	1,485
1996-97	1,920	1,920
1997-98	2,100	2,100
जोड़	7,097	7,097

यद्यपि सभी वर्षों में उपलब्धियां 100 प्रतिशत दर्शाई गई परन्तु लेखापरीक्षा में निम्न बातें पाई गई थीं:-

(i) निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता प्रदानार्थ वर्षवार/क्रियान्वयन अभिकरणवार निश्चित किए गए लक्ष्य न तो जनजाति विकास विभाग के पास उपलब्ध थे, और न ही क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रेषित किए थे। क्रियान्वयन अभिकरणों ने बताया (मई 1998) कि विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए थे। इस प्रकार जनजाति विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए लक्ष्यों तथा उपलब्धियों

में प्रमाणिकता की कमी थी।

(ii) 15 विभागों द्वारा क्रियान्वित की जानी वाली 47 परिवारोन्मुखी आय सृजित करने वाली स्कीमों में से 8 विभागों* ने 27 स्कीमों के प्रति केवल 15 स्कीमें ही 1992-98 के दौरान क्रियान्वित की थी। शेष 32 स्कीमें मार्च 1998 तक क्रियान्वयन के लिए आरम्भ नहीं की गई थी।

47 परिवारोन्मुखी आय सृजक स्कीमों के क्रियान्वयन में से केवल 15 को ही क्रियान्वित किया गया।

(iii) सात** विभागों ने जिनसे मार्च 1998 तक 20 स्कीमों के क्रियान्वयन की अपेक्षा थी, कोई स्कीम क्रियान्वित नहीं की थी।

(iv) मार्गदर्शक सिद्धान्तानुसार यथानिर्धारित उपयुक्त स्कीमों को प्रारम्भ करने की बजाय तारपोलिनों के वितरण सामग्रियों के परिवहन पर उपदान आहार के लिए उपदान प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के उन्नयन, सार्वजनिक पुस्तकालय पर व्यय, उपभोक्ता सहकारिताओं को कार्यचालन पूंजीगत उपदान आदि जैसी 41 अनुपयुक्त स्कीमें दस*** विभागों द्वारा 15.56 करोड़ रु0 लागत से 1992-98 के दौरान क्रियान्वित की गई थीं।

वित्त आयुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने बताया (जून 1998) कि वही स्कीमें क्रियान्वयन के लिए आरम्भ की गई थीं जो राज्य के विशेष जनजातीय क्षेत्रों से सम्बद्ध होने के कारण परिवारोन्मुखी आय सृजित करने वाली स्कीमों के लिए क्रियान्वित की जानी सम्भव थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित उपयुक्त परिवारोन्मुखी आय सृजित करने वाली स्कीमों के लिए ही विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों से वित्तपोषणता अनुमत थी। इस प्रकार अनुपयुक्त स्कीमों पर किया गया 15.56 करोड़ रु0 का व्यय स्कीम के क्षेत्र से बाहर था।

3.9.9 क्रियान्वयन अभिकरणवार निष्पादन

3.9.9.1 हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम

जनजातीय विकास विभाग उपदान प्रदान करने, प्रशिक्षण तथा अन्य ऐसी सुविधाओं जैसे प्रोत्साहन/सहायक कार्यकलापों के माध्यम से निर्धन अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता के लिए निगम को विशेष केन्द्रीय सहायता निधियां प्रदान कर रहा था ताकि इन परिवारों के नियोजन अवसरों में वृद्धि हो सके।

---

* कृषि, उद्यान, शिक्षा, सहकारिता, उद्योग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद तथा ग्रामीण विकास।

** राजस्व, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि वानिकी तथा संरक्षण, सामाजिक एवं महिला कल्याण, मत्स्य पालन तथा जनजातीय विकास

*** कृषि: 1, उद्यान: 3, पशुपालन: 13, शिक्षा: 6, सहकारिता: 4, मत्स्य पालन: 2, एचजैड पीकेबी आई बी (उद्योग):4, परिवहन: 1, सामाजिक एवं महिला कल्याण: 3, जनजातीय विकास: 4

निगम को 1992-98 के दौरान 1.58 करोड़ रु0 की विशेष केन्द्रीय सहायता का निस्तारण किया गया था। इसमें से 1.15 करोड़ रु0 प्रयुक्त किए गए थे और 0.43 करोड़ रु0 अप्रैल 1998 तक अप्रयुक्त पड़े थे।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें पाई गईं:

(i) निगम ने अप्रैल 1998 तक विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्रत्यक्ष लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के लिए कोई पृथक् अभिलेख (स्कीमवार) नहीं बनाए थे। महाप्रबन्धक ने बताया (अप्रैल 1998) कि विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कोई पृथक् लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए थे।

(ii) 44.87 लाख रु0 विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी) से अनुसूचित जाति सघंटक योजना (एससीपी) को हस्तान्तरित किए गए थे और 1995-96 के दौरान उन्हें प्रयुक्त किए गए के रुप में दर्शाया गया था क्योंकि इस राशि को अनुसूचित जाति संघटक योजना स्कीम से व्यपवर्तित करके 1992-93 से 1995-96 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्कीमों पर खर्च किया गया बताया था (अप्रैल 1998)।

विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों के पृथक् लेखाओं/अभिलेखों को न रखने के कारण स्कीम का क्रियान्वयन लेखापरीक्षा में पूर्णत: सत्यापित नहीं किया जा सकता था।

(iii) मार्गदर्शक सिद्धान्तानुसार निगम का समता आधार विशेष केन्द्रीय सहायता से वित्तपोषित नहीं किया जाना था और बाद में उसे भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ऋण देने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाना था।

इसके प्रतिकूल निगम ने समता आधार की वित्तपोषणता के लिए विशेष सहायता से 1992-98 के दौरान 68.46 लाख रु0 (1992-93: 2 लाख रु0; 1993-94: 6.73 लाख रु0; 1994-95: 6.73 लाख रु0; 1995-96: 14 लाख रु0; 1996-97: 24 लाख रु0 तथा 1997-98: 15 लाख रु0) प्रयुक्त किए और लाभार्थियों को ऋण दिए। महाप्रबन्धक ने बताया (अप्रैल 1998) कि विशेष केन्द्रीय सहायता से पूर्ण किए गए समता आधार से ऋण का भुगतान राज्य सरकार द्वारा इस विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के लिए प्रदान की गई संस्वीकृति के आधार पर किया गया था। उत्तर समर्थनीय नहीं था क्योंकि ऋणों के संवितरण के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की प्रयुक्ति अनियमित थी।

अनुदेशों के प्रतिकूल निगम ने 1992-98 के दौरान 68.46 लाख रु0 ऋण प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किए।

(iv) 100 व्यक्तियों को इलैक्ट्रिशियन के ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मार्च 1996 में विनिर्दिष्टरुपेण निस्तारित 13.20 लाख रु0 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए थे तथा बचत बैंक खातें में जमा किए गए थे। यह राशि मई 1998 तक

अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

(v) मोटर मकैनिक, टायर रिट्रैडिंग, कम्प्यूटर, रेडियो तथा टी० वी० की मरम्मत, आदि के ट्रेडों में जनजातीय क्षेत्र के नवयुवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के रुप में 18.25 लाख रु० संस्वीकृत किए गए थे (मार्च 1996)।

नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि 1996-98 के दौरान प्रशिक्षित किए जाने वाले 147 नवयुवकों के लक्ष्य के प्रति 65 नवयुवकों को (टंकण तथा आशुलिपि: 19; हथकरघा: 20; मोटर ड्राईविंग: 17 तथा कम्प्यूटर: 9) 0.91 लाख रु० का व्यय (1996-97: 0.71 लाख रु० तथा 1997-98: 0.20 लाख रु०) करके प्रशिक्षित किया गया था तथा 17.34 लाख रु० की शेष राशि जून 1998 तक बैंक में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। महाप्रबन्धक ने बताया (अप्रैल 1998) कि जनजातीय क्षेत्रों में जिन नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जाना था उनकी अनुपलब्धता के कारण 17.34 लाख रु० का अव्ययित शेष प्रयुक्त नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजातीय विकास विभाग को मार्च 1996 में प्रस्ताव भेजते हुए प्रबन्ध निदेशक ने यह प्रस्ताव रखा था कि 1995-97 के दौरान 275 नवयुवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

3.9.9.2 हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

(i) ऊन की पिंजाई की सुविधाएं देकर तथा खादी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर जनजातीय परिवारों के आर्थिक विकासार्थ हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही थी। 1992-98 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के रुप में हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को 1.35 करोड़ रु० निस्तारित किए गए थे। 74.98 करोड़ रु० की निधियां स्टाफ के वेतन तथा कन्टिजैंसी के भुगतान के लिए निस्तारित की गई थी तथा 60 लाख रु० 1996-97 के दौरान पिंजाई संयन्त्र की स्थापना के लिए निस्तारित किए गए थे। इनमें से हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने 0.97 करोड़ रु० खर्च किए थे तथा 0.38 करोड़ रु० मार्च 1998 तक अप्रयुक्त पड़े थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जून 1998) कि यह राशि पिंजाई संयन्त्र को प्रतिष्ठापित न करने तथा स्टाफ के वेतन का भुगतान भी आगामी वर्ष में किए जाने के कारण प्रयुक्त नहीं की जा सकी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निधियों की प्रयुक्ति निश्चित अवधि में की जानी चाहिए थी।

हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को 1992-98 के दौरान निस्तारित निधियां पूर्णत: प्रयुक्त नहीं की गई थी।

(ii) भरमौर, काजा तथा किलार आईटीडीपीज में लगभग 13,000 जनजातीय परिवारों को लाभ पहुंचाने हेतु जनजातीय विकास विभाग ने उद्योग निदेशक को अगस्त 1996 में 45 लाख रु० निस्तारित किए थे (तीन पिंजाई संयन्त्रों की स्थापना: 39.01 लाख रु० तथा पांच विद्यमान पिंजाई संयन्त्रों की मरम्मत: 5.99 लाख रु०)।

नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि उद्योग निदेशक ने यह राशि हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रेषित की थी (मार्च 1997) जिसने इस राशि को बचत बैंक खाते में जमा करवा दिया (अप्रैल 1997)। इसमें से 9.45 लाख रु0 पुराने पिंजाई संयन्त्रों की मरम्मत पर खर्च किए गए थे जबकि संस्वीकृत राशि 5.99 लाख रु0 थी। 35.55 लाख रु0 की शेष राशि मार्च 1998 तक बैंक में अप्रयुक्त पड़ी थी क्योंकि दो पिंजाई संयन्त्रों के लिए भू-हस्तान्तरण की प्रक्रिया अन्तिम होने को थी जबकि तीसरे संयन्त्र के लिए स्थल चयन विचाराधीन था।

3.9.9.3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1992-98 के दौरान निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निस्तारित 2.11 करोड़ रु0 की विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रति 2.12 करोड़ रु0 खर्च किए गए थे।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें स्पष्ट हुई:

(i) जनजातीय विकास विभाग ने सभी पांच आईटीडीपीज को आपूरित किए जाने वाले पांच चलते फिरते रोगी वाहनों के क्रय हेतु निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अगस्त 1996 में (33.15 लाख रु0) तथा नवम्बर 1996 में (5.45 लाख रु0) 38.60 लाख रु0 की विशेष केन्द्रीय सहायता का आबण्टन किया था। फर्म ने अप्रैल 1997 में वाहन सौंपे।

दर संविदा की शर्तों तथा निबन्धनानुसार रोगी वाहनों के क्रय पर आपूर्तिकर्ता से 25 प्रतिशत उत्पादशुल्क की छूट स्वीकार्य थी। फर्म ने प्रत्येक रोगी वाहन पर उत्पाद शुल्क के रुप में 40 प्रतिशत की दर से (1.79 लाख रु0 प्रति वाहन की दर से) 8.95 लाख रु0 प्रभारित किए। इनमें से आपूर्तिकर्ता से 25 प्रतिशत की दर से 5.59 लाख रु0 प्रतिपूर्ति किए जाने थे।

परन्तु निदेशक, स्वास्थ्य सेवा ने उत्पाद शुल्क के प्रत्यर्पण (3.36 लाख रु0) का दावा वाहनों के सौंपने की तिथि से 290 दिनों के पश्चात् जनवरी 1998 मे प्रस्तुत किया (क्रय किए गए पांच वाहनों की बजाय केवल तीन वाहनों का) तथा जून 1998 तक कोई प्रत्यर्पण नहीं किया था। 45 दिन की निश्चित अवधि के भीतर दावा प्रस्तुत करने में निदेशक स्वास्थ्य सेवा की विफलता के परिणामस्वरुप 5.59 लाख रु0 की प्रतिपूर्ति नहीं हुई।

(ii) भारत सरकार ने सभी पांच आईटीडीपी क्षेत्रों में पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माणार्थ 1994-95 के दौरान 60 लाख रु0 की अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता निस्तारित की थी। इसमें से जनजाति विकास विभाग ने स्पिति तथा भरमौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माणार्थ लोकनिर्माण विभाग, भरमौर (12 लाख रु0) तथा काजा (12 लाख रु0) के अधिशासी अभियन्ताओं को 24 लाख रु0 प्रदान किए थे (मार्च 1995)। ये भवन निर्माण कार्य के आरम्भ से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किए जाने अपेक्षित थे। अप्रैल 1998 तक 7.32 लाख रु0 खर्च करने के पश्चात् सग्नम (स्पीति) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य प्रथम तल की छत के स्तर तक

पूर्ण किया जा चुका था। रुनुकोठी (भरमौर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण मई 1998 तक आरम्भ नहीं किया गया था। अधिशासी अभियन्ता, लोकनिर्माण मण्डल, भरमौर ने बताया (मई 1998) कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निष्पादन अभिकरण को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण स्थल नहीं सौंपा था।

3.9.9.4 शिक्षा विभाग

भारत सरकार ने भरमौर, काजा तथा रिकांग पिओ में तीन होस्टल भवनों के निर्माणार्थ 1993-94 में (85.20 लाख रु0) तथा 1996-97 में (29.77 लाख रु0) 1.15 करोड़ रु0 की अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता निस्तारित की थी तथा क्रमशः 1994-95 तथा 1997-98 के दौरान प्रयुक्त्यर्थ पुनर्वैधता की। इन भवनों के निर्माणार्थ समग्र राशि भी लोक निर्माण विभाग को अप्रैल 1995 तथा अप्रैल 1998 के बीच दे दी गई।

नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि भरमौर तथा काजा में दो होस्टल भवनों का निर्माण कार्य क्रमशः अक्तूबर तथा जून 1996 में प्रारम्भ किया गया। कार्य 63.78 लाख रु0 खर्च करके अभी प्रगति पर था। हालांकि यह आरम्भ होने से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। रिकांगपिओ में तीसरे होस्टल भवन का कार्य, जिसके प्रति 10 लाख रु0 मूल्य की सामग्री बुक की जा चुकी थी (मार्च 1996) स्थान की उपलब्धि की कमी के कारण अभी (मई 1998) आरम्भ किया जाना था।

उपरोक्त कार्यों की अपूर्णता/आरम्भ न करने के परिणामस्वरुप लाभार्थी अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे थे और 41.19 लाख रु0 की विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों का भी अवरोधन हुआ था।

3.9.10 अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण

भारत सरकार अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण की एक स्कीम क्रियान्वित कर रही थी जिसके तीन घटक थे: 50:50 के आधार पर जनजातीय अनुसन्धान संस्थानों को सहायता अनुदान, अनुसन्धान परियोजना एवं मूल्यांकन के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर अनुदान तथा डाक्टोरल एवं पोस्ट डाक्टोरल अध्ययनों के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर फैलोशिप प्रदान करना।

स्कीम के पहले दो संघटक अर्थात् "जनजातीय अनुसन्धान संस्थानों" को सहायता अनुदान तथा "अनुसन्धान एवं मूल्यांकन परियोजनाओं" को अनुदान राज्य में क्रियान्वित नहीं किए गए थे। वित्त आयुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने संघटक (मार्च 1998) को क्रियान्वित न करने के कारण सूचित नहीं किए थे (जुलाई 1998)।

3.9.11 प्रबोधन/पर्यवेक्षण

मार्गदर्शक सिद्धान्तानुसार राज्य सरकार ने स्कीमों/कार्यों के प्रबोधन/पर्यवेक्षण हेतु निरीक्षणों की अवधि तथा अनुसूचियां निर्धारित करनी थी।

नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि राज्य सरकार ने अधिकारियों के लिए 1992-98 के दौरान स्कीमों/कार्यों के निरीक्षणों अथवा पर्यवेक्षणार्थ दौरों की अवधि तथा अनुसूची निर्धारित नहीं की थी। वित्तायुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने बताया (जून 1998) कि विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीमों का पर्यवेक्षण तभी किया गया था जब कभी अधिकारियों ने क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा किया था। परन्तु किए गए निरीक्षणों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

वित्तायुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने यह भी बताया (जून 1998) कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव विभागों के साथ समीक्षा बैठक करता है जो अपने स्तर पर भी वैसा ही कार्य करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त अवधि के दौरान 31.79 करोड़ रु0 के कुल व्यय में से 21.79 करोड़ रु0 स्कीम के अन्तर्गत न आने वाले अन्य क्रियाकलापों पर प्रयुक्त किए गए थे, जैसा कि लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया गया, अतः राज्य स्तर पर स्कीम के उन्नत प्रबोधन के लिए गुंजाइश थी।

3.9.12 मूल्यांकन

विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी) का मूल्यांकन स्कीम के प्रभाव को निर्धारित करने तथा उसकी सफलता अथवा असफलता को निश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बाहय अभिकरण के माध्यम से कराया जाना था।

नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि किसी भी अभिकरण ने 1992-98 के दौरान कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किए थे। जनजातीय क्षेत्रों में स्कीम के प्रभाव को जानने के लिए जनजातीय विकास विभाग ने जून 1998 तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया था यद्यपि 1992-98 के दौरान 31.79 करोड़ रु0 का व्यय किया जा चुका था। वित्तायुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने बताया (जून 1998) कि क्रियान्वयन, प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण प्रयोजनों के लिए कोई स्टाफ प्रदान नहीं किया गया था। उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि मूल्यांकन विभाग के स्टाफ की बजाय बाह्य अभिकरण से करवाया जाना था।

ये तथ्य सरकार को जुलाई 1998 में सन्दर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

3.10 अग्निविमुख वृत्तों में आग बुझाने के लिए केन्द्रीय सहायता का दुरुपयोग

राज्य में वनाग्नियों के नियंत्रण एवं निवारण हेतु भारत सरकार ने 3.56 करोड़ रु0 की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वाली एक अग्नि संरक्षण योजना अनुमोदित की थी (दिसम्बर 1995)। राज्य ने इस शर्त पर कि वाहनों को राज्य के अग्नि उन्मुख मण्डलों में ही प्रयोग किया जाएगा, योजनान्तर्गत 12 वाहनों के क्रय को संस्वीकृति प्रदान की (नवम्बर 1996)। योजना में अग्नि को शीघ्र बुझाने के लिए अग्निदर्शक दल की गति हेतु अग्नि उन्मुख मण्डलों में अतिरिक्त लघु वाणिज्यिक वाहनों का क्रय परिकल्पित था। योजना के अधीन बिलासपुर चम्बा, धर्मशाला, मण्डी, नाहन, रामपुर, शिमला तथा सोलन वन वृत्त और मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) को अग्नि उन्मुख के रुप में चिंहित किया गया था।

अग्नि युद्धार्थ विशेषतः खरीदे गए वाहन विद्यमान वाहनों की प्रतिस्थापना में दैनिक आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किए गए थे।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया (नवम्बर 1997) कि उसने योजना के अन्तर्गत 38.56 लाख रु0 के 12 वाहन खरीदे थे (फरवरी 1997)। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने इनमें से दो वाहन वन मण्डल अधिकारी, हमीरपुर तथा चौपाल को उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विद्यमान वाहनों के विनिमय में दे दिए। विद्यमान पुराने वाहन वन कार्य योजना मण्डल देहरा तथा धर्मशाला को तथा तीन वाहन कार्यालयों को (वन मण्डल अधिकारी सिल्विकल्चर शिमला, परियोजना निदेशक, कण्डी परियोजना तथा प्रधान मुख्य अरण्यपाल) हस्तान्तरित किए गए थे जो कि अग्नि उन्मुख जिलों में स्थित नहीं थे तथा वनों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चम्बा, रामपुर, शिमला तथा सोलन वन वृत्तों को कोई वाहन प्रदान नहीं किए गए थे जिन्हें योजनाधीन अति अग्नि उन्मुख के रुप में घोषित भी किया गया था।

अग्नियुद्धार्थ विशेषतः उपार्जित नए वाहनों को अग्नि उन्मुख वृत्तों में असम्मिलित वन मण्डलों की दैनिक आवश्यकताओं के लिए प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं था। फलतः 15.62 लाख रु0 की केन्द्रीय सहायता का दुरुपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त चम्बा, रामपुर, शिमला तथा सोलन के चिहिंत अग्नि उन्मुख वनवृत्तों को वाहन प्रदान करने की विफलता ने इन वृत्तों में अग्नि संरक्षण के उद्देश्यों को परास्त कर दिया था।

मामला सरकार को मई 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

3.11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी चार वर्ष तक प्रशिक्षण से वंचित

प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स ट्रेड शुरु करने के लिए पोस्ट ऐक्सटेंशन इक्विपमेण्ट के अतिरिक्त सैट सहित विन्सौर मॉडल हिम-300 मशीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाँवटा साहब में लगाने हेतु सुन्दरनगर के तकनीकी शिक्षा निदेशक द्वारा 6.13 लाख रु० की लागत से अगस्त 1994 में खरीदी गई थी। निदेशक ने मशीनरी लगाने के लिए शाला निर्माणार्थ प्रधानाचार्य को निदेश दिया था (फरवरी 1995) लेकिन उसने नवम्बर 1997 में संस्वीकृति का मामला भेजा। मामला भेजने में विलम्ब के कारण अभिलिखित नहीं थे।

आई०टी०आई० पांवटा साहब के प्रधानाचार्य के अभिलेख की नमूना जांच ने दर्शाया (दिसम्बर 1997) कि अब शाला निर्माण हो चुका था लेकिन मशीन नहीं लगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने आई०टी०आई० में 220 केवीए का सब-स्टेशन जुलाई 1998 तक नहीं बनाया।

आई०टी०आई० के प्रधानाचार्य ने बताया (दिसम्बर 1997) कि राज्य सरकार ने सब-स्टेशन बनाने के लिए 1.73 लाख रु० की प्रशासनिक मंजूरी व 0.20 लाख रु० की व्यय स्वीकृति दे दी थी (फरवरी 1996)। राज्य सरकार द्वारा 1.53 लाख रु० की बची राशि की व्यय स्वीकृति हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता को भी सम्प्रेषित की गई थी (जुलाई 1996)। उसने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पांवटा साहब के अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) के नियन्त्रण में निधि रखनी थी। प्रधानाचार्य ने यह भी बताया कि उसे ज्ञात नहीं कि राशि जमा की गयी थी कि नहीं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मशीन लगाने के तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाचार्य को मामला सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास अनुसरित करना चाहिए था।

मशीन चालू नहीं हुई और विद्यार्थी जुलाई 1998 तक व्यावहारिक प्रशिक्षण से वंचित रहे तथा साथ-साथ 6.13 लाख रु० की सरकारी निधि रुकी रही।

यह मामला जून 1998 में सरकार को भेजा गया था। उत्तर नहीं मिला (अक्तूबर 1998)।

3.12 माध्यमिक शिक्षा

3.12.1 परिचय

विभिन्न कार्यक्रमों जैसे शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार, कमजोर वर्गों के शिशुओं के पंजीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने तथा प्रशासन की शक्ति बढ़ाने के माध्यम से राज्य बजट का लगभग सात प्रतिशत वार्षिकरुपेण माध्यमिक शिक्षा पर खर्च किया जा रहा था। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे "ऑप्रेशन ब्लैकबोर्ड का विस्तार" के अन्तर्गत आवश्यक शिक्षण व शिक्षार्थी सामान व अन्य सुविधाओं को देने के लिए भारत सरकार द्वारा निधियां दी जा रही थीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन0पी0ई0) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान काफी निवेश करके माध्यमिक शिक्षा में मूलाधार के उच्चीकरण तथा शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राज्य में लागू की गई थी।

राज्य में मार्च 1998 तक 424 सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, 977 हाई स्कूल तथा 1219 मिडिल स्कूल थे जिनसे माध्यमिक शिक्षा दी जा रही थी।

3.12.2 संगठनात्मक ढांचा

माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू करने की सारी जिम्मेदारी आयुक्त व शिक्षा सचिव पर थी जिसकी सहायता राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशक तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जाती थी। सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों व हाई स्कूलों के स्तर पर यह कार्यक्रम प्रधानाचार्यों व मुख्य अध्यापकों द्वारा लागू किया जा रहा था जो आहरण व संवितरण अधिकारियों के रुप में कार्यरत थे।

3.12.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

छः जिलों* के 43 सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों व 50 हाईस्कूलों व इन जिलों के जिला शिक्षाधिकारियों तथा शिक्षा निदेशक के अभिलेख की नमूना जांच से अक्तूबर 1997 से अप्रैल 1998 के दौरान 1995-98 के लिए लेखापरीक्षा में माध्यमिक शिक्षा के कुछ पहलुओं की समीक्षा की गयी थी। नमूना जांच से ध्यान में आए महत्वपूर्ण बिन्दु अनुवर्ती परिच्छेदों में विवेचित हैं।

---

* चम्बा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मण्डी व सिरमौर

3.12.4 मुख्य बातें

** 1995-98 के दौरान माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय के औसत पर स्टाफ पर व्यय 88 प्रतिशत था लेकिन शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारियों के पास विभाग में स्टॉफ की स्वीकृत संख्या या कार्यरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं थी। 1995-98 के दौरान विभाग के लिपिक वर्गीय स्टाफ की जनशक्ति के निर्धारणार्थ कोई भी मानक उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

(परिच्छेद 3.12.6.1 से 3.12.6.3)

** 1996-97 में 28 सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों में 58 अधिक प्रवक्ताओं के वेतन व भत्तों पर 52.56 लाख रु0 खर्च किए गए थे।

{परिच्छेद 3.12.6.4 (i)}

** 1997-98 में 597 मिडिल स्कूलों में 597 शास्त्री या प्राच्याध्यापक अधिक तैनात किए गए थे और 1997-98 में उनके वेतन व भत्तों पर 3.58 करोड़ रु0 का खर्चा हुआ। विभिन्न मिडिल व हाई स्कूलों में कुल 262 जूनियर बेसिक अध्यापक, सीनियर वर्नाक्यूलर अध्यापक, बैण्ड मास्टर व मैनुअल ट्रेनिंग इन्सट्रक्टर कार्यरत थे जबकि वहां इनका कोई प्रावधान नहीं था। इससे 1997-98 में फालतू अध्यापकों के वेतन व भत्तों पर 1.10 करोड़ रु0 खर्च हुए।

{परिच्छेद 3.12.6.4(ii)}

** 1995-98 में मानकों पर व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत अनधिकृत रुप से नियुक्त 16 प्रवक्ताओं को 35.12 लाख रु0 दिए गए।

(परिच्छेद 3.12.6.6.)

** नई प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए शिक्षा निदेशक ने सरकारी अनुमोदन के बिना 62 स्कूलों में विहित दरों से कम दरों पर 23.25 लाख रु0 वितरित किए। प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए अभिप्रेत 11.68 लाख रु0 22 स्कूलों में अप्रयुक्त पड़े थे।

[परिच्छेद 3.12.7.1 (i) (क) तथा (ख)]

** 1997-98 शिक्षण सत्र में मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के बदले में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल 0.22 लाख विद्यार्थियों को 32.56 लाख रु0 का नकद भुगतान संवितरित नहीं किया गया था। पूरे सैटों में पुस्तकें न खरीदने के कारण 93 स्कूलों में अधिक संख्या में पुस्तकें अवितरित पड़ी थी जिनकी लागत 8.51 लाख रु0 थीं जबकि मार्च 1998 तक 0.31 लाख विद्यार्थियों को पूरे

सैट (1.70 लाख किताबें) नहीं दिए जा सके थे जिनकी लागत 23.56 लाख रु0 थी। कांगड़ा, मण्डी व सिरमौर जिलों के 28 स्कूलों में 1996-97 में उन लगभग 2400 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कोई भी किताब नहीं दी गयी जो छठी से दसवीं कक्षाओं के छात्र थे।

[परिच्छेद 3.12.7.4(i)(ख),(ग)व (ड.)]

*** 1995-98 में छः जिलों के 77 स्कूलों में छठी से दसवीं कक्षा की लगभग 3000 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्राओं को या तो कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई या फिर 12.84 लाख रु0 की सीमा तक कम राशि दी गयी। छः जिलों के 77 स्कूलों में आई0आर0डी0पी0 परिवारों से 5600 विद्यार्थियों को जिन्हें 1995-98 में छात्रवृत्ति देय थी या तो नहीं दी गयी या फिर 23.99 लाख रु0 की सीमा तक कम दी गयी (4988 विद्यार्थी) या (604 विद्यार्थी)।

[परिच्छेद 3.12.7.4(ii) व (iii)]

*** निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक मिडिल व हाई स्कूल 1995-98 के दौरान हाई व सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में उच्चीकृत किए गए थे। प्रधानाचार्य/प्रधान अध्यापक के लिए अलग कक्ष, स्टाफ रुम, कक्षा-कक्ष, कार्यालय व भण्डार कक्ष, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, पुरुष व महिला स्टाफ/विद्यार्थियों के लिए अलग से शौचालय, खेल के मैदान आदि न्यूनतम सुविधाएं नमूना परीक्षित छः जिलों के कई स्कूलों में उपलब्ध नहीं करवाई गई थीं।

[परिच्छेद 3.12.7.5 एवं 3.12.7.5.(क)]

*** मई 1998 तक 372 स्कूल भवन अधूरे पड़े थे। विभाग को निर्माणकार्य शुरु करने की अवधि तथा निर्माणकार्यों की प्रत्यक्ष व वित्तीय प्रगति की जानकारी नहीं थी। नमूना परीक्षित छः जिलों में पच्चीस स्कूल भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़े थे।

[परिच्छेद 3.12.7.6 (क) व (ख)]

*** सिरमौर जिले का कोटी-धीमान स्कूल उच्चीकृत करके 1963 में मिडिल व 1987 में हाई स्कूल किया गया था लेकिन मार्च 1998 तक कोई भी स्कूल भवन निर्मित नहीं किया गया था। कक्षाएं खुले प्रांगण में लगाई जा रही थीं।

[परिच्छेद 3.12.7.6 (ग)]

*** 1990-97 में निजीरुपेण प्रबन्धित 229 स्कूलों को दिए गए 1.66 करोड़ रु0 के अनुदानों के लिए प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

(परिच्छेद 3.12.7.7)

** किन्नौर व लाहौल एवं स्पिती जिलों में 1996-97 में 1:19 के समग्र औसत अध्यापक व छात्र अनुपात के प्रति 52 मिडिल स्कूलों में अध्यापक व छात्र अनुपात 1:3 था। तेलिंग मिडिल स्कूल (लाहौल व स्पीति जिला) में 1996-97 में तीन विद्यार्थियों के लिए पांच अध्यापक तैनात किए गए थे तथा चखांग मिडिल स्कूल (लाहौल व स्पिति जिला) में 1997-98 में छः छात्रों के लिए छः अध्यापक तैनात थे।

(परिच्छेद 3.12.7.9)

** शिक्षा निदेशक के पास किए गए निरीक्षणों की संख्या व अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना नहीं थी। चम्बा, किन्नौर व मण्डी के जिला शिक्षा अधिकारियों ने 1995-98 के दौरान क्रमशः एक, दो व तीन वर्षों के लिए वार्षिक निरीक्षण नहीं किए। विगत दो वर्षों के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.12.8.1)

** 1995-96 में मुख्य शीर्ष 2202 के अन्तर्गत पांच उप शीर्षों में 17.97 करोड़ रु0 अभ्यर्पित किए गए थे जबकि इसके बावजूद भी व्यय अन्तिम आबण्टन से अधिक था। इसके परिणामस्वरुप अन्तिम अनुदान पर 6.76 करोड़ रु0 का आधिक्य हुआ।

(परिच्छेद 3.12.9.7)

** 1995-98 में अभिदाताओं द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि खातों से 2.39 लाख रु0 निकाले गए जबकि उनके खातों में पर्याप्त शेष उपलब्ध नहीं था।

(परिच्छेद 3.12.9.10

3.12.5 बजट प्रावधान व व्यय

विभाग के लिए सरकार के वार्षिक बजट में अनुदान संख्या 8-शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति, 19-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण व 31-जनजातीय विकास के माध्यम से तीन* मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत धन उपलब्ध करवाया गया था।

विभाग के शिक्षा निदेशक के नियन्त्रणाधीन 1404 संवितरण अधिकारी व 17 नियन्त्रण अधिकारी थे। शिक्षा निदेशक विभाग का मुखिया था जो वित्त विभाग को बजट आकलन प्रस्तुत करता था। नियन्त्रण अधिकारियों को बजट आकलन तैयार करने का काम नहीं सौंपा गया था।

---

* 2202-सामान्य शिक्षा; 2235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण तथा 4202-पूंजीगत 01-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर परिव्यय

1995-98 में माध्यमिक शिक्षा के अधीन बजट प्रावधान व वास्तविक खर्चा नीचे दिए गए अनुसार था:

वर्ष	मुख्य शीर्ष	मूल बजट प्रावधन			वास्तविक व्यय			भिन्नता आधिक्य(+)/बचतें(-)		अभ्यर्पण	
		राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
		(करोड़ रुपए)									
1995-96	2202	173.74		173.74	162.85		162.85	(-)10.89		15.27	
	2235	0.12		0.12	0.11		0.11	(-)0.01			
	4202		1.67	1.67		1.52	1.52		(-)0.15		0.14
1996-97	2202	199.19		199.19	193.57		193.57	(-)5.62		3.95	
	2235	0.14		0.14	0.13		0.13	(-)0.01			
	4202		0.95	0.95		1.27	1.27		(+)0.32		
1997-98	2202	200.80		200.80	242.73		242.73	(+)41.93		--	
	2235	0.15		0.15	0.16		0.16	(+)0.01			--
	4202		0.79	0.79		0.78	0.78		(-)0.01		
	कुल	574.14	3.41	577.55	599.55	3.57	603.12				

लेखापरीक्षा में ये मुद्दे पाए गए:-

(i) 1995-96 में राजस्व व पूंजी प्रवर्गों में शिक्षा निदेशक द्वारा 15.41 करोड़ रु० अभ्यर्पित किए गए जबकि वास्तविक बचत 11.05 करोड़ रु० थी। इसके कारण 4.36 करोड़ रु० का अभ्यर्पण अधिक हुआ। 1996-97 में 5.31 करोड़ रु० की बचत के प्रति 3.95 करोड़ रु० अभ्यर्पित हुए जिससे 1.36 करोड़ रु० की चूक हुई।

(ii) 1997-98 में राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत अनुदान से व्यय 41.93 करोड़ रु० बढ़ गया जिसके लिए शिक्षा निदेशक ने पूरक अनुदान नहीं प्राप्त किया। इस अधिक व्यय को जुलाई 1998 तक नियमित नहीं किया गया था। इसमें से योजनागत में अधिक व्यय 22.82 करोड़ रु० व आयोजनेतर के अन्तर्गत अधिक व्यय 19.11 करोड़ रु० था। दत्तमत अनुदान पर 41.93 करोड़ रु० के अधिक व्यय के कारणों को शिक्षा निदेशक ने मुख्यत: वेतनमानों के संशोधन के कारण बकायों के भुगतान से सम्बद्ध किया था (अगस्त 1998)।

वित्तीय व बजट प्रबन्ध पर विस्तृत विवेचनाएं परिच्छेद संख्या 3.12.9 में विवेचित हैं।

3.12.6 मानव संसाधन प्रबन्ध

3.12.6.1 जनशक्ति पर खर्च

1995-98 में मिडिल स्कूलों के अध्यापकों सहित माध्यमिक शिक्षा स्टाफ की वर्षबद्ध स्टाफ लागत की स्थिति निम्नांकित थीं:-

वर्ष	वास्तविक व्यय	स्टाफ लागत (स्टाफ का वेतन) (करोड़ रुपए)	वास्तविक खर्चे पर स्टाफ लागत की प्रतिशतता
1995-96	164.48	148.29	90
1996-97	194.97	169.27	87
1997-98	243.67	214.93	88

स्टाफ पर खर्चे 1995-98 में 87 से 90 प्रतिशत के बीच थे।

3.12.6.2 स्वीकृत शक्ति व कार्यरत व्यक्तियों के बारे में विभाग के पास कोई सूचना नहीं थी

शिक्षा निदेशक के कार्यालय/स्थापना से सम्बद्ध जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों के प्रत्येक अनुभाग ने पदधारकों की नियुक्ति/तैनाती तथा अस्थाई पदों के स्थाई पदों में परिवर्तन की जांच हेतु विहित प्रपत्र में अस्थाई व स्थाई स्वीकृत पदों के पृथक रजिस्टर बनाने थे।

शिक्षा निदेशक के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निदेशालय में न तो स्थाई व अस्थाई स्वीकृत पदों के कैडरवार पृथक रजिस्टर बनाए गए और न कैडरवार वर्षबद्ध स्टाफ स्थिति ही तैयार की गई। इस प्रकार शिक्षा निदेशक कार्यालय 1995-98 के लिए स्वीकृत शक्ति तथा कार्यरत व्यक्तियों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवा सका। ऐसी सूचना की अनुपस्थिति में स्वीकृत संख्या की कार्यरत व्यक्तियों से तुलना नहीं की जा सकी। नमूना परीक्षित जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में ऐसी ही स्थिति विद्यमान थी। यह विफलता बजट में स्टाफ लागत के समुचित आकलन पर नियंत्रण तथा संस्वीकृत पदों के सन्दर्भ में उसके नियंत्रण के अभाव की द्योतक है।

निदेशक विभाग की स्वीकृत संख्या व कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति की सूचना नहीं दे सका।

शिक्षा निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया (मई 1998)।

3.12.6.3 विभाग में जनशक्ति (अनुसचिवीय स्टाफ) के निर्धारणार्थ मानक उपलब्ध नहीं थे

राज्य में विभाग के निदेशालय, आंचलिक कार्यालयों तथा जिला शिक्षा कार्यालयों में तैनात अनुसचिवीय स्टाफ की जनशक्ति आवश्यकता के निर्धारणार्थ न तो कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए थे और न ही कोई व्यवस्था या क्रियाविधि उद्भूत की गई थी। परिणामत: 1995-98 में स्टाफ तदर्थ आधार पर स्वीकृत किया गया व लगाया गया था। शिक्षा निदेशक ने बताया (जून 1998) कि ये मापदण्ड सहज उपलब्ध नहीं थे और इन्हें समय आने पर ढूंढा जाएगा।

3.12.6.4 जनशक्ति उपयोग

(i) सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में अधिक तैनाती व प्रवक्ताओं का अनुचित वितरण

सरकार द्वारा विहित मापदण्डों के अनुसार सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक रोजगार पर लगे प्रत्येक अध्यापक/प्रवक्ता ने कम से कम 36 वादन प्रति सप्ताह पढ़ाने थे।

इन मापदण्डों के आधार पर तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या 80 प्रति कक्षा इकाई रखते हुए सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रवक्ताओं की आवश्यकता तथा सभी स्कूलों में सम्पूर्ण आवश्यकताओं को साथ-साथ लेते हुए निर्धारित की जानी थी।

28 सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रवक्ताओं का आधिक्य।

नमूना परीक्षित 28 सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में 1996-97 के शिक्षा सत्र में प्रवक्ता या तो आवश्यकता से अधिक तैनात किए गए थे या फिर उनकी कमी थी जैसे कि नीचे सारणीकृत है:-

क्रमांक	विषय	प्रवक्ताओं की कमी (सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या)	प्रवक्ताओं का आधिक्य सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या)	शुद्ध आधिक्य
1.	अंग्रेजी	4(4)	13(13)	9
2.	गणित	शून्य	11(11)	11
3.	भौतिक शास्त्र	1(1)	7(7)	6
4.	रसायन शास्त्र	1(1)	7(7)	6
5.	हिन्दी	2(2)	5(5)	3
6.	अर्थशास्त्र	1(1)	11(11)	10
7.	इतिहास	4(4)	13(13)	9
8.	राजनीति शास्त्र	2(2)	6(6)	4
	जोड़	15	73	58

28 सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में 58 प्रवक्ताओं की समग्र अधिकता थी। तैनातियों की विषयबद्ध स्थिति से इंगित होता था कि 1996-97 के शिक्षा सत्र में 73 प्रवक्ताओं की वास्तविक अधिकता व 15 प्रवक्ताओं की कमी थी। इसके कारण 1996-97 में ही अधिक प्रवक्ताओं के वेतनमानों के न्यूनतम पर संगणित औसत के आधार पर 52.56 लाख रु० (लगभग) का फालतू खर्च हुआ।

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि ये पद समीपस्थ क्षेत्रों मे नए सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों को खोलने के कारण किसी विषय विशेष में पंजीकरण में आई गिरावट के कारण फालतू हो गए। फालतू प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश प्रत्याहृत कर लिए गए थे क्योंकि सत्र के बीच में प्रवक्ताओं को हटाने से समस्या सुलझने के बजाय अव्यवस्था में परिणत हो गयी होती। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विहित मानकों के अनुसार आवश्यक हुए प्रवक्ताओं की संख्या पर प्रभाव डाले बिना फालतू स्टाफ/प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण की आवश्यकता थी।

(ii) **फालतू प्राच्याध्यापक व शास्त्री**

(क) उन मिडिल स्कूलों में अध्यापन कर्मियों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार जहां प्रत्येक कक्षा (VI से VII) के लिए छात्रों का एक वर्ग ही कार्यरत था, प्राच्याध्यापक या शास्त्री का केवल एक पद दिया जाता था।

नमूना जांच से पता चला कि 1997-98 में 597 मिडिल स्कूलों में छात्रों के पंजीकरण के आधार पर इन स्कूलों में प्राच्याध्यापकों के 597 पद और शास्त्रियों के 597 पद उपलब्ध करवाए गए थे। इस प्रकार विहित मानकों से 597 शास्त्रियों/प्राच्याध्यापकों के अधिक पद उपलब्ध करवाए गए थे जिससे 1997-98 में 597 फालतू शास्त्रियों/प्राच्याध्यापकों को 3.58 करोड़ रु० (लगभग) का भुगतान किया गया था।

597 मिडिल स्कूलों में शास्त्रियों के 597 पद मानकों से अधिक उपलब्ध थे।

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि पंजाब के पुनर्गठन से पहले सभी मिडिल स्कूलों में भाषाध्यापकों व प्राच्याध्यापकों दोनों के ही पद स्वीकृत थे जो कि अभी तक परिचालन में रहे और अब इन फालतू पदों को जरुरतमन्द हाई स्कूलों व सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में स्थानान्तरित किया जा रहा था। इस प्रकार शिक्षा निदेशक द्वारा फालतू पद विहित मापदण्डों के खिलाफ प्रतिधारित किए गए थे।

(ख) मार्च 1997 में सरकार द्वारा विहित मानकों में मिडिल/हाई स्कूलों में जूनियर बेसिक टीचर, सीनीयर वर्नाक्यूलर टीचर, बैण्ड मास्टर, मैनुअल ट्रेनिंग इन्सट्रक्टर आदि के पदों के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1997-98 में विभिन्न मिडिल व हाई स्कूलों में 262 पद (जे0बी0टी0: 69 पद; एस0वी0टी0: 186 पद; बैण्ड मास्टर: 04 पद तथा एम0टी0आई0: 03 पद) परिचालनात्मक थे। इससे 1997-98 में इन फालतू अध्यापकों के वेतन व भत्तों पर 1.10 करोड़ रु0 का टालने योग्य भुगतान हुआ।

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि हाई व मिडिल स्कूलों में जे0बी0टी0 के फालतू पद प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के जरुरतमन्द प्राथमिक स्कूलों को स्थानान्तरित किए जा रहे थे।

(ग) सरकार के निर्णयानुसार (अप्रैल 1973) नैशनल डिसीप्लिन स्कीम इन्सट्रक्सर्ज को अवसानासन्न कैडर घोषित किया गया था और एन0डी0एस0आई0 को भौतिक शिक्षा अध्यापकों के पदों के प्रति स्कूलों में तैनात किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 78 एन0डी0एस0 आई0 को भौतिक शिक्षा अध्यापकों के पदों के अतिरिक्त स्कूलों में तैनात किया गया था जिससे 1995-98 मे वेतन व भत्तों के लिए 35.10 लाख रु0 का टाला जाने वाला भुगतान हुआ। भौतिक शिक्षा अध्यापकों के पदों के अतिरिक्त एन0डी0एस0आई0 की नियुक्ति के कारण मांगे गए थे (मई 1998) जिन्हें सूचित नहीं किया गया था (जुलाई 1998)।

3.12.6.5 असन्तोषजनक परीक्षा परिणामों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई

शिक्षा निदेशक द्वारा जारी अनुदेशों (सितम्बर 1995) के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों/शिक्षा निदेशक या वित्तायुक्त व शिक्षा सचिव द्वारा उन अध्यापकों तथा स्कूलाध्यक्षों के विरुद्ध सरकार द्वारा यथानुमोदित चेतावनी जारी करना तथा वेतनवृद्धियां आदि रोकने जैसी कार्रवाई की जानी थी जिनके परिणाम शून्य से दस प्रतिशत के बीच थे।

1995-97 में हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा यथाघोषित राज्य के सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में +2 विज्ञान वर्ग परीक्षा परिणामों की स्थिति इस प्रकार थी:-

वर्ष	सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों की कुल संख्या	उन स्कूलों की संख्या जहां परिणाम था		
		0 प्रतिशत	1-5 प्रतिशत	6-10 प्रतिशत
1995	139	13	6	9
1996	166	15	4	13
1997	177	13	1	8
जोड़		41	11	30

(स्रोत: 1995, 1996 व 1997 के +2 (विज्ञान वर्ग) परीक्षा के राजपत्र)

1995 में 13 स्कूलों, 1996 में 15 स्कूलों व 1997 में 13 स्कूलों में +2 विज्ञान वर्ग के परिणाम शून्य प्रतिशत रहे लेकिन जिला शिक्षा अधिकारियों/शिक्षा निदेशक द्वारा सम्बन्धित स्कूलों के अध्यापकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि प्रधानाचार्यों के असन्तोषप्रद निष्पादन के खिलाफ कार्रवाई शिक्षा सचिव ने करनी थी।

3.12.6.6 अनधिकृत नियुक्तियां

सरकारी अनुदेशों (मई 1988) के अनुसार यदि किसी स्कूल में किसी व्यवसाय की कक्षाओं में छात्रों का पंजीकरण 40 से कम हो तो केवल एक ही प्रवक्ता की अनुमति दी जानी थी।

नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि शिक्षा निदेशक ने छः व्यवसायों में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए 12 सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में 16 मामलों (व्यवसायों) में 32 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जबकि 1995-98 में प्रत्येक स्कूल में किसी व्यवसाय के लिए पंजीकरण 40 छात्रों से कम था जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्रमांक	सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल का नाम	व्यवसाय	.....में छात्रों का पंजीकरण			स्कूल में नियुक्त प्रवक्ताओं की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अधिक प्रवक्ता
			1995-96	1996-97	1997-98		
1.	केलांग	इलैक्ट्रानिक्स	2	1	1	2	1
		मरम्मत व अनुरक्षण	1	0	2	2	1
2.	दलाश	इलैक्ट्रानिक्स	6	7	5	2	1
		उद्यान	13	24	11	2	1
3.	बंजार	कम्प्यूटर	30	15	15	2	1
		मरम्मत व अनुरक्षण	12	33	17	2	1
4.	चम्बा	मरम्मत व अनुरक्षण	9	16	16	2	1
5.	कल्पा	इलैक्ट्रानिक्स	13	33	10	2	1
6.	पॉर्टीयर, शिमला	खाद्य संरक्षण	36	23	13	2	1
7.	ननखड़ी	इलैक्ट्रानिक्स	35	28	17	2	1
8.	नाहन	इलैक्ट्रानिक्स	25	31	26	2	1
9.	बिलासपुर	लेखापद्धति	14	18	15	2	1
10.	कृष्णा नगर	उद्यान	22	24	27	2	1
11.	जोगिन्दर नगर	मरम्मत व अनुरक्षण	21	23	23	2	1
12.	जुब्बल	उद्यान	21	34	30	2	1
		लेखापद्धति	26	31	30	2	1
जोड़						32	16

इस प्रकार विहित मानकों के आधिक्य में 16 प्रवक्ता नियुक्त किए गए थे जिससे 1995-98 में उनके वेतन व भत्तों पर 35.12 लाख रु0 (लगभग) का खर्च हुआ।

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए मापदण्ड एक व्यवसाय में 25 छात्र थे। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि किसी स्कूल के किसी व्यवसाय में किसी प्रवक्ता की नियुक्ति हेतु छात्र संख्या सरकार द्वारा 40 छात्र निर्धारित की गयी थी।

3.12.7 कार्यक्रम कार्यान्वयन

राज्य में 1995-98 में 12 राज्य योजनागत स्कीमें तथा 13 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें परिचालन में थीं। 1995-98 में 195.08 करोड़ रु0 के बजट प्रावधान के प्रति इन स्कीमों के अन्तर्गत कुल खर्च 216.26 करोड़ रु0 था। विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन का शिक्षा निदेशक व जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया जाना था जिसे स्कूलों के निरीक्षण तथा उनसे प्राप्त आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से किया जाना था। आठ* स्कीमों के क्रियान्वयन सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नांकित तथ्यों का पता चला:

---

*(क) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

1. विज्ञान शिक्षा का सुधार
2. अपर प्राइमरी स्कूलों (मिडिल स्कूलों) में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का विस्तार

(ख) राज्य स्कीमें

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्राओं तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छात्रों को छात्रवृत्ति।
3. स्कूलों का उच्चीकरण।
4. स्कूल भवनों का निर्माण/
5. निजीरूपेण प्रबन्धित स्कूलों को सहायता अनुदान।
6. सुविधाएं व अन्य सामान्य मुद्दे।

3.12.7.1 स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार

विज्ञान शिक्षा में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का नैरन्तर्य अनुमोदित किया (जून 1993) और स्कीम के क्रियान्वयनार्थ मार्च 1995 व दिसम्बर 1996 में क्रमश: 56.95 लाख रु0 व 77.03 लाख रु0 स्वीकृत किए जैसे कि नीचे दिया गया है:

क्रमांक	मद	1994-95	1996-97
		(लाख रुपए)	
1.	प्रति मिडिल स्कूल 2400 रु0 की दर से साइन्स किटों का प्रावधान	1.15 (48 स्कूल)	1.70 (71 स्कूल)
2.	सेकेण्डरी स्कूलों में 75,000 रु0 प्रति स्कूल की दर से नई प्रयोगशालाओं का गठन	45.00 (60 स्कूल)	60.75 (81 स्कूल)
3.	सेकेण्डरी स्कूलों को 18,000 रु0 प्रति स्कूल की दर पर लाइब्रेरी पुस्तकों की आपूर्ति	10.80 (60 स्कूल)	14.58 (81 स्कूल)
	जोड़	56.95	77.03

शिक्षा निदेशक व छ: जिलों के स्कूलों की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

(i) **नई प्रयोशालाएं बनाने के लिए स्कूलों को अपर्याप्त निधि स्वीकृति**

(क) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता पद्धति के अनुसार नई प्रयोगशालाएं बनाने के लिए 0.75 लाख रु0 प्रति स्कूल की दर से 141 स्कूलों (1994-95: 60 स्कूल तथा 1996-97: 81 स्कूल) को 105.75 लाख रु0 दिए जाने थे।

110 स्कूलों को तो 0.75 लाख रु0 प्रति स्कूल की विहित दर से पूरी राशि दी गई लेकिन शिक्षा निदेशक ने (31 अनुमोदित स्कूलों के लिए अभिप्रेत) 23.25 लाख रु0 की शेष राशि 62 स्कूलों में बांट दी (जिनमें अनुमोदित 31 स्कूल भी शामिल थे) जहां यह राशि 0.15 लाख रु0 से 0.50 लाख रु0 प्रति स्कूल की विभिन्न दर से बांटी गई। शिक्षा निदेशक ने विचलन स्वीकार करते समय (मई 1998) इसके वैध कारण नहीं बताए। पुन: शिक्षा निदेशक ने विचलनार्थ सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की।

(ख) 22 स्कूलों (हाई स्कूल 12 तथा सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल 10) में सितम्बर 1997 तक प्रयोगशालाएं बनाने के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा प्रेषित 11.68 लाख रु0 जनवरी -अप्रैल 1998 तक बैंकों/नकदी पेटियों में अप्रयुक्त पड़े थे।

(ii) **अवितरित विज्ञान किट**

शिक्षा निदेशक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, मण्डी व सिरमौर को अक्तूबर 1995 (सिरमौर: 5 किट) तथा अप्रैल 1997 (मण्डी: 12 किट व सिरमौर: 6 किट) में अनुमोदित स्कूलों को आगे वितरणार्थ आपूरित 0.55 लाख रु0 की लागत के तेइस विज्ञान किट अप्रैल 1998 तक भण्डार में पड़े थे। अनुमोदित स्कूलों को इन किटों को अवितरित करने से छात्र विज्ञान विषयों में प्रयोगात्मक कक्षाओं से वंचित रह गए और फलत: व्यय निष्फल हो गया।

जिला शिक्षाधिकारी, मण्डी ने बताया (अक्तूबर 1997) कि शिक्षा निदेशक से स्कूलों की सूची प्राप्त नहीं हुई थीं। जिला शिक्षा अधिकारी, सिरमौर ने बताया (जनवरी 1998) कि स्कूलों ने आवास सुविधा की कमी के कारण इन किटों को उठाने में अपनी असमर्थता जताई। इस प्रकार शिक्षा निदेशक व जिला शिक्षाधिकारी मण्डी के बीच तालमेल नहीं था तथा सम्बद्ध स्कूलों में आवास की उपलब्धता की पुष्टि किए बिना जिला शिक्षाधिकारी, सिरमौर को किट दिए गए थे।

3.12.7.2 विज्ञान व गणित अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण/विन्यास कार्यक्रम

सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में काम पर लगे विज्ञान व गणित अध्यापकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से 15 दिन की अवधि का प्रशिक्षण दिया जाना था। हाई व मिडिल स्कूल के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण अवधि क्रमश: 10 दिन व 6 दिन थी। सभी अध्यापकों को सितम्बर 1997 तक प्रशिक्षण दिया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच से उद्घाटित हुआ कि 51 स्कूल (सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल: 18 व हाई स्कूल: 33) जिन्हें नमूना परीक्षित किया गया था उनमें 1996-98 में विज्ञान व गणित में कुल 103 अध्यापकों में से दस स्कूलों के केवल 11 अध्यापकों को 5 दिन से 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया था। शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, सोलन अपने ही स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था कर रही थी। इस प्रकार विभाग इस स्कीम के अन्तर्गत यथापेक्षित 92 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलवाने में विफल रहा।

3.12.7.3 "आप्रेशन ब्लैक बोर्ड टू मिडिल स्कूल्स" स्कीम का विस्तार

स्कूल की सुविधाओं के सम्बन्ध में सरकार की परिशोधित नीति को परिचालित करने के लिए भारत सरकार द्वारा "आप्रेशन ब्लैक बोर्ड" स्कीम का कार्यक्षेत्र मिडिल स्कूलों तक बढ़ा दिया गया था (जून 1993)। वर्ष 1995-96 के दौरान 988 मिडिल स्कूलों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 1995 में 3.97 करोड़ रु0 की स्वीकृति दी गयी थी। इसमें से 3.63 करोड़ रु0 गैर जनजातीय क्षेत्रों के 919 स्कूलों में अध्यापनाधिगम उपस्करार्थ दिए जाने थे जबकि 34.16 लाख रु0 जनजातीय क्षेत्रों के 69 स्कूलों को दिए जाने थे।

निम्नांकित मुद्दे ध्यान में आए:-

(क) नमूना परीक्षित चार* जिलों के 13 मिडिल स्कूलों में 1.32 लाख रु0 अप्रैल 1998 तक बैंक खातों/नकदी पेटियों में अप्रयुक्त पड़े थे।

कॉम्पलेक्स स्कूलों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों ने अप्रयुक्ति का सम्बन्ध आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्तियों की अप्राप्ति से बताया। यह उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि सामग्री की समय पर आपूर्ति प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए थे।

(ख) राज्य सरकार से अपेक्षा थी कि वह वित्त वर्ष 1996-97 की समाप्ति पर व्यय विवरणी उपलब्ध करे तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर आवधिक प्रगति प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करे। यह मई 1998 तक नहीं किया गया था।

शिक्षा निदेशक ने व्यय की विवरणियां तथा आवधिक प्रगति रिपोर्टों को न प्रस्तुत करने को स्कीम के विलम्ब से निष्पादन से सम्बन्धित बताया (मई 1998)। यह उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि व्यय की विवरणियां तथा प्रगति रिपोर्टें भेज दी जानी चाहिए थीं जैसे कि अपेक्षित था।

(ग) नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 87 गैर-जनजातीय मिडिल स्कूलों में अप्रैल 1998 तक समुदाय की भागीदारी के माध्यम से कोई भी निधि नहीं उठाई गई थी।

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि राज्य के लोगों के गरीब वित्तीय हालातों के कारण यह राशि उठाई नहीं जा सकी तथा कि यह राशि कुछ मिडिल स्कूलों में एकत्रित की गई थी। इस प्रकार यह स्कीम अपने समुचित परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित नहीं की गई थी।

3.12.7.4 कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन की योजना का चिरक्रिय कार्यान्वयन

समाज के कमजोरतर वर्गों के बीच में शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए लोगों से सम्बन्धित छात्रों को प्रोत्साहन देना आरम्भ किया लेकिन संवीक्षा से पता चला कि इस योजना के कार्यान्वयन में गंभीर गलतियां हुई जैसे कि नीचे विवेचित है:

---

* कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी व सिरमौर

(i) **मुफ्त पाठ्य पुस्तकों को बांटना**

गैर-जनजातीय क्षेत्रों में छठी से दसवीं कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले बच्चों को "मुफ्त पाठ्य पुस्तकों को बांटना" नामक योजना वर्ष 1996-97 के शैक्षणिक सत्र से लागू की गयी थी जिसे शैक्षणिक सत्र 1997-98 से अन्य पिछड़े वर्गों तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भोगियों से सम्बन्ध रखने वाले लोगों के बच्चों तक नवम्बर 1996 तथा अगस्त 1997 में बढ़ा दिया गया था।

ये पुस्तकें हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की जानी थी।

जिला शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे स्कूलों से यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरान्त हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड को देने के लिए भुगतान की व्यवस्था करेंगे बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हो, कि बिल के अनुसार किताओं की आपूर्ति प्राप्त कर ली गई है। इस योजना पर 1996-98 के दौरान 4.64 करोड़ रु0 का खर्चा किया गया था।

नमूना जांच से निम्नलिखित मुद्दे प्रकट हुए:

(क) **अवितरित पड़ी किताबें**

जिला शिक्षा अधिकारी, सिरमौर द्वारा 1996-97 के दौरान 11.91 लाख रु0 की पाठ्य पुस्तकों की खरीददारी की गई थी जिनमें से 3.16 लाख रु0 मूल्य की किताबें सिरमौर के जिला शिक्षा अधिकारी के भण्डारों में अवितरित पड़ी थीं (मार्च 1998)। चूंकि 1997-98 के वर्ष के लिए प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों द्वारा हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड के बिक्री केन्द्रों से मांगें प्रत्यक्षतः प्राप्त की गई थी, अतः उस वर्ष के आगामी शिक्षण सत्र में भी ये किताबें अवितरित पड़ी रहीं। आगामी शैक्षणिक सत्र में इन किताबों के वितरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय पर कोई पग नहीं उठाए गए थे।

3.16 लाख रु0 मूल्य की पाठ्य पुस्तकें जिला शिक्षाधिकारी द्वारा वितरित नहीं की गई थीं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया (जनवरी 1998) कि इन किताबों के निवर्तन के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शक सिद्धान्त मांगे गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी अपने पास पड़ी हुई पिछले वर्ष की न बांटी हुई पुस्तकों के तथ्य को नोट करने में हुई अपनी विफलता के सम्बन्ध में सम्बद्ध प्रश्न का उत्तर देने मे विफल रहा। लेखापरीक्षा में इसे सूचित करने पर शिक्षा निदेशक ने बताया (अक्तूबर 1998) कि किताबों को न बांटने के सम्बन्ध में मामला जिला शिक्षा अधिकारी के साथ उठाया गया था और इस मामले में तभी कार्रवाई की जाएगी जब जिला शिक्षा अधिकारी का उत्तर प्राप्त हो जाएगा।

(ख) विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों के बदले में नकद भुगतान के लाभ से वंचित रखा गया

(i) राज्य सरकार ने सूचित किया (दिसम्बर 1997) कि छठी से दसवीं कक्षा तक के 22,000 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छात्रों को 1997-98 के दौरान नि:शुल्क किताबें बांटी जानी प्रत्याशित थी। नमूना जांच से प्रकट हुआ कि ये मुफ्त पाठ्य पुस्तकें नहीं बांटी गई थी क्योंकि इस सम्बन्ध में अधिसूचना अगस्त 1997 में उस समय जारी की गई थी कि जब लाभार्थी विद्यार्थियों द्वारा पहले ही किताबों की खरीददारी की जा चुकी थी। सरकारी फैसले के अनुसार पुस्तकों की लागत के बदले में इन विद्यार्थियों को 32.56 लाख रु० का नकद भुगतान भुगताए जाने थे। तथापि 1997-98 वर्ष के दौरान इन विद्यार्थियों को कोई भुगतान नहीं किया गया था। शिक्षा निदेशक ने बताया (अक्तूबर 1998) कि कोई नकद भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि इस प्रयोजन के लिए 1997-98 के वर्ष के दौरान बजट में कोई प्रावधान नहीं था।

पाठ्य पुस्तकों के बदले विद्यार्थियों को 32.56 लाख रु० का नकद भुगतान नहीं किया गया था।

(ii) नमूना परीक्षित किए गए पांच गैर-जनजातीय जिलों* के 68 स्कूलों में छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षाओं तक के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों से 3,757 विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के बदले में 7.33 लाख रु० का नकद भुगतान नहीं दिया गया था जबकि 1997-98 वर्ष के शैक्षणिक सत्र के दौरान ऐसा करना अपेक्षित था।

प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों ने बताया (जनवरी-अप्रैल 1998) कि इस प्रयोजन के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों/शिक्षा निदेशक द्वारा कोई भी निधियां प्रावधित नहीं की गई थीं। शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया था कि वे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों से विद्यार्थियों की संख्या को सूचित करें ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर ही अतिरिक्त निधियों की मांग का निर्धारण किया जा सके। यह उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि शिक्षा निदेशक द्वारा मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के बदले में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों से विद्यार्थियों को नकद भुगतान करने के लिए सरकार के अनुदेशों की अनुपालना क्रियान्वित नहीं की गई थी।

(ग) किताबों की आपूर्ति

(i) छ: जिलों के 93 सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों/हाई स्कूलों के छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक के 0.37 लाख अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को बांटने के लिए 72.69 लाख रु० की लागत वाली 5.53 लाख पाठ्य पुस्तकों को निहित करने

---

* चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी व सिरमौर।

वाले 0.37 लाख किताबों के समूह की आवश्यकता के समक्ष हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा 1996-97 तथा 1997-98 के वर्षों के बीच जिला शिक्षा अधिकारियों/सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों/हाई स्कूलों को 58.04 लाख रु0 की लागत वाली 4.51 लाख पाठ्य पुस्तकों से निहित 0.39 लाख अपूर्ण समूह आपूरित किए गए थे। इसके फलस्वरुप हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा 8.51 लाख रु0 की लागत वाली 0.66 लाख किताबों की आधिक्यपूर्ण आपूर्ति हुई जो कि सम्बद्ध स्कूलों के भण्डारों में पड़ी थी। इसके अलावा 23.56 लाख रु0 की लागत वाली किताबों के समूह (1.70 लाख किताबों) की अधूरी आपूर्ति के कारण 0.31 लाख लाभार्थी विद्यार्थी समग्र लाभों से वंचित रह गए थे।

(ii) 1.55 लाख रु0 की लागत (1996-97: 0.46 लाख रु0 तथा 1997-98: 1.09 लाख रु0) वाली 0.12 लाख किताबें उन विद्यार्थियों में बांटी गई जो अधिकारी वर्गों से सम्बन्धित नहीं थे।

कुपात्र विद्यार्थियों में किताबें बांटी।

प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों ने बताया (जनवरी-अप्रैल 1998) कि कुछ किताबों का वितरण अनधिकारी वर्गों के गरीब विद्यार्थियों में किया गया था। ये उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं थे क्योंकि मुफ्त पाठ्य पुस्तकें अधिकारी वर्गों से भिन्न वर्गों के छात्रों में नहीं बांटी जानी थी।

(घ) किताबें बांटने में देरी

शिक्षा निदेशक द्वारा किताबों की जरुरत निश्चित करने व शैक्षणिक सत्र के शुरु होने से पहले छात्रों को उनकों समय पर बांटे जाने को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंपा गया था (फरवरी 1997)।

नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1996-97 वर्ष के शैक्षणिक सत्र के दौरान 51 स्कूलों में विद्यार्थियों को किताबें शैक्षणिक सत्र के शुरु होने के बाद 17 दिन से 334 दिन देरी से तथा 1997-98 वर्ष के शैक्षणिक सत्र के दौरान 58 स्कूलों में 15 दिनों से 202 दिनों की देरी से बांटी गई थी।

जिला शिक्षा अधिकारियों तथा प्रधान आचार्यों/प्रधान अध्यापकों ने किताबों के वितरण में देरी को हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा किताबों की देरी से आपूर्ति किए जाने से सम्बन्धित बताया लेकिन संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा आपूर्ति आदेश 22 दिनों से 304 दिनों तक देर से दिए गए थे। इस प्रकार आपूर्ति में देरी करने से मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति का लक्ष्य प्रभावित हुआ।

(ङ.) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को पुस्तकों की आपूर्ति न करना**

तीन जिलों* के 28 स्कूलों में 1996-97 वर्ष के दौरान कोई भी किताब आपूरित नहीं की गई थी जबकि 2,393 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षाओं तक के लिए पंजीकृत थे जिन्हें 4.70 लाख रु० के मूल्य के बराबर की किताबें दी जानी थीं।

इसी प्रकार कांगड़ा जिले में उन तीन स्कूलों को किताबें नहीं दी गई थी जहां 1997-98 वर्ष के दौरान 432 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र पंजीकृत थे जिन्हें 0.85 लाख रु० के मूल्य के बराबर की किताबें दी जानी थीं।

प्रधान आचार्यों/प्रधान अध्यापकों ने किताबों की आपूर्ति न किए जाने को जिला शिक्षा अधिकारियों से इस सम्बन्ध में हिदायतें प्राप्त न होने से सम्बद्ध बताया जिसके कारण उनके द्वारा कोई मांग नहीं उठाई गई थी। यह उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि प्रत्येक वर्ष हिदायतें दोहराई नहीं जानी थी।

(ii) **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को छात्रवृत्तियां**

छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षाओं तक की उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्राओं को 100 रुपए वार्षिक के आरम्भिक अनुदान के साथ 30 रुपए मासिक की दर से छात्रवृत्तियां भुगतानयोग्य थीं जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 18,000 रुपए से अधिक नहीं थी। इन छात्राओं को ये भुगतान त्रै-मासिक रुप से किए जाने थे। 1997-98 वर्ष के दौरान यह सुविधा अन्य पिछड़े वर्ग की कन्याओं को भी उपलब्ध करवाई गई थी।

नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 77 स्कूलों में छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षाओं तक की 4,498 सुपात्र छात्राओं में से 2,927 कन्याओं को या तो कोई छात्रवृत्ति दी ही नहीं गई थी या फिर 12.84 लाख रु०** तक की सीमा में कम दी गई थी जबकि 1995-98 के वर्षों में उन्हें 20.69 लाख रु० की छात्रवृत्तियां भुगतानयोग्य थीं।

प्रधान आचार्यों/प्रधान अध्यापकों ने छात्रवृत्ति के भुगतान न करने/कम भुगतान करने को स्कूलों में निधियों के प्राप्त न होने/कम प्राप्त होने से सम्बन्धित बताया (जनवरी-अप्रैल 1998)। ये उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि विद्यार्थियों को समय पर लाभ देने के लिए निधियां समय पर प्राप्त कर ली जानी चाहिए थीं जैसे कि इस योजना में परिकल्पना थी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कन्या विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया।

---

* कांगड़ा, मण्डी व सिरमौर

** चम्बा: 3.74 लाख रु०; कांगड़ा: 3.10 लाख रु०; किन्नौर: 0.40 लाख रु०; कुल्लू: 0.59 लाख रु०; मण्डी: 1.74 लाख रु० तथा सिरमौर: 3.27 लाख रु०

(iii) **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छात्रवृत्तियां**

सरकार ने 1991-92 के वर्ष से छठी कक्षा से लेकर बाहरवीं कक्षाओं तक के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों से आए विद्यार्थियों को नीचे दी गई वार्षिक दरों से छात्रवृत्ति देने की शुरुआत की।

क्रमांक	कक्षाएं	छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्राएं
		(रुपए)	
1.	VI से VIII	250	500
2.	IX तथा X	300	600
3.	XI तथा XII	800	800

नमूना जांच (जनवरी-अप्रैल 1998) से प्रकट हुआ कि 1995-98 के दौरान 52.81 लाख रु० की छात्रवृत्ति के भुगतान लायक 77 स्कूलों (छात्र: 6,340; छात्राएं: 5,624) में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों से 11,964 विद्यार्थियों में से 5,592 विद्यार्थियों (लड़के: 2,913; लड़कियां: 2,679) को या तो कोई छात्रवृत्ति (4, 988 विद्यार्थी) दी ही नहीं गई थी या फिर 604 विद्यार्थियों को विहित दरों से 23.99 लाख रु० की सीमा तक कम भुगतान किया गया था।

प्रधान आचार्यों/प्रधान अध्यापकों ने भुगतान न किए जाने/कम भुगतान किए जाने के तथ्य को निधियों के कम आबण्टन/देरी से प्राप्ति से सम्बन्धित बताया। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रधान आचार्यों/प्रधान अध्यापकों द्वारा अनुदान समय पर प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

3.12.7.5 स्कूलों का उच्चीकरण

शिक्षा निदेशक ने हाई-स्कूलों के सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों के रुप में उच्चीकरण हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किए थे जबकि मिडिल स्कूलों से हाई स्कूलों के रुप में उच्चीकरण के मानक चतुर्थ अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण, 1978 पर आधारित थे।

स्कूलों के उच्चीकरणार्थ लक्ष्य तथा 1995-98 के वर्षों में उनके प्रति भौतिक उपलब्धियां नीचे लिखी गई थीं:

वर्ष	उच्चीकरण के लिए लक्ष्य		लब्धियां		अधिक खोले गए स्कूल	
	मिडिल स्कूल से हाई स्कूल	हाई स्कूल से सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल	मिडिल स्कूल से हाई स्कूल	हाई स्कूल से सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल	मिडिल स्कूल से हाई स्कूल (प्रतिशतता)	हाई स्कूल से सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल (प्रतिशतता)
1995-96	40	20	61	26	21 (52)	06 (30)
1996-97	20	12	55	31	35 (175)	19 (158)
1997-98	50	20	173	142	123 (246)	122 (610)

इन वर्षों के ऊपर लक्ष्यों व सही उपलब्धियों के बीच परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं था। शिक्षा निदेशक ने बताया (अक्तूबर 1998) कि स्कूलों के उच्चीकरणार्थ अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया था तथा कोई भी वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। यह भी बताया गया कि उच्चीकरण पर आए खर्चे के आंकड़े अलग से तैयार नहीं किए गए थे।

1995-96 व 1997-98 के बीच उच्चीकृत किए गए 46 स्कूलों (हाई स्कूल 31; सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल: 15) के अभिलेख की नमूना जांच से नीचे लिखे गए मुद्दे उभरे:

(क) स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई

(i) नमूना परीक्षित छः जिलों में 11 स्कूलों मे प्रधानआचार्य/प्रधान अध्यापक के लिए अलग से कमरे नहीं थे, 30 स्कूल बिना स्टाफ रुप के थे, 27 स्कूलों में कार्यालयों व भण्डारों के कमरे नहीं थे, तैंतीस स्कूलों (सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल: 6 तथा हाई स्कूल: 27) में विज्ञान प्रयोगशालाओं की सुविधा नहीं थी, आठ सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में 24 प्रयोगशालाओं की आवश्यकताओं के प्रति 16 प्रयोगशालाओं की न्यूनता थी, 42 स्कूलों में पुस्तकालय भवन नहीं थे तथा 46 स्कूलों में शिल्प कक्षों व मनोरंजन कक्षों की सुविधाएं नहीं थीं।

(ii) 46 स्कूलों में पुरुष व महिला कर्मियों/लड़के व लड़कियों के लिए अलग से शौचालय सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

(iii) इक्कीस स्कूलों में खेल के मैदानों की सुविधा नहीं थी जबकि शेष 25 स्कूलों में जो खेल के मैदान थे वे अपर्याप्त थे।

(iv) स्कूलों के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित वर्ग पद्धति के अनुसार 1995-98 के वर्षों में उच्चीकृत किए गए 46 स्कूलों में 387 कक्षा-कक्षों की आवश्यकता थी जिनके प्रति उच्चीकरण के समय 230 कक्षा-कक्ष विद्यमान थे। 157 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की जरुरत के प्रति उच्चीकरण के बाद मार्च 1998 तक मात्र 29 कक्ष ही उपलब्ध करवाए गए थे। इस प्रकार इन स्कूलों में 128 कक्षा-कक्षों की न्यूनता थी जिसके फलस्वरुप छात्रों की भीड़ तथा खराब व गर्म मौसम के समय विद्यार्थियों को उनके घर भेजने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ा।

(v) नौ स्कूलों में बिजली का कोई प्रावधान नहीं था।

इस प्रकार भौतिक शिक्षा, क्रीड़ा, खेलकूद आदि के लिए राष्ट्रव्यापी मूलाधार विकसित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को पूर्णतः उपलब्ध नहीं किया जा सका।

(ख) **पर्याप्त अध्यापन कर्मियों का अभाव**

नमूना परीक्षित छः जिलों के 46 स्कूलों में 31 मार्च 1998 को अध्यापकों की श्रेणीबद्ध स्थिति नीचे दी गई थी:

क्रमांक	अध्यापकों की श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत अध्यापक	गिरावट (प्रतिशतता) -------- स्वीकृत पदों के सन्दर्भ में
		(पद/अध्यापकों की संख्या)		
1.	प्रवक्ता	142	102	40(28)
2.	प्रशिक्षित स्नातक	210	195	15(7)
3.	भौतिक शिक्षा अध्यापक	50	46	4(8)
4.	प्राच्य अध्यापक	54	51	3(6)
5.	भाषा अध्यापक	50	46	4(8)
6.	कला अध्यापक	51	46	5(10)
जोड़		557	486	71(13)

(टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता इंगित करते हैं)

सभी संवर्गों में आई न्यूनताओं से स्कूलों में अध्यापन कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त 11 सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में 1995-98 के वर्षों में + एक एवं + दो की विज्ञान कक्षाएं शुरु नहीं की गई थीं जिसका कारण इन स्कूलों में विज्ञान प्रवक्ताओं की नियुक्ति न होना था तथा उच्चीकृत किए गए एक हाई स्कूल में तो मार्च 1995 में इस स्कूल के उच्चीकरण के बाद भी 1995-96 के वर्ष में 9वीं एवं दसवीं कक्षाएं शुरु नहीं की गई थीं।

प्रधान अध्यापकों/प्रधान आचार्यों ने स्वीकार किया (जनवरी-अप्रैल 1998) कि सभी संवर्गों में आई न्यूनताओं से सभी स्कूलों के अध्यापन पर विपरीत असर पड़ा। उनके द्वारा इन न्यूनताओं को पदों को सृजित न किए जाने तथा विभाग द्वारा अध्यापकों को तैनात न किए जाने से सम्बन्धित बताया गया।

3.12.7.6 स्कूल के भवनों का निर्माण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थियों, कर्मचारियों तथा प्रयोगशालाओं के लिए आवास पर्याप्त है, विभाग ने स्कूल भवनों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। प्रधान अध्यापकों/प्रधान आचार्यों द्वारा स्कूलों के पास उपलब्ध भवनों के सम्बन्ध में कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। शिक्षा निदेशक ने बताया (मार्च 1998) कि सीमित वित्तीय आबण्टनों की

दृष्टि से किसी विशेष योजना के लिए एक ही समूह में बजट उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं था। यह उत्तर स्वीकार करने लायक नहीं था क्योंकि शिक्षा निदेशक ने मूलाधार सम्बन्धी आवश्यकताओं का सम्पूर्ण सर्वेक्षण न करवाये जाने का औचित्य नहीं दिया।

(क) अपूर्ण स्कूल भवन

राज्य के बजट में मिडिल, हाई व सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों के 372 भवनों के निर्माणार्थ 1995-98 के वर्षों के दौरान लोक निर्माण विभाग को 6.16 करोड़ रु0 (1995-96: 1.05 करोड़ रु0; 1996-97: 2.31 करोड़ रु0 तथा 1997-98: 2.80 करोड़ रु0) का बजट आबण्टित किया गया था। ये भवन मई 1998 तक अपूर्ण पड़े थे। शिक्षा निदेशक ने बताया (मार्च 1998) कि निर्माण कार्य की पूर्णता तो निधियों व भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करती थी। इस प्रकार स्कूल भवनों का निर्माण कार्य अनियोजित तरीके से शुरु करने के परिणामस्वरुप न केवल विद्यार्थी आवश्यक मूलाधार सुविधाओं से वंचित रहे अपितु कुल मिलाकर 6.16 करोड़ रु0 की निधियां भी अवरुद्ध रहीं।

विभाग द्वारा स्कूल भवनों के निर्माण कार्य का प्रभावोत्पादक तरीके से अनुश्रवण नहीं किया जा रहा था। विभाग निर्माण कार्यों को आरम्भ करने की वास्तविक अवधि तथा उनकी अद्यतन प्रत्यक्ष व वित्तीय प्रगति से भी अनभिज्ञ था क्योंकि लोकनिर्माण विभाग द्वारा शिक्षा निदेशक को इनकी आपूर्ति नहीं की गयी थी।

(ख) जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवन

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नमूना परीक्षित छः जिलों में 1944 तथा 1997 के वर्षों के मध्य निर्मित किए गए 25 स्कूल भवन (3.50 लाख रु0 की लागत से बनाए गए 3 भवनों को छोड़कर अन्य किसी भी भवन की निर्माण लागत अभिलेखबद्ध नहीं थीं) उनकी छतों के क्षतिग्रस्त होने (11 मामले), छतों की दीवार चूने (8मामले) तथा उनकी दीवारों में दरारे पड़ जाने (6 मामलें) के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े थे जिससे ये भवन उनमें आयोजित की जाने वाली कक्षाओं के लिए असुरक्षित हो गए थे। यद्यपि 10 मामलों में मरम्मत की व्यवस्था करने हेतु मामला सम्बन्धित प्रधान अध्यापक/प्रधान आचार्य द्वारा उठाया जा रहा था लेकिन आवश्यक मरम्मत मई 1998 तक नहीं की गई थी। शेष 15 मामलों में मार्च 1998 तक भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ग) भवनरहित हाई स्कूल

नमूना परीक्षा (जनवरी-अप्रैल 1998) से प्रकट हुआ कि कोटी-धीमान (सिरमौर जिला) को 1963 के वर्ष के दौरान मिडिल स्कूल के रुप में तथा तत्पश्चात् 1987 के वर्ष के दौरान हाई स्कूल के रुप में उच्चीकृत किया गया था लेकिन वहां मार्च 1998 तक स्कूल भवन का निर्माण नहीं किया गया था तथा कक्षाएं बाहर लगाई जा रहीं थीं।

स्कूल के खुलने से लेकर जून 1997 तक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल का कोई भी निरीक्षण संचालित नहीं किया गया था जबकि वर्ष में एक बार ऐसा करना अपेक्षित था।

3.12.7.7 निजीरुपेण प्रबन्धित मान्यताप्राप्त स्कूलों से प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए

शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यम के प्रोत्साहन व विस्तार के लिए निजी रुप से प्रबन्धित मान्यता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान उपलब्ध करवाए गए थे। ऐसे स्कूलों से अपेक्षित था कि वे पिछले वर्षों के अनुदानों की प्रयुक्ति के समर्थन में किसी सनदी लेखाकार से विधिवत् सत्यापित प्रयुक्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध करें।

नमूना परीक्षा से पता चला (मई 1998) कि शिक्षा निदेशक ने 1990-97 के वर्षों के दौरान 229 स्कूलों को 1.66 करोड़ रु0 का सहायता अनुदान संवितरित किया लेकिन मई 1998 तक अपेक्षित प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि प्रयुक्ति प्रमाणपत्र अभी प्राप्त किए जाने बाकी थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विगत वर्षों के प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों की प्राप्ति समय पर सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए थी। इस प्रकार शिक्षा निदेशक अभिप्रेत प्रयोजनार्थ सहायता अनुदान के रुप में भुगतान की गई राशियों की समुचित प्रयुक्ति सुनिश्चित करने में असफल रहा।

3.12.7.8 अपर्याप्त सुविधाएं

विद्यमान हाई स्कूलों/सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों के अभिलेखों की नमूना परीक्षा से सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की तुलना में निम्नांकित कमियों को पता चला:

(i) कक्षा-कक्षों, स्टाफ कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा स्कूल कार्यालयों के लिए अपेक्षित फर्नीचर मदों जैसे मेजों, डेस्कों, स्टूलों, अल्मारियों, आदि की मापदण्डों की तुलना में 39 हाई स्कूलों में 20 से 97 प्रतिशत तक कमी थी तथा 39 सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में 20 से 79 प्रतिशत की कमी थी। स्कूलों में ये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न करवाने से शिक्षा का स्तर प्रभावित हुआ था।

(ii) छः जिलों में 39 हाई स्कूलों व 39 सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों की नमूना परीक्षा से पता चला कि प्रयोगशालाओं के लिए न तो अलग से कमरे उपलब्ध करवाए गए थे और न ही ये प्रयोगशालाएं समुचित रुप से सुसज्जित थीं।

(iii) छः जिलों में 79 हाई स्कूलों व सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में से 52 स्कूलों (66 प्रतिशत) में पुस्तकालयों के लिए पृथक् कक्ष उपलब्ध नहीं थे और पुस्तकालय की पुस्तकें कक्षा कक्षों, स्टाफ कक्षों तथा कार्यालय कक्षों में जहां कहीं भी जगह थी वहां अल्मारियों में तालों में बन्द करके रखी गई थीं। इस प्रकार इन स्कूलों में उपलब्ध 1.95 लाख पुस्तकालय पुस्तकें मार्च 1998 तक

अनुकूलतम प्रयोग में नहीं लाई जा सकीं। 57 स्कूलों (72 प्रतिशत) में सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं करवाए गए थे और स्कूली अध्यापक अपने अध्यापन कार्य के अतिरिक्त पुस्तकालयों को भी संभाल रहे थे। कुल पुस्तकों के केवल सात प्रतिशत पुस्तकें ही छात्रों को जारी की गई थीं और 1995-98 के वर्षों में इनके एक से दो प्रतिशत तक पुस्तकें अध्यापकों को जारी की गई थीं।

3.12.7.9 मानकों को ध्यान में रखे बिना खोले गए स्कूल

हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के प्रावधान के अनुसार किसी मिडिल स्कूल के लिए न्यूनतम प्रत्याशित पंजीकरण 25 विद्यार्थी होने चाहिए।

नमूना जांच से प्रकट हुआ कि किन्नौर व लाहौल एवं स्पिती जिलों में कुल 52 मिडिल स्कूलों में से 17 स्कूलों में 1995-98 के वर्षों में पंजीकरण निरन्तर रुप से 25 विद्यार्थियों से कम था।

निम्नलिखित मुद्दे उभरे:

(i) 1996-97 के वर्ष के दौरान मिडिल स्कूलों के लिए 1:19 के सम्पूर्ण औसत अध्यापक व छात्र अनुपात के प्रति इन स्कूलों में औसत अध्यापक व छात्र अनुपात 1:3 था।

(ii) मिडिल स्कूल तेलिंग (लाहौल व स्पिती जिला) में 1996-97 के दौरान तीन छात्रों के लिए पांच अध्यापक तैनात किए गए थे और इसी जिले के मिडिल स्कूल चखांग में 1997-98 वर्ष के दौरान छः छात्रों के लिए छः अध्यापक तैनात किए गए थे।

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि ये स्कूल लाहौल एवं स्पिती तथा किन्नौर जिलों के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में पड़ते हैं और सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाने की सरकारी शिक्षा नीति की दृष्टि से ये मापदण्ड शिथिल करने अपेक्षित थे।

(iii) किसी नए मिडिल स्कूल को खोलने के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह थी कि इसे अखिल भारतीय सर्वेक्षण-1986 की सिफारिशों में अवश्य शामिल किया हुआ होना चाहिए।

गैर-जनजातीय जिलों के 1997-98 वर्ष के अभिलेखों की छानबीन से यह प्रकट हुआ कि 32 मिडिल स्कूलों में 1997-98 के वर्ष के दौरान पंजीकरण 25 छात्रों से कम था और इनमें से 28 स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से संचालित अखिल भारतीय सर्वेक्षण 1986 की सिफारिशों के बिना खोले गए थे। इनमें 1997-98 वर्ष के दौरान खोले गए 11 स्कूल भी शामिल थे जो अखिल भारतीय सर्वेक्षण 1986 में संस्तुत नहीं थे। मिडिल स्कूलों के लिए 1:19 के

समग्र औसत अध्यापक-छात्र अनुपात (1996-97) के प्रति 2 जिलों के इन 32 मिडिल स्कूलों में औसत अध्यापक छात्र अनुपात 1:3 था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पुनः यह प्रकट हुआ कि पांचवें शिक्षा सर्वेक्षण 1986 में अभिज्ञात 588 स्कूलों में से 1986 से 1998 वर्षों के दौरान केवल 179 मिडिल स्कूल खोले गए थे तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार 409 अभिज्ञात स्कूलों के उच्चीकरण पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया।

सहायक शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की सरकारी शिक्षा नीति की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता में विहित मापदण्डों को शिथिल किया जाना था।

यह उत्तर मानने लायक नहीं था क्योंकि विहित मानक 1997-98 वर्ष तक खोले गए स्कूलों के मामले में शिथिल नहीं करवाए गए थे।

3.12.7.10 भण्डारों के भौतिक सत्यापन संचालित नहीं किए गए

वित्तीय नियमों में प्रावधान था कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय/संस्था की भण्डार सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाए और सभी संहिता औपचारिकताओं का पालन करके निष्प्रयोज्य भण्डारों का भी निपटान किया जाए।

60 हाई स्कूलों/सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में 1995-98 में भण्डारों का कोई भी भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। प्रधान अध्यापकों/प्रधान आचार्यों ने बताया (जनवरी-अप्रैल 1998) कि अब भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इस प्रकार इन स्कूलों में भण्डार सामग्री की न्यूनताओं/आधिक्यों की स्थिति न तो इन स्कूलों के प्रधान अध्यापकों/प्रधान आचार्यों को ज्ञात थी और न ही इसे लेखापरीक्षा में सत्यापित किया जा सका।

3.12.8 स्कूलों का निरीक्षण

हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता में प्रावधित था कि शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत उसका अधीनस्थ अधिकारी स्कूलों के पर्यवेक्षण व निरीक्षण हेतु उत्तरदायी था। निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्कूलों का निरीक्षण कम से कम साल में एक बार किया जाना था।

यह पाया गया कि शिक्षा निदेशक के पास किए गए निरीक्षणों की संख्या तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना के लिए कोई अनुश्रवण पद्धति/अभिलेख नहीं था।

शिक्षा निदेशक ने सितम्बर 1997 में मापदण्ड निर्धारित किए जिनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षित था कि वे साल में कम से कम एक बार जिले के 50 प्रतिशत स्कूलों का निरीक्षण करे।

नमूना जांच से पता चला कि 1995-98 के दौरान मण्डी जिले में, 1995-97 के दौरान किन्नौर जिले में तथा 1995-96 के दौरान चम्बा जिले में जिला शिक्षा अधिकारियों ने कोई वार्षिक निरीक्षण नहीं किए। 1995-97 के दौरान वार्षिक निरीक्षण वाले चार अन्य जिलों में गिरावट 29 से 93 प्रतिशत के बीच थी। तीन जिलों में 1997-98 के दौरान जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जिलों के 50 प्रतिशत स्कूलों के वार्षिक निरीक्षण में गिरावट 50 से 69 प्रतिशत तक थी।

शिक्षा निदेशक द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

जिला शिक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण न किए जाने/उसके गिरावट को क्षेत्रों के हिमावृत्त होने, सड़कों के अवरुद्ध होने, कार्य की अधिकता, वाहनों की अनुपलब्धता तथा नियमित जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति न होने से सम्बद्ध किया (अक्तूबर 1997-अप्रैल 1998)। ये उत्तर मानने योग्य नहीं थे क्योंकि निरीक्षण तो यथाविहित किए ही जाने चाहिए थे। शिक्षा निदेशक ने बताया (अक्तूबर 1998) कि निदेशालय मे प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों पर लगभग पिछले दो वर्षों में कर्मचारियों के अक्सर स्थानान्तरण के कारण ध्यान नहीं दिया जा सका। यह उत्तर स्वीकार करने लायक नहीं था क्योंकि शिक्षा निदेशक निरीक्षण प्रतिवेदनों को संवीक्षित करने में और मामले में अपेक्षित कार्रवाई करने में विफल रहा। इस प्रकार निरीक्षण विहित करने के पीछे जो इरादा था वह लब्ध नहीं हुआ।

3.12.9 बजट क्रिया-विधि तथा व्यय पर नियंत्रण

3.12.9.1 आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा बजट आकलन न भेजना

बजट मैनुअल के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारियों ने किसी विशेष लघु या विस्तृत शीर्ष के लिए नियंत्रण अधिकारियों को बजट आकलन भेजने थे जिनके साथ आवश्यक होने पर व्याख्यात्मक टिप्पणी भी लगी होनी चाहिए थी जिसमें उसके प्रस्ताव के लिए कारण भी प्रदर्शित हों।

संवीक्षा से 1995-98 में आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा बजट आकलन भेजने की निम्नांकित स्थिति प्रकट हुई:

वर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कुल संख्या		बजट प्रस्ताव देने वाले आहरण व संवितरण अधिकारियों की संख्या	
	योजनागत	आयोजनेतर	योजनागत	आयोजनेतर
1995-96	594	720	190(32)	200(28)
1996-97	606	720	193(32)	230(32)
1997-98	658	720	211(32)	220(31)

* कोष्ठकों के आंकड़े उन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कुल आहरण एवं संवितरण अधिकारियों पर प्रतिशतता दर्शाते हैं जिन्होंने बजट प्रस्ताव (योजनागत/आयोजनेतर) दिए।

शिक्षा निदेशक ने बताया (मार्च 1998) कि सभी आहरण व संवितरण अधिकारियों से बजट आकलन प्राप्त न होने से आयोजनेतर के बजट आकलन पिछले से लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि जोड़कर निदेशालय स्तर पर तैयार किए गए थे। इस प्रकार शिक्षा निदेशक बजट मैनुअल के प्रावधान की पालना में विफल रहा व बजट अस्थाई आधार पर तैयार किया गया।

3.12.9.2 आधिक्य/अभ्यर्पण हेतु प्रस्ताव भेजने में विलम्ब

बजट मैनुअल के अनुसार बजट आकलन विभागीय अध्यक्ष ने 25 अक्तूबर तक वित्त विभाग को भेजने थे। लेखापरीक्षा में यह ध्यान में आया कि तीन वर्षों (1995-98) में योजनागत बजट के अनुमान विभाग द्वारा तैयार नहीं नहीं किए गए थे तथा वित्त विभाग को भेजे नहीं गए थे। इसी प्रकार अधिक राशियों व अभ्यर्पित की गई रकम के अन्तिम ब्यौरे 15 जनवरी तक वित्त विभाग के पास भेजे जाने थे। यह पाया गया कि इन्हें 1995-97 में 119-120 दिन की देरी करके भेजा गया था तथा 1997-98 वर्ष के लिए 19 मई 1998 तक नहीं भेजा गया था जैसे कि नीचे प्रदर्शित है:

आधिक्यों व अभ्यर्पणों की विवरणियां वित्तीय वर्ष खत्म होने के काफी बाद में भेजी गई थीं तथा इस प्रकार यह फालतू प्रक्रिया थी।

विवरण	भेजने की देय तिथियां	भेजने की वास्तविक तिथियां		
		1995-96	1996-97	1997-98
बजट आकलन	25 अक्तूबर	योजना खर्चे के बजट आकलन भेजे नहीं गए		
अधिक तथा अभ्यर्पित राशि की विवरणी	1 दिसम्बर	9 फरवरी 1996 (71 दिन)*	12 मार्च 1997 (102 दिन)	9 मार्च 1998 (99 दिन)
अधिक राशि व अभ्यर्पित राशि की अन्तिम विवरणी	15 जनवरी	14 मई 1996 (119 दिन)	15 मई 1996 (120 दिन)	19 मई 1998 तक भेजे नहीं गए

वित्त वर्ष की समाप्ति पर इन विवरणियों को भेजना व्यर्थ की प्रक्रिया सिद्ध हुआ तथा शिक्षा निदेशक बजट तैयार करवाने व उसे भेजने में नियंत्रण रखने की प्रक्रिया में असफल हो गया था।

शिक्षा निदेशक ने ये तथ्य स्वीकार करते समय बताया (मई 1998) कि योजना विभाग से योजना परिव्यय प्राप्त होने के बाद समय न मिलने से 1995-98 के योजना आकलन निदेशालय स्तर पर तैयार नहीं किए जा सके।

---

* कोष्ठकों के आंकड़े बजट आकलनों के भेजने में विलम्ब के सूचक हैं।

शिक्षा निदेशक ने वे बचतें अभ्यर्पित कर ली थीं , जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन राजस्व व पूंजी प्रवर्गों में हुई थीं। इस प्रकार शिक्षा निदेशक द्वारा बजट व खर्चे पर कोई प्रभावी नियंत्रण न था।

शिक्षा निदेशक ने बचतें प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अभ्यर्पित की थीं।

3.12.9.3 अभिलेख का अननुरक्षण

छानबीन ने दर्शाया कि नीचे दिए गए विवरणानुसार महत्वपूर्ण नियंत्रण अभिलेख नहीं बनाए गए थे जैसे कि बजट मैनुअल द्वारा अपेक्षा की जाती थी:

महत्वपूर्ण नियंत्रण अभिलेख जैसे स्वीकृति रजिस्टर, दायित्व रजिस्टर व भवन रजिस्टर नहीं बनाए गए थे।

(i) स्वीकृति रजिस्टर जिसमें निर्धारित स्थापना और आवर्ती आकस्मिकता खर्चा स्वीकृति का रिकार्ड रखा जाना था।

(ii) विनियोगों का खाता लेखा जिसमें पहले आवण्टित रकमों, पूरक अनुदानों तथा पुनर्विनियोजन द्वारा की गई कटौतियों को दर्शाया गया हो।

(iii) दायित्व रजिस्टर जिसमें अनुमानित लागतों के साथ-साथ दायित्वों की प्रकृति तथा अभिकरण जिनमें मांगें रखी गई हैं उनको सूचित करने के लिए घोषित न किए गए दायित्वों पर निगाह रखी जानी थी।

(iv) सरकारी कर्मचारियों के लिए भवन व आवास का रजिस्टर

शिक्षा निदेशक ने वे कारण नहीं बताए कि इन्हें क्यों नहीं बनाया गया था तथा बताया (मई 1998) कि भविष्य में ये अभिलेख बनाए जाएंगे।

3.12.9.4 अवास्तविक आकलन

(क) नीचे के मामलों में वित्त विभाग ने शिक्षा निदेशक द्वारा मांगी गई राशि से 50.17 करोड़ रु0 अधिक वण्टित किए और इसके परिणामस्वरुप शिक्षा निदेशक द्वारा किया गया असली

खर्चा वण्टित निधि से कहीं कम था:

लेखाशीर्ष	वर्ष	शिक्षा निदेशक द्वारा मांगा गया बजट	उपलब्ध करवाया बजट	वास्तविक व्यय	मांगे गए बजट से अधिक खर्चा
			(करोड़ रुपए)		
2202-02-109-01 राजकीय सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल (आयोजनेतर)	1995-96	51.92	75.42	69.77	17.85
	1996-97	55.36	82.03	74.81	19.45

इस प्रकार यह देखा गया कि शिक्षा निदेशक द्वारा मांगा गया बजट निम्नोन्मुखी था जिसके कारण 1995-97 में 37.30 करोड़ रु0 का अधिक खर्च हुआ।

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि मामला वित्त विभाग का था जिसने आवश्यकता से ज्यादा राशि आवण्टित की। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शिक्षा निदेशक द्वारा मांगा गया बजट यथार्थवादी नहीं था क्योंकि असली खर्चा मांगे गए बजट से कहीं अधिक था। वित्त विभाग ने शिक्षा निदेशक द्वारा मांगी गई रकम से अधिक राशि आवण्टित करने के कारण उपलब्ध नहीं करवाए थे।

(ख) नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार लेखापरीक्षा में आयोजनेतर बजट में 12 से 17 प्रतिशत अधिक मांग के मामले ध्यान में आए:-

लेखाशीर्ष	वर्ष	शिक्षा निदेशक द्वारा मांगा गया बजट	उपलब्ध करवाया बजट	वास्तविक व्यय	अधिक मांगे गए प्रावधान की प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए)			
2202-01-101-03 (आयोजनेतर)	1995-96	44.36	38.49	37.00	17
	1996-97	47.77	41.96	42.15	12
	1997-98	57.74	46.13	50.25	13

शिक्षा निदेशक ने बताया (अक्तूबर 1998) कि सारे राज्य में बिखरे हुए लगभग 1400 आहरण व संवितरण अधिकारियों से विस्तृत आकलनों के अभाव में क्लोज बजटिंग सम्भव नहीं थी और इसीलिए मांगे गए बजट व वास्तविक खर्चे में काफी अन्तर था। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अवास्तविक आकलन को टालने के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा आहरण व संवितरण अधिकारियों से विस्तृत बजट आकलन प्राप्त कर लिए जाने चाहिए थे।

(ग) **दोषयुक्त बजट बनाना**

बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार जब एक ही मद का खर्चा दो या अधिक बजट शीर्षों या गलत बजट शीर्षों आदि में स्वीकृत करवाया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता या दोषपूर्ण बजट कहा जाता है। नीचे दिए गए मामलों में विभिन्न लेखा शीर्षों में एक ही मद के लिए बजट उपलब्ध करवाया गया था:

क्रमांक	व्यय की मद	लेखाशीर्ष जिसमें निधि दी गई/ वण्टित की गई	वर्ष में वण्टित बजट प्रावधान		
			1995-96	1996-97	1997-98
			(लाख रुपए)		
1.	हिमाचल प्रदेश स्कूल स्कूल शिक्षा बोर्ड को सहायता	(क) 2202-01-101-03 मिडिल स्कूल (योजनागत)	0.50	0.55	0.60
		(ख) 2202-02-110-02- स्कूल शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान (आयोजनेतर)	23.98	23.98	23.98
2.	राज्य योजना सामान्य में मिडिल स्कूलों की छात्रवृत्ति	(क) 2202-01-109-02 मिडिल स्कूल छात्रवृत्ति (योजनागत)	51.00	62.50	150.00
		(ख) 2202-01-101-03 मिडिल स्कूल (योजनागत)	8.02	10.05	80.10

3.12.9.5 व्यय नियंत्रण व्यवस्था अपरिचालनशील

(i)(क) 1995-98 में 60 से 70 प्रतिशत आहरण व संवितरण अधिकारियों व नियंत्रण अधिकारियों ने शिक्षा निदेशक को अपनी मासिक व्यय विवरणियां नहीं भेजी जिसके कारण शिक्षा निदेशक द्वारा कोई भी मासिक व्यय विवरणी तैयार नहीं की गई तथा वित्त विभाग को नहीं भेजी गई। उसने भी आहरण व संवितरण अधिकारियों पर इन विवरणियों को नियमित रुप से भेजेन के लिए कोई दबाव नहीं डाला जिस कारण इसे वण्टित निधि में रखने के लिए न तो व्यय के मासिक लेखे रखे गए और न व्यय प्रवाह का अनुश्रवण किया गया। इसी प्रकार 1995-98 में 70 प्रतिशत आहरण व संवितरण अधिकारियों ने शिक्षा निदेशक को आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी नहीं भेजी।

(ख) आहरण व संवितरण अधिकारियों के कार्यालय साल में एक बार नियंत्रण अधिकारियों ने निरीक्षित करने थे तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि 83 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से नियंत्रण अधिकारियों ने 13 कार्यालयों के 16 वार्षिक निरीक्षण व छः आकस्मिक निरीक्षण किए और 1995-98 में 249 निरीक्षण चाहिए थे।

(ii) **मिलान में विफलता**

खर्चे के विभागीय आंकड़े शिक्षा निदेशक द्वारा मासिक रुप से महालेखाकार की पुस्तकों में उत्पन्न आंकड़ों से मिलाए जाने थे। निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि शिक्षा निदेशक द्वारा 1995-98 में विभागीय व्यय आंकड़ों का मिलान संचालित नहीं किया गया जैसे कि अपेक्षा थी। शिक्षा निदेशक ने बताया (मार्च 1998) कि मिलान तिमाही होता था जिसका आधार मूल वाउचर थे जिनके लिए मिलान प्रमाणपत्र उपार्जित नहीं किए जा सके। शिक्षा निदेशक ने आगे बताया (अप्रैल 1998) कि निदेशालय स्तर पर कम जनशक्ति के कारण लेखे संकलित नहीं हो पाए। इस तरह शिक्षा निदेशक समय पर विसंगतियां निश्चित करने तथा निधि पुनर्विनियोग या अभ्यर्पण की समय पर कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रण क्रियाविधि संचालित करने में विफल रहा।

3.12.9.6 दत्तमत निधि से डिगरी राशि का भुगतान

बजट मैनुअल के अनुसार किसी अदालत या मध्यस्थता अधिकरण के किसी फैसले, डिगरी या अधिनिर्णय की संतुष्टि में किए गए भुगतान का खर्चा अनुमानों में "प्रभारित" स्वरुप दिखाया जाना था।

शिक्षा निदेशक ने 1995-98 में संहिता उपबन्धों के विपरीत 2202-सामान्य शिक्षा शीर्ष में दत्तमत प्रावधान में से मई 1995 में भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मई 1996 तथा नवम्बर 1996 के निर्णय की अनुपालना करके सहायता अनुदानस्वरुप स्कूलों के अध्यापकों तथा सहकर्मियों के वेतन पर 95 प्रतिशत व्यय के कारण राज्य के निजी रुप से प्रबन्धित स्कूलों को 5.37 करोड़ रु0 दिए।

3.12.9.7 निधि का अनौचित्यपूर्ण अभ्यर्पण

अभ्यर्पण आदेशों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बचतों का समुचित रुप से आकलन करने के बिना मुख्य शीर्ष 2202 में पांच उपशीर्षों में 1995-96 में निधियां अभ्यर्पित की गई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्रमांक	लेखाशीर्ष	मूल बजट	अभ्यर्पण	पुनर्विनियोग	अन्तिम अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक आहरण
				(करोड़ रुपए)			
1.	2202-01-101-01 शिक्षा पर खर्चा (योजनागत)	12.56	2.70	(+)7.74	17.60	17.62	0.02
2.	2202-01-101-03 मिडिल स्कूल (योजनागत)	14.15	4.01	(-)0.77	9.37	11.60	2.23
3.	2202-01-101-03 मिडिल स्कूल (आयोजनेतर)	38.49	2.00	--	36.49	37.00	0.51
4.	2202-02-109-01 माध्यमिक स्कूल (योजनागत)	31.40	5.89	(+)0.81	26.32	28.26	1.94
5.	2202-02-109-01 माध्यमिक स्कूल (आयोजनेतर)	75.42	3.37	(-)4.34	67.71	69.77	2.06

वित्त विभाग ने खुद ही निधि अभ्यर्पित की क्योंकि शिक्षा निदेशक ने 1995-96 में पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। शिक्षा निदेशक द्वारा आधिक्य व अभ्यर्पण की अन्तिम विवरणी वित्त वर्ष की समाप्ति पर वित्त विभाग द्वारा अभ्यर्पण आदेश जारी करने के बाद ही भेजी गई।

अनौचित्यपूर्ण निधि अभ्यर्पण के कारण शिक्षा निदेशक/वित्त विभाग से मांगे गए थे (मई 1998) जो प्रतीक्षित थे (जुलाई 1998)।

3.12.9.8 पुनर्विनियोग प्रस्ताव नहीं भेजे गए

बजट मैनुअल के अनुसार पुनर्विनियोग प्रस्ताव हर साल 15 मार्च तक प्रशासनिक विभागों ने वित्त विभाग को देने थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शिक्षा निदेशक ने समय पर तैयार करके वित्त विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। अतएव वित्त विभाग ने 1995-98 में खुद ही पुनर्विनियोग आदेश जारी किए।

3.12.9.9 बजट प्रावधान के बिना अनधिकृत व्यय

1995-96 में सभी सम्बन्धित विभागों की अनुदान मांगों में पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना में आबण्टन किए गए थे। इस प्रकार अनुदान संख्या 8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति के राजस्व अनुभाग में पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना में 12.60 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया। जुलाई 1995 में योजना विभाग ने स्कीम आबण्टन नीति के अनुसार विभागों को अपने प्रस्ताव दुबारा से बनाने की सलाह दी ताकि बजटीय त्रुटि सुधार किया जा सके। इसलिए 1995-96 में शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान संख्या 8 में पिछड़े क्षेत्र उपयोजना में किया गया 12.60 करोड़ रु0 का प्रावधान पूरक अनुदान मांगों द्वारा अनुदान संख्या 4-सामान्य प्रशासन में स्थानान्तरित कर दिया गया था। तदुपरान्त ये निधियां अनुदान संख्या 8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति में उपयोग या पुनर्विनियोग के लिए उपलब्ध नहीं थी।

12.32 करोड़ रु0 अनधिकृत रुप से शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति पर व्यय किए गए।

आबण्टन स्थानान्तरण के बावजूद भी शिक्षा विभाग ने 1995-96 में अनुदान संख्या 8- शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति में मूल बजट के अनुसार अनधिकृत रुप से 12.32 करोड़ रु0 खर्च किए ।

3.12.9.10 सामान्य भविष्य निधि खाते में अत्याहरण

सामान्य भविष्य निधि नियमावली में अपेक्षा है कि सामान्य भविष्य निधि खातों से अत्याहरण के जो भी कारण हों लेकिन अभिदाता राश्याहरण तब तक नहीं कर सकता जब तक यह

स्वीकृत न हो। स्वीकृति प्राधिकारी की अत्याहरण में जिम्मेदारी थी। इसलिए अग्रिमों/प्रत्याहरणों के सभी अनुरोधों पर सूक्ष्म निगाह रखी जानी थी और उन मामलों में जहां अधिक भुगतान होते थे उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना था और प्रशासनिक प्राधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी थी।

नमूना जांच से अनावृत्त हुआ कि 15 मामलों में संवितरण अधिकारियों ने 1995-98 में सामान्य भविष्य निधि खातों में पर्याप्त शेषों के बिना अभिदाताओं द्वारा उनके सामान्य भविष्य निधि खातों से 2.39 लाख रु0 अधिक निकालने की अनुमति दी। विभाग ने ऐसे अत्याहरणों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चलाई थी जबकि वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा समय-समय पर इसे उनके ध्यान में लाया गया था।

शिक्षा निदेशक ने बताया (सितम्बर 1998) कि 11 मामलों के लिए ब्याज व शास्तिक ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि की वसूली जा चुकी थी लेकिन 15 मामलों में से चार मामलों के ऋण शेष अभी भी जुलाई 1998 तक विद्यमान थे। शिक्षा निदेशक ने आगे बताया कि अत्याहरणों के लिए आहरण व संवितरण अधिकारी जिम्मेदार थे क्योंकि स्वीकृति के लिए भेजने से पहले उन्होंने मामलों की संवीक्षा करनी थी जिसके लिए उन्हें समय-समय पर चेतावनियां जारी कर दी गई थीं।

3.12.10 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

विभिन्न लेखापरीक्षा निरुपण इंगित करेंगे कि निदेशक व उसके कार्यालय द्वारा वित्तीय व बजटीय पहलुओं, जनशक्ति की व्यवस्था तथा स्कीम के कार्यान्वयन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखा जा रहा था।

माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम व विभाग द्वारा क्रियान्वित स्कीमें मूल्यांकित नहीं की गई थीं ताकि दी जा रही शिक्षा के स्तर पर उनके प्रभाव को आंका जा सकता।

ये मुद्दे जुलाई 1998 में सरकार को प्रेषित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

गृह विभाग

3.13 पुलिस विभाग में जनशक्ति प्रबन्ध

3.13.1 प्रस्तावना

55,673 वर्ग कि0मी0 भौगोलिक क्षेत्र में तथा 51.7 लाख की जनसंख्या (1991 की जनगणना) के लिए कानून व व्यवस्था के अनुरक्षणार्थ राज्य में 31 मार्च 1998 तक 96 पुलिस थाने तथा 94 पुलिस चौकियां थीं। पुलिस विभाग का स्वीकृत परिचालन स्टाफ (पुलिस बल सभी

रैंकों सहित), लिपिकीय व चतुर्थ श्रेणी स्टाफ मार्च 1998 में निम्नांकित था:

क्रमांक	स्टाफ की श्रेणी	स्वीकृत संख्या	कार्यरत
1.	परिचालनात्मक	13,222	12,503
2.	लिपिकीय (चतुर्थ श्रेणी सहित)	323	306
	योग	13,545	12,809

उपर्युक्त कुल संख्या में सशस्त्र पुलिस (4,148) भी शामिल थी जो कुल परिचालनात्मक पुलिस (12,503) का 33 प्रतिशत थी। विभाग द्वारा सिविल पुलिस व सशस्त्र पुलिस तथा स्टाफ अधिकारी के बीच अनुपात निर्धारित नहीं किया गया था। पुलिस कर्मियों की संख्या प्रति 100 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र तथा प्रति हजार जनसंख्या (मार्च 1998) पर क्रमश: 22.45 तथा 2.41 संगणित की गई।

3.13.2 संगठनात्मक ढांचा

आयुक्त एवं सचिव (गृह) पुलिस विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष था। पुलिस महानिदेशक राज्य में पुलिस विभाग का अध्यक्ष था और उसकी सहायतार्थ सात* नियंत्रक अधिकारी थे। राज्य को उत्तरी, केन्द्रीय तथा दक्षिणी नामक तीन क्षेत्रों में बांटा गया है जिनके मुख्यालय क्रमश: धर्मशाला, मण्डी तथा शिमला में हैं। जिला मुख्यालयों में पुलिस अधीक्षक तैनात थे। कांगड़ा जिले के दरोह स्थान में विभाग का सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण संभाग भी है।

3.13.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

1995-96 से 1997-98 तक की अवधि में पुलिस विभाग में जनशक्ति की प्रयुक्ति मई-अगस्त 1998 के दौरान नमूना परीक्षित की गई थी। 26 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से 11 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों अर्थात. पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण, 6 पुलिस अधीक्षकों (हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, सोलन व ऊना), विधि विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक, जुन्गा तथा चतुर्थ वाहिनी, भारतीय रिजर्व वाहिनी, ऊना के अभिलेख नमूना परीक्षित किए गए थे। लेखापरीक्षा परिणाम अनुवर्ती परिच्छेदों में समाविष्ट हैं।

---

* पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तरी क्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण , पुलिस महानिरीक्षक सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण, पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आपराधिक छानबीन)

3.13.4 मुख्य बातें

*** स्थापना व्यय पुलिस विभाग के कुल व्यय का 88 से 96 प्रतिशत तक था।
(परिच्छेद 3.13.5.1)

*** बजट मैनुअल के प्रावधानों की अनदेखी करके पुलिस महानिदेशक द्वारा 1995-98 के दौरान 2,535 रिक्त पदों के लिए 5.95 करोड़ रु0 बजट आकलनों में शामिल किए गए थे।
(परिच्छेद 3.13.5.2)

*** पुलिस कर्मियों की तैनाती को जिलों की जनसंख्या या आपराधिक घटनाओं से नहीं जोड़ा गया। चार जिलों (शिमला, कांगड़ा, मण्डी व सोलन) में जहां आपराधिक दरें अधिकतम थीं वहां एक पुलिस कर्मी क्रमशः 429, 1307, 1334 व 550 की जनसंख्या के लिए था। पुलिस कर्मियों की तैनाती में औचित्य की गुंजाईश थी।
(परिच्छेद 3.13.6)

*** अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के तीन पद सृजित किए गए थे और भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना अप्रैल 1993 से मार्च 1998 के बीच भरे गए थे।
[परिच्छेद 3.13.7.2 (i)]

*** सामरिक प्रतिष्ठानों विशेषकर किन्नौर के सीमान्त जिले में महत्वपूर्ण पुलों की सुरक्षार्थ 1960 में स्वीकृत सहायक उपनिरीक्षकों (7), हैड कांस्टेबिलों (9) तथा कांटस्टेबिलों (86) के 102 पद इस कार्य हेतु तैनात नहीं किए गए थे। 1993-98 के दौरान इन पदधारकों के वेतन व भत्तों पर 3.17 करोड़ रु0 का खर्चा किया गया था।
[परिच्छेद 3.13.7.3 (क)]

*** यद्यपि सभी पुलिस थानों में नियमित जलापूर्ति उपलब्ध थी लेकिन किन्नौर, कुल्लू, शिमला व सोलन के पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों व पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरोह में 41 जलवाहकों के पद अभी भी विद्यमान थे। 1994-98 में उनके वेतन व भत्तों पर 60.20 लाख रु0 खर्च किए गए थे।
(परिच्छेद 3.13.7.4)

*** तीन क्षेत्रों के सम्बन्धित पुलिस उपमहानिरीक्षकों द्वारा 1995-96 में नियुक्त पैंतीस अभ्यर्थियों को दूसरी चिकित्सा जांच में मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित किया गया था। उन्हें सेवामुक्त करने से पहले उनके

वेतन व भत्तों पर सितम्बर 1996 से जुलाई 1997 तक 12.44 लाख रु0 खर्च किए गए थे।

(परिच्छेद 3.13.7.5)

** विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए खरीदे गए 11.43 लाख रु0 के उपस्कर प्रयुक्त नहीं किए गए थे क्योंकि प्रयोगशाला के दो मण्डल अक्तूबर 1993 से कार्य नहीं कर रहे थे।

[परिच्छेद 3.13.7.8 (i)]

** पुलिस रिपोर्टिंग रुम, शिमला में प्रतिष्ठापित तीन कैमरों के साथ क्लोज सर्किट टेलीविजन जून 1997 से अप्रयुक्त पड़ा था क्योंकि इसमें बड़ी मरम्मत वांछित थी।

[परिच्छेद 3.13.7.8(ii)]

3.13.5 बजट कार्यविधि व व्यय नियंत्रण

विभाग के बजट में निधियां मुख्य शीर्ष- 2055 पुलिस के अन्तर्गत अनुदान संख्या 7 व अनुदान संख्या 31 के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई थी।

विभाग के सात नियंत्रण अधिकारी थे जो पुलिस महानिदेशक के समग्र नियंत्रणाधीन थे जो कि विभागाध्यक्ष था और वित्त विभाग को बजट अनुमान भेजता था।

3.13.5.1 स्थापना का बजट प्रावधान व व्यय

1995-98 के दौरान विभाग की स्थापना का बजट प्रावधान तथा वास्तविक खर्चा निम्नांकित था:

वर्ष	कुल बजट प्रावधान	स्थापना के लिए बजट	स्थापना पर व्यय	बचतें	विभाग का कुल व्यय	कुल व्यय पर स्थापना व्यय की प्रतिशतता
			(करोड़ रुपए)			
1995-96	72.02	70.30	67.08	3.22	71.90	93
1996-97	78.64	71.22	69.24	1.98	78.56	88
1997-98	96.49	93.47	92.72	0.75	96.45	96
योग	247.15	234.99	229.04	5.95	246.91	

निम्नांकित तथ्य पाए गए:

(i) 1995-98 के दौरान अनुदान संख्या 7 व 31 के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक द्वारा किए गए कुल व्यय के प्रति कुल व्यय पर स्थापना व्यय की प्रतिशतता 88 से 96 के बीच थी।

(ii) 1995-98 के दौरान स्थापना व्यय के प्रावधान के प्रति बचतें 0.75 करोड़ रुपए से 3.22 करोड़ रु0 तक थी। पुलिस महानिदेशक ने बताया (अगस्त 1998) कि 1995-98 के दौरान की बचतें रिक्त पदों को न भरने से सम्बद्ध थीं।

3.13.5.2 अत्याकलन

बजट मैनुअल के अनुसार स्थाई या अस्थाई रुप से स्वीकृत स्थापना के लिए आकलन तैयार करते समय वर्ष के दौरान कार्यरत व्यक्तियों द्वारा सम्भवतया आहृत किए जाने वाले वेतन व वेतन वृद्धियों का प्रावधान किया जाना चाहिए। आस्थगित रखी गई नियुक्तियों के लिए आकलनों में कोई प्रावधान नहीं किया जाना था। नमूना जांच से प्रकट हुआ कि पुलिस महानिदेशक ने 1995-96 (3.22 करोड़ रु0), 1996-97 (1.98 करोड़ रु0) तथा 1997-98 (0.75 करोड़ रु0) के दौरान क्रमशः 1145, 654 व 736 रिक्त पदों के लिए बजट आकलनों में 5.95 करोड़ रु0 उपलब्ध करवाए।

पुलिस महानिदेशक ने बजट मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत रिक्त पदों के लिए 1995-98 के दौरान बजट आकलनों में 5.95 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए।

पुलिस महानिदेशक ने बताया (अगस्त 1998) कि इन पदों की समाप्ति/पुनः सृजन के परिहारार्थ बजट प्रावधान रखे गए थे। यह उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि बजट मैनुअल के अनुसार आकलनों में रिक्त पदों के प्रावधान शामिल नहीं किए जाने थे।

3.13.5.3 वित्त विभाग को दायित्व विवरणियां नहीं भेजी गई

बजट मैनुअल के अनुसार विभागाध्यक्ष से अपेक्षित था कि वह प्रत्येक मास की 15 तारीख तक वित्त विभाग को दायित्व विवरणियां भेज दे ताकि अर्थोपाय स्थिति पर समुचित निगाह रखी जा सके। दायित्व विवरणी में वे सभी दायित्व आने थे जो (क) बजट की तैयारी के समय दृष्टिगत थे, (ख) वर्ष के दौरान आने प्रत्याशित थे तथा (ग) वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित तो थे लेकिन जिनके डेबिट उस वर्ष अन्य लेखा कार्यालयों से प्राप्त नहीं हुए थे।

1995-98 के दौरान पुलिस महानिदेशक ने वित्त विभाग को दायित्व विवरणियां नहीं भेजी।

दायित्व विवरणी खर्चे पर प्रभावी नियंत्रण की प्रक्रिया तथा सही बजट आकलनों की तैयारी को सुगम बनाएगी। यह अनुदानों पर आधिक्य के परिहार तथा बचतों के अनभ्यर्पण में भी सहायता हेतु अभिप्रेत थी।

पुलिस महानिदेशक द्वारा 1995-98 के दौरान दायित्व विवरणियां वित्त विभाग को नहीं भेजी गई थीं। पुलिस महानिदेशक ने बताया (अगस्त 1998) कि दायित्व विवरणियां वित्त विभाग को भेजने की न तो कोई प्रथा थी और न ही सरकार ने कभी इसे मांगा।

यह उत्तर स्वीकर करने लायक नहीं था क्योंकि बजट मैनुअल में यह सुस्पष्ट प्रावधित था। वित्त विभाग की इसे न मांगने में विफलता भी प्रत्यक्षत: थी।

3.13.6 पदों के सृजनार्थ मानकों का असंशोधन एवं जनशक्ति का नियोजन

पंजाब पुलिस नियमावली (हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग को लागू) के अनुसार 30,000 से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों के कस्बों में सामान्यत: प्रत्येक 450 निवासियों के लिए पुलिस चौकसी कर्मियों की कुल संख्या एक कांस्टेबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मामले में स्थानीय दशाओं जैसे वाणिज्यिक कार्यकलाप की मात्रा, मेलों व त्योहारों की महत्ता और बारंबारता तथा पड़ोस की सामान्य आपराधिकता पर भी विचार किया जाना अपेक्षित था। पुलिस चौकसी कर्मियों पर पर्यवेक्षण प्रत्येक दस कांस्टेबिलों पर एक हेड कांस्टेबिल, पांच हैड कांस्टेबिलों पर एक सहायक उपनिरीक्षक तथा प्रत्येक 100 कांस्टेबिलों पर एक उपनिरीक्षक की दर से उपलब्ध करवाया जाना था।

पदों के सृजन व जनशक्ति की तैनाती के प्रतिमान संशोधित नहीं किए गए।

1995-97 की अवधि के दौरान सूचित औसत अपराधों, निवासियों की संख्या तथा आपराधिक घटनाओं को प्रदर्शित करते हुए राज्य के 12 जिलों के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित थे:

क्रमांक	जिलों का नाम	31 मार्च 1998 को परिचालन* स्टाफ की संख्या	प्रति पुलिस कर्मी जनसंख्या (जनगणना 1991)	1995-97 के दौरान वार्षिक औसत आपराधिक मामले	प्रति पुलिस कर्मी औसत आपराधिक मामले
1:	बिलासपुर	467	633	1,061	2.27
2.	चम्बा	526	748	1,274	2.42
3.	हमीरपुर	261	1,414	1,085	4.16
4.	कांगड़ा	898	1,307	3,773	4.20
5.	किन्नौर	322	221	284	0.88
6.	कुल्लू	320	945	1,126	3.52
7.	लाहौल व स्पिती	196	160	154	0.79
8.	मण्डी	582	1,334	2,304	3.96
9.	शिमला	1,438	429	4,354	3.03
10.	सिरमौर	510	745	1,206	2.36
11.	सोलन	695	550	1,458	2.10
12.	ऊना	399	948	1,156	2.90

*परिचालन स्टाफ में पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिल शामिल हैं।

उपर्युक्त तालिका से इंगित होता था कि 1995-97 के दौरान अत्यधिक आपराधिकता वाले शिमला, कांगड़ा, मण्डी व सोलन जिलों में क्रमश: 429, 1307, 1334 व 550 की जनसंख्या पर एक पुलिसकर्मी तैनात था। इस प्रकार पुलिस स्टाफ की तैनाती में कोई एकरुपता नहीं थी। 1995-97 की अवधि के दौरान जिलावार जनसंख्या के ब्यौरे, परिचालन स्टाफ की संख्या तथा सूचित आपराधिक मामले परिशिष्ट V में यथाइंगित थे। आंकड़े के अध्ययन से पता चला कि राज्य में अपराधों की संख्या वर्ष 1995 के 19,811 से घटकर (सात प्रतिशत) वर्ष 1997 में 18,431 हो गई थी। वर्ष 1997 में बिलासपुर, कुल्लू व शिमला जिलों में वर्ष 1995 की तुलना में आपराधिक घटनाएं 1.07 से 7.89 प्रतिशत बढ़ गई। शेष नौ जिलों (चम्बा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मण्डी, लाहौल व स्पिति, सोलन, सिरमौर एवं किन्नौर) में वर्ष 1995 की तुलना में अपराध दरें 2.08 प्रतिशत से 36.22 प्रतिशत तक घट गईं।

दो जिलों (किन्नौर एवं लाहौल एवं स्पिती) में 1995-97 की अवधि में एक पुलिस कर्मी (परिचालन स्टाफ) क्रमश: औसतन 0.88 व 0.79 आपराधिक मामले व्यवहृत कर रहा था जबकि दो अन्य जिलों (हमीरपुर, व कांगड़ा) में इसी अवधि में एक पुलिस कर्मी औसतन 4.16 से 4.20 आपराधिक मामले व्यवहृत कर रहा था। इन जिलों में परिचालन स्टाफ द्वारा व्यवहृत आपराधिक मामलों की संख्या में विस्तृत भिन्नताओं की दृष्टि से पुलिस कर्मियों की तैनाती में औचित्य की गुजाइंश थी।

3.13.7.1 भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग पद भरना

भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी नियत था कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से तीन मास की अल्पावधि को छोड़कर संवर्ग पद किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं भरा जाना चाहिए जो उस संवर्ग का अधिकारी न हो और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसे संवर्ग के अधिकारी से भिन्न व्यक्ति को तीन मास से अधिक समय तक रखा जाना प्रस्तावित हो तो राज्य सरकार उसके लिए भारत सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगी।

आयुक्त एवं सचिव, गृह विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि हिमाचल पुलिस सेवा के चार* संवर्गेतर अधिकारियों को भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना दिसम्बर 1996 से अगस्त 1998 तक संवर्ग प्रभार दिया गया था।

इन अधिकारियों को तैनाती की अवधि में वेतन व भत्तों के माध्यम से 8.86 लाख रु0 (लगभग) का भुगतान किया गया था। भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना संवर्ग पदों के प्रति संवर्गेतर अधिकारियों की तैनाती भारतीय पुलिस सेवा नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध थी।

---

* वाहिनी आदेशक, पुलिस अधीक्षक, लाहौल एवं स्पिती, पुलिस अधीक्षक प्रवर्त्तन एवं पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त

3.13.7.2 कार्यालयों का सृजन

(i) **अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों के पदों का सृजन**

भारत सरकार ने फरवरी 1998 में हिमाचल प्रदेश के लिए भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की संवर्ग संख्या निर्धारित की। अतिरिक्त् पुलिस महानिदेशक, प्रवर्त्तन व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गृह रक्षा, अग्नि सेवा तथा नागरिक सुरक्षा के दो पद उपलब्ध करवाए गए थे। पुलिस विभाग में सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण, कारागर तथा आपराधिक ब्यानबीन के अन्तर्गत अतिरिक्त् पुलिस महानिदेशकों के तीन अतिरिक्त पद (संवर्ग-बाहय) सृजित करके भारत सरकार के अनुमोदन के बिना अप्रैल 1993 तथा मार्च 1998 के मध्य भरे गए थे। इन संवर्ग-बाहय पदों को अप्रैल 1993 से कार्यशील बनाया गया था और अप्रैल 1993 से मार्च 1998 के दौरान इन पदधारकों के वेतन व भत्तों पर 28.62 लाख रु0 खर्च किए गए थे। इन पदों के साथ अपेक्षित अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के पद अगस्त 1998 तक न तो सृजित किए गए थे और न स्वीकृत किए गए थे।

सरकार ने बताया (अगस्त 1998) कि भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में अवरोधन हटाने के लिए संवर्ग बाहय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों के पद सृजित किए गए थे। भारत सरकार से जुलाई 1997 में मांगा गया अनुमोदन प्रतीक्षित था (अगस्त 1998)।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन के बिना अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों के तीन पद सृजित करके भरे गए थे।

(ii) पुलिस विभाग में पुलिस महानिरीक्षक कानून व व्यवस्था, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे व यातायात (23 दिसम्बर 1995 से), पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता (जुलाई 1997 से) के तीन कार्यालय कार्य कर रहे थे लेकिन जुलाई 1998 तक अधीनस्थ कर्मचारियों के पद सृजित व स्वीकृत नहीं किए गए थे। पुलिस महानिरीक्षक कानून व व्यवस्था के पास एक सीनीयर स्केल स्टेनों, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे व ट्रैफिक के पास एक स्टेनो व एक कनिष्ठ सहायक तथा पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता के पास दो वरिष्ठ सहायक, एक कनिष्ठ सहायक व एक स्टेनो उपलब्ध करवाए गए थे। इस प्रकार ये कार्यालय भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में अवरोधन के परिहारार्थ सृजित किए गए थे।

3.13.7.3 स्टाफ का अपवर्तन

(क) राज्य सरकार ने सामरिक प्रतिष्ठानों विशेषकर किन्नौर के सीमावर्ती जिले में महत्वपूर्ण पुलों की सुरक्षा करने के लिए सहायक उपनिरीक्षकों के आठ पद, हेड कांस्टेबिलों के 24 पद तथा कांस्टेबिलों के 192 पद स्वीकृत किए (1960)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त बल किन्नौर में सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षार्थ तैनात नहीं किया गया क्योंकि जुलाई 1998 तक इन पुलों

व अन्य सामरिक प्रतिष्ठापनों के समीप कोई गार्ड रुम निर्मित नहीं किए गए थे। सम्पूर्ण पुलिस बल दैनिक जिला पुलिस ड्यूटी पर तैनात रहा। राज्य सरकार ने किन्नौर जिले की हिमाचल सशस्त्र पुलिस संख्या से 122 पद (सहायक उपनिरीक्षक: 1, हेड कांस्टेबिल: 15 तथा कांस्टेबिल: 106) समाप्त कर दिए (मार्च 1996) और मार्च 1996 में उन्हें कुल्लू, हमीरपुर व ऊना जिलों में स्थानान्तरित कर दिया। शेष पद (सहायक उपनिरीक्षक:7, हेड कांस्टेबिल: 9 तथा कांस्टेबिल: 86) अभी भी पुलिस अधीक्षक, किन्नौर के अधीन थे व उन्हें जिला कार्यकारी बल के कार्य में लगाया गया था।

पुलिस अधीक्षक किन्नौर ने 1993-98 के दौरान स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन पर तैनात स्टाफ के वेतन व भत्तों पर 3.17 करोड़ रु0 खर्च किए।

चूंकि बल संस्वीकृत प्रयोजन पर उपयोग में नहीं लाया जा सका, अत: 1993-98 में ही वेतन व भत्तों पर किए गए 3.17 करोड़ रु0 के खर्चे से अभिप्रेत प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ।

पुलिस अधीक्षक किन्नौर ने बताया (जुलाई 1998) कि शेष पदों के जिला संवर्ग में समायोजन/विलय हेतु मामला उपमहानिरीक्षक, शिमला के साथ उठाया जा रहा था (नवम्बर 1996) लेकिन अगस्त 1998 तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी।

(ख) आदेशक, चतुर्थ वाहिनी, भारतीय आरक्षी वाहिनी, बासल (ऊना जिला) के कार्यालय में प्रशिक्षित कार्यकारी स्टाफ (उपनिरीक्षक: 4; सहायक उपनिरीक्षक:1; हेड कांस्टेबिल: 2 तथा कांस्टेबिल: 1) के आठ पदधारक 1993-94 से अगस्त 1998 तक लिपिकीय कार्यों की ओर अपवर्तित किए गए थे। इस स्टाफ के वेतन व भत्तों पर 11.32 लाख रु0 का खर्चा किया गया था। आदेशक ने बताया (जून 1998) कि लिपिकीय संवर्ग में स्टाफ की कमी के कारण ये व्यक्ति अस्थाई तौर पर कार्यलयीन कार्य में लगाए गए थे। यह उत्तर मानने लायक नहीं था क्योंकि इस स्टाफ के अपवर्तनार्थ कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी और वह अभिप्रेत प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सका जिसके लिए पदधारकों को प्रशिक्षित किया गया था।

3.13.7.4 जलवाहकों के वेतन व भत्तों पर अपव्यय

किन्नौर, कुल्लू, शिमला व सोलन के पुलिस अधीक्षक कार्यालयों तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरोह में काफी लम्बे समय से (वास्तविक तिथियां उपलब्ध नहीं करवायी गई) जल वाहकों के 41 पद परिचालित किए जा रहे थे। 1994-98 में उनके वेतन व भत्तों पर 60.20 लाख रु0 खर्च किए गए थे जबकि सभी पुलिस थानों में नियमित जलापूर्ति उपलब्ध थी।

3.13.7.5 स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त पुलिस कर्मियों की भर्ती

सरकार ने जिलों की जनसंख्या के आधार पर कांस्टेबिलों के 635 पद भरने की

स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 1995)। यह भर्ती 18 से 24 वर्ष के आयु वर्ग से की जानी थी जिसमें यह शर्त थी कि अभ्यर्थी पुलिस सेवाओं के लिए भौतिक रुप से उपयुक्त हों।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1995-96 के दौरान सम्बद्ध पुलिस क्षेत्रों के उपमहानिरीक्षकों की अध्यक्षता में सम्बद्ध भर्ती बोर्डों द्वारा भर्ती किए गए 635 अभ्यर्थियों में से 35 अभ्यर्थी* (पुरुष: 25 तथा महिलाएं: 10) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय दरोह में द्वितीय चिकित्सा जांच के दौरान मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त पाए गए। पुलिस महानिदेशक ने बताया (अगस्त 1998) कि ये अभ्यर्थी सेवामुक्त कर लिए गए थे। सितम्बर 1996 तथा जुलाई 1997 के मध्य इन अभ्यर्थियों को 12.44 लाख रु0 के वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था। स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त भर्ती किए गए अभ्यर्थियों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित न करने के कारण यद्यपि मांगे गए थे (सितम्बर 1998) लेकिन इन्हें सूचित नहीं किया गया था।

सितम्बर 1996 में जुलाई 1997 के दौरान स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त अभ्यर्थियों के वेतन व भत्तों पर 12.44 लाख रु0 का भुगतान किया गया था।

3.13.7.6 घुड़सवार पुलिस पर निष्फल व्यय

ऊना जिले में रात्रि के समय पैट्रोल ड्यूटी के लिए दो अश्वारोहियों तथा एक अश्वपाल सहित 0.88 लाख रुपए में दो घोड़े उपलब्ध करवाए गए थे (नवम्बर 1998)। इनमें से एक घोड़ा जुलाई 1993 में मर गया तथा अश्वारोही को सामान्य कामकाज के लिए पुलिस लाइन में तैनात कर दिया गया। दूसरे घोड़े व अश्वारोही की अगस्त 1998 तक सेवाए उपयोग में नहीं लाई जा सकीं। अगस्त 1993 से अगस्त 1998 के बीच इस घोड़े के अनुरक्षण पर 3.82 लाख रु0 (अश्वारोही का वेतन: 2.34 लाख रु0 तथा अश्वपाल का वेतन व घोड़े का अनुरक्षण: 1.48 लाख रु0) खर्च किए गए थे। ऊना के पुलिस अधीक्षक ने उप महानिदेशक उत्तरी क्षेत्र, धर्मशाला से अनुरोध किया (मार्च 1998) कि या तो एक और घोड़ा दिया जाए या फिर इस घोड़े को जरुरतमन्द इकाई को दिया जाए। उपमहानिरीक्षक ने सितम्बर 1998 तक कोई भी निर्णय सूचित नहीं किया।

इस प्रकार घोड़े के अनुरक्षण पर किया गया 3.82 लाख रु0 का खर्चा निष्फल रहा।

---

* बिलासपुर: 1, चम्बा: 2, हमीरपुर:2, कांगडा: 1, कुल्लू: 1, शिमला: 9, सिरमौर: 2, सोलन: 12, ऊना: 2 तथा तृतीय वाहिनी धर्मशाला: 3

3.13.7.7 प्रशिक्षण

शारीरिक रुप से सक्षम तथा व्यावसायिक रुप से कुशल बल के गठन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए राज्य ने शिमला में सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण संभाग स्थापित किया जिसका मुखिया अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक था जो सशस्त्र पुलिस वाहिनियों तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरोह (कांगड़ा जिला) के कार्यकलाप पर्यवेक्षित व नियंत्रित करता था।

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरोह की भूमिका व लक्ष्य मूलभूत प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, पदोन्नति पाठ्यक्रम व विशेष प्रशिक्षण देना था।

राज्य में कांस्टेबिलों, सहायक उपनिरीक्षकों, निरीक्षणों व पुलिस उपाधीक्षकों के पदों की भर्ती की जा रही थी। इस प्रकार पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के ढांचे को बनाते समय विभिनन पुनश्चर्याओं, पदोन्नतियों व विशेष पाठ्यक्रमों में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर बल दिया गया था।

1995-98 के दौरान प्रशिक्षण दिए गए अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति निम्नांकित थी:

वर्ष	कार्यरत व्यक्ति (उपाधीक्षक पुलिस)	प्रशिक्षण दिए गए कर्मियों की संख्या	प्रतिशतता	कार्यरत व्यक्ति (निरीक्षक से कांस्टेबिल तक)	प्रशिक्षण दिए गए कर्मियों की संख्या	प्रतिशतता
1995-96	95	7	7	11757	1348	11
1996-97	108	19	18	12253	1722	14
1997-98	108	18	17	12318	1125	9

निम्नलिखित तथ्य पाए गए:

(i) पुलिस उपाधीक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण की प्रतिशतता 7 से 18 के बीच थी। निरीक्षक से कांस्टेबिलों तक के प्रशिक्षण की प्रतिशतता 9 से 14 के बीच थी। हिमाचल पुलिस सेवा अधिकारियों को मुख्यतः विभागीय छानबीन करने का प्रशिक्षण दिया गया।

(ii) पाठ्यक्रमों की सूची में पुलिस कर्मियों के लिए 34 पाठ्यक्रम बनाए गए थे। इस के प्रति महाविद्यालय में केवल 21 पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे।

(iii) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे कांस्टेबिलों/हेड कांस्टेबिलों के लिए आसूचना पाठ्यक्रम, पुलिस उपाधीक्षकों के लिए मूल पाठ्यक्रम परिवीक्षाधीन सहायक पुलिस अधीक्षक पाठ्यक्रम, पुलिस

उपाधीक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा बेतार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि नहीं चलाए जा रहे थे जैसे कि पाठ्यक्रमों की सूची निर्धारित था। इस प्रकार पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरोह की स्थापना पर किया गया 2.48 करोड़ रु0 का खर्चा पूर्णतः औचित्यपूर्ण नहीं था। इसके अलावा राज्य से बाहर के पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण पर 2.56 लाख रु0 खर्च किए गए थे।

पुलिस महानिदेशक ने बताया (अगस्त 1998) कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरोह अपनी आरम्भिक अवस्था में था और संस्था में विशेष पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण पाठ्यक्रम सूची के सभी पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किए जा सके। पुनः यह बताया किया कि प्रशिक्षण तो विभाग में पेशेवर जरुरतों के अनुसार दिया गया। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि महाविद्यालय जुलाई 1995 में स्थापित किया गया था और उसे अभी तक पूर्णतः कार्यशील होना चाहिए था।

3.13.7.8 निष्क्रिय उपस्कर

(i) विधि विज्ञान प्रयोगशाला

अपराधों की छानबीन में पुलिस विभाग को वैज्ञानिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा चार मण्डलों* सहित एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी (दिसम्बर 1989)।

नमूना जांच से पता चला कि दो मण्डल अर्थात् (i) अस्त्र विज्ञान व भौतिक विज्ञान तथा (ii) प्रलेख व फोटोग्राफी अक्तूबर 1993 से कार्य नहीं कर रहे थे जबकि इनके लिए 11.43 लाख रु0 की लागत से उपस्कर (टी0वी0सी0 कम्पैरिजन: 3.73 लाख रु0; माइक्रो फोटो: 6.31 लाख रु0 व डैक किट: 1.39 लाख रु0) उपार्जित किए गए थे।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपार्जित 11.43 लाख रु0 का उपस्कर उपयोग में नहीं लाया गया।

निदेशक ने बताया (जुलाई 1998) कि इन मण्डलों का कार्य जिले के छानबीन अधिकारियों द्वारा सीधे ही देश की अन्य प्रयोगशालाओं को भेजा जा रहा था। राज्य से बाहर भेजे गए मामलों की संख्या तथा उन पर हुए खर्च की सूचना निदेशक द्वारा नहीं दी गई थी। इन मण्डलों के लिए स्वीकृत वैज्ञानिक स्टाफ भी जुलाई 1998 तक तैनात नहीं किया गया था। इस प्रकार इन मण्डलों के बनाए जाने का वांछित प्रयोजन पूर्णतः लब्ध नहीं हो पाया।

---

* 1. जीव विज्ञान व रक्तोदक विज्ञान 2. रसायनशास्त्र व विष विज्ञान 3. अस्त्र विज्ञान व भौतिक विज्ञान 4. प्रलेख व फोटोग्राफी

(ii) **क्लोज सर्किट टेलीविजन सैट**

माल रोड शिमला के संवेदनशील बिन्दुओं पर अधम व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रिपोर्टिंग रुप में 4 लाख रु0 की लागत से तीन कैमरों वाले एक क्लोज सर्किट टेलीविजन सैट का प्रतिष्ठापन किया गया था (मार्च 1983)। उपमहानिरीक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, शिमला ने सूचित किया (जून 1997) कि यह उपस्कर जून 1997 से अप्रयुक्त पड़ा था। पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) द्वारा सिस्टम की पूरी जांच से पाया गया कि उपमहानिरीक्षक वायरलैस से विचार विमर्श किए बिना कन्ट्रोल पैनल्ज अपनी मूल स्थिति से दूर हो गए थे जिससे मॉनीटर कन्सोलों व कैमरों में केबिल डिफैक्टों की जम्बलिंग हुई जिनमें बड़ी मरम्मत की जरुरत थी।

उपमहानिरीक्षक, बेतार ने बताया (सितम्बर 1998) कि छीजन व लगातार प्रयुक्ति से सिस्टम में दोष आए जिससे सिस्टम अविश्वसनीय हो गया और इसलिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए छानबीन करने की जरुरत ही महसूस नहीं की गई। पुलिस उपाधीक्षक के निष्कर्षों की दृष्टि से यह उत्तर मानने योग्य नहीं था। इस प्रकार क्षति के लिए न तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया और न ही उपस्कर की मरम्मत हेतु कार्रवाई की गई।

3.13.8 अन्य रुचिकर प्रसंग

3.13.8.1 बल तैनाती लागत की वसूली न करना

पुलिस अधिनियम (1861 का V) की धारा 13 व 14 व्यक्तिगत लागत पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती को विनियमित करती है और ऐसी पुलिस अतिरिक्त पुलिस नामोदिष्ट की जाती है चाहे नियमित स्थापना से अधिक अतिरिक्त पुलिस कर्मी सूचीबद्ध किए गए हों अथवा नहीं। नियमों में पुनः नियत है कि निजी व्यक्तियों, निगम निकायों तथा वाणिज्यिक कम्पनियों द्वारा आवेदित ऐसी अतिरिक्त पुलिस पूरी व अग्रिम राशि के भुगतान के बिना नहीं दी जाएगी।

पुलिस बल की आपूर्ति हेतु बैंकों, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दूरदर्शन आदि से 2.53 करोड़ रु0 वसूल नहीं किए गए।

जिन मामलों में विशेष शर्तें निर्धारित नहीं की गई थीं उनमें नमूना मापदण्ड व अनुदेशों के अनुसार अतिरिक्त पुलिस की तैनाती के समय के लिए प्रभार लगाए जाने थे।

नमूना जांच से पता चला कि विभाग द्वारा सुरक्षा प्रयोजनों के लिए अप्रैल 1986 से मार्च 1998 के बीच विभिन्न निगम निकायों जैसे बैंकों, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दूरदर्शन आदि को अतिरिक्त पुलिस आपूरित की गई थी लेकिन अप्रैल 1986 से मार्च 1998 तक की अवधि के लिए 2.53 करोड़ रु0 की लागत जुलाई 1998 तक वसूल नहीं की गई थी।

पुलिस महानिदेशक ने सूचित किया (सितम्बर 1998) कि यह मामला सम्बद्ध निगम निकायों के साथ पत्राचाराधीन था। यह उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि पुलिस बल की आपूर्ति हेतु भुगतान सम्पूर्ण रुप में पहले ही वसूल किया जाना था। इस प्रकार 2.53 करोड़ रु0 की वसूली न होने से सरकारी धन अवरुद्ध हो गया था।

3.13.8.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा न करना

सभी लेखा दस्तावेजों के समुचित रखरखाव तथा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा उपलब्ध करवाई गई थी। इस प्रयोजनार्थ शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में एक अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया गया था तथा प्रत्येक क्षेत्र कार्यालयों तथा सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण, शिमला में चार अनुभाग अधिकारी तैनात किए गए थे। इन आन्तरिक लेखापरीक्षा कर्मियों को उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न अधीनस्थ इकाइयों को प्रत्येक वर्ष आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य भी सौंपा गया था।

नमूना जांच से पता चला कि निम्नांकित इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

क्रमांक	इकाई का नाम	जब से आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी
1.	पुलिस अधीक्षक, सोलन	मार्च 1992
2.	पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर	सितम्बर 1997
3.	उपमहानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरोह	जुलाई 1995
4.	पुलिस अधीक्षक, ऊना	मार्च 1996
5.	पुलिस अधीक्षक, कुल्लू	नवम्बर 1966
6.	पुलिस अधीक्षक, किन्नौर	अगस्त 1972
7.	पुलिस अधीक्षक, शिमला	मार्च 1993
8.	आदेशक चौथी वाहिनी, बासल	मार्च 1996

आन्तरिक लेखापरीक्षा न करने के कारण मांगे गए थे (अगस्त 1998) लेकिन इन्हें सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 1998)।

ये तथ्य सितम्बर 1998 में सरकार को प्रेषित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1998)।

3.14 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई वित्तीय अनियमितताओं तथा लेखाओं के अनुरक्षण में विसंगतियां तथा जिन्हें पूर्ण उत्तरों के अभाव के कारण स्थल पर नहीं निपटाया जाता है, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संपरीक्षित इकाइयों के प्रमुखों तथा नियंत्रण अधिकारियों को सम्प्रेषित की जाती हैं। गंभीर तथा अधिक महत्वपूर्ण अनियमितताएं विभागों के प्रशासनिक अध्यक्षों तथा सरकार को भी प्रतिवेदित की जाती हैं। छः मास से अधिक के बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों से सम्बन्धित अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन उनके शीघ्र निपटान हेतु सरकार को अग्रेषित किए जाते हैं। बकाया प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों की स्थिति से वित्त विभाग को भी समय-समय पर सूचित किया जाता है।

मार्च 1998 तक बकाया पड़े 5784 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 21732 परिच्छेदों में से केवल 7 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 126 परिच्छेद ही 1997-98 के दौरान तदर्थ समिति की 14 बैठकों में समायोजित किए गए थे।

1997-98 वर्ष हेतु निर्धारित बकाया परिच्छेदों के निपटारे हेतु तदर्थ समिति की 20 बैठकों में से राज्य सरकार द्वारा केवल 14 बैठकें ही आयोजित की गई। इन बैठकों में मार्च 1998 तक जारी 5784 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 21732 परिच्छेदों में से केवल सात निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 126 परिच्छेद* ही निपटाए गए।

लोक निर्माण विभाग (पुल एवं सड़कें) सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य तथा वन खेती एवं संरक्षण विभागों सहित विभिन्न सिविल विभागों के सम्बन्ध में दिसम्बर 1997 तक जारी 6884 निरीक्षण प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट 23,634 परिच्छेद जून 1998 के अन्त तक निपटान हेतु पड़े थे जैसा नीचे दर्शाया गया है:

क्रमांक	विभाग का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन (संख्या)	परिच्छेद
1.	सिविल विभाग	5,531	19,129
2.	लोकनिर्माण विभाग (पुल व सड़कें)	474	1,682
3.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	275	934
4.	वन खेती एवं संरक्षण	604	1,889
	जोड़	6884	23,634

* कृषि: 17 परिच्छेद; पशुपालन: 20 परिच्छेद; मत्स्य पालन: 5 परिच्छेद; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: 7 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 70 परिच्छेद राजस्व: 14 परिच्छेद

इनमें से आयुर्वेद, तकनीकी शिक्षा, सामाजिक तथा महिला कल्याण विभागों के सम्बन्ध में दिसम्बर 1997 तक जारी किन्तु जून 1998 तक न निपटाए गए बकाया प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार था:

क्रमांक	अवधि	आयुर्वेद		तकनीकी शिक्षा		सामाजिक एवं महिला कल्याण	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	मार्च 1992 तक	42	74	15	51	65	124
2.	1992-93	02	03	03	03	19	40
3.	1993-94	15	32	11	28	21	43
4.	1994-95	13	50	12	33	22	80
5.	1995-96	08	27	08	33	33	232
6.	1996-97	03	08	07	17	08	42
7.	1997-98	--	--	03	16	02	14
	जोड़	83	194	59	181	170	575

सम्बन्धित कार्यालयों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर उनकी पावती से एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा को अग्रेषित करने थे। तकनीकी शिक्षा तथा सामाजिक एवं महिला कल्याण विभागों के विभिन्न कार्यालयों* ने मई 1998 तक 16 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट 121 परिच्छेदों के प्रारम्भिक उत्तर भी नहीं दिए थे यद्यपि इन विभागों ने निरीक्षण प्रतिवेदन पिछले चार से 36 महीनों में प्राप्त कर लिए थे।

तकनीकी शिक्षा तथा महिला कल्याण विभागों ने 16 निरीक्षण प्रतिवेदनों के कोई उत्तर नहीं दिए।

29.67 करोड़ रु0 से अन्तर्विष्ट बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की विभागानुसार स्थिति नीचे दी गई है:

क्रमांक	विभाग	बकाया पड़े		
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	अन्तर्विष्ट राशि (करोड़ रु0)
1.	आयुर्वेद	134	164	2.98
2.	तकनीकी शिक्षा	116	147	1.77
3.	सामाजिक एवं महिला कल्याण	413	588	24.92
	जोड़	663	899	29.67

* औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुल्लू, शिमला तथा सुन्दरनगर (ii) पोलीटैक्निक, हमीरपुर, (iii) निदेशक, सामाजिक तथा महिला कल्याण (iv) जिला कल्याण अधिकारी, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, सिरमौर, सोलन तथा ऊना (v) शिशु विकास परियोजना अधिकारी, पांगी पूह, रिवालसर तथा सुन्दरनगर

इन तीन विभागों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कुछ समीक्षित अनियमितताओं को नीचे निर्दिष्ट किया जाता है:-

क्रमांक	आपत्ति का वर्गीकरण	निरीक्षण प्रतिवेदन*	परिच्छेद	अन्तर्विष्ट राशि
		(संख्या)		(लाख रु0)
1.	आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण/ निधियों का अवरोधन	57	71	1547.24
2.	वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीदें/प्रयुक्तता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न करना	35	40	226.69
3.	संस्वीकृतियों के अभाव में अधिक/अनियमित व्यय	46	48	61.60
4.	अपव्ययपूर्ण, असंगत/निष्फल व्यय	22	24	57.61
5.	निष्क्रिय मशीनरी/उपस्कर	16	18	41.76
6.	अनियमित क्रय	37	42	32.40
7.	अपूर्ण/परित्यक्त निर्माण कार्य	12	12	20.26
8.	बकाया ऋण	16	16	14.98
9.	अनुदानों को प्रयोग न करना	02	02	14.24
10.	अधिक भुगतान, किराये तथा अग्रिमों की वसूली न होना/विविध वसूलियां	107	141	11.72
11.	खजाने/बैंकों के साथ समाधान न करना	13	13	10.99
12.	भण्डार की बेकार वस्तुओं का निपटारा न करना	39	43	10.73
13.	निधियों का अपवर्तन	07	07	10.40
14.	भण्डारों/नकदी/निधियों का दुर्विनियोजन	14	17	7.74
15.	भण्डारों/नकदी इत्यादि को लेखाबद्ध न करना/ कम लेखाबद्ध करना	36	41	7.63
16.	ब्याज को खजानों में जमा न करना	10	10	4.79
17.	हानियां/चोरियां/गबन/व्यपहरण इत्यादि	27	27	2.23
18.	आकस्मिक अग्रिमों को समायोजित न करना	03	03	0.12
19.	विविध अनियमितताएं	164	324	883.50

मामला सरकार को जून 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

---

* वर्गानुसार आपत्तियों के प्रदर्शन के कारण 351 का अन्तर है।

3.15 दुर्विनियोजन/व्यपहरण, इत्यादि

लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित मार्च 1998 के अन्त तक सरकारी धन के अभिकथित दुर्विनियोजन, व्यपहरण, इत्यादि के मामलों की स्थिति, जिन पर जून 1998 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी, निम्नानुसार थी:-

विभागीय कार्यवाहियों की पूर्णता में विलम्ब के कारण 53.67 लाख रु0 के अभिकथित दुर्विनियोजन, व्यपहरण, इत्यादि के 89 मामले जून 1998 तक अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित पड़े थे।

विवरण	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
31 मार्च 1997 तक प्रतिवेदित तथा 30 जून 1997 तक बकाया मामले	99	56.55
1997-98 के दौरान प्रतिवेदित मामले	06	11.18
जून 1998 तक निपटाये गए मामले	16	14.06
30 जून 1998 को बकाया मामले	89	53.67

इनमें से सामग्री की कमी, उत्खनन के दौरान दुर्घटना, कूहल/पुल के बह जाने इत्यादि से सम्बन्धित 19 मामले (अन्त:ग्रस्त राशि: 7.35 लाख रु0) 20 वर्षों से भी अधिक समय से बकाया पड़े थे। 22.04 लाख रु0 से अन्त:ग्रस्त तैतांलीस मामले, 11.79 लाख रु0 के 25 मामले तथा 1.35 लाख रु0 के पांच मामले क्रमश: लोकनिर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तथा वन खेती एवं संरक्षण विभाग से सम्बन्ध रखते थे। इन तीन विभागों में बकाया 73 मामलों में से 53 मामलों जिनमें 20.96 लाख रु0 सम्मिलित थे, की विभागीय छानबीन की पूर्णता प्रतीक्षित थी (तीन वर्षों तक: पांच मामले: अन्त:ग्रस्त राशि: 0.25 लाख रु0; तीन वर्षों से अधिक परन्तु पांच वर्षों तक: आठ मामले: अन्त:ग्रस्त राशि: 7.54 लाख रु0 ; पांच वर्षों से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक: सात मामले: अन्त:ग्रस्त राशि : 2.17 लाख रु0; 10 वर्षों से अधिक किन्तु 15 वर्ष तक: 15 मामले: अन्त:ग्रस्त राशि: 5.95 लाख रु0; 15 वर्षों से अधिक परन्तु 20 वर्ष तक: नौ मामले: अन्त:ग्रस्त राशि: 2.52 लाख रु0 तथा 20 वर्षों से अधिक: नौ मामले: अन्त:ग्रस्त राशि: 2.53 लाख रु0)।

विभागीय कार्यवाहियों की पूर्णता में अतीव विलम्बों के दृष्टिगत सरकार को समयबद्ध ढंग से मामलों को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त पग उठाने चाहिए थे।

अध्याय-IV

निर्माण कार्य व्यय

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

4.1 कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4.1.1 परिचय

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में खेतों के जलमार्गों एवं नालियों के निर्माण, भूमि को समतल करने तथा आकार देने, शस्योत्पादन प्रतिमान को कार्यरुप देने, चक्रक्रमयुक्त जलापूर्ति हेतु बाराबन्दी को कार्यान्वित करने इत्यादि की परिकल्पना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि 1991-92 से पूर्व से चालू तीन सिंचाई परियोजनाओं* के कमाण्ड क्षेत्र में कृषि उत्पादन को अनुकूलतम बनाने के लिए सृजित सिंचाई सम्भाव्यता का श्रेष्ठतम तथा अधिक प्रभावशाली प्रयोग हो। इस कार्यक्रम का मार्च 1996 तथा मई 1996 के दौरान भाबौर साहिब सिंचाई परियोजना चरण-II (ऊना जिला) तथा 32 लघु सिंचाई परियोजना के समूह (चम्बा जिला) के कमाण्ड क्षेत्रों में सूत्रपात किया गया था और इन्हें क्रमशः मार्च 2000 तथा मार्च 2002 में पूर्ण किया जाना निहित था। कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में 31 मार्च 1991 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के परिच्छेद 4.10 में उल्लेख किया गया था। उसमें अन्तर्निहित बिन्दुओं के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने सितम्बर 1998 तक अपनी सिफारिशों को अन्तिम रुप नहीं दिया था।

4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य में विभाग द्वारा कार्यक्रम चार मण्डलों (बागी, डलहौजी, पांवटा साहिब तथा ऊना-I) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा था। डलहौजी तथा ऊना-I मण्डल मुख्य अभियन्ता (उत्तर) धर्मशाला के अधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत थे लेकिन बागी और पांवटा साहिब के मण्डल क्रमशः मुख्य अभियन्ता (केन्द्रीय अंचल) मण्डी तथा प्रमुख अभियन्ता शिमला के अधिकार क्षेत्र में थे। विभाग का समग्र नियन्त्रण राज्य सरकार के वित्त आयुक्त एवं सचिव (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य) के पास था।

---

* बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना, भाबौर साहिब सिंचाई परियोजना चरण-I तथा गिरि सिंचाई परियोजना

4.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

चार मण्डलों* जिन्हें पांच परियोजनाओं** के कमाण्ड क्षेत्र में कार्यक्रम का कार्यान्वयन सौंपा गया था, सुन्दरनगर वृत्त तथा प्रमुख अभियन्ता शिमला तथा मुख्य अभियन्ता (उत्तर) धर्मशाला के 1991-92 से 1997-98 तक की अवधि में आवृत्त अभिलेखों की दिसम्बर 1997 तथा अप्रैल 1998 के मध्य नमूना जांच की गई। समीक्षा के परिणाम अनुवर्ती परिच्छेदों में उल्लिखित किए जाते हैं।

4.1.4 मुख्य बातें

** **पांच कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं का संघटकवार व्यय लेखापरीक्षा में सत्यापन योग्य नहीं था क्योंकि कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के व्यय के पृथक विवरण नहीं रखे गए थे।**

[परिच्छेद 4.1.5 (i)(क)]

** **डलहौजी मण्डल द्वारा भारत सरकार से 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह के लिए वास्तविक व्यय से 54.91 लाख रु0 की अधिक केन्द्रीय सहायता का दावा किया गया था।**

{परिच्छेद 4.1.5 (iii)}

** **बल्ह घाटी परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों का मूल प्राक्कलन वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किया गया था। इस परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास पर प्रति हैक्टेयर लागत में 6,398 से 27,320 रु0 (327 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।**

{परिच्छेद 4.1.6(i)(क)}

** **चार पूर्ण परियोजनाओं (भाबौर साहित चरण-I, बल्ह घाटी, 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं का समूह तथा गिरी) में सृजित सिंचाई सम्भाव्यता की प्रयुक्तता इन परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में शून्य तथा 64 के मध्य थी।**

(परिच्छेद 4.1.7)

** **कुल 1.40 लाख मीटर खेत जलमार्गों को 2.02 लाख रु0 की लागत से बनाया गया जो संस्वीकृत प्राक्कलनों में समाविष्ट प्रावधान से अधिक थे।**

(परिच्छेद 4.1.8)

---

* बागी, डलहौजी, पांवटा साहिब तथा ऊना।

** बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना, भाबौर साहिब सिंचाई परियोजना चरण I तथा II, 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं का समूह तथा गिरि सिंचाई परियोजना का समूह

** बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना के तीन गांवों जहां सिंचाई कार्यों, कृषि जलमार्गों तथा बाराबन्दी पर 45.30 लाख रु0 का व्यय किया गया था, में 130 हैक्टेयर भूमि में जून 1992 सेसिंचाई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी।

[परिच्छेद 4.1.8(vi)]

** परियोजना प्रस्तावों को अन्तिम रुप दिए जाने से पूर्व तीन परियोजनाओं में मिट्टी के संवेक्षण नहीं किए गए थे। बल्ह घाटी परियोजना में 1994-95 तक 90 प्रतिशत कृषि जलमार्गों के बन जाने के बाद केवल 1997-98 के दौरान मिट्टी-संर्वेक्षण किया गया।

[परिच्छेद 4.1.9.(i)]

** चार परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में 4760 हैक्टेयर भूमि में लाभग्राहियों के खेतों में एक बराबर जल फैलाव को सुनिश्चित करने के लिए भूमि को समतल करना तथा आकार देना शुरु भी नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 4.1.11)

** कृषि जलमार्गों में अतिरिक्त जल निकास के लिए खेतों की नालियों के निर्माण जो कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आता था, पर 1994-98 के दौरान बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह के अन्तर्गत 12.38 लाख रु0 खर्च किए गए।

(परिच्छेद 4.1.12)

** लाभग्राहियों के मध्य उचित तथा आश्वासित जल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बाराबन्दी का खेत जलमार्गों के निर्माण के साथ-साथ सूत्रपात किया जाना था। भावौर साहिब परियोजना चरण-II तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह में केवल 950 हैक्टेयर के क्षेत्र में ही बाराबन्दी की गई थी जबकि खेतों के जलमार्ग 1780 हैक्टेयर में निर्मित किए गए थे।

(परिच्छेद 4.1.13)

** हिमाचल प्रदेश लघु नहरें अधिनियम में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार जल की दरें संशोधित नहीं की गई।

(परिच्छेद 4.1.16)

** बल्ह घाटी, भाबौर साहिब चरण-II तथा गिरि सिंचाई परियोजनाओं में 1991-97 के दौरान स्थापना पर 34.99 लाख रु0 खर्च किए गए थे जो निर्धारित मानकों से अधिक थे।

(परिच्छेद 4.1.17(ii))

** प्रमुख अभियन्ता ने भारत सरकार को प्रतिवेदित किया कि 59.20 लाख रु0 का व्यय फसल क्षतिपूर्ति, लघु तथा सीमान्त किसानों के ऋणों एवं उपदान पर खर्च किया गया था। किन्तु वास्तव में ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 4.1.18,4.1.19 व 4.1.20)

** 8.57 करोड़ रु0 की लागत से बने 11879 हैक्टेयर में निर्मित कृषि जलमार्ग लाभग्राहियों/कृषक संगठनों को नहीं सौंपे गए। कृषि जलमार्ग 60 वर्ष की जीवनावधि के स्थान पर 5-6 वर्ष की छोटी अवधि के भीतर क्षतिग्रस्त हो गए थे।

(परिच्छेद 4.1.22)

** भाबौर साहिब सिंचाई परियोजना चरण-I ग्रेविटी मेन्स/वितरण तन्त्र में उपयुक्त किस्म की पाइपों का प्रावधान न होने के कारण ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही थी। मुख्य अभियन्ता को जनवरी 1998 में प्रस्तुत 91.85 लाख रु0 के विशेष मरम्मत आकलन का अनुमोदन प्रतीक्षित था।

(परिच्छेद 4.1.24)

** पांच परियोजनाओं में कार्यक्रम के तकनीकी एवं भौतिक अनुरक्षण हेतु अनुश्रवण कक्ष गठित नहीं किए गए। जैसा कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों के निर्माण तथा उपयोग में गम्भीर विसंगतियों तथा कमियों से प्रकट हुआ, मुख्य अभियन्ता/प्रमुख अभियन्ता द्वारा परियोजनाओं का अनुश्रवण प्रभावशाली नहीं था। मूल्यांकन अध्ययन से उद्घाटित हुआ कि गिरी सिचांई परियोजना के सम्बन्ध में 2.92 के अनुमानित लागत लाभ अनुपात के प्रति, वास्तिक लाभ लागत अनुपात 1.48 था।

(परिच्छेद 4.1.25)

4.1.5 वित्तीय परिव्यय

परियोजनाबार प्राक्कलित लागत, अद्यतन व्यय तथा अद्यतन भौतिक लब्धियां निम्नवत् थीं:

क्रमांक	परियोजना का नाम	संस्वीकृति का माह/ वर्ष	प्राक्कलित लागत	मार्च 1998 तक व्यय	लब्धियां		
					कृषि जल-मार्ग	बाराबन्दी	कृषि जल मार्ग
		(लाख रुपए)			(हैक्टेयर में)		
1.	बल्ह घाटी सिंचाई	जून 1986	154.20	292.92	2410	2410	102
2.	भाबौर साहिब चरण-I	अप्रैल 1988	54.76	94.88	928	1000	--
3.	भाबौर साहिब चरण-II	नवम्बर 1995	581.48	205.05	920	350	--
4.	32 लघु सिंचाई समूह	मई 1996	363.52	240.30	860	600	800
5.	गिरि सिंचाई	मार्च 1984	160.31	466.18	6761	6761	--
	जोड़		1314.27	1299.33	11879	11121	902

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकलाप राज्य सरकार के स्वयं के स्रोतों तथा अप्रैल 1979 में निर्धारित केन्द्रीय सहायता के प्रतिमान जिसे अप्रैल 1986 तथा अप्रैल 1996 में संशोधित किया गया था के ऋण एवं अनुदान के रुप में केन्द्रीय सहायता से वित्तपोषित थे।

प्राप्त केन्द्रीय सहायता, बजट प्रावधान तथा 1991-98 के दौरान राज्य तथा केन्द्रीय खण्ड के अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर किए गए व्यय के विवरण परिशिष्ट-VI में दिए गए हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उद्घाटित हुए:

(i)(क) कार्यक्रम के विभिन्न क्रियाकलापों पर किए गए व्यय के संघटकवार ब्यौरे नमूना जांच किए गए किसी भी मण्डल द्वारा नहीं रखे गए थे जिनके अभाव में मांगी गई केन्द्रीय सहायता की शुद्धता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ख) 1995-96 के दौरान गिरि, बल्ह घाटी तथा भाबौर साहिब चरण-I परियोजनाओं में स्थापना (15.10 लाख रु0) तथा निर्माण संघटक (12 लाख रु0) पर खर्च किए गए 27.10 लाख रु0 भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए क्योंकि इन परियोजनाओं को 1993-95 में पूर्ण कर लिया गया प्रतिवेदित किया गया था।

(ग) 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह में 1995-96 के दौरान खर्च किए गए 16 लाख रु० भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए क्योंकि भारत सरकार द्वारा परियोजना मई 1996 में अनुमोदित की गई थी।

प्रमुख अभियन्ता ने बताया (मई 1998) कि भारत सरकार से आवश्यक लम्बित प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही थी।

(ii) भाबौर साहिब परियोजना चरण-I में केन्द्रीय सहायता का दावा करने के लिए 1995-96 के दौरान बाराबन्दी पर 8.40 लाख रु० (केन्द्रीय खण्ड: 4.20 लाख रु० तथा राज्य खण्ड: 4.20 लाख रु०) का व्यय किया गया बताया गया था। सम्बन्धित मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 1995-96 के दौरान बाराबन्दी पर केवल 0.51 लाख रु० ही खर्च किए गए थे। इस प्रकार कार्यक्रम पर किए गए वास्तविक व्यय से 3.94 लाख रु० की अधिक केन्द्रीय सहायता का दावा किया गया।

(iii) 1993-96 के मध्य लघु सिंचाई परियोजनाओं में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर 86.91 लाख रु० खर्च किए गए दर्शाए गए थे जबकि 1995-96 के दौरान 32 लघु सिंचाई परियोजना के समूह पर डलहौजी मण्डल द्वारा वास्तव में केवल 32 लाख रु० ही खर्च किए गए। इस प्रकार, कार्यक्रम पर किए गए वास्तविक व्यय से 54.91 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता का अधिक दावा किया गया।

4.1.6 भौतिक प्रगति

सम्बन्धित मण्डलीय कार्यालयों द्वारा आपूरित सूचना के अनुसार पांच परियोजनाओं में खेतों के जलमार्गों, बारबन्दी तथा खेतों की नालियों से सम्बन्धित वर्ष 1991-98 के दौरान उनके प्रति निर्धारित लक्ष्य तथा लब्धियां निम्नवत् थीं:

वर्ष	कृषि जलमार्ग		बाराबन्दी		खेतों की नालियां	
	लक्ष्य	लब्धियां	लक्ष्य	लब्धियां	लक्ष्य	लब्धियां
			(हैक्टेयर में)			
1991-92	1300	1104 (85)	1700	1726 (101)	--	--
1992-93	953	1099 (115)	1550	1903 (123)	--	--
1993-94	650	650 (100)	2100	2120 (101)	--	--
1994-95	180	180 (100)	680	680 (100)	--	-
1995-96	120	120 (100)	--	-- --	102	102 (100)
1996-97	820	970 (118)	250	250 (100)	--	--
1997-98	640	690 (108)	700	700 (100)	800	800 (100)
जोड़	4663	4813 (103)	6980	7379 (106)	902	902 (100)

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े लक्ष्यों की प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

(i) **परियोजनाओं की पूर्णता में भारी विलम्ब तथा अत्यधिक लागत**

(क) बल्ह घाटी परियोजना (कृषिय कमाण्ड क्षेत्र: 2410 हैक्टेयर), जिसका निष्पादन फरवरी 1983 में आरम्भ किया गया था, फरवरी 1998 तक भी अपूर्ण थी क्योंकि 233 हैक्टेयर कृषीय कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सम्भाव्यता सृजित नहीं की गई थी। इस परियोजना हेतु कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए जून 1986 में 1.54 करोड़ रु0 अनुमोदित किए गए थे और यह कार्य मार्च 1991 तक पूर्ण किया जाना था। यद्यपि कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्य (खेतों के जलमार्ग तथा बाराबान्दी) प्रगतिरत थे (मार्च 1998) तो भी भारत सरकार को प्रतिवेदित किया गया कि परियोजना मार्च 1995 में पूरी हो गई थी। मार्च 1998 तक 2.93 करोड़ रु0 व्यय किए गए थे। 6.58 करोड रु0 के संशोधित आकलन पर मुख्य अभियन्ता (उत्तर) की आपत्तियों पर मण्डल ने जून 1994 तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। अधिशासी अभियन्ता ने मार्च 1998 तक संशोधित आकलन को पुनः प्रस्तुत न करने के कारण सूचित नहीं किए।

लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तावित संशोधित आकलन की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि कार्य की विभिन्न मदों में मूल प्रस्तावों तथा संशोधित प्रस्तावों में भारी भिन्नताएं थीं। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि कुछ अनिवार्य कार्यकलाप जैसे अनुकूली परीक्षा, कृषक प्रशिक्षण, संचार प्रणाली इत्यादि संशोधित आकलन में नए सिरे से शामिल किए गए थे क्योंकि इन मदों का मूल आकलन में प्रावधान नहीं किया गया था।

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों के अवास्तविक प्राक्कलन 5.04 करोड़ रु0 की अत्यधिक लागत में परिणत हुए। बल्ह घाटी परियोजना में प्रति हैक्टेयर लागत तीन गुणा से भी ज्यादा आई।

संशोधित आकलन के परिचय पर्चे में यह बताया गया था कि मूल्य सूचकांक में वृद्धि के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्र तथा छोटे-छोटे खेतों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मूल प्रावधान में प्रस्तावित था, 40 मीटर प्रति हैक्टेयर के स्थान पर 71 मीटर प्रति हैक्टेयर तक खेतों के पक्के जलमार्गों की आवश्यकता थी। संशोधित आकलन में नये सिरे से शामिल की गई कार्य की मदों को छोड़ देने के कारण नहीं दिए गए थे।

अत: यह दृष्टव्य है कि मूल प्रावधान पहाड़ी क्षेत्र तथा छोटे-छोटे खेतों के आकार और अन्य सम्बद्ध क़ारकों जो विभाग की जानकारी में थे को ध्यान में रखने के बाद यथार्थिक आधार पर तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों की प्रति हैक्टेयर लागत बढ़कर 6398 रु0 से 27320 रु0 (327 प्रतिशत) हो गई।

(ख) लिफ्ट सिंचाई परियोजना, भाबौर साहिब चरण-I (कृषि कमाण्ड क्षेत्र: 923 हैक्टेयर) के कमाण्ड क्षेत्र विकास के लिए 54.76 लाख रु0 प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किए गए (अप्रैल 1998)। मार्च 1991 तक निर्धारित समय में पूर्ण की जाने वाली परियोजना को 94.88 लाख रु0 की लागत से दिसम्बर 1997 में पूर्ण हुआ दर्शाया गया। इस प्रकार परियोजना की पूर्णता में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरुप कृषि कमाण्ड क्षेत्र की प्रति हैक्टेयर लागत (73 प्रतिशत) बढ़ कर 5933 रु0 से 10280 रु0 हो गई। इसके अतिरिक्त भूमि को समतल करने, खेतों में नालियां बनाने, इत्यादि जैसे कार्यकलाप जनवरी 1998 तक आरम्भ नहीं किए गए थे। अधिशासी अभियन्ता द्वारा परियोजना की पूर्णता में असाधारण विलम्ब को निधियों की अनुपलब्धता से आरोपित किया गया (जनवरी 1998)। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि 1989-94 के दौरान 65.20 लाख रु0 के आबण्टन के प्रति केवल 12.08 लाख रु0 खर्च किए गए थे।

भाबौर साहिब सिंचाई परियोजना चरण I की पूर्णता में छः वर्षों के विलम्ब के कारण प्रति हैक्टेयर लागत बढ़कर 5933 रु0 से 10280 रु0 से हो गई।

4.1.7 सिंचाई सम्भाव्यता की न्यून प्रयुक्तता

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य जोर एकीकृत जल प्रबन्ध के माध्यम से सिंचाई सम्भाव्यता की प्रयुक्तता की प्रक्रिया को त्वरित करना तथा जल की प्रभावशाली प्रयुक्तता को सुनिश्चित करना था। 1991-97 के दौरान चार परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचाई सम्भाव्यता 9651 तथा 11441 के मध्य रही थी। जैसा परिशिष्ट VII में विवरणित है, उसी अवधि के दौरान सिंचाई सम्भाव्यता की प्रतिशतता शून्य से 64 प्रतिशत के बीच रही थी।

चार परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सम्भाव्यता की प्रयुक्तता शून्य से 64 प्रतिशत के मध्य थी।

जबकि गिरि परियोजना में (42 से 68 प्रतिशत) सिंचाई सम्भाव्यता की प्रयुक्तता में गिरावट रबी तथा खरीफ फसलों के दौरान वर्षा के कारण प्रतिवेदित की गई थी, लेकिन अधिशासी अभियन्ता द्वारा बल्ह घाटी परियोजना (73 से 100 प्रतिशत) में इसे फसलों की नवीन पद्धति अपनाने में कृषकों की विमुखता से आरोपित किया गया। भाबौर साहिब परियोजना चरण-I तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह के सम्बन्ध में, सिंचाई सम्भाव्यता की उपयोगिता की गिरावट के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि (i) खेतों के क्षतिग्रस्त जलमार्गों तथा गिरि परियोजना के सन्तुलनकारी जलाशय के भरने के कारण उसकी भण्डारण क्षमता में कमी, (ii) भाबौर साहिब चरण-I के ग्रेविटि मेन्स/वितरण तन्त्र में अनुपयुक्त पाइपों के प्रावधान, (iii) बल्ह घाटी परियोजना की निष्क्रिय स्कीमें तथा (iv) 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह में अनलाईण्ड मुख्य जलमार्ग भी कारण थे जो जल-स्राव/जलहानि में सहायक हुए और परिणामत: सिंचाई सम्भाव्यता

की प्रयुक्तता प्रभावित हुई। उदाहरणतया कुछ मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में विवेचना की जाती है।

4.1.8 खेतों के जलमार्गों का निर्माण

खेतों के जलमार्ग बहिर्गम नियन्त्रण सहित पानी की नालियां होती हैं, जो प्रत्येक खेत को बहिर्गम से जल को पहुंचाती है और कार्यक्रम का सब से महत्वपूर्ण संघटक होता है। जैसा परिच्छेद 4.1.6 में उल्लिखित किया गया था, 1991-98 के दौरान 4663 हैक्टेयर के प्रति पांच परियोजनाओं के 4813 हैक्टेयर क्षेत्र में खेतों के जलमार्ग निर्मित किए गए थे। कार्यक्रम के सम्बन्ध में 8.92 करोड़ रु0 के कुल बजट प्रावधान में से 1991-98 के दौरान इस संघटक के लिए 5.72 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया था और वास्तव में 5.63 करोड़ रु0 खर्च किए गए थे।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

(i) 1983-84 में कार्यक्रम के आरम्भ से सभी पांच परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में खेतों के जलमार्ग के निर्माण कार्य चार मण्डलों द्वारा विस्तृत आकलन तैयार तथा तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना आरम्भ किए गए थे और मार्च 1998 तक 8.57 करोड़ रु0 का अद्यतन व्यय किया जा चुका था।

(ii) चार मण्डलों* के आकलनों में 658655 प्रवाही मीटर (रेखांकित जलमार्ग: 330365 प्रवाही मीटर तथा अरेखांकित जलमार्ग: 328290 प्रवाही मीटर) का प्रावधान था। इस प्रावधान के प्रति मार्च 1998 तक 351268 प्रवाही मीटर खेतों के जलमार्ग (रेखांकित जलमार्ग: 308487 प्रवाही मीटर तथा अरेखांकित जलमार्ग: 42781 प्रवाही मीटर) का निर्माण किया गया था। रेखांकित एवं अरेखांकित खेतों के जलमार्ग आकलनों में दिए गए भिन्न-भिन्न अनुपातों में निर्मित किये जाने थे। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आकलनों में किए गए प्रावधानों के अनुसार निर्मित किए जाने वाले 168645 प्रवाही मीटर के प्रति वास्तव में 308487 प्रवाही मीटर जलमार्ग निर्मित किए गए। चार परियोजनाओं** में 139842 प्रवाही मीटर जलमार्ग का प्रावधानों से अधिक निर्माण 2.02 करोड़ रु0 के अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ।

कुल 1.40 लाख मीटर के खेतों के जलमार्ग प्रावधान से 2.02 करोड़ रु0 की अतिरिक्त लागत से बनाए गए।

---

* बल्ह घाटी, भाबौर साहिब चरण-I, भाबौर साहिब चरण-II तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं का समूह

** बल्ह घाटी परियोजना (92399 प्रवाही मीटर), भाबौर साहिब चरण-I (4361 प्रवाही मीटर), भाबौर साहिब चरण-II (28070 प्रवाही मीटर) तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं का समूह (15012 प्रवाही मीटर)

(iii) भाबौर साहिब परियोजना चरण-II में 1995-96 तथा 1997-98 के मध्य सीमेण्ट रोड़ी के रेखांकित कृषि जलमार्गों के प्रावधान के प्रति , जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित था, 1.50 करोड़ रु0 की लागत से ईंटों के खेतों के जलमार्ग निष्पादित किए गए। अधिशासी अभियनता, ऊना मण्डल-I ने बताया (जनवरी 1998) कि ईंट-रेखांकित खेतों के जलमार्ग सुगमता से मरम्मतयोग्य थे। कार्य के संस्वीकृत लक्ष्य से अपवर्तन को, तथापि, भारत सरकार से अनुमोदित नहीं करवाया गया था।

(iv) विनिर्देशों तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के परियोजना प्रतिवेदन में 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं (चम्बा जिला) के समूह हेतु खेतों के जलमार्ग में सीमेण्ट रोड़ी के ऊपर सीमेण्ट के पलस्तर (1:3:6) का कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा में तथापि यह पाया गया कि नवम्बर 1996 तथा फरवरी 1998 के मध्य 2.37 लाख रु0 की लागत से खेतों के जलमार्गों के 9339 वर्गमीटर क्षेत्र के ऊपर अनधिकृत रुप से सीमेण्ट के पलस्तर का कार्य किया गया। अधिशासी अभियन्ता डलहौजी ने बताया (अप्रैल 1998) कि पलस्तर का कार्य जल प्रवाह की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था और इस कार्य की मद का प्रावधान विस्तृत आकलन में रख लिया जाएगा। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि परियोजना के संस्वीकृत आकलन में सीमेण्ट पलस्तर का प्रावधान नहीं था।

(v) गिरि सिंचाई परियोजना में अतिरिक्त क्षेत्रीय जलमार्गों/बहिर्गमों के निर्माण तथा क्षतिग्रस्त खेतों के जल मार्गों/बहिर्गमों के जीर्णोद्धार हेतु 1.09 करोड़ रु0 का प्राक्कलन अधीक्षण अभियन्ता नाहन वृत्त को प्रस्तुत किया गया (अक्तूबर 1997)। यह पाया गया कि 1983-84 और 1994-95 के मध्य 34.38 लाख रु0 (रेखांकित क्षेत्रीय जलमार्ग: 17900 मीटर, अरेखांकित क्षेत्रीय जलमार्ग: 32870 मीटर) से निर्मित 50770 मीटर क्षेत्रीय जलमार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इन जलमार्गों/बहिर्गमों के निर्माण में किए गए कार्य की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई गई सामग्री के लिए गुणवत्ता नियन्त्रण परीक्षण नहीं किए गए थे। क्षतियों के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अगस्त 1998 तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी।

सिंचाई सम्भाव्यता तथा कृषीय उत्पादन की प्रयुक्तता पर क्षतियों के प्रभावों को जानने के लिए 60 वर्षों की निर्धारित जीव्यता (रेखांकित नहरों के अभिकल्प हेतु भारतीय मानक कसौटी के अनुसार) के प्रति निर्माण के 14 वर्षों के भीतर खेतों के रेखांकित जलमार्गों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारणों की छानबीन नहीं की गई थी।

अधिशासी अभियन्ता, पांवटा साहिब, मण्डल ने बताया (फरवरी 1998) कि अरेखांकित खेत जलमार्ग समय समय पर लाभग्राहियों द्वारा अपने खेतों में हल चलाते समय क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा कृषीय उत्पादन के साथ-साथ सिंचाई सम्भाव्यता भी निरन्तर रिसाव के कारण निश्चित रुप से प्रभावित होगी।

(vi) अधिशासी अभियन्ता बग्गी मण्डल द्वारा तैयार किए गए (अक्तूबर 1996) परियोजना के स्तर प्रतिवेदन के अनुसार स्थानीय विवादों के कारण जून 1992 तक 130 हैक्टेयर भूमि में बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना, से अंचल संख्या 6 के तीन गांवों में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थीं। तथापि मार्च 1998 में लेखापरीक्षा के कहने पर उपरोक्त अंचल में पड़ने वाले तीन गांवों के वितरण तन्त्र/कृषीय जलमार्ग के सत्यापन से अधिशासी अभियन्ता द्वारा उद्घाटित हुआ कि स्थानीय विवादों के अलावा, मौके पर वितरण तन्त्र/कृषीय जलमार्गों का न होना तथा शेष जलमार्गों के भाग का मलबे से दब जाना, कृषि कमाण्ड क्षेत्र के 130 हैक्टेयर में सिंचाई प्रावधान न होने के मुख्य कारण थे। इन गांवों के सिंचाई स्कीम के विभिन्न संघटकों (सिंचाई कार्य, कृषीय जलमार्ग तथा बाराबन्दी) पर किए गए 45.30 लाख रु0 का व्यय इस प्रकार अधिकतर निष्फल रहा।

सिंचाई कार्यों पर 45.30 लाख रु0 का व्यय किया गया किन्तु जून 1992 से 130 हैक्टेयर भूमि में कोई भी सिंचाई सुविधा प्रदान की गई।

4.1.9 मृदा एवं स्थलाकृतिक सर्वेक्षण न करना

(i) परियोजना प्रस्तावों के निरुपण को सुगम बनाने तथा फार्म सम्बद्ध विकास कार्यों के निष्पादन हेतु कमाण्ड क्षेत्रों में किए जाने वाले परियोजना प्रस्तावों को अन्तिम रुप देने से पूर्व मृदा एवं स्थलाकृतिक संर्वेक्षण किए जाने अपेक्षित थे। संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि यद्यपि दिसम्बर 1997 तक इन परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में खेत जलमार्गों का निर्माण कार्य 35 से 100 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया था किन्तु अब तक (जनवरी-फरवरी 1998 तक) तीन* परियोजनाओं में कोई भी मृदा एवं स्थलाकृतिक संर्वेक्षण आरम्भ भी नहीं किए गए थे। मण्डलीय अधिकारियों द्वारा मृदा संर्वेक्षण न करने के कारण सूचित नहीं किए गए।

परियोजना प्रस्तावों को अन्तिम रुप देने से पूर्व तीन परियोजनाओं में भू-संर्वेक्षण नहीं करवाए गए तथा बल्ह घाटी परियोजना में क्षेत्रीय जलमार्गों का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् मृदा-संर्वेक्षण करवाया गया।

32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह (चम्बा जिला) में अप्रैल 1996 तथा मार्च 1998 के मध्य 49 प्रतिशत खेत जलमार्गों का निर्माण करने के पश्चात् मृदा संर्वेक्षण 1997-98 के दौरान किया गया। तथापि, कुल 1580 हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में से 446 हैक्टेयर के मृदा संवेक्षण प्रतिवेदन के अभिलेख विद्यमान नहीं थे। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1998) कि ये प्रतिवेदन ढूंढ लिए जाएगें तथा शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिए जायेंगें। बल्ह घाटी परियोजना में 1997-98 के दौरान कुल 2410 हैक्टयेर में से केवल 1260 हैक्टेयर का मृदा संर्वेक्षण करवाया गया था जबकि 1994-95 तक 90 प्रतिशत खेत जलमार्गों का निर्माण हो चुका था।

* भाबौर साहिब चरण-I, भाबौर साहिब चरण-II तथा गिरी सिंचाई परियोजना

(ii) गिरि परियोजना, भाबौर साहिब चरण-I तथा चरण-II परियोजनाओं और बल्ह घाटी परियोजना के कमाण्ड क्षेत्रों में जहां इन परियोजनाओं के कृषीय कमाण्ड क्षेत्र में 35 तथा 100 प्रतिशत के मध्य खेत जलमार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका था का स्थलाकृतिक संर्वेक्षण नहीं करवाया गया था।

4.1.10 सिंचाई स्कीमों को पुनः आकार दिए बिना आरम्भ किए गए कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्य

32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह (चम्बा जिला) की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इन स्कीमों के अन्तर्गत पूर्ण सिंचाई सम्भाव्यता पहले से सृजित कर ली गई थी। तथापि, डलहौजी मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (अप्रैल 1998) कि 21 स्कीमों के प्रमुख कार्य, मुख्य जलमार्ग, इत्यादि अरेखांकित (कच्चे) थे और उन्हें रेखांकित करने के लिए पांच स्कीमों के आकलनों को पुनः आकार देने के लिए 46.04 लाख रु0 की अनुमानित राशि 1986-93 के दौरान संस्वीकृत की गई। फरवरी 1998 तक 25.15 लाख रु0 खर्च किए जा चुके थे और पुनः आकार देने के कार्य प्रगति पर थे। 16 स्कीमों के पुनः आकार देने के आकलन अभी संस्वीकृत किए जाने थे।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अप्रैल 1998) कि ये स्कीमें 1978 के दौरान पूर्व लोकनिर्माण विभाग से अन्तरित हुई थी तथा कच्चे जलमार्गों के रिसाव के कारण पानी अन्तिम सिरे तक नहीं पहुंच सका था। इस प्रकार यह दृष्टिगोचर होगा कि 21 अरेखांकित स्कीमों को पुनः आकार देने के आवश्यक कार्य कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों के निष्पादन से पूर्व पूर्ण किए जाने चाहिए थे।

4.1.11 भूमि को समतल न करना तथा आकार न देना

भूमि को सीधा करने/आकार देने का प्राथमिक उद्देश्य खेतों में सिंचाई के पानी का एक समान फैलाव तथा जल रुकाव एवं भूक्षरण रहित अधिक सिंचाई/वर्षा के जल का निकास सुनिश्चित करना था।

चार परियोजनाओं* के कमाण्ड क्षेत्रों में 4760 हैक्टेयर भूमि को सीधा आकार देने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों के सम्बन्ध में 1.57 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत का प्रावधान किया गया था। किन्तु कार्य के इस संघटक हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए तथा इन परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना में भूमि को सीधा तथा आकार नहीं दिया गया था। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस कारक को निष्पादित न करने का मुख्य कारण यह बताया गया (जनवरी-अप्रैल 1998) कि कार्य को करने में कृषकों की रुचि नहीं थी।

---

* बल्ह घाटी, भाबौर साहिब चरण-I, भाबौर साहिब चरण-II तथा 32 लघु सिंचाई परियोजना का समूह

4.1.12 खेतों की नालियों का निर्माण

चार परियोजनाओं* के संस्वीकृत आकलनों में 1.33 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से 5887 हैक्टेयर क्षेत्र में खेतों की नालियों के निर्माण की परिकल्पना थी।

तथापि, भाबौर साहिब चरण-I तथा चरण-II परियोजनाओं में यह संघटक निष्पादनार्थ आरम्भ नहीं किया गया। बल्ह घाटी तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह में 902 हैक्टेयर लक्ष्य के प्रति आवश्यक तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना जनवरी 1998 तक 902 हैक्टेयर में खेतों के नालियों के निर्माण पर 22 लाख रु0 व्यय किए गए थे। इनमें से ऐसे खेतों जिनमें समीपस्थ नालों के क्षेत्र की स्थल-रुपरेखा पर आश्रित रहते हुए आर सी सी पाइप लाइन अथवा खुले क्षेत्र जलमार्गों द्वारा अन्तिम बर्हिगम से जोड़ कर नालियां निर्मित की गई थीं, की नालियों के निर्माण पर 1994-95 तथा 1997-98 के मध्य 12.38 लाख रु0 खर्च किए गए। कोई भी मुख्य अथवा सम्पर्क नालियां नहीं बनाई गईं। स्पष्टतया, इन खेतों की नालियों का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त जल को खेतों के जलमार्गों से समीपस्थ नालों में ले जाना/नालियों से बाहर ले जाना था और इस प्रकार यै कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आती थीं। अधिशासी अभियन्ता, बागी मण्डल ने बताया (मार्च 1998) कि बाराबान्दी का उद्देश्य भी जल को व्यर्थ जाने से रोकना था। यदि पानी की बरवादी पर पूर्णतया नियंत्रण करना सम्भव होता तो खेतों की नालियों के निर्माण को कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया होता। भारत सरकार के केन्द्रीय जल संगठन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, निदेशक ने तथापि संयुक्त सचिव, कमाण्ड क्षेत्र विकास, जल स्रोत मंत्रालय से अनुरोध किया (मई 1998) कि राज्य की विद्यमान स्थल रुपरेखा को ध्यान में रखते हुए खेतों की ऐसी नालियों/निकास नालियों को भी कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जाए।

यदि अतिरिक्त जल/जल के व्यर्थ जाने के सम्बन्ध में प्रभावशालीं ढंग से बाराबान्दी पर बल दिया गया होता तो परिणामतः 12.38 लाख रु0 की लागत से खेतों की नालियों के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता था।

4.1.13 बाराबन्दी

बाराबन्दी जल के क्रमानुसार समान एवं प्रभावशाली वितरण की पद्धति है। 1991-98 के दौरान पांच परियोजनाओं में बाराबन्दी की समग्र स्थिति परिच्छेद 4.1.6 में दी गई है।

---

* बल्ह घाटी, भाबौर साहिब चरण-I, भाबौर साहिब चरण-II तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार बारबान्दी को खेतों के जलमार्गों के निर्माण साथ-साथ आरम्भ किया जाना था। यह देखा गया कि चम्बा जिला में भाबौर साहिब परियोजना चरण-II तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह में मार्च 1998 तक कुल 1780 हैक्टेयर क्षेत्र में खेतों के जलमार्गों का निर्माण किया गया जबकि बाराबन्दी केवल 950 हैक्टेयर (भाबौर साहिब चरण II: 350 हैक्टेयर तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं का समूह: 600 हैक्टेयर) क्षेत्र में ही पुर: स्थापित की गई।

भाबौर साहिब परियोजना चरण-II तथा 32 लघु सिंचाई परियोजना के समूह में कृषि जलमार्गों के साथ-साथ बाराबन्दी नहीं की गई थी।

अधिशासी अभियन्ता, डलहौजी मण्डल ने बताया (अप्रैल 1998) कि 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह में बाराबन्दी खेतों के जलमार्गों की पूर्णता के पश्चात पुर: स्थापित की जाएगी। अधिशासी अभियन्ता का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि खेतों के जल मार्गों के निर्माण के साथ-साथ बाराबन्दी कार्यान्वित की जानी थी। भाबौर साहिब परियोजना चरण-II में बाराबान्दी के कम कार्यान्यवित करने के कारण सूचित नहीं किए गए।

4.1.14 अनुकूल परीक्षण तथा प्रदर्शन

कार्यक्रम में सिंचित भूमि से कृषि उत्पादन की सर्वोत्तमता की परिकल्पना की गई थी। प्रक्षेत्र द्वार पर सिंचाई जल के वितरण हेतु आवश्यक संरचनात्मक ढांचा उपलब्ध करवाते समय कृषकों को अधिकतम फसल प्राप्त करने हेतु बीजाई के तकनीकी ज्ञान तथा वैज्ञानिक खेती उत्पादन के तरीकों से अवगत कराना अनिवार्य है ताकि उन्हें आधुनिकतम तकनीकों तथा विभिन्न फसलों के बीजों की अच्छी उपज देने वाली किस्मों, खेती के प्रतिमानों तथा चक्रानुक्रम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

किए जाने वाली तथा वास्तव में की गई लक्षित* फसल प्रदर्शनों की संख्या निम्नानुसार थी:

क्रमांक	परियोजना का नाम	अवधि जिसके दौरान प्रदर्शन किए जाने थे	प्रदर्शनों की संख्या किए जाने वाले	वास्तव में किए गए	गिरावट
1.	गिरि सिंचाई परियोजना	1990-91 से 1994-95	1,260	458	802
2.	भाबौर साहिब परियोजना चरण-I	1992-93 से 1995-96	324	180	144
3.	भाबौर साहिब परियोजना चरण-II	मई 1995 से अक्तूबर 1997	215	140	75
4.	32 लघु सिंचाई परियोजनाओं का समूह	1997-98	4	--	4
5.	बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना	1997	42	22	20

* विभागीय आंकड़े

बल्ह घाटी तथा गिरि सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रदशन करन म गिरावट को अधिशासी अभियन्ता बग्गी तथा पांवटा साहिब मण्डलों द्वारा निधियों की कमी से आरोपित किया गया (फरवरी 1998)। भाबौर साहिब चरण । तथा ।। परियोजनाओं के विषय में क्षेत्रीय प्रदर्शनों को करने में गिरावट के कोई कारण सूचित नहीं किए गए। 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह के सम्बन्ध में बताया (अप्रैल 1998) कि खण्ड विकास अधिकारी के माध्य से किए गए अनुकूली परीक्षण/क्षेत्रीय प्रदर्शन सन्तोषप्रद नहीं थे और इसने प्रदर्शनों के परिणाम भेजे नहीं थे। यह भी बताया गया कि हिमाच प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जिसके पास 2 लाख रु0 मार्च 1998 में जमा करवाये गए थे को इस कार्यकलाप को आरम्भ करने के लिए अनुरोध किया गया था।

4.1.15 जल प्रबन्ध में किसानों की भागीदारी

लघु स्तर पर कृषक संघ सरकार से विपुल जल प्राप्त करने तथा उसे प्रत्येक कृषक को वितरित करने और किसानों से जल प्रभार भी एकत्र करने तथा उन्हें सरकार के पास जमा करने के अन्तिम उद्देश्य से गठित किए जाने थे। कृषक संघों को उनके द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के अनुरुप अथवा प्रत्येक दो वर्षों में सीसीए के लिए 100 रु0 प्रति हैक्टेयर की दर तथा तीसरे वर्ष 75 रु0 की दर से प्रबन्धकीय उपदान दिया जाना था बशर्ते कि कृषक संघ, सभा पंजीकरण अधिनियम अथवा सहकारी सभाएं अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होते। तथापि अप्रैल 1996 से नवीन वित्तीय पद्धति के अनुसार कृषक संघों को 500 रु0 प्रति हैक्टेयर की दर से कार्यचालन अनुदान एकमुश्त अदा किया जाना था जिसमें से 225 रु0 प्रति हैक्टेयर की दर से भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा और शेष अंशदान 50 रु0 की दर से कृषक-संघ द्वारा दिया जाना था।

पांच परियोजनाओं में 1994-95 तथा 1996-97 के मध्य 75 कृषक संघ (32 लघु सिंचाई परियोजना का समूह: 32 गिरि परियोजना: 21; भाबौर साहिब चरण-I : 11; भाबौर साहित चरण-II: 10 तथा बल्ह घाटी: 1) पंजीकृत किए गए थे। इन संघों को किसी प्रकार का प्रबन्धकीय उपदान नहीं दिया गया था। यह पाया गया कि किसी भी परियोजना में ये संघ न तो किसानों को जलवितरण में लगे थे न ही किसानों से जल प्रभाव एकत्रित कर रहे थे, जिसके कोई भी कारण सूचित नहीं किए गए थे।

4.1.16 जल की दरों को संशोधित न करना

जल दरें हिमाचल प्रदेश लघु नहर अधिनियम, 1976 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जा रही थी। अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि जल की दरों का निर्धारण तंत्र हेतु अनुरक्षण एवं कार्यचालन प्रभारों तथा जल दरों की एकत्रीकरण की लागत को भली-भान्ति ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाए। लेखापरीक्षा में तथापि यह पाया गया कि जल दरें मार्च 1998 तक संशोधित नहीं की गई थीं।

हिमाचल प्रदेश लघु नहर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जल की दरें संशोधित नहीं की गई।

भाबौर साहिब परियोजना चरण-II के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं में मार्च 1991 के अन्त तक 6.32 लाख रु० के जल-प्रभार एकत्रित किए जाने शेष थे जो जनवरी 1998 के अन्त तक बढ़कर 9.62 लाख रु० हो गए थे। शेष राशि को वसूलने हेतु प्रभावशाली पग नहीं उठाए गए थे।

बल्ह घाटी परियोजना की जल दरें 1994 से नहीं बढ़ाई गई थी। अधिशासी अभियन्ता, बग्गी मण्डल ने सूचित किया (मार्च 1998) कि जल दरों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे। तथापि उठाये गए कदमों का अभिलेख में उल्लेख नहीं था।

4.1.17 विविध वित्तीय कमियां

(i) वर्ष 1993-94 से 1997-98 के दौरान तीन परियोजनाओं* के कार्य मदों के सन्दर्भ में 13.44 लाख रु० का व्यय वास्तविक रुप से कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं था, के नामे डाला गया था।

(ii) भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना पर सचिवालय कर्मियों सहित कुल लागत परियोजना के कुल व्यय के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अप्रैल 1996 में संशोधित मानकों के अनुसार कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कुछ निर्दिष्ट क्रियाकलापों पर स्थापना व्यय 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए था।

1991-97 के दौरान स्थापना पर तीन परियोजनाओं में 34.99 लाख रु० का व्यय निर्धारित मानकों से अधिक हुआ।

1991-97 के दौरान तीन परियोजनाओं में यह देखा गया कि स्थापना पर 34.99 लाख रु० का व्यय (गिरि: 28.30 लाख रु०; बल्ह घाटी: 6.02 लाख रु० तथा बाभौर साहिब चरण I: 0.67 लाख रु०) निर्धारित मानकों से अधिक था।

प्रमुख अभियन्ता ने बताया (मई 1998) कि वेतनमानों के संशोधन, मंहगाई भत्ते की किस्त देने इत्यादि के कारण आधिक्य था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ये सभी तथ्य मानकों को निर्धारित करते समय पहले ही ध्यान में रखे गए थे।

---

* बाभौर साहिब सिंचाई परियोजना चरण-II: 8.50 लाख रु०
32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह: 3.93 लाख रु०
गिरि सिंचाई परियोजना: 1.01 लाख रु०

4.1.18 फसल क्षतिपूर्ति पर जाली व्यय

रबी मौसमों में भूमि विकास कार्यों के लिए कार्यचालन अवधि में वृद्धि हेतु कृषकों को क्षतिपूर्ति अर्थात् नष्ट हुई रबी फसल के लिए अनुदान दिया जाना था। दिया जाने वाला अनुदान हानि का दो तिहाई था और 900 रु0 प्रति हैक्टेयर की हानि की सीमा के भीतर राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों द्वारा समान रुप से वहन किया जाना था।

प्रमुख अभियन्ता ने भारत सरकार को 59.20 लाख रु0 लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल क्षतिपूर्ति, ऋणों एवं उपदान का वास्तविक भुगतान किए बिना दर्शाया।

प्रमुख अभियन्ता ने 1991-92 तथा 1995-96 के मध्य दो परियोजनाओं में फसल क्षतिपूर्ति पर 37.92 लाख रु0 का व्यय (गिरि: 19.42 लाख रु0 तथा भाबौर साहिब, चरण -I: 18.50 लाख रु0) भारत सरकार को सूचित किया कि सम्बन्धित मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ (जनवरी तथा फरवरी 1998) कि इस कार्य के लिए वास्तव में ऐसा कोई व्यय किया ही नहीं गया था। अत: सूचना जाली थी।

4.1.19 ऋण तथा विशेष ऋण लेखा का जाली समायोजन

स्कीम के अधीन, ऋण मदों पर लघु तथा सीमान्त किसानों को सहायता अनुदान उपलब्ध था। ऋण का भुगतान राज्य के अपने निगम को फार्म सम्बद्ध विकास कार्यों के लिए मशीनरी तथा उपस्करों की खरीद, भूमि विकास निगमों को ब्याजरहित ऋण सहायता तथा 5-8 हैक्टेयर ब्लॉक में खेतों के जल मार्गों के निर्माण आदि के लिए किया जाना था।

प्रमुख अभियन्ता ने भारत सरकार को सूचित किया कि उसने 1991-92 से 1993-94 के दौरान गिरि, बल्ह घाटी तथा भाबौर साहिब चरण I, कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं को 11.26 लाख रु0 (राज्यांश: 5.65 लाख, केन्द्रीय अंश: 5.61 लाख) के ऋण वितरित किए। तथापि, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने बताया, कि किसानों को वास्तविक रुप से कोई ऋण नहीं दिया गया था क्योंकि इसके लिए उन्होंने कोई निर्दिष्ट निधियां प्राप्त नहीं की थी। अत: प्रमुख अभियन्ता द्वारा के ऋण भाग के अन्तर्गत किया गया समायोजन जाली था।

4.1.20 लघु तथा सीमान्त किसानों को दी गई सहायता का जाली समायोजन

भूमि जल के विकास तथा ओएफडी कार्यों के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना पद्धति के अनुरुप समान आधार पर लघु एवं सीमान्त किसानों को सहायता अनुदान स्वीकार्य था तथा ऋण भाग के प्रति इसका समायोजन किया जाना था। भारत सरकार से वर्ष 1991-93 के दौरान प्रमुख अभियन्ता ने गिरि तथा बल्ह घाटी परियोजनाओं के लिए 10.02 लाख रु0 का अनुदान प्राप्त किया था। तथापि, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया उन्होंने कोई

सहायता अनुदान समायोजित नहीं किया था। अतः इस संघटक के अधीन वास्तविक व्यय के अभाव में लघु तथा सीमान्त किसानों के प्रति सहायता अनुदान समायोजन जाली था।

4.1.21 चार परियोजनाओं के कर्मियों को प्रशिक्षण न देना

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित कर्मियों तथा किसानों को उनकी जानकारी ताजा करने, कार्यकुशलता में सुधार तथा जलप्रबन्ध को प्रभावित करने के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक था। सेवारत फील्ड स्टॉफ कर्मियों तथा मध्यम वर्ग अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देना अपेक्षित था।

(क) लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना के एक अधिशासी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता तथा एक कनिष्ठ अभियन्ता ने वॉटर तथा पॉवर कन्सल्टैंसी सर्विस के माध्यम से वर्ष 1997 के दौरान एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शेष परियोजनाओं के कर्मियों के लिए कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था जिसके कोई कारण सूचित नहीं किए गए थे।

(ख) बल्ह घाटी तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह के आकलन में किसानों के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए प्रावधान नहीं था।

गिरि तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह के किसानों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

4.1.22 परिसम्पत्तियों का न सौंपना

चार मण्डलों द्वारा किसी ने भी परिसम्पत्तियों के रजिस्टर तैयार नहीं किए थे। खेतों के जलमार्गों के रखरखाव के व्यय के अलग लेखे भी नहीं बनाए गए थे।

वर्ष 1984-85 से फरवरी 1998 के दौरान कमाण्ड क्षेत्र में सभी पांच परियोजनाओं के खेतों के जलमार्गों का 8.57 करोड़ रु0 की लागत से 11,879 हैक्टेयर भूमि में निर्माण किया गया परन्तु उन्हें लाभार्थियों/किसानों के संघों को सौंपा नहीं गया। अधिशासी अभियन्ता, डलहौजी तथा ऊना मण्डल-I ने सूचित किया (जनवरी-अप्रैल 1998) कि कमाण्ड क्षेत्र, भाबौर साहिब परियोजना चरण-II तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह में खेतों के जलमार्गों का निर्माणकार्य प्रगतिरत था। भाबौर साहिब परियोजना चरण-I तथा गिरि परियोजना से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं ने सूचित किया कि लाभग्राहियों को कृषि विकास संघ के माध्य से खेतों के जलमार्गों के रखरखाव को अपने पास लेने

8.57 करोड़ रु0 की लागत से बनाए गए खेतों के जलमार्ग लाभग्राहियों/कृषक संघों को नहीं सौंपे गए।

हेतु उत्प्रेरित किया जा रहा था। बल्ह घाटी परियोजना के मामले में अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया (फरवरी 1998) कि किसान/पंचायतें खेतों के जलमार्गों को अपने पास लेने की इच्छुक नहीं थी।

लेखापरीक्षा के कहने पर विभाग द्वारा सीएडी कार्यों के प्रयत्क्ष निरीक्षण से प्रतीत हुआ कि वर्ष 1996-97 के दौरान सेर कूहल कमाण्ड क्षेत्र के साथ नालाह में 0.31 लाख रु० की लागत से 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह में 238 मीटर खेतों के जलमार्गों का निर्माण किया गया था। इन जलमार्गों को मुख्य/विभाजित जलमार्गों से नहीं जोड़ा गया था। तथापि इन जलमार्गों से नियमित जल बहाव को सुनिश्चित करने के लिए नालाह में बांध का निर्माण नहीं किया गया था।

बनाये गए खेतों के जलमार्गों को मुख्य चैनलों से न जोड़ने के कारण उनके बनाने का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। खेतों के जलमार्गों के निष्पादन की तकनीकी संस्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा के कहने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान प्रतीत हुआ कि 60 वर्ष की निहित जीव्यता के प्रति खेतों के जलमार्ग 5-6 वर्षों की अल्पावधि में ही क्षतिग्रस्त हो गए थे। निकास नं० 313 के अधीन भाबौर साहिब परियोजना चरण-I में 146.40 मीटर खेतों के जलमार्ग का निर्माण किया गया था। इसमें से खेतों के जलमार्ग की 65 मीटर ढलान सतह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। 112 मीटर नहर परत भी विभिन्न स्थानों में क्षतिग्रस्त पाई गई। इसके अतिरिक्त पानी की धारा में इकट्ठी रेत-मिट्टी जमाव की मात्रा जलमार्ग में 8 से 60 प्रतिशत थी। अधिशासी अभियन्ता, ऊना मण्डल सं० I ने सूचित किया कि (जनवरी 1998) कि किसानों की जमीन कम थी तथा वे खेतों के जलमार्ग के साथ हल चलाया करते थे। इसके परिणामस्वरुव दरारें आ गईं तथा जलमार्गों को क्षति पहुंची। यह भी सूचित किया कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण क्षति को पूरा नहीं किया जा सका।

4.1.23 सामग्री का गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण न करना

परियोजना के सम्पूर्ण ढांचे की विश्वस्नीयता को सुनिश्चित करने के लिए निष्पादित कार्यों में प्रयुक्त सामग्री का गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण आवश्यक था। तथापि, चार मण्डलों में जहां कार्यक्रम जारी था कहीं भी गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।

4.1.24 अन्य रुचिकर प्रसंग

वर्ष 1982 के दौरान भाबौर साहिब परियोजना चरण-I के ग्रेविटी मेन तथा वितरण प्रणाली में आरसीसी पाइपें लगाई गई थी। सिंचाई अधीक्षण अभियन्ता, ऊना ने सूचित किया

(जून 1993) कि जहां नाली के "टी" भाग में आरसीसी पाइपें प्रयोग की गई थी वहां जोड़ों से पानी का भारी रसाव होता था। उसने बताया कि आरसीसी पाइपें प्रयुक्त न की जाए तथा ऐसे स्थानों पर एसी प्रेशर सी आई पाइपें लगाई जाए। **ग्रेविटी मेन तथा वितरण प्रणाली में उपयुक्त प्रकार की पाइपें नहीं लगाई गई जिससे 91.85 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से विशेष मरम्मतें करवाने की आवश्यकता पड़ी।** परियोजना की विशेष मरम्मत/सुधार के लिए 91.85 लाख रु0 का आकलन मुख्य अभियन्ता (उत्तर) धर्मशाला के पास जनवरी 1998 से लम्बित पड़ा था।

प्रत्यक्ष रुप से, उपयुक्त प्रकार की पाइपें न लगाने तथा 40 वर्ष की विहित जीव्यता के प्रति 11 वर्षों में ही आरसीसी की पाइपों के विफल होने के कारण परियोजना ठीक तरह से कार्यरत नहीं हो सकी तथा विशेष मरम्मत के लिए 91.85 लाख रु0 की भारी लागत आवश्यक थी। इससे सिंचाई क्षमता के प्रयोग/कृषि उत्पादन में काफी हद तक विपरीत प्रभाव पड़ा।

4.1.25 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

व्यय की बढ़ौतरी के लिए निकट निगरानी तथा विभिन्न सीएडी गतिविधियों के कार्यान्वयन की गति को तीव्र करने के लिए प्रत्येक परियोजना में एक अनुश्रवण कक्ष स्थापित करना अपेक्षित था। प्रत्यक्ष तथा वित्तीय अनुश्रवण के अतिरिक्त कक्ष ने पानी की उपलब्धता, जलमार्गों की जलवाहन क्षमता, ढांचों का निष्पादन तथा जल वितरण के विश्लेषण का कार्य भी करना था। तथापि, जहां कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन था, पांचों परियोजनाओं में अनुश्रवण कक्ष गठित नहीं किए गए थे। **किसी भी परियोजना में अनुश्रवण कक्ष की स्थापना नहीं की गई थी।**

परियोजनाओं का समस्त अनुश्रवण मुख्य अभियन्ता/प्रमुख अभियन्ता के स्तर पर होना था। तथापि, इस समीक्षा के कई परिच्छेदों में प्रकट विभिन्न चूकों से ज्ञात होगा कि परियोजनाओं का प्रभावशाली अनुश्रवण नहीं किया गया था। परियोजनाओं के पूर्णता में भारी विलम्ब थे जिसके परिणामस्वरुप लागत में वृद्धि हुई तथा प्रति हेक्टेयर लागत भी बढ़ी। बल्ह घाटी परियोजना का संशोधित प्राक्कलन जून 1994 से असंस्वीकृत पड़ा था। परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता बहुत कम थी। मण्डलों द्वारा चिन्हित कृषीय जलमार्ग प्राक्कलनों में रखे गए प्रावधानों से अधिक थे। कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विभिन्न अनिवार्य कार्यकलाप आरम्भ नहीं किए गए थे तथा 1990-97 की अवधि के दौरान खेती प्रदर्शन निर्धारित लक्ष्यों से कम थे। कुछ कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता ने भारत सरकार को सही व्यय के आंकड़े प्रतिवेदित नहीं किए थे।

बल्ह घाटी परियोजना में विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य का कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया था। इसमें 2.93 करोड़ रु0 का व्यय हुआ था।

निरीक्षण न करने के कारण नहीं बताए गए थे, ये अपर्याप्त अनुश्रवण के सूचक थे। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने इन्हें सूचित नहीं किया था

भाबौर साहिब चरण-I व II, बल्ह घाटी तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह में सिंचाई क्षमता की प्रयुक्ति वर्षों तक फसलों के उत्पादन में तीव्रता तथा कृषि उत्पादों आदि के प्रभाव का अनुमान लगाने हेतु कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन नहीं किया गया।

जल संसाधन मंत्रालय ने कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड से गिरि परियोजना के सम्बन्ध में कमाण्ड क्षेत्र विकास के लिए मूल्यांकन अध्ययन करवाया गया था। प्रतिवेदन के मुख्य तथ्यों के साथ-साथ यह भी पता चला कि प्राक्कलन के अनुसार 2.92 के नियोजित लागत लाभ अनुपात के प्रति वास्तविक लाभ लागत 1.48 के अनुपात में थी।

गिरि सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में 2.92 के नियोजित लागत लाभ अनुपात के प्रति वास्तविक लाभ लागत अनुपात 1.48 था।

यद्यपि प्रतिवेदन नवम्बर 1996 में प्राप्त हुआ किन्तु विभिन्न आवश्यक पग उठाने के लिए फरवरी 1998 तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

सरकार को ये तथ्य जुलाई 1998 में सन्दर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

4.2 बहाव सिंचाई स्कीम, छत्तर छनौंटा पर निष्फल व्यय

69.53 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्रदानार्थ 14.44 लाख रु0 की बहाव सिंचाई स्कीम, छत्तर छनौंटा (मण्डी जिला) का निर्माण मार्च 1991 में प्रशासनिक तथा तकनीकी रुप से अनुमोदित किया गया था। निर्माण कार्य जून 1991 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। कार्यारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता सरकाघाट मण्डल नें यह सुनिश्चित करना था कि जल स्रोत विवादमुक्त था तथा वह अन्य सिंचाई/पेयजल आपूर्ति स्कीम तथा जनता द्वारा स्थानीय प्रयोगार्थ जल को प्रभावित नहीं करेगा।

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डल सरकाघाट के अभिलेखों की नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया (अगस्त 1997) कि निष्पादनार्थ कार्य मार्च 1991 में आरम्भ किया गया था तथा स्कीम के अधिकतर संघटक 18.06 लाख रु0 की लागत से जनवरी 1994 तक पूर्ण किए गए थे। तथापि 60 मीटर लम्बी मुख्य चैनल तथा 500 मीटर लम्बी क्षेत्र चैनलें अभी पूर्ण की जानी थी क्योंकि जल स्रोत पर विवाद के कारण कार्य फरवरी 1992 से अवरुद्ध पड़ा था। स्रोत से जुडी मुख्य नहर तथा कमाण्ड क्षेत्र में बसे हकदारों ने स्कीम के निर्माण के विरुद्ध स्थायी आदेश हेतु उप न्यायाधीश, सरकाघाट के न्यायालय में फरवरी 1992 में दावा दायर किया और यह तर्क दिया कि स्कीम के

आरम्भ होने के पश्चात् उन्हें सिंचाई हेतु पर्याप्त जल नहीं मिलेगा। यद्यपि अदालत ने मामला अगस्त 1995 में खारिज कर दिया था परन्तु मण्डल द्वारा अगस्त 1998 तक कार्य पुनः आरम्भ नहीं किया गया था।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1997) कि कार्यारम्भ करने के समय स्रोत विवादमुक्त था तथा मुख्य चैनल का निर्माणकार्य अदालती मामले के कारण निलम्बित कर दिया गया था। उसने यह भी बताया कि अदालत द्वारा मामले को खारिज करने के बाद (अगस्त 1995) यह विषय विवाद को निपटाने हेतु मौखिक रुप से कृषि विकास संघ तथा क्षेत्र के ग्राम पंचायत के प्रधानों के साथ उठाया गया था। अधिशासी अभियन्ता का यह उत्तर समर्थनीय नहीं था क्योंकि कार्यारम्भ से पूर्व स्रोत के हकदारों से लिखित रुप में सहमति ली जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा हकदारों के मुकदमें के खारिज होने पर विवाद को शीघ्र निपटाने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तथा इस प्रकार अब तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ।

विभाग की उपरोक्त विफलता न केवल 18.06 लाख रु० के निष्फल व्यय में बल्कि जनता को अभिप्रेत कार्यों की अस्वीकृति में भी परिणत हुई।

मामला सरकार को मार्च 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

4.3 अजीव्य उठाऊ सिंचाई स्कीम, दियोली ग्राम समूह

194.73 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई हेतु उठाऊ सिंचाई स्कीम दियोली ग्राम समूह (सोलन जिला) के निर्माण को प्रशासनिकरुपेण 18.43 लाख रु० अनुमोदित किए गए थे (जनवरी 1979)। स्कीम तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना 24.92 लाख रु० की लागत से 1985-86 में पूर्ण तथा चालू की गई। सिंचाई क्षमता की प्रयुक्ति हेतु 119 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र के लिए चक* विकास कार्यों को मार्च 1989 में 10.12 लाख रु० भी संस्वीकृत किए गए थे। ये कार्य मार्च 1993 में 13.27 लाख रु० की लागत से पूर्ण किए गए। स्कीम के संचालन तथा अनुरक्षण पर 1991-97 के दौरान 15.38 लाख रु० व्ययित किए गए थे।

9 हजार रु० प्रति हैक्टेयर लक्ष्य के प्रति सिंचाई की प्रति हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र लागत 1.44 लाख रु० पहुंच गई। 11 वर्ष बाद भी स्कीम के अन्तर्गत कृष्य कमाण्ड क्षेत्र का केवल 15 प्रतिशत ही सिंचित हुआ।

---

* कृष्य कमाण्ड क्षेत्र

अर्की मण्डल के अभिलेखों की जांच से प्रतीत हुआ (अगस्त 1997) कि स्कीम द्वारा 1991-96 के मध्य प्रदत्त सिंचाई 1.95 तथा 4.87 हैक्टेयरों के मध्य थी। पानी के बहाव को सुनिश्चित करने हेतु चैनल के ग्रेडों के पुनः जीवित करने के कार्य पर 4.99 लाख रु० खर्च किए गए थे। इस प्रकार स्कीम पर 43.18 लाख रु० व्यय किए गए थे।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1997) कि सिंचाई हेतु क्षेत्र में वर्ष 1996 के बाद से वृद्धि 30 हैक्टेयर की हो गई थी।

इस प्रकार, 43.18 लाख रु० की लागत से स्कीम से कृष्य कमाण्ड क्षेत्र का केवल 30 हैक्टेयर ही आवृत्त किया जा सका जबकि 194.73 हैक्टेयर किया जाना था। इस तरह कुल कृष्य कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई के आसार कम ही लगते थे। 9.4 हजार रु० प्रति हैक्टेयर की आकलित लागत की तुलना में प्रति हैक्टेयर की वास्तविक सिंचित भूमि की लागत 1.44 लाख रु० तक बढ़ गई। विभाग ने अनुरक्षण पर प्रति वर्ष 2.20 लाख रु० का औसत व्यय भी करना था।

क्योंकि 43.18 लाख रु० की लागत से स्कीम आरम्भ होने के 11 वर्षों के बाद भी लक्षित कृष्य कमाण्ड क्षेत्र का केवल 15 प्रतिशत ही आवृत्त किया जा सका था, इसलिए स्कीम जीव्य नहीं हुई।

मामला सरकार को मार्च 1998 मे सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

4.4 परित्यक्त नलकूपों पर व्यर्थ व्यय

पांवटा घाटी (सिरमौर जिला) में सिंचाई सुविधाएं प्रदानार्थ 10 नलकूपों के निर्माण को प्रशासनिकरुपेण 16.28 लाख रु० (मार्च 1986 में संशोधित 63.85 लाख रु०) अनुमोदित किए गए थे (फरवरी 1978)। इसमें से तीन ग्रामों में तीन नलकूपों* का वेधन तथा विकास 11.93 लाख रु० की लागत से 1986-92 में किया गया था। राज्य सरकार के भूमिगत जल संगठन द्वारा यथा निर्धारित कार्यारम्भ से पूर्व जल-निस्तारण तथा पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु जांच के कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तकनीकी विफलता तथा ट्यूबवैलों के अनुमोदित दोषपूर्ण डिजाइनों के कारण 17.53 लाख रु० का अधिकतर व्यय व्यर्थ गया।

पांवटा साहिब मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्नलिखित तथ्य उद्घाटित किए (अप्रैल 1997):

* ज्वालापुर, नरीवाला तथा नारायणगढ़

(क) 49.39 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई हेतु अभिकल्पित जवालापुर के नलकूप में 3.13 लाख रु0 का व्यय करने के पश्चात् 1986-87 में कार्य करना आरम्भ कर दिया था। यह आरम्भ होने के एक वर्ष बाद ही तकनीकी विफलता के कारण अकार्य हो गया क्योंकि इसमें रेत व गाद के कण आने आरम्भ हो गए तथा पानी का बहाव 58.40 लीटर प्रति सैकेण्ड से 4 लीटर प्रति सैकेण्ड हो गया। तब से ट्यूबवैल परित्यक्त अवस्था में पड़े हुए थे। नलकूप के अनुरक्षण पर 1987-97 के दौरान ऊर्जा तथा स्थापना प्रभारों पर 5.60 लाख रु0 का व्यय भी किया गया था।

(ख) 14.62 हैक्टेयर प्रस्तावित कृष्य कमाण्ड क्षेत्र के लिए 5.45 लाख रु0 की लागत से पूर्ण किए गए (नवम्बर 1998) नरीवाला स्थित नलकूप ने अक्तूबर 1992 में कार्य करना आरम्भ कर दिया था। तथापि जल के अल्प निस्सारण के कारण सिंचाई प्रदान नहीं की जा सकी थी। नलकूप को प्रयोग में लाने के लिए स्थान का निरीक्षण (जुलाई 1994) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड चण्डीगढ़ के वैज्ञानिक से करवाया गया जिसने यह प्रेक्षित किया कि निर्माण के समय नलकूप के अनुचित अभिकल्पन के कारण कूप से 4 लीटर प्रति सैकेण्ड से अधिक निस्सारण करना उपयुक्त नहीं था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1996) कि नलकूप का परित्याग किया जा चुका था तथा पर्याप्त निधियों की उपलब्धता से नए नलकूप का निर्माण किया जाएगा।

(ग) नारायणगढ़ स्थित नलकूप 3.35 लाख रु0 की लागत से 1986-92 के दौरान वेधित तथा आंशिकरुपेण विकसित किया गया था। क्योंकि 24.30 हैक्टेयर प्रस्तावित कृष्य कमाण्ड क्षेत्र के लिए कूप में पर्याप्त जल नहीं पाया गया था अतः उपचारी पग उठाने हेतु जुलाई 1994 में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के एक वैज्ञानिक से स्थल निरीक्षण करवाया गया था। वैज्ञानिक ने यह प्रेक्षित किया कि दोषपूर्ण अभिकल्पन के कारण कूप में आकर्षण सृजित करने की कोई गुंलाईश नहीं थी तथा टंकी में जल एकत्रित करने के लिए नलकूप के प्रयोग की तथा पेय जल आपूर्ति हेतु पम्प की सहायता से स्थानीय निवासियों तक पहुंचाने की संस्तुति की।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अप्रैल 1997) कि नलकूप की विफलता जल रोपित स्तरों की अनुपलब्धता के कारण थी। यह तर्क केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के वैज्ञानिक के प्रेक्षणों की दृष्टि से मान्य नहीं था।

निःसन्देह अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित इन ट्यूबवैलों की तकनीकी विफलता तथा दोषपूर्ण डिजाइनों से इनके निर्माण तथा अनुरक्षण पर 17.53 लाख रु0 का अधिकांशतः व्यय व्यर्थ रहा।

मामला सरकार को अप्रैल 1998 मे सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

4.5 सिंचाई क्षमता की अधोप्रयुक्ति

पांच जिलों के सात मण्डलों* के अभिलेखों की नमूना जांच ने उद्घाटित किया (नवम्बर 1996-फरवरी 1998) कि प्रति फसल 688.35 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु अभिकल्पित तथा 1.74 करोड़ रु0** की लागत से 1978-79 तथा 1992-93 के बीच पूर्ण की गई 15 सिंचाई स्कीमों की सिंचाई क्षमता की अत्यन्त अधोप्रयुक्ति की गई थी। इन स्कीमों के संचालन तथा अनुरक्षण पर 1982-97 के दौरान 39 लाख रु0 व्यय किए गए थे। वर्ष 1992 तथा 1996 के मध्य इन स्कीमों की सिंचाई क्षमता की प्रयुक्ति प्रति फसल 0.36 तथा 5.82 प्रतिशत के मध्य रही, जैसा नीचे दर्शाया गया है:

1.74 करोड़ रु0 की लागत से पूर्ण की जाने वाली 15 सिंचाई स्कीमों की सिंचाई क्षमता 1992-96 के दौरान अधिकतम छः प्रतिशत तक प्रयुक्त की जा सकी।

वर्ष	स्कीमों की संख्या	फसल	सृजित सम्भाव्यता	सम्भाव्यता प्रयुक्ति	प्रयुक्ति की प्रतिशतता
			(हैक्टेयर में)		
1992	14	खरीफ	668.87	21.30	3.18
		रवी	668.87	14.74	2.20
1993	15	खरीफ	688.35	25.65	3.73
		रवी	688.35	2.45	0.36
1994	15	खरीफ	688.35	40.08	5.82
		रवी	688.35	14.59	2.12
1995	15	खरीफ	688.35	29.38	4.27
		रवी	688.35	17.73	2.58
1996	15	खरीफ	688.35	12.80	1.86
		रवी	688.35	17.58	2,55

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं ने सिंचाई क्षमता के कम उपयोग को मुख्यत सिंचाई के लिए पानी की कम मांग, लाभार्थियों द्वारा उचित फसल क्रम को न अपनाना, स्कीमों की क्षतियों का प्रत्यावर्तन न करना तथा कृषि भूमि पर फलदार वृक्षों के लगाने से सम्बद्ध किया (नवम्बर 1996-फरवरी 1998)।

---

* चम्बा, जुब्बल, कुल्लू, पठार, रोहड़ू, सरकाघाट तथा थुरल

** 1978-79:1; 1.64 लाख रु0; 1980-81: 1: 1.32 लाख रु0; 1982-83:3: 17.77 लाख रु0; 1983-84:1: 2.61 लाख रु0; 1984-85: 1: 10.32 लाख रु0; 1986-87: 2: 26.12 लाख रु0; 1988-89: 1: 9.19 लाख रु0; 1990-91:1: 12.48 लाख रु0; 1991-92:1: 23.41 लाख रु0 तथा 1992-93:3: 69.12 लाख रु0

इस प्रकार, इन स्कीमों को क्षेत्र की मांग को आंके बिना निष्पादित करने तथा विभाग की ढील से किसानों को उपलब्ध जल स्रोतों के अधिकतम उपयोग से शिक्षित न करने के कारण सिंचाई सुविधा का कम उपयोग हुआ। परिणामस्वरुप इन स्कीमों के निर्माण तथा अनुरक्षण पर किया गया 2.13 करोड़ रु० का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा।

मामला मई 1998 को सरकार को सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1998)।

4.6 सांगला कूहल के चक विकास पर अप-व्यय

किन्नौर जिले के पांच गावों* की 204 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 6.52 लाख रु० की लागत से सांगला कूहल का 1978-79 के दौरान निर्माण किया गया था। स्कीम में क्योंकि किसी वितरण तन्त्र का निर्माण नहीं किया गया था, इस कारण कुप्पा गांव के निचले क्षेत्र में स्थित भूमि के लिए पर्याप्त जल प्राप्त नहीं हुआ। उपयुक्त वितरण सुनिश्चित करने तथा जल की भारी हानि को रोकने हेतु चक विकास कार्य हेतु 32.04 लाख रु० प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किए गए (सितम्बर 1989)। यह कार्य 60.28 हैक्टेयर के कृष्य कमाण्ड क्षेत्र वाले कुप्पा गांव में रिकांगपिओ मण्डल द्वारा एक ठेकेदार के माध्यम से दिसम्बर 1989 में शुरु किया गया जिसे एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना था।

कार्यारम्भ से पहले लाभग्राहियों के खेतों से पाइप बिछाने हेतु उनकी सहमति लेने में विभाग की विफलता 10.41 लाख रु० के अपव्यय में परिणत हुई।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (नवम्बर 1997) कि 4502 मीटर की लम्बाई में 30 प्रतिशत चैम्बर कार्य विभिन्न ब्यास के आर सी सी पाइपों के बिछाने पर जोड़ने का 10.41 लाख रु० की लागत का कार्य निष्पादित करने के पश्चात् आगामी कार्य नवम्बर 1990 में रोक दिया गया क्योंकि उस क्षेत्र के लोग स्कीम के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने अपने खेतों में पाईप बिछाने के लिए आपत्ति की। ठेका नवम्बर 1990 में बन्द हो गया। इससे चक विकास पर समस्त व्यय निष्फल हुआ।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (नवम्बर 1997) चूंकि यह विद्यमान कूहल विभाग की थी इसलिए लाभग्राहियों से पाइप बिछाने हेतु सहमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने यह भी कहा कि जल के सर्वोत्तम प्रयोग हेतु ही सरकार की नीति के अनुसार कार्य शुरु किया गया था तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की नई बातों को लाभग्राहियों के मन में बिठाया जा रहा था। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि विभाग सात वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी विवाद सुलझाने में विफल रहा।

---

* बोनासरिंग, कामरु, कुप्पा, सांगला तथा थेमरंग

मामला सरकार को मई 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

4.7 1992 से निष्क्रिय रही एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम

86 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 29.17 लाख रु० की लिफ्ट सिंचाई स्कीम, घैणी, नयासर (शिमला जिला) का जुलाई 1989 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदन किया गया। कार्य अगस्त 1989 में आरम्भ किया गया और सुन्नी मण्डल द्वारा स्कीम चरण-I तथा चरण-II, 33.14 लाख रु० की लागत से 1992 के दौरान पूर्ण कर ली गई। 1992-96 के दौरान स्कीम की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर 5.27 लाख रु० का व्यय भी किया गया।

चैनलों में क्षतियों के जीर्णोद्धार में असामान्य विलम्ब के कारण लिफ्ट सिंचाई स्कीम पर 1992 से किया गया 41.10 लाख रु० का व्यय अधिकतर निष्फल रहा।

सुन्नी मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (मई 1997) कि स्कीम अधिकांशतः निष्क्रिय रही क्योंकि 1992 की वर्षाऋतु के दौरान फीडर चैनल तथा मुख्य चैनल क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा वर्ष 1993-94 में और हुई क्षति के कारण उनकी उचित रुप से मरम्मत नहीं की गई थी। वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान 2.69 लाख रु० की लागत से विशेष मरम्मत की गई। अधिशासी अभियन्ता द्वारा सितम्बर 1995 में अधीक्षण अभियन्ता को प्रस्तुत 14.91 लाख रु० हेतु विशेष मरम्मत आकलन का अनुमोदन जून 1998 तक प्रतीक्षित था।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 1997) कि स्कीम भारी क्षति, जो वर्ष 1992 तथा 1993 की वर्षा ऋतुओं के दौरान हुई, के कारण अप्रचलित रही और स्कीम को कार्यशील बनाने के प्रयास किए जा रहे थे। तथापि मुख्य अभियन्ता ने सूचित किया (दिसम्बर 1997)कि क्षतियों का प्रत्येक वर्ष जीर्णोद्धार किया गया था किन्तु जीर्णोद्धार और अनुरक्षण कार्यों में समय नष्ट होने के कारण स्कीम का निरन्तर तथा पूर्ण कार्यचालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। कुछ कच्चे भागों में फीडर चैनलों के जीर्णोद्धार हेतु केवल अस्थायी प्रबन्ध ही किए जा सकते थे। तथापि, स्कीम के आरम्भ से ही अभिलेख में सिंचित क्षेत्र के ब्यौरे, यदि कोई थे, तथा आकलित आवियाना प्रभारों तथा उनके लगाने का कोई वर्णन नहीं था।

इस प्रकार, क्षतियों के जीर्णोद्धार में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरुप स्कीम के निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण पर व्यय किए गए 41.10 लाख रु० निष्फल रहे।

मामला सरकार को जून 1998 में सन्दर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

4.8 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अनुचित सहायता देने हेतु सरकारी निधियों का आहरण

वित्तीय नियम नियत करते हैं कि खजाने से कोई भी धन उस समय तक नहीं निकाला जाए जब तक उसकी तत्काल संवितरण हेतु अथवा स्थायी अग्रिम से संवितरित निधियों की पूर्ति हेतु आवश्यकता न हो। जिन कार्यों की पूर्णता में यथेष्ठ समय लगने की सम्भावना है, उनके निष्पादन हेतु खजाने से अग्रिमों का आहरण करना भी अनुमत्य नहीं है। किसी भी खर्च न की गई शेष राशि को तत्काल खजाने में वापिस करना होता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अनुचित सहायता प्रदान करने के लिए वास्तविक आवश्यकता से पूर्व 4 करोड़ रु0 जमा किए।

शिमला मण्डल II के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि (मार्च 1998) जलापूर्ति स्कीम, शिमला हेतु विद्युत तन्त्र को सशक्त करने के लिए 1996-97 से सम्बन्धित आबण्टन के प्रति मार्च 1997 में 4 करोड़ रु0 आहरित किए गए तथा उसी माह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को दे दिए गए।

इसमें से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने जुलाई 1998 तक केवल 93.26 लाख रु0 प्रयुक्त किए और शेष 3.07 करोड़ रु0 अप्रयुक्त पड़े थे।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1998) कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ये कार्य चरणबद्ध तरीके से निष्पादित किए जाने थे और वर्ष 2001 के अन्त तक पूर्ण किए जायेगें। चूंकि कार्य चरणबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाना था, अतः समस्त राशि का एकमुश्त भुगतान न्यायसंगत नहीं था।

इस प्रकार वास्तविक आवश्यकता से काफी पहले निधियों का आहरण किया गया तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अनुचित सहायता पहुंचाने के लिए जमा किए।

मामला सरकार को जून 1988 में सन्दर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

4.9 आर्टिरियल सड़कों का स्तरीकरण तथा सुधार

4.9.1 परिचय

निरन्तर बढ़ते यातायात तथा राज्य के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका को देखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 964 किलोमीटर लम्बी 13 विद्यमान मोटरयोग्य सड़कों को सम्पर्क स्तर के लिए सुधारने का लक्ष्य रखा गया। 1995-96 के दौरान तीन और विद्यमान सड़के (लम्बाई: 130 किलोमीटर) भी कार्यक्रम में सम्मिलित की गई।

4.9.2 संगठनात्मक ढांचा

लोकनिर्माण विभाग जो राज्य में सड़कों के निष्पादन तथा अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है, को तीन अंचलों में विभाजित किया गया है। शिमला स्थित दक्षिण अंचल प्रमुख अभियन्ता के तथा धर्मशाला स्थित उत्तर अंचल और मण्डी स्थित केन्द्रीय अंचल सम्बद्ध मुख्य अभियन्ताओं के नियंत्रणाधीन थे। सरकार में विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त एवं सचिव (लोकनिर्माण) के पास विहित था। राज्य में 53 मण्डल थे जिनमें से 27 मण्डलों को सम्पर्क सड़कों का कार्य सौंपा गया था।

4.9.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

14 मण्डलों* (27 मण्डलों में से) में 1992-93 से 1997-98 तक के आर्टिरियल सड़कों के निरीक्षण, निष्पादन एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित अभिलेखों की नवम्बर 1997 तथा मई 1998 के मध्य नमूना जांच की गई। प्रमुख अभियन्ता द्वारा दी गई सूचना तथा विभिन्न मण्डलों की लेखापरीक्षा परिणामों पर भी विचार किया गया। नमूना जांच के दौरान ध्यान में आए महत्वपूर्ण प्रसंग अनुवर्ती परिच्छेदों में दिए जाते हैं:

4.9.4 मुख्य बातें

*** **स्तरीकरण हेतु तथा विद्यमान सड़कों में सुधार करके सम्पर्क सड़कों हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में 40 करोड़ रु0 के आबण्टन के प्रति 1992-97 के दौरान वास्तव में केवल 20.01 करोड़ रु0 खर्च किए गए। आठवीं पंचवर्षीय योजना के**

---

* भरवाई, बिलासपुर-I, डलहौजी, देहरा, धर्मशाला, हमीरपुर, नाहन, नूरपुर, पालमपुर, सजगढ़, सरकाघाट, सोलन, ठियोग तथा ऊना

दौरान 181 करोड़ रु0 के परिव्यय से पूर्ण किए जाने वाले स्तरीकरण के समग्र कार्यक्रम तथा विद्यमान सड़कों में सुधार करके सम्पर्क स्तर की सड़कों का कार्य उस अवधि के दौरान अल्प आबण्टन के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका।

(परिच्छेद 4.9.5 तथा 4.9.6)

** आठवीं पंचवर्षीय योजना में 16 विद्यमान सड़कों को आर्टिरियल स्तर की सड़कों में बदलने के लिए 1094 किलोमीटर लम्बाई में सुधार करने का लक्ष्य था जिसके प्रति मार्च 1998 तक कुल लम्बाई का केवल 19 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका।

(परिच्छेद 4.9.7)

** ओछघाट से कुमारहट्टी तक वाणिज्यिक यातायात को अपवर्तित करके बाह्य पथ सोलन शहर तक वैकल्पिक प्रस्ताव को अन्तिम रुप देने के पश्चात् भी, सोलन-यशवन्तसिंह नगर-नेरीपुल-सैंज सड़क के ओछघाट से सोलन प्रवर्ग के स्तरीकरण तथा सुधार पर 22.34 लाख रु0 व्यय किए गए।

[परिच्छेद 4.9.7 (i)]

** रचना तथा परिवहन-मार्ग-चौड़ाई निर्धारित मापदण्ड से अधिक रखी गई थी जिसके परिणामस्वरुप काला अम्ब-नाहन सड़क पर 10.44 लाख रु0 अधिक खर्च किए गए।

[परिच्छेद 4.9.7 (ii) (ख)]

** स्वारघाट-मरानवाला सड़क के 54622 वर्गमीटर क्षेत्र में टैक कोट किए बिना बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट बिछाया गया जो 25.95 लाख रु0 के निम्नस्तर के कार्य के निष्पादन में परिणत हुआ।

[परिच्छेद 4.9.8 (ii)]

** तीन मण्डलों में मिट्टी के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरुप ठेकेदारों को 16.27 लाख रु0 की अधिक अदायगी की गई।

[परिच्छेद 4.9.8.(v)]

** सड़कों में तारकोल बिछाने के मानक संशोधित नहीं किए गए और सात मण्डलों में 540905 वर्गमीटर क्षेत्र में सड़कों पर तारकोल बिछाने का कार्य पारम्परिक रीति से किया गया। परिणामतः 33.25 लाख रु0 का परिहार्य व्यय हुआ।

(परिच्छेद 4.9.10)

4.9.5 वित्तीय परिव्यय

मोटरयोग्य सड़कों के सुधार/स्तरीकरण हेतु आर्टिरियल सड़कों पर 1992-93 से 1997-98 के दौरान बजट आबण्टन तथा वास्तविक व्यय के विवरण निम्नवत थे:

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
	(करोड़ रुपए)	
1992-93	2.86	2.84
1993-94	2.10	2.59
1994-95	4.30	4.33
1995-96	4.75	4.75
1996-97	5.50	5.50
1997-98	5.50	5.62
जोड़	25.01	25.63

4.9.6 वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

प्रमुख अभियन्ता ने इन सड़कों को चौड़ा करने, आर-पार जल निकास, पक्का करने तथा तारकोल बिछाने के सड़कवार वार्षिक लक्ष्य निश्चित नहीं किए थे। इसकी बजाय, प्रमुख अभियन्ता द्वारा वृत्तवार लक्ष्य निर्धारित किए गए और सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं ने सड़कवार वार्षिक लक्ष्य निश्चित किए।

आठवीं योजना में परिकल्पित परिव्यय 181 करोड़ रु0 के प्रति स्तरीकरण तथा सम्पर्क सड़कों के सुधार पर केवल 20.01 करोड़ रु0 व्यय किए गए।

आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान इन सड़कों को आर्टिरियल स्तर की बनाने के लिए सुधार तथा स्तरीकरण के समग्र कार्यक्रम के लिए यद्यपि 181 करोड़ रु0 का परिव्यय अन्तर्निहित था किन्तु इस उद्देश्य के लिए 40 करोड़ रु0 का प्रावेधान किया गया और 19.51 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान रखा गया। वास्तविक व्यय 20.01 करोड़ रु0 था। कुल योजनागत परिव्यय मोटे तौर पर आंका गया तथा जैसा परिच्छेद 4.9.8 (i) में प्रकट किया गया था, विस्तृत प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए। मण्डलों द्वारा वास्तव में आरम्भ किए गए कार्यों की मदों के लिए केवल कार्यचालन प्राक्कलन ही बनाए गए थे। अल्प बजट प्रावधान के दृष्टिगत, इन सड़कों को उच्च स्तर की करके सम्पर्क स्तर की होने की निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं थी।

1992-98 के दौरान की गई भौतिक उपलब्धियों की स्थिति तथा सभी 16 सड़कों के शेष कार्य परिशिष्ट-VIII में दिए गए हैं।

4.9.7 दोषपूर्ण आयोजना

मार्च 1998 तक कुल 1094 किलोमीटर लम्बाई के 19 प्रतिशत में तारकोल बिछाया जा सका था क्योंकि उपलब्ध करवाई गई निधियां प्रस्तावित योजना परिव्यय के अनुरुप नहीं थी। नमूना जांच से प्रकट हुए दोषपूर्ण आयोजना के कुछ मामलों पर नीचे विवेचना की जाती हैं:

(i) परिहार्य व्यय

सोलन-यथवन्तनगर-नेरीपुल-सैंज सड़क (लम्बाई 78.675 किलोमीटर) के स्तरीकरण/सुधार हेतु 8.69 करोड़ रु0 (जून 1995 में 15.88 करोड रु0 संशोधित) प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किए गए (मार्च 1993)। सड़क की पूर्णता पांच वर्षों के भीतर परिकल्पित की गई। भारी स्थानीय यातायात के कारण सोलन के बाहर-बाहर से यातायात निकालने के विचार से यह निर्णय लिया गया (मार्च 1995) कि वाणिज्यिक यातायात को ओछघाट से अपवर्तित करके कुमारहट्टी में राजमार्ग-22 से मिलाया जाएगा। इस वैकल्पिक मार्ग के फलस्वरुप ओछघाट से सोलन तक के भाग पर यातायात घनत्व में कमी के साथ-साथ तीन किलोमीटर की दूरी भी कम होनी थी। पूर्वोक्त प्रस्ताव को अन्तिम रुप देते समय (जून 1995), ओछघाट तथा सोलन के मध्य सड़क के भाग के स्तरीकरण/सुधार की आवश्यकता, जिसका प्रशासनिक अनुमोदन पहले से ही मार्च 1993 में प्रदान किया गया था और जिस पर पहले से ही कार्य प्रगति पर था, की न्यून यातायात के आधार पर समीक्षा नहीं की गई। इसके बजाय, मण्डल इस भाग (ओछघाट से सोलन) के स्तरीकरण/सुधार के कार्य पर लगा रहा और मार्च 1995 में संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन की प्राप्ति के पश्चात 22.34 लाख रु0 खर्च किए गए। जैसा ऊपर इंगित किया गया है, प्रगतिरत कार्य की समीक्षा में विफलता 22.34 लाख रु0 के असंगत व्यय में परिणत हुई।

वैकल्पिक प्रस्ताव को अन्तिम रुप देने के पश्चात् ओछघाट-सोलन भाग में कार्य की निरन्तरता की समीक्षा नहीं की गई।

अधिशासी अभियन्ता सोलन ने बताया (दिसम्बर 1997) कि सोलन से ओछघाट तक आर्टिरियल स्तर हेतु सड़क को चौड़ा करने का कार्य भारी यातायात के कारण किया जा रहा था। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि इसके समर्थन में कोई औचित्य नहीं बताया गया। सड़क के इस भाग पर प्रक्षिप्त यातायात प्रारम्भिक प्रशासनिक अनुमोदन के समय पर भी सड़क के स्तरीकरण को विशेषित करने हेतु पर्याप्त नहीं था। ओछघाट से सोलन तक यातायात का घनत्व वैकल्पिक सड़क पर वाणिज्यिक वाहनों के यातायात अपवर्तन के कारण भी कम होगा।

(ii) अतिरिक्त व्यय

प्रमुख अभियन्ता द्वारा जनवरी 1992 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रतिदिन 10,000 यात्री कार इकाइयों के यातायात प्रायोजना वाली सड़कों के मामलों में दोहरे मार्ग की सड़कों

के लिए रचना/परिवहन मार्ग चौड़ाई 10 मीटर/7 मीटर रखी जानी थी। 5,000 तथा 10,000 यात्री कार इकाइयों के मध्य, रचना/परिवहन मार्ग चौड़ाई 8.70 मीटर/5.50 मीटर रखी जानी थी।

नमूना जांच के दौरान निम्नांकित तथ्य ध्यान में आए:

(क) भरवाईं मण्डल में, 10 मीटर मानक के प्रति 12 मीटर की चौड़ाई संरचना हेतु 12,278 यात्री कार इकाइयों के यातायात प्रायोजना के स्तरीकरण तथा मैहतपुर-ऊना-देहरा-रानीताल-मटौर सड़क (मुबारकपुर से गगरेट तथा भरवाई तक सम्पर्क सहित खण्ड मैहतपुर से मुबारकपुर तक के सुधार हेतु प्रमुख अभियन्ता द्वारा प्राक्कलन संस्वीकृत किया गया (सितम्बर 1992)। तथापि, 22.100 किलोमीटर में 12 मीटर चौड़ाई की संरचना कर दी गई थी। संरचना की अतिरिक्त चौड़ाई पर परिहार्य व्यय निकालना व्यवहार्य नहीं था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1998) कि संरचना की चौड़ाई संस्वीकृत आकलन के अनुसार रखी गई थी। उत्तर मान्य नहीं था चूंकि निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया था।

मैहतपुर-ऊना-देहरा-रानीताल-मटौर सड़क के स्तरीकरण तथा सुधार हेतु निर्धारित मापदण्ड नहीं अपनाए गए।

(ख) नाहन मण्डल में, प्रमुख अभियन्ता द्वारा वर्ष 1990 के दौरान 2,812 यात्री कार इकाइयों के वास्तविक यातायात घनत्व के आधार पर काला अम्ब-नाहन सड़क के सुधार/स्तरीकरण हेतु एक प्राक्कलन संस्वीकृत किया गया (जुलाई 1992) और 2,000 तक 7,294 यात्री कार इकाइयों की प्रत्याशा की गई। प्राक्कलन में सात मीटर परिवहन मार्ग सहित 10 मीटर की संरचना चौड़ाई का प्रावधान था। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 10 मीटर की संरचना चौड़ाई तथा सात मीटर का परिवहन मार्ग तर्कसंगत नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 10.44 लाख रु0 का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सड़क की संरचना कटाई, पक्का करने तथा तारकोल बिछाने पर अतिरिक्त व्यय।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 1998) कि कार्य अनुमोदित प्राक्कलन के अनुरुप किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रमुख अभियन्ता द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था।

4.9.8 कार्य निष्पादन

(i) तकनीकी संस्वीकृति विहीन व्यय

वित्तीय नियमों के अनुसार, किसी भी कार्य को उस समय तक आरम्भ नहीं किया जाना था जब तक उसके विस्तृत प्राक्कलन तैयार नहीं कर लिए गए हों तथा उन्हें संस्वीकृत न कर

दिया हो। नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 1992-93 के दौरान विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए बिना तथा उनके अनुमोदन के बिना अनुमानित 1.81 करोड़ रु0 लागत के 16 सड़कों के कार्य आरम्भ किए गए और मार्च 1998 तक उन पर 25.63 करोड़ रु0 व्यय हो चुका था। नमूना-जांचित मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया (जनवरी-मई 1998) कि संस्वीकृतियों की व्यवस्था की जा रही थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्य निष्पादन से पूर्व तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त की जानी थी।

सड़कों के कार्यों पर तकनीकी संस्वीकृति के बिना 25.63 करोड़ रु0 खर्च किए गए।

(ii) **घटिया स्तर के बिल्ट-अप स्प्रे-ग्राऊट का बिछाना**

विभागीय विनिर्देशों के अन्तर्गत विद्यमान सतह तथा तारकोल बिछाई गई अनुवर्ती सतह को आपस में भली-भान्ति जोड़ने के अभिप्राय से बिल्ट-अप-स्प्रे-ग्राऊट के निर्माण हेतु कम लेसदार तरल तारकोल का टैक कोट प्रारम्भिक आधार में प्रयोग किया जाएगा। भूतल परिवहन मंत्रालय के विनिर्देशों में प्रावधान है कि जहां तारकोल के कार्य के तत्काल पश्चात् दूसरा तारकोल का कार्य किया गया हो, वहां टेक कोट का लगाया जाना आवश्यक नहीं है। विभागीय विनिर्देशों में प्रावधान है कि बिना विलम्ब किए बिल्ट-अप-स्प्रे-ग्राऊट अन्तिम सतह पर ही किया जाएगा। बिल्ट-अप-स्प्रे-ग्राऊट को स्थायी लेप द्वारा ढका जाएगा। लेकिन इसे किसी भी स्थिति में बिना ढके यातायात के लिए नहीं खोला जाना चाहिए।

1996-97 और 1997-98 के दौरान स्वारघाट-नालागढ़-मरानवाला सड़क (किलोमीटर 31/540 से किलोमीटर 39/870) पर 25.95 लाख रु0 की लागत से 54622 वर्गमीटर क्षेत्र में बिल्ट-अप-स्प्रे-ग्राऊट को टैक कोट के बिना किया गया। विभागीय विनिर्देशों के अनुसार बिल्ट-अप-स्प्रे-ग्राऊट हेतु तारकोल प्रति 10 वर्गमीटर में 12.5 किलोग्राम की दर से प्रयोग किया गया यद्यपि भारतीय सड़क कांग्रेस के विनिर्देशनों में 10 वर्गमीटर हेतु 15 किलोग्राम का प्रावधान था।

54622 वर्गमीटर क्षेत्र में बिना टैक-कोट किए बिल्ट-अप-स्प्रे-ग्राऊट बिछाया गया जिसके परिणामस्वरुप 25.95 लाख रु0 की लागत से घटिया स्तर के कार्य का निष्पादन हुआ।

पूर्व अन्तर्लय आस्तरण/ढके बगैर/मिश्रित पक्की घुटाई से बिना बिल्ट-अप-स्प्रे-ग्राऊट यातायात के लिए खोल दिया गया। यदि सड़क का यातायात से खोलने से पहले पूर्वान्तर्लय आस्तरण/मिश्रित पक्की घुटाई कर दी जाती तो टैक कोट करने की कोई आवश्यकता न होती। किन्तु पूर्वान्तल्रय आस्तरण/मिश्रित पक्की घुटाई करने से पूर्व प्रति 10 वर्गमीटर में 10 किलोग्राम की दर से टैक कोट किया गया। यह सभी, टैक कोट पर 5.07 लाख रु0 के परिहार्य व्यय के साथ-साथ घटिया निष्पादन कार्य में परिणत हुआ।

अधिशासी अभियन्ता, कसौली मण्डल ने बताया (जनवरी 1998) कि कार्य प्रमुख अभियन्ता के अनुमोदन से निष्पादन किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्य-निष्पादन विभाग/भूतल परिवहन मंत्रालय/भारतीय सड़क कांग्रेस के विनिर्देशों के अनुरुप नहीं था।

(iii) **मिट्टी के कटान कार्य को बढ़ा चढ़ा कर मापना**

मिट्टी के कटान कार्य का निष्पादन करने से पहले, 15 मीटर के प्रत्येक आर डी पर क्रास सैक्शनल क्षेत्र लिए जाते हैं, जिनकी 100 प्रतिशत नमूना जांच सहायत अभियन्ताओं तथा 50 प्रतिशत नमूना जांच अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा की जाती है। ये क्षेत्र संस्वीकृत प्राक्कलनों के आधार के रुप में ज्यूं के त्यूं आरेखणों पर प्रमाणित किए जाते हैं।

सोलन-यशवन्तनगर-नेरीपुल-सैंज सड़क (लम्बाई:78.675 किलोमीटर) के स्तरीकरण तथा सुधार हेतु 8.69 करोड़ रु0 प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किए गए (मार्च 1993)। तकनीकी संस्वीकृति, जिसमें किलोमीटर 7/645 से 17/0 तक में वर्तमान 5 मीटर चौड़ाई को 8.7 मीटर चौड़ाई की संरचना को चौड़ा करने का कार्य भी शामिल था, प्रमुख अभियन्ता द्वारा क्रॉस-सैक्शनों के आरेखणों के आधार पर जो क्रमशः 100 प्रतिशत सहायक अभियन्ता तथा 50 प्रतिशत तक अधिशासी अभियन्ता द्वारा जांचे गए थे तथा प्रमाणित किए गए थे, प्रदान की गई (मई 1994)। अगस्त 1994 में, प्रमुख अभियन्ता ने संरचना चौड़ाई को 10 मीटर तक बढ़ा दिया और क्षेत्रीय अभियन्ताओं को संशोधित आरेखण प्रस्तुत करने के लिए कहा। किन्तु ऐसा करने की बजाए, किलोमीटर 7/645 से किलोमीटर 11/0 में 10 मीटर चौड़ाई के स्थान पर 8.7 मीटर चौड़ाई के कटान संरचना हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई (मई 1995) और यह कार्य अधिशासी अभियन्ता सोलन मण्डल द्वारा सितम्बर 1995 में 18.17 लाख रु0 चार ठेकेदारों को अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् दिया गया। तथापि, संरचना कटान 10 मीटर की चौड़ाई तक की गई। सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए।

(क) अनुमोदित तथा उन माप पुस्तिकाओं में अभिलिखित आरेखणों में क्रास सैक्शनों की तुलना से पहाड़ी रुपरेखाओं में भारी निम्नताएं प्रकट हुई क्योंकि दोनों परस्तपर सदृश नहीं थे। किलोमीटर 7/645 से 8/0 तथा किलोमीटर 9/030 से 9/525 तक के आरेखणों में 1.30 मीटर संरचना चौड़ाई बढ़ाने पर उसमें अन्तर्निहित कटानकार्य 9060 घनमीटर निकाला गया जिसके प्रति वास्तव में 20,342 घनमीटर के लिए भुगतान किया गया, जिसमें 11282 घनमीटर (125 प्रतिशत) की अधिक मात्रा तथा 8.48 लाख रु0 का अत्यधिक भुगतान अन्तःग्रस्त था के कटान माप वास्तव में अभिलिखित नहीं थे।

अत्यधिक मिट्टी कटान कार्य के कारण 8.48 लाख रु0 का अधिक भुगतान किया गया जो कि विभिन्न क्रॉस सैक्शनल क्षेत्रों में 7 तथा 1793 प्रतिशत के मध्य थे।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1997) कि संरचना चौड़ाई की वृद्धि आर डी के परिवर्तन के कारण थी, जो फलतः अनुमोदित आरेखणों में दर्शाई गई पहाड़ी रुपरेखाओं तथा उन माप-पुस्तिकाओं में अभिलिखित रुपरेखाओं के मध्य असदृश्यता में परिणत हुई। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि आर डी के परिवर्तन में पहाड़ी पार्श्विकाओं में केवल नगण्य परिवर्तन ही अन्तःग्रस्त हो सकते थे, जबकि किलोमीटर 7/645 तथा किलोमीटर 7/885 के मध्य निरन्तर आर डीज में क्रॉस सैक्शनल क्षेत्रों में 7 तथा 1793 प्रतिशत के मध्य चिन्ताजनक आधिक्य था। मूल आरेखणों तथा उन अभिलिखित माप-पुस्तिकाओं में दर्शाई पहाड़ी पार्श्विकाओं में भारी भिन्नताएं भी थीं जिसके परिणामस्वरुप आर डी 7/645 तथा 7/660 (आरम्भिक स्थल) में भी क्रास सैक्शनल क्षेत्र/आयतन बढ़ा-चढ़ा कर दर्शाया गया था। इस सम्बन्ध में अन्तःग्रस्त कुल अधिक भुगतान को विभाग द्वारा संगणित किया जाना अपेक्षित था। प्रमुख अभियन्ता की टिप्पणियां अगस्त 1998 तक प्राप्त नहीं हुई थीं।

जहां तक वास्तव में कटान की पैमाइशों को अभिलिखित न करने का सम्बन्ध था, अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 1998) कि वे अग्रिम क्रॉस सैक्शन अभिलिखित किए गए थे जिन्हें भुगतान हेतु अन्तिम माना गया था। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि अग्रिम क्रॉस सैक्शनों तथा वास्तव में किए गए कार्य के आधार पर आरेखित क्रास सैक्शनों के मध्य शत-प्रतिशत अनुरुपता कठिनता से हो सकती थी।

(ख) निविदा विलेख में खोदी गई मिट्टी को मलबा स्थल तक ढोने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, निविदादाता अपनी कथित दरों को 18.28 से 19.10 प्रतिशत कम करते समय खोदी गई मिट्टी को मलबा स्थल तक ढेर लगाने के लिए सहमत हो गए थे। यह कार्य निकट के स्थानों में विगत वर्ष की 48 रु0 प्रतिघन मीटर की दर के स्थान पर 72 रु0 से 76 रु0 प्रति घनमीटर की दर से दे दिए गए।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1997) कि कार्यस्थल के समीप कोई सरकारी भूमि नहीं थी जहां खोदा गया मलबा फैंका जा सके। ठेकेदारों ने निजी भूमि पर मिट्टी फैकनें के लिए स्वयं प्रबन्ध किए। कुछ मिट्टी मलबा स्थल पर फैंकी गई और कुछ सड़क स्थल पर डाल दी गई जबकि भरान कार्य विभाग द्वारा अपेक्षित था। किन्तु इस अत्यधिक देरी के बाद प्रत्येक स्थल पर फैंकी गई सही मात्रा का ज्ञान नहीं था।

खोदी गई मिट्टी मलबा स्थल तक नहीं ढोई गई जिसके परिणामस्वरुप ठेकेदार को 9.96 लाख रु0 का अनुचित लाभ हुआ।

इस प्रकार, मलबा स्थल तक मिट्टी ढोनों के लिए अनुबन्धन की शर्त पर बल देने में विभाग की विफलता के कारण ठेकेदारों को 9.96 लाख रु0 का अनुचित लाभ हुआ।

(iv) **कार्य की गलत पैमाईश**

ऊना मण्डल में नंगल-मैहतपुर-तलवाड़ा सड़क के किलोमीटर 5/600 से 18/00 में 2 सैंटीमीटर पूर्वान्तर्लय आस्तरण की व्यवस्था करने का कार्य 53.46 लाख रु0 में एक ठेकेदार को दिया गया (मई 1996)। माप-पुस्तिका में अभिलिखित भूतल क्षेत्र की पैमाईश के अनुसार मार्च 1998 तक 51177 वर्गमीटर क्षेत्र में पूर्वान्तर्लय आस्तरण बिछाया गया था। मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि यह क्षेत्र पूर्व अन्तर्लय सामग्री के 26 वर्गमीटर प्रति मिट्रिक टन के अविनिर्देशित/अननुमोदित कारक का प्रयोग करते हुए सैद्धान्तिक गणनाओं के आधार पर 65473 वर्गमीटर तक बढ़ा दिया गया। माप-पुस्तिका में दी गई अभ्युक्तियों के अनुसार, यह सड़क सतह में अर्नियाला के कारण अधिक सामग्री को अनिवार्य रुप से प्रयुक्त करने के कारण था। तथापि, उसके लिए अनुमोदित प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं था। गर्त/जलगर्तिकाओं हेतु कोई पृथक प्राक्कलन संस्वीकृत नहीं किया गया था और गर्त/उभारदार भूमि प्रक्रिया के सम्बन्ध में पृथक पैमाइशें अभिलिखित नहीं की गई थी। भूतल परिवहन मंत्रालय की सिफारिशों के विनिर्देशों के अन्तर्गत पार्श्विका शोधक प्रक्रिया का निर्धारण, सन्निकट अन्तरालों में समतल ले कर वर्तमान सड़क पार्श्विका के प्लाट बना कर किया जाना था, जो नहीं किया गया। परिणामत: ठेकेदार को 4.93 लाख रु0 का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

सैद्धान्तिक संगणनाओं के परिणामस्वरुप क्षेत्र में वृद्धि के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान हुआ।

सैद्धान्तिक गणना करने के कारण यद्यपि स्वीकार कर जाएं, फिर भी उच्चमार्ग अभियन्ताओं हेतु भूतल परिवहन मंत्रालय की पाकेट बुक की तालिका 9.17 के अनुसार उस कारक का प्रयोग किया जाना चाहिए था, जिसके अनुसार पूर्व संलिष्ट सामग्री द्वारा आवृत्ति 20.83 वर्गमीटर तथा 25 वर्गमीटर प्रति मीट्रिक टन के बीच थी। 22.73 वर्गमीटर प्रति मीट्रिक टन की मध्यावृति को ध्यान में रखते हुए, आवृत क्षेत्र 57,239 वर्गमीटर बनता है। सैद्धान्तिक आवृत्ति 8234 वर्गमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र तथा 2.84 लाख रु0 के अत्यधिक भुगतान में परिणत हुई।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1998) कि वास्तविक स्थिति की छानबीन की जाएगी।

(v) **भूमि का गलत वर्गीकरण**

भूमि का वर्गीकरण उल्लिखित किए बगैर भूमि कटान कार्य हेतु निविदाएं जारी की गई। तथापि, विस्तृत प्राक्कलनों में निर्दिष्ट भूमि वर्गीकरण के अनुसार ठेकेदार द्वारा निविदाओं में दी गई दरें न्यायसंगत होती हैं।

मिट्टी के गलत वर्गीकरण के कारण विभाग द्वारा ठेकेदारों को 16.27 लाख रु0 का अधिक भुगतान।

तीन मण्डलों* में 1993-97 के दौरान आठ कार्यों में 37124 घनमीटर भूमि-कटान कार्य की निविदित दरें इस आधार पर तर्कसंगत थीं कि उसमें 14756 घनमीटर गैंती कार्य, 18938 घनमीटर झब्बल कार्य तथा नर्म चट्टानों में 3430 घनमीटर विस्फोटन कार्य था। झब्बल तथा सुंरग कार्य के निष्पादन हेतु 20584 किलो जिलेटीन की आवश्यकता थी किन्तु इनमें जरा भी जिलेटिन उपयोग में नहीं लाई गई। इससे स्पष्ट है कि कटान में केवल गैंती कार्य ही अन्तर्विष्ट था। तथापि, विस्फोटन कार्य के आधार पर भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरुप ठेकेदारों को 16.27 लाख रु0 का अधिक भुगतान हुआ।

अधिशासी अभियन्ता, सोलन तथा ठियोग मण्डलों ने बताया चूंकि सड़कें आवासीय क्षेत्र से गुजरती थीं, इसलिए छेनी से पत्थर काटने/गहरे छिद्र करने इत्यादि के तरीके प्रयोग में लाये गये। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि कार्य को दिए जाने के औचित्य में विस्फोटन कार्य भी सम्मिलित था जो सड़कों के निकट आवासीय क्षेत्र होने से सम्भव नहीं था।

(vi) **अनुचित भुगतान**

धर्मशाला-दाध-योल-पालमपुर सड़क के 27/0 से 27/510 किलोमीटर में भू-कटान कार्य 3.70 लाख रु0 में एक ठेकेदार को दिया गया था (अक्तूबर 1995) और 6.05 लाख रु0 की लागत से जुलाई 1996 में पूर्ण किया दर्शाया गया।

पालमपुर मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि उपरोक्त संविदा के प्रति माप-पुस्तिका में वास्तव में कार्य 26/0 से 26/615 किलोमीटर में किया दर्शाया गया। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (फरवरी 1998) कि कार्य प्राक्कलन में गलत आर डी उल्लिखित की गई थीं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सड़क के भाग के विभिन्न क्रास सैक्शनों के विवरण 27/0 से 27/510 किलोमीटर से सम्बन्धित थे और किलोमीटर 27/0 से 27/510 में कटान कार्य हेतु कार्य प्राक्कलन भी संस्वीकृत किया गया था और इसी आधार पर निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं। कार्य प्राक्कलन विभिन्न मार्गों के माध्यम से आगे तक बढ़ाया गया, इसे मई 1995 में मुख्य अभियन्ता द्वारा अन्तिम रुप से अनुमोदित किया गया और किसी भी चरण पर यह विसंगति ध्यान में नहीं आई। इस प्रकार अधिशासी अभियन्ता का उत्तर मात्र एक सोच थी।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आया कि 26/0 से 26/615 कि0मी0 कार्य की पैमाइश की अधिशासी अभियन्ता ने जांच नहीं की। इसलिए जिस कार्य के लिए भुगतान किया गया उसकी सत्यता संदेहात्मक थी।

अधिशासी अभियन्ता ने पैमाइश की जांच नहीं की।

* देहरा, सोलन तथा ठियोग

(vii) **सोलिंग/वियरिंग का अनियमित बिछान**

विभागीय/भारतीय सड़क कांग्रेस/भूतल-परिवहन मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुसार, सोलिंग (कुल 90-40 मिलिलीटर आकार) तथा वियरिंग (कुल 63-40 मिलिलीटर आकार) की तह बिछानी होती है ताकि सड़कों पर रोड़ी बिछाने हेतु प्रत्येक तह क्रमशः 100 मिलिमीटर तथा 75 मिलिमीटर बन जाए।

पांच मण्डलों* में सम्पर्क सड़कों की बढ़ाई गई चौड़ाई में 90-40 मिलिमीटर आकार के मिश्रण की सोलिंग के स्थान पर 63 मिलिलीटर से 40 मिलिलीटर आकार के पत्थरों की 233 मिलिमीटर एक संयुक्त तह 1,65,183 वर्गमीटर क्षेत्र में सोलिंग तथा ऊपरीतह करके बिछाई गई। छोटे आकार के पत्थरों के प्रयोग का आदेश विनिर्देशों की उपेक्षा करते हुए मुख्य अभियन्ता (उत्तर) द्वारा दिया गया। विनिर्देशों का विचलन लगभग 76.98 लाख रु0 की लागत से किए गए कार्य के निम्न स्तर के निष्पादन में परिणत हुआ।

विनिर्देशों की उपेक्षा करते हुए 76.98 लाख रु0 की लागत से निम्न-स्तर का कार्य किया।

इस प्रकार छोटे आकार के पत्थरों से की गई निम्न श्रेणी सोलिंग के नीचे धंसने की सम्भावना थी।

4.9.9 परीक्षण नहीं किए गए

विभागीय विनिर्देशनों के अनुसार, गुणवत्ता नियंत्रण अर्थात् प्रतिघात मान तथा पत्थरों इत्यादि के संसारत्व सूचकांक की विश्वसनीयता जाने के लिए लिए सड़क निर्माण के लिए प्रयोग की गई सामग्री का परीक्षण करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्रयोग की गई सामग्री की उपयुक्ततता परखने के लिए, सभी मण्डलों में कोई भी परीक्षण नहीं किए गए।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1997 से अप्रैल 1998) कि केवल सोलिंग तथा वियरिंग के कार्य किए गए थे जिनके कोई भी परीक्षा नहीं किए गए थे।

प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रण-परीक्षण नहीं किए गए।

* डलहौजी, देहरा, घुमारवीं, नूरपुर तथा ऊना

4.9.10 अन्य रुचिकर प्रसंग

मानकों का असंशोधन के परिणामस्वरुप तारकोल का घटिया काम

भूतल-परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल के प्रतिवेदन के अनुसार (मई 1988) पूर्वान्तर्लय आस्तरण की सील कोट की परख कुछ अवधि के बाद उखड़ जाती है और जलगर्तिकायें दिखाई देने लगती हैं, विशेषकर वर्षा के दौरान, क्योंकि दो काली ऊपरी परतों के मध्य, अर्थात् पूर्वान्तर्लय आस्तरण तथा सील कोट के मध्य अन्तर्ग्रंथित अथवा बन्धन में कोई प्रभावशीलता नहीं रहती थी। इसे ध्यान में रखते हुए, अध्ययन दल ने "एक परत पर एक बार पूर्वान्तर्लय आस्तरण बिछाया जाए" का सुझाव दिया, जो मितव्ययी होने के साथ अच्छे परिणाम भी दे सकता था और जहां हाटमिक्स तथा प्रस्ताराचयम सुविधा उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं थी तथा मजदूरों द्वारा परम्परागत तरीके से कार्य किया जाता था उन राज्य उच्च मार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों में भी इसका उपयोग किया जा सकता था। भूतल-परिवहन मंत्रालय द्वारा यह प्रतिवेदन सभी राज्यों को नवम्बर 1988 में परिचालित किया गया था।

540905 वर्गमीटर क्षेत्र पर परम्परागत तरीके से सड़क में तारकोल बिछाने पर 33.25 लाख रु0 का अपरिहार्य व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सात मण्डलों* में 540905 वर्गमीटर क्षेत्र के ऊपर परम्परागत तरीके से 1993-98 के दौरान सड़क पर तारकोल बिछाने का कार्य किया गया। इसके परिणामस्वरुप 33.25 लाख रु0 का परिहार्य व्यय हुआ। प्रमुख अभियन्ता (फरवरी 1998) से राज्य में अध्ययन दल के सुझावों का पालन न करने के मांगे गए कारण अगस्त 1998 तक प्रतीक्षित थे।

मानकों के संशोधन न करने के कारण परिहार्य व्यय

ये तथ्य सरकार को जुलाई 1998 में प्रतिवेदित किए गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

---

* भरवाईं, डलहौजी, देहरा, हमीरपुर, नाहन, नूरपुर तथा ऊना

4.10 सम्पर्क सड़क को न बनाने के कारण पुल का प्रयोग न होना

बस्सी गंगुवाल सड़क को गंगुवाल तोबा सड़क (बिलासपुर जिला) से जोड़ने के लिए, गंगुवाल के समीप एक खड्ड के ऊपर 9.64 लाख रु० से एक 22 मीटर आर सी सी टी बीम के पुल का निर्माण प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया (फरवरी 1992)। संस्वीकृत आकलन में पुल के दोनों किनारों पर एक 978 मीटर लम्बी सम्पर्क सड़क के निर्माण का प्रावधान भी सम्मिलित था। बिलासपुर मण्डल संख्या II द्वारा निर्माणकार्य मई 1994 में आरम्भ किए गया और पुल तथा सम्पर्क सड़क का कुछ भाग 19.44 लाख रु० की कुल लागत से क्रमशः जून 1996 तथा सितम्बर 1996 में पूर्ण किया गया।

दोषपूर्ण योजना के साथ-साथ विभाग की सम्पर्क सड़क में पड़ने वाली निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु सामयिक कार्रवाई आरम्भ करने में विफल रहने से लोगों को वाछिंत लाभों से वंचित रहना पड़ा तथा 19.44 लाख रु० की निधियों का अवरोधन भी हुआ।

बिलासपुर मण्डल संख्या II के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (मई-जून 1997) कि सम्पर्क सड़क (आर०डी० 0./300 से 0/310 तथा 0/566 से 1/0) पूर्ण न किए जाने के कारण यात्रीय यातायात हेतु पुल का उपयोग नहीं किया जा सका। इस भाग का निर्माण इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि यह उस निजी भूमि में पड़ता था जिसका विभाग द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया था। तथापि, निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए मामला भू-अर्जन अधिकारी शिमला के साथ जून 1994 में उठाया गया तथा सैक्शन-4 के अधीन अधिसूचना जुलाई 1998 में की गई। अधिसूचना जारी होने के पश्चात् भू-अर्जन कार्रवाई के पूरा किए जाने के लिए दो वर्ष की अवधि आवश्यक होती है। इस प्रकार जुलाई 1998 से पुल को आगामी दो वर्षों तक वाछिंत प्रयोगार्थ नहीं लाया जा सकेगा। जब तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, पुल के प्रयोग के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

इस प्रकार, सम्पर्क सड़क के संरेखण में आने वाली निजी भूमि की अधिग्रहण कार्यवाहियों को समय पर न करने में विफल रहने के साथ-साथ दोषपूर्ण आयोजना से सितम्बर 1996 से 19.44 लाख रु० की निधियों का अवरोधन हुआ तथा लोग वाछिंत लाभों से वंचित रहे।

मामला सरकार को मार्च 1998 में सन्दर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

4.11 सरकारी देयों की वसूली न करना

राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल रामपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-22 पर पानवी, मंगलाड़ तथा निगुलसारी खड्डों के ऊपर तीन पुलों का निर्माण एक फर्म को 2.04 करोड़ रु० में सौंपा (मार्च

1994) जिन्हें मार्च 1996 तक पूरा किया जाना था। अधिनिर्णय पत्र की शर्तों के अनुसार, संविदा राशियों के 10 प्रतिशत के बराबर संचालन अग्रिम बैंक प्रत्याभूतियों के प्रति समराशियों हेतु फर्म को भुगतानयोग्य थे। तदनुसार, मार्च 1994 तथा जनवरी 1995 के मध्य फर्म को 20.37 लाख रु0 के संचालन अग्रिमों का कुल भुगतान किया गया और किए गए कार्य हेतु फर्म को दिए जाने वाले चालू लेखा भुगतानों से इनकी वसूली की जानी थी।

विभाग ने बैंक गारण्टियों को पुनः विधिमान्य नहीं किया तथा ठेकेदार के विरुद्ध शास्तिक धारायें लगाने में देरी की जिस कारण 40.11 लाख रु0 की सरकारी देयताओं की वसूली नहीं हुई।

अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 1997) तथा मण्डल से आगामी एकत्रित सूचना से उद्घाटित हुआ (जून 1998) कि 1994-95 के दौरान तीनों पुलों का कार्य 15.59 लाख रु0 से करने के पश्चात् फर्म ने मार्च तथा दिसम्बर 1995 के मध्य आगामी निष्पादन छोड़ दिया। 20.37 लाख रु0 में से मार्च तथा दिसम्बर 1995 के दौरान फर्म को भुगताए गए चालू लेखा बिलों से 0.38 लाख रु0 की वसूली की गई थी किन्तु जून 1998 तक 19.99 लाख रु0 की राशि वसूल करने के लिए शेष पड़ी थी। इसी दौरान, संचालन अग्रिम के प्रति फर्म द्वारा दी गई 20.37 लाख रु0 की बैंक प्रत्याभूतियां जुलाई 1995 तथा अप्रैल 1996 के मध्य समाप्त हो गई क्योंकि मण्डल ने उन्हें पुनः वैध नहीं करवाया। यद्यपि कार्य दिसम्बर 1995 में छोड़ दिया था, तथापि कार्य में विलम्ब हेतु फर्म से 20.37 लाख रु0 की क्षतिपूर्ति केवल अक्तूबर 1997 में लगाई गई जब तक बैंक प्रत्याभूतियों की समय सीमा समाप्त हो गई थी।

विलेखों की धारा 3(क) तथा (ग) के अन्तर्गत संविदा को दिसम्बर 1997 में निरस्त कर दिया गया। दो पुलों के सम्बन्ध में मण्डल द्वारा मई 1998 में तैयार किए गए तीसरे चालू लेखा बिलों के अनुसार फर्म से प्रतिभूति (1 लाख रु0) की उपलब्ध राशि समायोजित करने के पश्चात् 27.96 लाख रु0 की वसूली देय थी। निगुलसारी स्थित तीसरे पुल के सम्बन्ध में दूसरे चालू लेखा बिल तक 12.15 लाख रु0 वसूलीयोग्य थे। कार्य अगस्त 1998 तक पुनः नहीं दिए गए थे।

इस प्रकार, विभाग की बैंक प्रत्याभूतियों को पुनः वैध न करवाने की चूकों तथा अनुबन्धों की शास्तिक धाराओं के समय पर लगाने में विलम्ब से जून 1998 तक 40.11 लाख रु0 के सरकारी देय वसूल नहीं किए जा सके।

अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया (फरवरी 1998) कि बैंक प्रत्याभूतियों को गलती से तथा अत्यधिक कार्य के कारण समय पर पुनः वैध नहीं करवाया जा सका था। अधीक्षण अभियन्ता का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि कार्य के आधिक्य के बावजूद भी मण्डल से समय पर कार्रवाई करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता ने इस चूक हेतु उत्तरदायी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की थी जिस कारण सरकार को हानि हुई।

मामला मार्च 1998 में सरकार को सूचित किया गया। उत्तर अपेक्षित था (अक्तूबर 1998)।

4.12 ठेकेदारों को वायर क्रेटों के उपलब्ध न करवाने के कारण परिहार्य व्यय

जून 1997 में जारी सरकारी अनुदेशों में प्रावधान था कि निर्माण कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित संविदा तथा जिसके लिए भण्डार से कोई मद (दर संविदा के अनुसार) आवश्यक थी, को विभाग ने दर संविदानुसार फर्म से प्राप्त करने के पश्चात आपूरित करना था।

दो मण्डलों* के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (जून-सितम्बर 1997) कि अप्रैल 1995 तथा अप्रैल 1997 के बीच 47,905 वर्ग मीटर क्षेत्र के वायर क्रेटों में प्रतिधारण पयोधर दीवार निर्माण के 51 कार्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित करवाए गए। पूर्वोक्त अनुदेशों के विपरीत विभाग ने दर संविदा पर उपलब्ध वायर क्रेट बनाने के लिए परस्पर योजक जंजीरे ठेकेदारों को आपूरित नहीं कीं। इसकी बजाय, ठेकेदारों को परस्पर योजक जंजीरें स्वयं उपार्जित करने की अनुमति दी गई। यदि विभाग ने दर संविदा पर उपलब्ध परस्पर योजक जंजीरे उपार्जित करके वायर क्रेट बनाने के लिए ठेकेदारों को दी होती तो 18.02 लाख रु० की बचत हुई होती।

दर संविदा फर्मों से ठेकेदारों को वायर क्रेटों की आपूर्ति में विभाग की विफलता के परिणामस्वरुप 18.02 लाख रु० का परिहार्य व्यय।

प्रमुख अभियन्ता ने बताया (नवम्बर 1997) कि भरवाईं मण्डल में वाहनों में यातायात के लिए सड़कों को पुनः खोलने हेतु ये कार्य आवश्यक प्रकृति के थे। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि प्राक्कलनों तथा संस्वीकृतियों में अत्यावश्यकता के कोई संकेत नहीं थे।

अधिशासी अभियन्ता, काजा ने बताया (सितम्बर 1997) कि दर संविदा वहन करने वाली फर्में इस मण्डल को सामग्री की आपूर्ति के लिए इच्छुक नहीं थी क्योंकि परस्पर योजक जंजीरों की दरें रेल पर्यन्त निः शुल्क होने के कारण उन्हें अधिक भाड़ा प्रभार देने पड़ते थे। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि अभिलेखों में इस आशय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी कि सरकारी अनुदेशों के अनुसार अधिशासी अभियन्ता ने दर संविदा फर्मों से सामग्री आपूरित करने के कोई प्रयास किए थे।

यह मामला मार्च 1998 में सरकार को प्रेषित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

---

* भरवाईं व काजा

4.13 सड़कों के निर्माण पर निष्फल व्यय

(क) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि का प्रयोग निषिद्ध है। भारत सरकार ने भी मार्च 1982 में स्पष्ट किया था कि अनुमोदन की प्रत्याशा में वनेतर क्रियाकलाप हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन अनुमत्य नहीं था तथा कार्योत्तर अनुमोदन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

वन भूमि के प्रयोगार्थ भारत सरकार से अनुमति प्राप्त न होने के कारण चार मण्डलों द्वारा पांच सड़कों के निर्माण पर किया गया 57.50 लाख रु0 का व्यय निष्फल हो गया।

चार मण्डलों में सड़कों के संरेखण में पड़ने वाली वन भूमि के प्रयोगार्थ भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना अक्तूबर 1984 व मार्च 1992 के बीच पांच सड़क निर्माणकार्य आरम्भ किए गए थे। वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के प्रयोगार्थ भारत सरकार की अनुमति के अभाव में 57.50 लाख रु0 के व्यय के बावजूद ये सड़क निर्माणकार्य अपूर्ण पड़े थे जैसा कि निम्नांकित है:

क्रमांक	मण्डल का नाम	सड़क का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन व संस्वीकृति के ब्यौरे		नियत पूर्ण अवधि	आरम्भ करने का मास	अद्यतन व्यय	निर्मित सड़क	मार्च 1998 तक निर्माण कार्यों में हुआ विलम्ब
			मास व वर्ष	राशि (लाख रुपए)	(वर्ष)		(लाख रुपए)	(कि0मी0)	(वर्ष)
1.	बिलासपुर-II	बन्धरौं होकर कोट से श्री नैनादेवी जी तक सम्पर्क सड़क (6,500 कि0मी0)	अक्तूबर 1992	9.66	तीन	मार्च 1992	6.05	1.525	3
2.	कसौली	सर्दीघाट-घारसी-डिग्गल सड़क (11.500 कि0मी0)	सितम्बर 1993	9.14	तीन	अक्तूबर 1984	14.90	10.805	10
3.	कुमारसैन	धरोगड़ा-दलोग घाटी सड़क (8.500 कि0मी0)	नवम्बर 1987	20.73	तीन	दिसम्बर 1986	29.46	6.860	8
4.	निरमण्ड	जाबन होकर आनी-बस्ता सड़क (5 कि0मी0)	मार्च 1983	10.09	तीन	मार्च 1989	5.20	1.600	6
		बागीपुल जांव सड़क(8 कि0मी0)	मई 1988	20.73	तीन	मार्च 1989	1.89	0.705	6
			जोड़	70.35			57.50		

मार्च 1998 तक इन सड़कों की पूर्णता में 3 वर्ष से 10 वर्ष से अधिक का विलम्ब था और भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के मामले प्रक्रियाधीन थे। कसौली मण्डल ने तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना अक्तूबर 1984 में सर्दीघाट डिग्गल सड़क का निर्माण आरम्भ कर दिया। यह निर्माणकार्य 695 मीटर लम्बी वन भूमि के भारत सरकार के अनुमोदन के अभाव में वर्ष 1992 से स्थगित पड़ा था। कुमारसेन मण्डल में धरोगड़ा-दलोग घाटी सड़क का निर्माणकार्य दिसम्बर 1986 में शुरु किया गया था और सड़क के संरेखण में पड़ने वाले प्ररक्षित वन के कारण इसे काफी लम्बे भाग में पूर्ण नहीं किया जा सका। सड़क के निर्माणार्थ प्ररक्षित वन का मामला उपमण्डल स्तर पर था। इस प्रकार भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने में असामान्य विलम्ब के फलस्वरुप इस सड़क पर 29.46 लाख रु० का निष्फल व्यय हुआ।

(ख) 0/0 कि० मी० से 5/0 कि०मी० तक चिमला अनुभाग पर नाग से कीर्ति तक 5/7 मी० चौड़ी सड़क तथा 10/0 कि०मी० तक एक मीटर चौड़ी पगडंडी के निर्माण का कार्य 10.03 लाख रु० में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित (जुलाई 1983) किया गया था। तीन वर्ष में पूर्णता हेतु नियत यह कार्य कुमारसेन मण्डल ने 1984-85 में निष्पादनार्थ आरम्भ किया।

0/905 कि०मी० से 1/500 कि०मी० तथा 1/590 कि०मी० से 2/210 कि०मी० के बीच निजी भूमि अर्जित न करने तथा सड़क के संरेखण में 2/210 कि०मी० के बाद पड़ रहे घने जंगल के कारण यह कार्य सितम्बर 1990 में स्थगित कर दिया गया था तथा सड़क के अविवादित खण्ड में पुनः आरम्भ कर लिया गया (अप्रैल 1994)। 4.90 लाख रु० के व्यय के बाद निजी/वन भूमि अधिगृहीत/हस्तान्तरित न करने के कारण पैबन्दों के रुप में सड़क-निर्माणकार्य जुलाई 1997 में पुनः रोक दिया गया था।

उपर्युक्त कठिनाइयों की दृष्टि से जुलाई 1997 में सड़क के संरेखण में परिवर्तनार्थ नया प्रस्ताव शुरु किया गया था। नए प्रस्ताव के अनुसार 0/0 कि०मी० से 0/905 कि०मी० तक पहले ही निर्मित सड़क के खण्ड को ही उपयोग में लाया जाना था। परिणामतः 3.07 लाख रु० की लागत से 0/905 कि०मी० से 7/150 कि०मी० में निर्मित एक मीटर पगडंडी तथा 1/500 कि०मी० से 1/590 कि०मी० तथा 2/210 कि०मी० सें 2/610 कि०मी० में निर्मित 5/7 मीटर सड़क का परित्याग करना पड़ा। सड़क के नए संरेखण का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति 46.69 लाख रु० में अगस्त 1997 में दी गयी थी। नए संरेखण में यह कार्य अक्तूबर 1997 में शुरु किया गया था तथा 2/700 कि०मी० से 3/400 कि०मी० सड़क के नए संरेखण में पड़ रही वन भूमि के प्रयोगार्थ भारत सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना नवम्बर 1997 तक 2.16 लाख रु० का व्यय किया गया था।

3.07 लाख रु० की लागत से निर्मित सड़क के खण्ड को परित्यक्त करने के तथ्य की पुष्टि करते समय अधिशासी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1997) कि नए संरेखण में पड़ रही वन भूमि के प्रयोगार्थ संस्वीकृति प्राप्त की जानी शेष थी जिसके लिए दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे।

14 वर्ष पुराने संस्वीकृत निर्माणकार्यों के लिए भूमि अर्जित करने तथा भारत सरकार से संस्वीकृति प्राप्त करने में विभाग की विफलता से इस प्रकार 3.99 लाख रु0 का निष्फल तथा 3.07 लाख रु0 का निरर्थक व्यय हुआ।

यह मामला मई 1998 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

4.14 ठेकेदारों से सामग्री की लागत तथा अन्य देय राशियों की वसूली न होना

हिमाचल प्रदेश लोकनिर्माण लेखा संहिता के उपबन्धों के अनुसार किसी निर्माणकार्य में प्रयोगार्थ ठेकेदार को दी गई सामग्री की लागत की ठेकेदार से सामान्यत: वसूली उस निर्माणकार्य के लिए उसको लेखा भुगतान या अग्रिम भुगतान को प्राधिकृत करने वाले प्रथम बिल से की जानी चाहिए। इस संहिता में पुन: यह व्यवस्था है कि ठेकेदार को उधार दिए गए औजारों व संयन्त्र के किराया प्रभार नियमित रुप से वसूल किए जाने चाहिए।

चार मण्डलों में ठेकेदारों से 11.38 लाख रु0 वसूल नहीं किए गए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार मण्डलों में विभागीय भण्डारों से सामग्री जारी करने, अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों की दरों के गलत निर्धारण, कार्य की पूर्णता में विलम्ब हेतु प्रतिकर, सुरक्षित अग्रिम की वसूली न करने आदि के कारण विभिन्न ठेकेदारों से 11.38 लाख रु0 की राशि बकाया पड़ी थी जैसे कि निम्नांकित हैं:

क्रमांक	मण्डल का नाम	कार्य का नाम	माह जिसमें अन्तिम बिल बनाया गया	वसूलीयोग्य राशि (लाख रुपए)
1.	बिलासपुर-I	राष्ट्रीय राजमार्ग 21(132/0 कि0मी0 से 140/0 कि0मी0 तक) पर सड़क के किनारे पक्की नाली उपलब्ध करवाना	समायोजित किया गया अभी पारित होना है	2.45
2.	शिमला-III	आर्म्सडेल शिमला स्थित संयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण	दिसम्बर 1996	4.57
3.	ठियोग	शिलारु में तुंगता प्रशिक्षण केन्द्र (चार टाइप II व टाइप III कर्मचारी आवासों का निर्माण); चिकित्सा केन्द्र सहित क्रीड़ा सेवा केन्द्र का निर्माण	दिसम्बर 1996	2.83
4.	ऊना	टक्का सड़क पर खुर्द खड्ड के ऊपर पुल का निर्माण (15 पाटों का "वेण्टेड कॉजवे" का निर्माण	अभी समायोजित होना है	1.53
			जोड़	11.38

इसमें से 2.51 लाख रु० अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों के कारण प्राप्य थे जिसके लिए शिमला मण्डल संख्या II ने मुख्यालय द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर भुगतान किया था। तीन मण्डलों* में निर्माणकार्य की पूर्णता में विलम्ब हेतु उद्गृहीत प्रतिकर के कारण 4.55 लाख रु० वसूलीयोग्य थे तथा 4.32 लाख रु० सामग्री की लागत, सुरक्षित अग्रिम तथा कम जमानती राशि जब्त करने के कारण प्राप्य थे।

बिलासपुर मण्डल सं० I के अधिशासी अभियन्ता ने भी ठेकेदारों से देय वसूलियां स्वीकार कीं (मई 1998) तथा बताया कि अप्रैल 1991 में संविदा निरस्त करने के बाद अन्तिम बिल पारित नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया (अक्तूबर 1998) कि प्रतिकर की माफी हेतु ठेकेदार की अपील पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया था। ऐसा न करने के कारण सूचित नहीं किए थे।

शिमला मण्डल सं० III के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (फरवरी 1998) कि अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों की दरें मुख्यालय द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन के लगभग चार से पांच वर्ष बाद अनुमोदित की गयी थीं और बड़े निर्माण कार्यों के निष्पादनार्थ अपेक्षित वास्तविक सामग्री की मात्रा का सही पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं था। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि दरों के अनुमोदन की प्रत्याशा में अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों के लिए भुगतान किया गया था तथा सामग्री देने पर पर्याप्त नियन्त्रण नहीं रखा गया था।

ठियोग मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 1997)कि मध्यस्थता मामलों के निर्णय प्राप्त होने पर शेष राशि समायोजित की जाएगी। यह तर्क भी मान्य नहीं था क्योंकि प्रतिकर लगाने की कार्रवाई का मध्यस्थता से कोई लेना-देना नहीं था।

ऊना मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने 1.16 लाख रु० के प्रतिकर व सामग्री की वसूली स्वीकार करते समय (जून 1998) बताया कि निर्माणकार्य निरस्त करते समय जब्त की जाने वाली शेष जमानती राशि के 0.42 लाख रु० पर विचार नहीं किया गया था तथा न्यायालय के निर्णय के बाद बिल का समायोजन किया जाएगा क्योंकि ठेकेदार ने दीवानी मुकदमा दायर किया था।

मामला सरकार को मई 1998 में सूचित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

---

* बिलासपुर-I, ठियोग व ऊना

4.15 अतिरिक्त क्षतिपूर्ति तथा ब्याज का परिहार्य भुगतान

1984 में यथासंशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 अप्रैल, 1982 के अन्तिम दिवस से लागू किया गया था। संशोधित अधिनियम में अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान का भूमि के बाजार मूल्य के 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर अधिसूचना की अन्तिम तिथि से समाहर्ता के अधिनिर्णय की तिथि अथवा स्वामित्व लेने की तिथि से, जो भी पहले हो, से उल्लिखित दर पर ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त, प्रावधान था। इस आशय की घोषणा की जानी चाहिए कि विशेष भूमि की विशेष उद्देश्य हेतु आवश्यता है तथा समाहर्ता को घोषणा के प्रकाशन की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर भूमि के सम्बन्ध में अधिनिर्णय कर लेना चाहिए। यदि उस अवधि में अधिनिर्णय नहीं किया जाता तो भूमि के अर्जन की समस्त प्रक्रिया समाप्त हो जानी थी।

नवम्बर 1982 में आरम्भ की गई भूमि अर्जन प्रक्रिया समाप्त हुई जिसके परिणामस्वरुप इच्छुक भू-स्वामियों को 9.62 लाख रु0 का परिहार्य भुगतान हुआ।

भूमि अर्जन समाहर्ता-I शिमला के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (नवम्बर 1994) कि बेलग गांव (शिमला जिला) में झिकनीपुल-पौड़िआ-किआरनू सड़क के रेखांकन में आने वाली 25.11 बीघे भूमि का स्वामित्व मई 1981 (10.9 बीघा) तथा अगस्त 1982 (15.2 बिघा) में लिया गया। भूमि अर्जन प्रक्रिया नवम्बर 1982 में आरम्भ हुई तथा घोषणा एक दिसम्बर 1984 को प्रकाशित की गई। तथापि, प्रक्रिया मार्ग के रेखांकन में आने वाली भूमि पर खड़े फलदार तथा बिना फलदार वृक्षों के मूल्यांकन की अपूर्णता के कारण व्यपगत (नवम्बर 1986) हो गई। अर्जन प्रक्रियाओं का जून 1987 पुर्नारम्भ किया गया तथा अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, शिमला द्वारा मामलों को विलम्ब से जून 1990 में प्रमुख अभियन्ता को अग्रेषित किया तथा घोषणा का प्रकाशन जुलाई-अगस्त 1991 में किया गया। अक्तूबर 1992 में भू-अर्जन समाहर्ता द्वारा इच्छुक भू-स्वामियों को 25.96 लाख रु0 के दिए गए अधिनिर्णय में मई 1981 से जून 1992 तक की अवधि हेतु अतिरिक्त क्षतिपूर्ति (8.02 लाख रु0) ब्याजः (9.64 लाख रु0) के सम्बन्ध में 17.66 लाख रु0 सम्मिलित थे। इसमें से, दिसम्बर 1986 से जून 1992 तक 9.62 लाख रु0 (अतिरिक्त क्षतिपूर्तिः 4.28 लाख रु0 तथा ब्याजः 5.34 लाख रु0) का भुगतान रोका जा सकता था यदि नवम्बर 1982 में आरम्भ प्रक्रिया को व्यपगत न होने दिया गया होता।

भूमि अर्जन समाहर्ता ने अधिनिर्णय की घोषणा करते समय यह पाया (अक्तूबर 1992) कि अतिरिक्त क्षतिपूर्ति तथा ब्याज की भारी राशि की बचत की जा सकती थी यदि मूल घोषणा को व्यपगत न होने दिया जाता। उसने यह भी बताया कि विधिक समय में भूमि के अर्जन से पूर्व भूमि का स्वामित्व वर्ष 1981 में नहीं लिया जाना चाहिए था तथा जून 1987 में पुनः आरम्भ की गई भूमि अर्जन प्रक्रिया को चार वर्षों से अधिक की अवधि के पश्चात प्रकाशित करवाया गया था। अतः विभाग की निश्चित समय में भूमि अर्जन में विफलता के कारण भू-स्वामियों को 9.62 लाख रु0 का परिहार्य भुगतान हुआ तथा सरकार को भी हानि हुई।

मामला सरकार को मई 1998 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

4.16 वृद्धि प्रभार का अधिक भुगतान

दैनिक भोगी कर्मचारियों के प्रवर्गों की विभिन्न श्रेणी III तथा IV की दैनिक मजदूरी दरें राज्य सरकार द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में पूर्व प्रभाव से जनवरी 1994 से संशोधित की गई थी (मार्च 1995)। तथापि, निर्माण अथवा अनुरक्षण तथा भवन कार्यचालन आदि में लगे अकुशल कर्मियों की न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 1 मार्च 1996 से संशोधित करके (फरवरी 1996) 26 रु0 से 45.75 रु0 कर दी। इस प्रकार, विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों/ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए मजदूरों के सम्बन्ध में बढ़ी हुई मजदूरी के वृद्धि दावे केवल मार्च 1996 से देय थे। मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्चमार्ग ने व्यवस्था दी (मार्च 1997) कि मार्च 1996 से अनुमत बढ़ी हुई मजदूरी लोक निर्माण विभाग द्वारा 1 मार्च 1996 से पूर्व ठेकेदारों को दिए गए कार्यों में उनके द्वारा लगाए गए मजदूरों को पूर्व प्रभाव से नहीं दी जा सकती थी। प्रमुख अभियन्ता ने भी कहा (अप्रैल 1998) कि बढ़ी हुई मजदूरी मार्च 1996 से ठेकेदारों द्वारा लगाए गए मजदूरों पर लागू होनी थी।

चार मण्डलों में मार्च 1996 की बजाय जनवरी 1994 से बढ़ी हुई मजदूरी अनुमत करने से ठेकेदारों को 26.21 लाख रु0 का अधिक भुगतान हुआ।

चार मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (फरवरी-अगस्त 1997) कि वृद्धि प्रभारों के सम्बन्ध में मार्च 1996 के स्थान पर जनवरी 1994 से बढ़ी हुई मजदूरी अनुमत करके सात मामलों में पांच ठेकेदारों को 26.21 लाख रु0 का अधिक भुगतान किया गया था जिसे निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:

क्रमांक	मण्डल का नाम	कार्य का नाम	वृद्धि से सम्बद्ध अवधि	ठेकेदारों की संख्या	प्रदत्त राशि (लाख रुपए)
1.	बड़सर	1. मान खड्ड पर 158 मीटर पाट का पूर्व प्रतिवलित कंकरीट पुल (हमीरपुर जिला) का निर्माण	फरवरी 1994 अक्तूबर 1995	1	8.01
2.	रामपुर	2. रामपुर में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण 3. रामपुर में कार्यलय के संयुक्त भवनों का निर्माण	जून 1994 अगस्त 1995	1	8.95

क्रमांक	मण्डल का नाम	कार्य का नाम	वृद्धि से सम्बद्ध अवधि	ठेकेदारों की संख्या	प्रदत्त राशि (लाख रुपए)
3.	सुन्दरनगर	4. चण्डीगढ़-मण्डी-मनाली राष्ट्रीय उच्चमार्ग-21(किलोमीटर 156/750 से 178/500 तक) को सुदृढ़ करना	अप्रैल 1995-नवम्बर 1995	1	7.69
4.	ऊना	5. आरडी रक्कड़ बसौली मार्ग (किलोमीटर 0/520 से 0/595 तक सुरक्षा तार क्रेट जुटाना)	मार्च 1995 जून 1995	2	1.56
		6. आरडी रक्कड़ बसौली मार्ग (किलोमीटर 0/595 से 0/670 तक सुरक्षा तार क्रेट जुटाना)	मार्च 1995-जून 1995		
		7. आर डी 0/155 से 2/22 तक झालेड़ा पर स्वान पुल पर विद्यमान गाईड बॅड का आर डी सुरक्षा कार्य	मार्च 1995-जून 1995		
		जोड़			26.21

अधीक्षण अभियन्ता, हमीरपुर ने बताया (अगस्त 1997) कि ठेकेदार कार्य निष्पादन पर लगे मजदूरों को जनवरी 1994 से विभाग द्वारा अपने मजदूरों को दी जा रही दर पर मजदूरी देने को बाध्य था।

अधिशासी अभियन्ता, सुन्दरनगर तथा ऊना मण्डलों ने भी तर्क दिया कि प्रमुख अभियन्ता द्वारा परिचालित (मार्च 1995) आदेशानुसार विभाग में लगाये गए/कार्यरत मजदूरों हेतु बढ़ाई गई दैनिक मजदूरी दरों के आधार पर वृद्धि दी गई थी। मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्चमार्ग तथा प्रमुख अभियन्ता द्वारा क्रमशः मार्च 1997 और अप्रैल 1998 में दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए उनके तर्क मान्य नहीं थे। अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डल, रामपुर ने अधिक भुगतान की पुष्टि करते हुए बताया (सितम्बर 1997) कि वसूली ठेकेदार के अन्तिम बिल से की जाएगी। आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित (जून 1998) थी।

मामला सरकार को मई 1998 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था(अक्तूबर 1998)।

4.17 अनधिकृत व्यय तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ

भूतल परिवहन मंत्रालय के विनिर्देशन में प्रावधान है कि रोड़ी-पानी वाली खुरदरी मिलावट की खाली जगह पत्थर भर कर प्रयुक्त की जाएगी और इसके लिए सामान्यतः वही सामग्री

होगी जो खुरदरी सीमेण्ट-रोड़ी रेत मिश्रण होता है। ताजा बिछाई गई तारकोल पर चिपटी बिरंजी की परत की आवश्यकता नहीं होती है यदि परवर्ती तारकोल तुरन्त बिछा दी जाती है तथा सड़क को यातायात के लिए नहीं खोला जाता है। भूतल परिहवन मंत्रालय के मई 1987 के अनुदेशों में यह भी परिकल्पित है कि वाटर बाऊण्ड मैकेडम पर या तो भूतल प्रतिसारण अथवा पूर्वमिश्रित कॉरपेट बिछाई जाए क्योंकि भूतल प्रतिसारण तथा पूर्वमिश्रित कॉरपेट दोनों रुपों में बिछाए जाने वाली तारकोल युक्त प्रक्रियाएं हैं।

भूतल प्रतिसारण का अनधिकृत निष्पादन तथा भूतल प्रतिसारणोपरान्त प्रिमिक्स कॉरपेट बिछाने में विलम्ब के परिणामस्वरुप 10.60 लाख रु0 का परिहार्य व्यय हुआ तथा ठेकेदार को अनुचित सहायता दी गई।

भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 1.53 करोड़ रु0 के लिए संस्वीकृत "रामपुर शहर के सुधार सहित पटरी विस्तार (राष्ट्रीय उच्चमार्ग-22) किलोमीटर 269/0 से 276/0" कार्य के आकलन में वाटर बाऊण्ड मैकेडम भूतल के ऊपर पूर्वमिश्रित कॉरपेट करने से पूर्व पत्थर को बिछाने हेतु प्रावधान था। अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डल, रामपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (नवम्बर 1997) कि दिसम्बर 1995 में ठेकेदार को दिए गए कार्य में भूतल प्रतिसारण हेतु प्रावधान नहीं किया था किन्तु इसे बिछा दिया गया। इसके अतिरिक्त भूतल परिवहन मंत्रालय के विनिर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित भूतल प्रतिसारण के तुरन्त बाद पूर्व मिश्रित कॉरपेट नहीं बिछाई गई थी। परिणामस्वरुप पूर्व मिश्रित कॉरपेट बिछाने हेतु भूतल प्रतिसारण के ऊपर 5 किलोग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से चिपटी बिरंजी परत भी बिछाई जानी थी जिसका परिहार किया जा सकता था यदि पूर्वमिश्रित कॉरपेट भूतल प्रतिसारण के तुरन्त पश्चात् बिछाई गई होती। भूतल प्रतिसारण के अनधिकृत निष्पादन तथा भूतल प्रतिसारण पश्चात् पूर्वमिश्रित कॉरपेट बिछाने में विलम्ब के परिणामस्वरुप ठेकेदार को, क्वानस प्रयुक्त न करने के बावजूद, अनुचित लाभ देने के अतिरिक्त भूतल प्रतिसारण तथा टेककोट पर 10.60 लाख रु0 का परिहार्य व्यय हुआ।

अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त XI रामपुर ने स्वीकार किया (फरवरी 1998) कि भूतल प्रतिसारण की मद आकलन में सम्मिलित की गई थी तथा यातायात होने के कारण साथ-साथ पूर्वमिश्रित कॉरपेट बिछाना व्यवहारिक नहीं था। यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत आकलन में भूतल प्रतिसारण का प्रावधान नहीं था तथा भूतल परिवहन मंत्रालय के विनिर्देशानुसार यातायात को सड़क की आधी चौड़ाई तक प्रतिबन्धित किया जा सकता था जिसके लिए आवश्यक प्रबन्ध ठेकेदार द्वारा किए जाने थे।

मामला सरकार को जून 1998 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

पांचवां अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

5.1 सामग्री प्रबन्ध एवं वस्तुसूची नियंत्रण

5.1.1 परिचय

राज्य का सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग सिंचाई के निर्माण एवं अनुरक्षण, पानी आपूर्ति एवं मलव्यवस्था प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। भण्डार में जेसे कि सीमेण्ट, पाईप, पाइपों के जोड़ इत्यादि का प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जाता है ताकि इन योजनाओं के समय पर निष्पादन तथा अनुरक्षण को सुनिश्चित बनाया जा सके।

5.1.2 लेखापरीक्षा व्याप्ति

1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के छः मण्डलों तथा एक शिमला वृत्त के अभिलेखों की नमूना जांच नवम्बर 1997 तथा मार्च 1998 के मध्य की गई थी। इसकी सूचना की पूर्ति प्रमुख मुख्य अभियन्ता, भण्डार क्रय स्कन्ध के अभिलेखों की जांच से तथा अन्य मण्डलों की पूर्व नियमित लेखापरीक्षा जांच के दौरान द्वारा की गई थी। नमूना जांच के परिणामों को आगामी परिच्छेदों मे विवेचित किया गया है।

5.1.3 भण्डारों पर व्यय

विभाग में भण्डारों की खरीद के लिए वार्षिक बजट में कोई स्पष्ट आबण्टन नहीं किया जा रहा था तथा भण्डार के क्रय के लिए प्रावधान कार्यों की निधियों में सम्मिलित था। 1995-98 वर्षों के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के निर्माण के लिए 230.84 करोड़ रु0 के कुल व्यय में से राज्य में 73.31 करोड़ रु0(32 प्रतिशत) भण्डार को क्रय करने के लिए व्यय किए गए थे जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष	कार्य व्यय	भण्डार की खरीद पर व्यय (प्रतिशत)	उपभोग/जारी किए गए भण्डार की लागत
		(करोड़ रुपए)	
1995-96	65.67	20.19 (31)	21.40
1996-97	72.43	27.98 (39)	26.37
1997-98	92.74	25.14 (27)	23.90
जोड	230.84	73.31 (32)	71.67

* धर्मशाला, हमीरपुर, शाहपुर, शिमला-I, सोलन तथा सुन्दरनगर

5.1.4 **जाली समायोजन**

(क) सुन्दरनगर मण्डल द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 1,00,000 मीटर 15 एम एम व्यास के जी आई पाइपों की आपूर्ति के लिए 23 लाख रु0 (मार्च 1993) की अदायगी की गई थी। निगम न तो इन जी आई पाइपो का उत्पादन करती है तथा न ही इसकी अनुमोदित आपूर्ति करता है। जी आई पाइप महानिदेशक, आपूर्ति तथा निपटान से संविदा दर पर प्राप्य है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय को 25 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के प्रति अनियमितता से प्रभारित किया गया था। पाइपों की आपूर्ति की उपेक्षा निगम ने सारी राशि को अगस्त 1993 में वापिस कर दिया था तथा मण्डल द्वारा फरवरी 1997 तक "जमा" के अन्तर्गत राशि को रखा गया था। मार्च 1997 में राशि को 10 जलापूर्ति योजनाओं पर प्रभारित किया गया। यह निगम को अन्यायोचित अग्रिम अदायगी की सूचक थी।

सुन्दरनगर मण्डल में मार्च 1993 तथा फरवरी 1997 के मध्य 23 लाख रु0 अनुपयोगी रहे।

आगे पाया गया कि मार्च 1993 में 1,00,000 मीटर पाइपों के आदेशों में से 23,000 मीटर पाइप जिनका मूल्य 5.29 लाख रु0 था रास्ताधार उठाऊ जल आपूर्ति योजना के प्रति (मार्च 1993) दर्ज किए गए थे जबकि उस योजना का स्वीकृत प्राक्कलन 11,900 मीटर पाइप का था तथा सामग्री स्थान पर लेखे में 10,000 मीटर पाइप पहले ही विद्यमान थे। इस प्रकार यह सारा अभ्यास मात्र इसलिए किया गया ताकि 1992-93 के दौरान प्राप्त निधियों का जाली उपयोग दर्शाया जा सके।

(ख) ऐसे भण्डारों को बिना आवश्यकता के मार्च 1992 तथा मार्च 1997 वर्षों के मध्य 1.64 करोड़ रु0 मूल्य की सामग्री को 9 मण्डलों* द्वारा 51 कार्यों के प्रति दर्ज किया गया था। दर्ज की गई सामग्री के मूल्य को बाद में वापिस स्टॉक में लिखा गया अथवा सामग्री को आगामी वित्तीय वर्षों में मई 1996 तथा नवम्बर 1997 के मध्य दूसरे कार्यों को स्थानान्तरित कर दिया गया था।

सोलन मण्डल में 15.90 लाख रु0 मूल्य के विभिन्न व्यास के जी आई पाइपों को (अक्तूबर 1993) कानपुर स्थित कारखाने से बिना आवश्यकता के खरीदा गया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि (नवम्बर 1997) सम्पूर्ण जी आई पाईप की मद को (मार्च 1996) ढाई वर्ष बीत जाने के पश्चात् 8 कार्यों के प्रति दर्ज किया गया तथा जुलाई 1997 वर्ष में वापस स्टॉक में लिखा गया था। इस के उपरान्त सम्पूर्ण जी आई पाईप की मात्रा को फालतू घोषित कर दिया गया तथा अगस्त 1997 में चम्बा मण्डल को भेज दिया गया। पाइपों के अन्यायोचित अर्जन के अतिरिक्त इसके साथ ही सोलन से चम्बा पाइपों के ढुलान पर 1.22 लाख रु0 का व्यय हुआ जबकि दरें रेल पर्यन्त लक्ष्य स्थान तक निशुल्क थीं।

---

* डलहौजी (4.65 लाख रु0); घुमारवीं (31.05 लाख रु0); हमीरपुर (19.65 लाख रु0); इन्दौरा (15.89 लाख रु0); कुल्लू (13.62 लाख रु0); नूरपुर (17.48 लाख रु0); पांवटा साहिब (9.30 लाख रु0); सरकाघाट (28.08 लाख रु0) तथा सोलन (24.29 लाख रु0)

5.1.5 **भण्डार का अर्जन**

भण्डार अर्जन में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:

(i) **एक फर्म के साथ पक्षपात**

45.70 लाख रु0 मूल्य (आबकारी शुल्क सहित) के 199.65 टन विभिन्न व्यास वाले जी आई पाईप के आपूर्ति आदेश जुलाई 1997 में कानपुर स्थित कम्पनी को सितम्बर 1997 तक सामग्री को सुपुर्द करने के लिए निर्दिष्ट किया। कम्पनी सामग्री की आपूर्ति करने में विफल रही तो प्रमुख मुख्य अभियन्ता ने (अक्तूबर 1997) सुपुर्दगी की तारीख को दिसम्बर 1997 तक बढ़ा दिया गया था। कम्पनी ने समय सीमा की बढ़ौतरी में भी सामग्री को सुपुर्द नहीं किया तथा सरकार ने (जनवरी 1998) विभाग को आपूर्ति आदेश मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से एक महीने के भीतर शास्ति लगाने तथा वसूल करने तथा इसकी विफलता में कम्पनी को काली सूची में डालने के निर्देश दिए। प्रमुख मुख्य अभियन्ता ने 4.57 लाख रु0 के बजाए (अप्रैल 1998) 0.46 लाख रु0 की शास्ति को लगाया जिसके कारण 4.11 लाख रु0 का कम उद्ग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 1998) प्रमुख मुख्य अभियन्ता ने जून 1998 में 4.57 लाख रु0 की शास्ति को लगाया जिसे सितम्बर 1998 तक वसूल नहीं किया जा सका था। सितम्बर 1998 तक कम्पनी को काली सूची में डालने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

निर्दिष्ट अवधि में सामग्री के प्राप्त न होने के कारण लगाई गई शास्ति को आपूर्तिकर्ता से वसूल नहीं किया गया।

(ii) **सीमेण्ट आपूर्ति के लिए अन्यायोचित अग्रिम**

251.93 लाख रु0 सीमेण्ट की उपलब्धता के लिए शिमला मण्डल II द्वारा मार्च 1996 (70.69 लाख रु0) तथा मार्च 1997 में (181.24 लाख रु0) निगम को अग्रिम के रुप में दिए गए थे तथा उचन्त शीर्ष " विविध कार्य अग्रिम" के बजाए दो कार्यों (शिमला जल आपूर्ति योजना के पुनर्गठन एवं संवर्धन तथा शिमला के वर्तमान मलव्यवस्था प्रणाली में बढ़ौतरी) को अन्तिम शीर्ष लेखा में भारित किया गया। 70.69 लाख रु0 मूल्य के सीमेण्ट आदेश के बजाए वास्तव में 15.37 लाख रु0 मूल्य का सीमेण्ट प्राप्त किया गया तथा निगम द्वारा अप्रैल 1998 में 55 लाख रु0 वापस किए गए थे। शेष 181.56 लाख रु0 मई 1998 तक निगम के पास पड़े हुए थे। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जून 1998) मार्च 1997 में दिए गए 181.24 लाख रु0 के सीमेण्ट आपूर्ति की अब आवश्यकता नहीं थी तथा निगम को राशि वापस किए जाने के लिए प्रार्थना की जा रहीं थी।

शिमला मण्डल-II द्वारा पुन: मार्च 1998 में निगम को बिना अनुमान लगाए कार्यों पर लगने वाले अनुमानित सीमेण्ट की आपूर्ति के लिए 6.25 करोड़ रु0 की अग्रिम अदायगी की गई। अदायगी को "विविध कार्य अग्रिम" की बजाए इसे अन्तिम शीर्ष लेखा को भारित किया गया। तथापि अगस्त 1998 तक सीमेण्ट की कोई आपूर्ति नहीं की गई थी। अग्रिम की अदायगी अन्यायोचित थी तथा निगम की पक्षपात पूर्ण सहायता की गई।

(iii) **पाइपों तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति न होने के कारण परिहार्य अतिरिक्त् व्यय**

सरकार ने 1977 में अनुदेश जारी किए कि किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत जिसमें कार्य का निष्पादन किया जाना हो जिसके लिए भण्डार की किसी मद की आवश्यकता हो तथा उसके लिए दर संविदा मौजूद है ऐसी मद को विभाग द्वारा दर संविदा पर प्राप्त करके ठेकेदार को मद की आपूर्ति की जाएगी।

दो मण्डलों* द्वारा इन अनुदेशों के विपरीत दिसम्बर 1995 से अगस्त 1996 के दौरान तीन कार्यों पर दो ठेकेदारों को सामग्री को उपलब्ध करवाने तथा उपयोग करने के लिए मुलायम दाब पाइप, मृदु लोहा टयूब, जी एम एस पाइप, जी आई/एम एस कालर इत्यादि जो कि हिमाचल प्रदेश की डी जी एस एण्ड डी/सी ओ एस से दर संविदा पर प्राप्त थे बाजार से उपलब्ध करने की अनुमति दे दी गई थी। पाइपों तथा अन्य सामग्री की विभाग द्वारा संविदा दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करवाने में विफलता के परिणामस्वरुप 7.40 लाख रु0 का परिहार्य अतिरिक्त् व्यय हुआ।

(iv) **आपूर्ति आदेशों का विखण्डन करके भण्डार को संविदा दर के बाहर से उपलब्ध करने के कारण अतिरिक्त व्यय**

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा दर से जनित सी ओ एस/डी जी एस एण्ड डी की भण्डार मदों को अधिसूचित आपूर्तिकर्ताओं से अनुमोदित दरों पर उपलब्ध करवानी आवश्यक है।

इन अनुदेशों के विपरीत 1995-96 वर्ष के दौरान तीन मण्डलों द्वारा (नेरवा, रामपुर तथा सोलन) विरंजक चूर्ण, जी आई साज सामान इत्यादि सामग्री को स्थानीय बाजार से ऊंचे मूल्य में खरीदा गया जो कि 2.98 लाख रु0 के अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ। इसमें दस आपूर्ति आदेश सम्मिलित थे जो कि सोलन मण्डल द्वारा दर संविदा 8745 रु0 प्रतिटन (बिक्री कर सहित) 10 टन विरंजक चूर्ण क्रय करने के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ता को 15220 रु0 प्रतिटन (बिक्री कर रहित) की दर से आपूर्ति आदेश दिए।

तीन मण्डलों द्वारा विरंजक चूर्ण को ऊंची दरों पर स्थानीय बाजार से खरीदा गया।

(v) **अन्यायोचित उपार्जन**

(क) नौ मण्डलों** में 1.88 करोड़ रु0 मूल्य के विभिन्न आयतन वाले 2,74,960 मीटर जी आई पाइपों को मार्च 1994 तथा सितम्बर 1997 के मध्य सुनिश्चित आवश्यकता का अनुमान लगाए बिना खरीदा गया तथा तत्पश्चात् फरवरी 1995 तथा जनवरी 1998 के मध्य अन्य मण्डलों को स्थानान्तरित किया गया। इन पाइपों की ढुलाई पर विभिन्न गन्तव्य स्थानों तक पहुंचाने पर 5.47 लाख रु0 का अतिरिक्त व्यय हुआ।

---

* घुमारवीं तथा सोलन

** अर्की, डलहौजी, हमीरपुर, जुब्बल, नालागढ़, शिमला-I, सोलन, सुन्दरनगर तथा सुन्नी

(ख) तीन मण्डलों में दिसम्बर 1994 तथा मार्च 1996 के मध्य 68.78 लाख रु० मूल्य के जी आई पाइप, मृदु लोहे की पाइपें, पी वी सी पाइप इत्यादि अगस्त 1998 तक अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

(ग) ठियोग उठाऊ जल आपूर्ति योजना के सम्वर्धन का कार्य शिमला मण्डल-I द्वारा 1994-95 वर्ष के दौरान प्रारम्भ किया गया था। योजना का 2000-2001 इस्वी तक पूर्ण होने की सम्भावना है। फरवरी 1998 तक मात्र निस्यन्दन दीर्घा का ही निर्माण हो सका तथा संग्रहण टैंक का निर्माण प्रगति पर था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डल ने मार्च 1997 तथा फरवरी 1998 के मध्य कम्पनी से 37.59 लाख रु० के पम्प यन्त्र को प्राप्त किया था। कम्पनी के साथ समझौते के अनुसार पम्प यन्त्र को संचालन की तारीख के पश्चात 12 महीने के लिए अथवा प्रेषण के 10 महीने तक जो भी जल्दी हो प्रत्याभूत किया गया था। क्योंकि योजना 2000-2001 वर्ष तक सम्पूर्ण होने की सम्भावना थी। यन्त्र की प्रत्याभूति इसके संचालन/स्थापित तक समाप्त हो जाएगी तथा मण्डल इसको लागू करने की स्थिति में नहीं रहेगा।

सिविल कार्यों को पूर्ण किए बिना शिमला मण्डल-I ने 37.59 लाख रु० मूल्य के पम्प यन्त्र को ठियोग उठाऊ जलापूर्ति योजना के लिए उपलब्ध करवाया।

(घ) दो मण्डलों** में प्रमुख मुख्य अभियन्ता द्वारा बिजली के सामान को वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में खरीदा था। 9.63 लाख रु० मूल्य की सामग्री में से जो कि फरवरी 1996 तथा मई 1996 के मध्य खरीदा गया था 5.37 लाख रु० मूल्य की सामग्री का उपभोग किया गया था। उपरोक्त सामग्री के क्रय के विषय में आगे जो मामले ध्यान में आए उनकी विवेचना नीचे की गई है:

(i) अधिशासी अभियन्ता, घुमारवीं मण्डल की 0.84 लाख रु० मूल्य सामग्री की आवश्यकता पर प्रमुख मुख्य अभियन्ता द्वारा नवम्बर तथा दिसम्बर 1995 में 6.15 लाख रु० मूल्य के आपूर्ति आदेश दिए गए थे। सामग्री को मण्डल में मार्च 1996 में प्राप्त किया गया। इसमें से 2.60 लाख रु० मूल्य की समाग्री का उपभोग कार्यों पर किया गया तथा 0.23 लाख रु० मूल्य की सामग्री को हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को बेच दिया गया था। 3.32 लाख रु० मूल्य की शेष सामग्री मण्डल में जुलाई 1998 तक अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

(ii) अधिशासी अभियन्ता हमीरपुर मण्डल द्वारा भेजी गई 337 एम सी स्विचों की आवश्यकता पर प्रमुख मुख्य अभियन्ता ने 905 एम सी स्विचों (जनवरी 1996) के आपूर्ति आदेश दिए तथा सामग्री मई 1996 में प्राप्त हुई। इस प्रकार अन्यायोचित आवश्यकता सामग्री स्फिति के अधिक क्रय में परिणत हुई। 3.48 लाख रु० की सामग्री की खरीद में से 2.77 लाख रु० मूल्य की सामग्री का उपयोग हो चुका था तथा 0.71 लाख रु० मूल्य की सामग्री अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

---

* हमीरपुर (2.69 लाख रु०), इन्दौरा (63.21 लाख रु०) तथा शाहपुर (2.88 लाख रु०)

** घुमारवीं (6.15 लाख रु०) तथा हमीरपुर (3.48 लाख रु०)

(ड.) हमीरपुर मण्डल द्वारा फरवरी 1980 तथा मार्च 1982 के मध्य 7.40 लाख रु० की लागत से 300 से 500 एम एम आयत वाले ढलवां लोहे के पाईप, कॉलर तथा बंध की खरीद की गई थी। इस क्रय के उद्देश्य को लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया था। दिसम्बर 1993 तथा दिसम्बर 1996 में सामग्री को तीन मलव्यवस्था योजनाओं* के लिए दर्ज किया गया था परन्तु सम्पूर्ण सामग्री अनुपयोगी पड़ी हुई थी क्योंकि सितम्बर 1998 तक इन कार्यों का वास्तविक निष्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया था। जबकि मार्च 1996 में हमीरपुर मलव्यवस्था का प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका था परन्तु मण्डल में शेष दो योजनाओं के प्राक्कलन प्रक्रियाधीन थे, इस प्रकार पिछले 16 से 18 वर्षों में बिना सुनिश्चित आवश्यकता के सामग्री का अर्जन 7.40 लाख रु० के निधियों के अवरोधन में परिणत हुआ।

5.1.6 कमियों/भण्डार की गणना न करना

सितम्बर 1992 तथा मार्च 1996 के मध्य तीन मण्डलों** में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भण्डार को सौंपते/ग्रहण करते हुए 6.91 लाख रु० मूल्य की कमियों का पता चला। इसके अतिरिक्त दो मण्डलों*** में 8.70 लाख रु० मूल्य के भण्डार की कमियों/गणना न करने के दो मामलो का पता चला। ये मामले फरवरी 1993 से मार्च 1996 वर्षों तक के है तथा इनका समाधान नहीं किया गया है। भण्डार की कमियों/गणना न करने की न तो छानबीन की गई तथा न ही पूर्ति की गई थी।

15.61 लाख रु० की कमियों/भण्डार की गणना न करने की छानबीन नहीं की गई।

5.1.7 भण्डार की प्राप्ति तथा प्रेषण

(i) बिन कार्ड जिसमें भण्डार की प्राप्ति तथा प्रेषण दर्ज किया जाता है अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी किया जाना चाहिए। पूर्ण बिन कार्ड उप मण्डलों द्वारा मण्डल कार्यालय को वापस किया जाना आवश्यक है। सात मण्डलों**** द्वारा जारी 3964 बिन कार्ड मे से उपमण्डलों द्वारा मात्र 194 बिन कार्ड ही एक मण्डल कार्यालय को लौटाए गए थे। बाकी 3770 पूर्ण बिन कार्ड उप-मण्डलों में पड़े हुए थे। इस प्रकार बिन कार्ड की प्रविष्टियों के समूल्य भण्डार खातों की प्रविष्टियों से नहीं मिलाया जा सका, जैसा कि आवश्यक है।

पूर्ण बिन कार्डों को मण्डलों को वापस नहीं किया गया था समूल्य भण्डार खाते पूर्ण नहीं किए गए थे।

नमूना जांच कृत सभी छः मण्डलों में समूल्य भण्डार खाते अपूर्ण पड़े हुए थे तथा बिन कार्ड शेषों का समूल्य भण्डार खातों से मिलान नहीं किया गया था।

---

* हमीरपुर : 1.94 लाख रु०; नादौन : 1.33 लाख रु० तथा सुजानपुर: 4.13 लाख रु०

** बिलासपुर: 0.69 लाख रु०; केलांग 4.89 लाख रु० तथा सरकाघाट: 1.33 लाख रु०

*** बिलासपुर: 8.45 लाख रु० तथा नालागढ़: 0.25 लाख रु०

**** डलहौजी, धर्मशाला, हमीरपुर, शाहपुर, शिमला-I, सोलन तथा सुन्दरनगर

(ii) **पूर्ण कार्यों पर सामग्री का पड़ा होना**

आठ कार्यों पर 25.34 लाख रु0 मूल्य की सामग्री जैसे कि जी आई पाइप तथा साज सामान तीन मण्डलों* में अनुपयोगी पड़ा हुआ था जो कि मार्च 1982 तथा मार्च 1997 के मध्य पूर्ण हो चुके थे तथा इनका स्थानान्तरण स्टाक/अन्य कार्यों को वापिस नहीं किया गया था। इस प्रकार अनावश्यक सामग्री की रुकावट निधियों के अवरोधन में परिणत हुई।

(iii) **अतिरिक्त भण्डार का निपटान न करना**

पांच मण्डलों** में 1981-82 तथा जून 1997 के मध्य 17.37 लाख रु0 मूल्य की सामग्री जैसे कि आर सी सी पाईप, सी आई पाईप, जी आई/सी आई साज सामान, एच डी पी ई साज सामान आवश्यकता से अधिक घोषित किया गया था।

जहां पर शिमला- I तथा ऊना- II मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं ने जून 1997 तथा अक्तूबर 1996 के दौरान विभाग के सभी मण्डलों में सामग्री की अतिरिक्त सूची को परिचारित किया वहीं पर शेष तीन मण्डलों द्वारा 12.30 लाख रु0 मूल्य के अतिरिक्त् भण्डार के निपटान के लिए कोई कार्य नहीं किया गया।

इन तथ्यों को जुलाई 1998 वर्ष में सूचित किया गया था परन्तु उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्तूबर 1998)।

लोकनिर्माण विभाग

5.2 **सामग्री की आपूर्ति में अनियमितताएं**

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि कार्यों के लिए सामग्री की आपूर्ति तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि इसके उपभोग की तुरन्त आवश्यकता न हो। उस स्थिति में जब सामग्री की निर्माणकार्य के लिए तुरन्त आवश्यकता नहीं है या केवल प्राप्य बजट प्रावधान को ही प्रयुक्त करना है, सामग्री की लागत को कार्य के प्रति डेबिट नहीं करना चाहिए।

2.95 करोड़ रु0 मूल्य की सामग्री को 109 कार्यों के प्रति पुस्तांकित यद्यपि इन कार्यों पर इसकी आवश्यकता नहीं थी।

---

* डलहौजी, सोलन तथा सुन्दरनगर

** धर्मशाला, हमीरपुर, शिमला-I थुरल तथा ऊना-II

इन नियमों के विपरीत मार्च 1990 तथा मार्च 1997 के मध्य 2.95 करोड़ रु0 मूल्य की सामग्री दस मण्डलों द्वारा 109 कार्यों के प्रति पुस्तांकित की गई थी जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्रमांक	मण्डल का नाम	सन्निहित कार्यों की संख्या	सामग्री का संक्षिप्त विवरण	लागत (लाख रुपए)
1.	बड़सर	6	तारकोल, कूट इस्पात, सीमेण्ट, चूना, देवदार की लकड़ी, दरवाजे के कब्जे आदि	14.81
2.	भरवाई	24	सीमेण्ट, कूट इस्पात, देवदार की लकड़ी तारकोल, आदि	15.05
3.	बिलासपुर-I	13	सीमेण्ट, तारकोल, कूट इस्पात, सीजीआई चादरें, आदि	12.38
4.	चम्बा	9	सीजीआई चादरें, कूट इस्पात, देवदार की लकड़ी, सीमेण्ट, तारकोल आदि	27.59
5.	चिनाव घाटी, उदयपुर	15	कूट इस्पात, देवदार की लकड़ी, सीमेण्ट एचटीसी दरवाजा संश्लेष, तारों का जाल आदि	45.10
6.	धर्मशाला	14	कूट इस्पात, तारकोल, एमएस राउंड, देवदार की लकड़ी, अन्तः ग्रसित चेन आदि	21.63
7.	हमीरपुर	16	कूट इस्पात, तारकोल तथा सीमेण्ट	51.18
8.	सोलन	3	सीमेण्ट, कूट इस्पात तथा विविध भवन सामग्री	8.28
9.	ठियोग	1	तारकोल, सीमेण्ट तथा कूट इस्पात	73.88
10.	रामपुर	8	कूट इस्पात, सीमेण्ट तथा तारकोल	25.02
	जोड़	109		294.92

अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (अप्रैल 1997-जनवरी 1998) कि कार्यों के संस्वीकृत प्राक्कलनों में इन सामग्रियों के लिए या तो कोई प्रावधान नहीं था अथवा सामग्री के उपभोग की तुरन्त कोई आवश्यकता नहीं थी और इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्षों के जुलाई 1995 तथा नवम्बर 1997 के मध्य सामग्री को वापिस स्टॉक में ले लिया गया था या अन्य कार्यों को तबदील किया गया। इसमें 2.44 करोड़ रु0 का सीमेण्ट, इस्पात, देवदार की लकड़ी तथा तारकोल की सामग्री सम्मिलित थी, जिसको 6 मण्डलों* ने 63 कार्यों के प्रति पुस्तांकित किया था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी जो प्राक्कलनों के संस्वीकृत प्रावधानों से अधिक थी।

* चम्बा, चिनाव घाटी उदयपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, ठियोग तथा रामपुर

चम्बा मण्डल में 126 ड्रम तारकोल तथा 24.138 टन कूट इस्पात को मार्च 1992 तथा मार्च 1997 के मध्य पूर्ण कार्य "सुल्तानपुर में मछली फार्म का निर्माण" के प्रति पुस्तांकित किया गया जिसका मूल्य 5.45 लाख रु० था तथा दिसम्बर 1996 एवं अप्रैल 1997 के मध्य स्टॉक में वापिस लिया गया।

ठियोग मण्डल में 15.95 लाख रु० (मार्च 1996) हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सीमित तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण को दिए गए तथा "पंचायत प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण कार्य" के प्रति सामग्री की प्राप्ति की अपेक्षा में इसके नामे डाले गए। सामग्री की प्राप्ति आगामी वित्तीय वर्ष में हुई तथा अप्रैल 1996 में वापिस स्टॉक में ले ली गई।

इन सभी मामलों में किए गए समायोजनों का एकमात्र उद्देश्य बजट अनुदान को प्रयुक्त करना था जो कि नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था।

मामले को मई 1998में सरकार को सूचित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

5.3 भण्डार में कमियां तथा सामग्री की कम प्राप्ति

दो मण्डलों* के अभिलेखों की नमूना जांच से 10.86 लाख रु० की भण्डार की कमियों तथा सामग्री की कम प्राप्ति का पता चला जैसे कि निम्नांकित है:

दो मण्डलों ने 10.86 लाख रु० की भण्डार की कमियों तथा सामग्री की कम प्राप्तियों की पूर्ति नहीं की।

(क) ऊना मण्डल में कार्यरत एक कनिष्ठ अभियन्ता को उसकी पदोन्नति/स्थानान्तरण पर भण्डारों का पूर्ण प्रभार सौंपे बिना जून 1996 में उसे कार्यभार से मुक्त किया गया। पुस्तक शेष के रूप में पड़ी 8.80 लाख रु० की सामग्रियां उसके द्वारा नहीं सौंपी गई थीं। नवम्बर 1996 में भण्डारों के किए गए वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन से पता चला कि उपरोक्त में से केवल 2.78 लाख रु० मूल्य की सामग्रियां भण्डारों में पाई गई। उपलब्ध सामग्रियों के समायोजनोपरान्त शेष 6.02 लाख रु० की सामग्रियां सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सौंपी जानी थी। मण्डलीय कार्यालय ने मार्च 1996 में जारी दर पर कम पाई गई सामग्रियों का पुनर्मूल्यांकन किया (अप्रैल 1997) तथा सौंपी गई कम सामग्रियों का मूल्य 5.17 लाख रु० निकाला। इसके अतिरिक्त 0.25 लाख रु०मूल्य की 200 सिमेण्ट बोरियां भी जनवरी 1996 में झूठी जारी की गई दर्शाई गई थीं।

* नूरपुर तथा ऊना

सत्यता की पुष्टि करते हुए अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1998) कि कमियों हेतु कर्मचारी के प्रति फरवरी 1998 में पूछताछ प्रक्रिया आरम्भ की गई थी। मार्च 1998 तक पूछताछ रिर्पोट प्रतीक्षित थी। जांच कार्य में दो वर्षों से अधिक के विलम्ब के परिणामस्वरुप कमियों की वसूली नहीं हो सकी।

(ख) मई 1994 तथा दिसम्बर 1995 के मध्य तारकोल की खरीद के लिए विभिन्न भारतीय तेल परिष्करणशालाओं तथा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगमों को आठ आपूर्ति आदेश दिए गए तथा पांच वृत्त* कार्यालयों द्वारा तारकोल प्राप्त करने के लिए अधिशासी अभियन्ता नूरपुर मण्डल को प्रेषिती बनाया गया। अगस्त 1994 तथा नवम्बर 1996 के मध्य परिष्करणशालाओं द्वारा विभिन्न रेलवे रसीदों के साथ तारकोल को भेजा गया तथा सम्बन्धित वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा उनको भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जनवरी 1998 तक 585 तारकोल ड्रम जिनका मूल्य 5.44 लाख रु0 था, प्राप्त नहीं हुए थे।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जून 1998) कि सामग्री की कम आपूर्ति का दावा सितम्बर 1994 तथा फरवरी 1997 के मध्य रेलवे के साथ दायर किया गया। लेकिन आपूर्ति आदेशों के अनुसार नामंजूर कर दिया गया क्योंकि सामग्री को मालिक की जिम्मेदारी पर भेजा गया था। इस प्रकार विभाग की सामग्री को रेलवे की जिम्मेदारी पर भिजवाने में विफल रहने के परिणामस्वरुप सरकार को 5.44 लाख रु0 की हानि हुई।

मामले को मई 1998 में सरकार को सूचित किया गया। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

विविध विभाग

5.4 नकारा उपकरण

1991-92 तथा 1995-96 के वर्षों के मध्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा खरीदे गये 12.24 लाख रु0 मूल्य के विभिन्न उपस्कर लाभप्रद ढंग से प्रयोग में नहीं लाए गए क्योंकि क्ष-किरण कमरे को उपस्कृत नहीं किया गया, तीन फेस विद्युत कनैक्शन उपलब्ध नहीं था तथा मरम्मत में देरी

12.24 लाख रु0 का उपस्कर पूर्णरुपेण प्रयुक्त नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरुप जनसाधारण अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

* डलहौजी, कुल्लू, मण्डी, नूरपुर तथा पालमपुर

आदि हुई थी जैसे कि नीचे दर्शाया गया है:

क्रमांक	विभाग/कार्यालय का नाम	उपस्कर का विवरण	क्रय तिथि/ रसीद	मूल्य (लाख रुपए)	जबसे नकारा	प्रयोग न लाने के कारण
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
1.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी					
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निहारी	100 एमए क्ष-किरण संयंत्र	अगस्त 1995	4.12	अगस्त 1995	तीन फेस विद्युत कनैक्शन का उपलब्ध न होना।
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्बा					
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भरमौर	क्ष-किरण संयंत्र	मार्च 1995	4.12	अप्रैल 1995	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भरमौर में लो.नि.विभाग द्वारा क्ष-किरण कमरे को सुसज्जित नहीं किया गया ताकि क्ष-किरण संयंत्र प्रतिठापित किया जा सके।
	श्रम एवं रोजगार					
3.	जिला रोजगार अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला	कम्पयूटर	1991-92	4.00	जुलाई 1995	मरम्मत के अभाव में नकारा पड़ा था।
		जोड़		12.24		

जन साधारण को लाभों से वंचित रखने, जिसके लिए उपस्कर को खरीदा गया था, के अतिरिक्त, उपस्कर के अप्रयुक्त रहने से सरकारी निधि का अवरोधन भी हुआ।

मामले को मई 1998 में सूचित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1998)।

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों एवं अन्यों को वित्तीय सहायता

6.1 सामान्य

(क) स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों की स्थापना सामान्यत: लोक उपभोगी सेवाओं के अवाणिज्यिक कार्यों के सम्पादन हेतु की जाती है। ये निकाय/प्राधिकरण कुल मिलाकर सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। राज्य सरकार के कुछ कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार सम्बद्ध राज्य सहकारिता समिति अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, 1956 आदि के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसी अन्य संस्थाओं को भी पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये अनुदान नगर पालिकाओं तथा स्थानीय निकायों, इत्यादि के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों तथा धर्मार्थ संस्थाओं के अनुरक्षण, विद्यालय तथा अस्पताल भवनों के निर्माण व अनुरक्षण, सड़कों के सुधार तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए अनिवायत: अभिप्रेत होते हैं।

विभिन्न स्वायत्त निकायों तथा अन्यों को वर्ष 1997-98 में दी गई 204.77 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता मुख्यत: निम्नानुसार वर्गीकृत है:

क्रमांक	संस्था का नाम	दी गई सहायता राशि (करोड़ रुपए)
1.	विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं	66.60
2.	नगर निमग तथा नगर पालिकाएं	31.75
3.	जिला परिषद तथा पंचायती राज संस्थाएं	20.45
4.	विकास अभिकरण	48.68
5.	अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	3.89
6.	अन्य संस्थाएं (सांविधिक निकायों सहित)	33.40
	जोड़	204.77

(ख) उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि जब विशेष उद्देश्यों के लिए अनुदान दिए जाते हैं तो विभागीय अधिकारियों को अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार को अग्रेषित करना चाहिए जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

वर्ष 1982-83 से 1996-97 तक अदा किएगए कुल 333.61 करोड़ रु0 के अनुदानों तथा ऋणों से सम्बन्धित देय 4,232 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से 30 सितम्बर 1998 तक

87.14 करोड़ रु0 की राशि के केवल 1136 प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए थे और 246.47 करोड़ रु0 राशि के 3,096 प्रमाणपत्र बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभागानुसार ब्यौरा निम्नवत् था:

विभाग	प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
ग्रामीण विकास	640	85.82
शिक्षा	640	37.67
कृषि	123	57.81
नगर विकास	848	26.33
न्याय प्रशासन	5	0.09
पशुपालन	21	4.10
सहकारिता	92	1.47
क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं	79	2.44
पर्यटन	21	1.74
उद्योग	285	10.51
वन कृषि एवं संरक्षण	18	10.01
भाषा, कला एवं संस्कृति	176	2.19
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7	0.79
विज्ञान व तकनीकी	4	0.53
सामान्य प्रशासन	9	0.26
पुलिस	7	0.12
समाज एवं महिला कल्याण	117	3.44
कार्मिक	4	1.15
जोड़	3,096	246.47

निम्न सारिणी में उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की सीमा का विश्लेषण अन्तर्विष्ट है:-

विलम्ब की सीमा	प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
तीन वर्ष तक	2,351	226.84
तीन वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष तक	359	17.37
पांच वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम	241	1.33
दस वर्ष से अधिक	145	0.93
जोड़	3,096	246.47

इन प्रमाणपत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं था कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का प्रयोग उसी प्रयोजन/उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया था जिनके लिए वे अभिप्रेत थे।

(ग) लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब

ऐसी संस्थाओं को अभिज्ञात करने हेतु जिनकी भारत के नियत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकृष्ट होती है, के बारे में सरकार से अपेक्षित है कि वह प्रतिवर्ष इनको दी गई वित्तीय सहायता, उद्देश्य जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई तथा संस्थाओं का कुल व्यय लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करे। इस सम्बन्ध में वर्ष 1997-98 तक की सूचना सरकार को 16 विभागों से अक्तूबर 1998 तक निम्नानुसार प्रतीक्षित थी:

क्रमांक	विभाग	वर्ष जिसके लिए सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी
1.	ग्रामीण विकास	1996-97 से 1997-98
2.	शिक्षा	1993-94 से 1997-98
3.	भाषा, कला एवं संस्कृति	1996-97 से 1997-98
4.	समाज तथा महिला कल्याण	1996-97 से 1997-98
5.	सामान्य प्रशासन	1997-98
6.	कृषि	1995-96 से 1997-98
7.	वन कृषि एवं संरक्षण	1997-98
8.	उद्यान	1996-97 से 1997-98
9.	सहकारिता	1993-94 से 1997-98
10.	युवा सेवाएं एवं क्रीड़ा	1997-98
11.	विज्ञान एवं तकनीकी	1994-95 से 1997-98
12.	नगर एवं ग्रामीण योजना	1996-97 से 1997-98
13.	कार्मिक	1997-98
14.	आवास	1996-97 से 1997-98
15.	पशुपालन	1997-98
16.	नगर विकास	1996-97 से 1997-98

इन संस्थाओं से लेखाओं की प्राप्ति में पर्याप्त विलम्ब थे जैसा कि नीचे

दर्शाया गया है:-

लेखावर्ष	निकायों/ प्राधिकरणों की संख्या	प्राप्त हुए लेखाओं की संख्या				जोड़	अक्तूबर 1998 तक प्रतीक्षित लेखाओं की संख्या
		अक्तूबर 1994 तथा सितम्बर 1995 के मध्य	अक्तूबर 1995 तथा सितम्बर 1996 के मध्य	अक्तूबर 1996 तथा सितम्बर 1997 के मध्य	अक्तूबर 1997 तथा सितम्बर 1998 के मध्य		
1993-94	33	8	16	6	1	31	2
1994-95	34	-	13	15	2	30	4
1995-96	35	-	-	23	7	30	5
1996-97	48	-	-	1	20	21	27
1997-98	41	-	-	-	-	-	41

लेखापरीक्षा में उपलब्ध सूचना के आधार पर अक्तूबर 1998 तक वर्ष 1997-98 तथा पूर्व वर्षों से सम्बन्धित 48 निकायों तथा प्राधिकरणों के 79 वार्षिक लेखे महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए थे जैसा कि परिशिष्ट IX में उल्लिखित है। वर्ष 1997-98 के दौरान 37 निकायों तथा प्राधिकरणों को 103.61 करोड़ रु० के अनुदान तथा 7.20 करोड़ रु० के ऋण निस्सारित किए गए थे। शेष 11 निकायों तथा प्राधिकरणों को निस्सारित राशि के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।

(घ) लेखापरीक्षा प्रबन्ध

स्थानीय निकायों (जिला परिषद, नगर पालिका, टाऊन एरिया/नोटिफाइड एरिया कमेटी), शिक्षण संस्थाओं तथा अन्यों की प्राथमिक लेखापरीक्षा, निरीक्षक, स्थानीय लेखापरीक्षा हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा की जाती है। सरकार समितियों की लेखापरीक्षा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा और पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा निदेशक पंचायती राज द्वारा की जाती है।

30 निकायों/प्राधिकरणों जिनके लेखे सितम्बर 1998 तक प्राप्त हुए थे में से 21 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत आकृष्ट हुई थी। इनमें से 20 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा सितम्बर 1998 तक पूर्ण की गई।

लेखापरीक्षा से जनित रोचक विषयों का उल्लेख आगामी परिच्छेदों में किया गया है।

6.2 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ सीमित

6.2.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत जनवरी 1980 में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ सीमित (मिल्कफैड) को एक सहकारी सभा के रूप में पंजीकृत किया गया जिसके निम्न उद्देश्य थे:- (क) कृषक समाज के आर्थिक विकास के लिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, उपार्जन, विधायन एवं दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के विपणन सम्बन्धी कार्यकलाप का संचालनः तथा (ख) अन्य ऐसी गतिविधियां जो दुग्ध उद्योग को प्रोन्नत करने में सहायक का विकास, हो दुधारु पशुओं की नसल में सुधार तथा उनकी रक्षा और दुग्ध उत्पादन से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

मिल्कफैड के कार्य संचालन का क्षेत्र सारे राज्य में फैला हुआ है तथा इसे निम्न तीन इकाइयों में विभक्त किया गया है, जैसे कि शिमला इकाई, मण्डी इकाई तथा कांगड़ा इकाई।

6.2.2 संगठनात्मक ढांचा

मिल्कफैड के कार्यकलाप का प्रबन्धन प्रबन्ध निदेशक के माध्य से 18* सदसीय निदेशक मण्ड़ल द्वारा किया जाता है। प्रबन्ध निदेशक की सहायता के लिए मुख्यालय में महाप्रबन्धक, प्रबन्धक (लेखा), प्रबन्धक (स्थापना) तथा हर इकाई में प्रवर प्रबन्धक (केन्द्र) तथा प्रबन्धक (उत्पादन) होते हैं। इकाई में अपनी सलाहकार परिषद होती है जो कि निदेशक मण्डल के प्रति उत्तरदायी होती है।

6.2.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

मिल्कफैड के टूटू स्थित (शिमला) मुख्यालय तथा डेरी संयन्त्र मण्डी तथा शिमला के लेखाओं तथा सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जांच 1993-94 से 1997-98 तक की अवधि हेतु दिसम्बर 1997 से मार्च 1998 के दौरान की गई थी।

इस समीक्षा के परिणाम अनुवर्ती परिच्छेदों में विवेचित हैं।

---

* निर्वाचित सदस्य: 09; सरकारी नामीकृत: 03 पंजीकृत सहकारी सभाएं या उसके नामीकृत: 01; पंजीयक सहकारी सभाएं नामीकृत: 03; राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधि: 01 निदेशक पशुपालन:01

6.2.4 मुख्य बातें

*** मार्च 1997 को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ का संचित घाटा 8.97 करोड़ रु0 था जिससे 4.43 करोड़ रु0 की प्रदत्त पूंजी का स्खलन हुआ।

(परिच्छेद 6.2.5)

*** हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ ने दिसम्बर 1994 में सरकारी आदेशों से हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक से 10 करोड़ रु0 की कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त की थी। राशि को दिसम्बर 1994 में सिविल डिपोजिट में जमा करवाया गया तथा सरकार ने मिल्कफैड को फरवरी 1995 में इसे वापिस किया।

(परिच्छेद 6.2.5.1)

*** मार्च 1998 तक पिछले चार वर्षों में कार्यशील ग्रामीण दुग्ध सहकारी सभाओं की सदस्यता में उत्साहवर्धक वृद्धियां नहीं हुई जबकि इसकी सदस्यता में 17 प्रतिशत की ही कमी हुई। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के मुख्य कार्यकलाप मण्डी तथा सिरमौर जिलों तक ही सीमित रहे।

(परिच्छेद 6.2.6.2)

*** यद्यपि 1995-96 में शिमला दुग्ध संयन्त्र की क्षमता में दोगुनी वृद्धि हुई परन्तु विधायित हिम दूध की बिक्री में कमी 1995-96 के 15.30 लाख लीटर से 1997-98 में 4.10 लाख लीटर हो गई जबकि अविधायित दूध की बिक्री में इसी अवधि के दौरान 3.17लाख लीटर से 8.33 लाख लीटर की वृद्धि हुई। 1993-94 वर्ष की तुलना में मण्डी तथा कांगड़ा संयन्त्रों में 1997-98 वर्ष में वास्तविक दुग्ध संग्रहण में कमी हुई।

(परिच्छेद 6.2.6.3)

*** राज्य में दूध की कुल उगाही में 1993-94 में दूध संग्रहण में 56 लाख लीटर से 1995-96 में 48 लाख लीटर की कमी आई जबकि राज्य से बाहर के स्रोतों से एकत्रित किए गए दूध में वर्ष 1993-94 में 19 लाख लीटर की तुलना में वर्ष 1997-98 में 35 लाख लीटर तक वृद्धि हुई।

(परिच्छेद 6.2.6.4)

** 1993-97 वर्षों के दौरान 20 अवशीतन संयन्त्रों में से 12 अवशीतन संयन्त्रों की क्षमता का उपयोग 1 तथा 20 प्रतिशत के मध्य तथा शेष 8 संयन्त्रों का उपयोग 15 तथा 44 प्रतिशत के मध्य रहा।

(परिच्छेद 6.2.6.5)

** मण्डी केन्द्र में वसारहित ठोस दूध को निकालने में 19.4 हजार किलोग्राम स्प्रेटा दूध चूर्ण की अधिक खपत हुई जिस कारण 11.77 लाख रु0 का अधिक व्यय हुआ।

(परिच्छेद 6.2.7.1)

** हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा विधायित तथा पैक किए हुए दूध के विक्रय में 1993-94 में 69 प्रतिशत से 1997-98 में 9 प्रतिशत की कमी आयी क्योंकि वह इसे ताजा बेचने में विफल रहा।

(परिच्छेद 6.2.8.2)

** हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा ग्रामीण प्रबन्धन संस्थान, आनन्द की वित्तीय एवं अन्य कार्यों में सुधारों की सिफारिशों का पालन न करने के कारण 1993-98 के दौरान दूध के उपार्जन, विधायन एवं वितरण में कमी आई। राज्य के लघु एवं सीमान्त किसानों को लाभकारी रोजगार तथा अतिरिक्त आय प्रदान करने के उद्देश्यों को सामान्यतः प्राप्त नहीं कर सका।

(परिच्छेद 6.2.10)

6.2.5 संचित घाटा

मिल्कफैड वर्षानुवर्ष हानि वहन कर रहा था। मार्च 1997 को संचित हानियां 8.97 करोड़ रुपए थी। इसमें से 4.93 करोड़ रु0 1993-97 के वर्षों की थी। घाटे ने 4.43 करोड़ रु0* की प्रदत्त पूंजी को पूर्णतया समाप्त कर दिया था। संचित घाटे की भरपाई को अंशतः राज्य सरकार के सहायता अनुदान तथा बैंकों/एनडीडीबी की नकद जमा सीमा तथा ऋणों से पूरा किया जा रहा था।

8.97 करोड़ रु0 के संचित घाटे ने मिल्कफैड की 4.43 करोड़ रु0 की प्रदत्त पूंजी को समाप्त कर दिया था।

* राज्य सरकार: 440.26 लाख रु0; मिल्क कापरेटिव सोसाइटी 1.73 लाख रु0 अन्य 1.15 लाख रु0

6.2.5.1 नकद जमा सीमा का सरकार के नकद अधिशेष में वृद्धि के लिए दुरुपयोग

यह पाया गया कि राज्य सरकार के निर्देश पर (दिसम्बर 1994) मिल्कफैड ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए दिसम्बर 1994 में नकद जमा में 10 करोड़ रु० की सीमा हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक से प्राप्त की। इसमें से सेवा प्रभार के लिए व्यवस्था करने के पश्चात् मिल्कफैड के पास अपने उपयोग के लिए 9.71 करोड़ उपलब्ध थे। इस राशि को राज्य सरकार के निर्देश पर 13 दिसम्बर 1994 को खजाने में मुख्य शीर्ष "8443-सिविल-अन्य जमा, 800-अन्य जमा, मिल्कफैड द्वारा जमा" के अन्तर्गत जमा करवाए गया। राज्य सरकार ने मिल्कफैड को फरवरी 1995 में यह राशि वापस की।

इस प्रकार नकद जमा सीमा द्वारा जुटाये गए 9.71 करोड़ रु० का सरकार द्वारा अपने नकद अधिशेष बढ़ाने के लिए दुरुपयोग किया।

6.2.6 दुग्ध संग्रहण

6.2.6.1 दूध उपार्जन में कमी

राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा किए गए पशु उत्पाद के अनुमान के लिए समन्वित नमूना सर्वेक्षण से उद्घाटित हुआ कि 1993-98 के दौरान बाजार योग्य दूध के आधिक्य में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि मिल्कफैड द्वारा उपार्जित दूध में इसी समय में 3 प्रतिशत की कमी आई।

6.2.6.2 ग्रामीण दुग्ध सहकारी सभाएं

मिल्कफैड द्वारा संगठित ग्रामीण दुग्ध सहकारी सभाओं द्वारा दूध उत्पादकों से दूध इकट्ठा किया जा रहा था। 1993-98 के दौरान ग्रामीण दुग्ध सहकारी सभाओं तथा इसकी सदस्यता निम्नवत् थी:

वर्ष	कुल ग्रामीण सहकारी सभाओं की संख्या		संचालित ग्रामीण सहकारी सभाओं की संख्या	
	संख्या	सदस्यता	संख्या	सदस्यता
1993-94	217	17,251	171	14,923
1994-95	252	17,907	184	13,094
1995-96	262	18,262	180	12,873
1996-97	276	18,961	192	13,172
1997-98	281	19,092	187	12,368

इस विषय में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

(i) मार्च 1998 वर्ष के समाप्त होने तक पिछले चार वर्षों में कार्यशील ग्रामीण दुग्ध सहकारी सभाओं की सदस्यता में उत्साहवर्धक वृद्धि नहीं हुई जबकि इसी समय में इसकी सदस्यता में 17 प्रतिशत की कमी हुई।

(ii) मार्च 1998 तक 53 प्रतिशत कार्यशील ग्रामीण दुग्ध सहकारी सभाओं के 71* प्रतिशत सदस्य मण्डी तथा सिरमौर में थे जिससे पता चलता है कि इसकी गतिविधियों मात्र दो जिलों तक सीमित थी।

प्रबन्ध निदेशक ने यह मानते हुए (मार्च 1998) कि उत्पादक जो पहले मिल्कफैड को दूध बेचते थे अब इसे सीधे उपभोक्ताओं को बेचते थे जिनसे उन्हें तुलनात्मक दृष्टि से अधिक कीमतें मिलती थी तथा राज्य के उन क्षेत्रों से ही दूध एकत्रित किया जाता है जो हर मौसम में सड़कों से जुड़े रहते है तथा अवशीतन संयन्त्रों/दुग्ध संयन्त्रों से व्यवस्था योग्य दूरी पर स्थित है। प्रबन्ध निदेशक का तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, तथा सोलन जिलों में हर मौसम में सड़क से जुड़े रहते हैं तथा अवशीतन संयन्त्रों से व्यवस्थायोग्य दूरी पर स्थित हैं। इस प्रकार इन क्षेत्रों में सहकारी सभाओं को संगठित करने की सम्भावना है।

(iii) आई0आर0एम0ए0 की सिफारिशों के अनुसार मिल्कफैड को नई सभाओं के प्रबन्धन के लिए दुग्ध उपार्जक सहायकों के दल बनाने चाहिए थे। विशेष विस्तार अभियान चलाने चाहिए थे तथा घटिया कार्यरत सभाओं की समीक्षा करनी चाहिए थी। यह पाया गया कि मिल्कफैड द्वारा ऐसे किसी दल का गठन नहीं किया गया था। आई0आर0एम0ए0 की सिफारिशों का दृढ़तापूर्वक पालन न करने के कारण शिमला (4922 में से 2220) तथा मण्डी (6199 में से 1539) केन्द्रों में मिल्कफैड को दूध बेचने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः 45 तथा 25 प्रतिशत थी तथा बाकी सदस्यों का दूध आपूर्ति में कोई योगदान नहीं था।

6.2.6.3 दुग्ध संयन्त्रों की क्षमता का कम उपयोग

दुग्ध संयन्त्र की प्रतिष्ठापित क्षमता 10,000 लीटर दूध प्रतिदिन थी। वर्ष 1995-96 से शिमला संयन्त्र की क्षमता को 20,000 लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया गया था।

1993-98 वर्षों के दौरान दुग्ध संयन्त्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता 25 तथा 89 प्रतिशत तक कम उपयोग किया गया।

* ग्रामीण डेयरी सहकारी सभाएं 100 (मण्डी: 57 तथा सिरमौर 43) तथा 8758 सदस्य (मण्डी: 4825 तथा सिरमौर 3933)

(क) **शिमला दुग्ध संयन्त्र का अन्यायोचित विस्तार**

शिमला दुग्ध संयन्त्र की प्रतिष्ठापित क्षमता 10,000 लीटर थी। 1989 से 1991 के गर्मी के महीनों में दुग्ध कार्य में वृद्धि आधार पर आपरेशन फलड-III के अधीन मिल्कफैड ने (जुलाई 1990) संयन्त्र की क्षमता 20,000 लीटर प्रतिदिन बढ़ाने का सुझाव दिया। एन0डी0डी0 बी0 द्वारा विस्तार कार्य 1995-96 में 39.06 लाख रु0 (एन0डी0डी0बी0 से ऋण 27.36 लाख रु0 तथा अनुदान 11.70 लाख रु0) की कुल लागत से पूरा किया गया।

शिमला संयन्त्र की क्षमता में शतप्रतिशत वृद्धि के बावजूद 1995-98 के दौरान विधायित हिम दूध की बिक्री में कमी आई, जबकि अविधायित तथा वेरका थैली दूध की बिक्री में काफी वृद्धि हुई।

1995-96 में प्रतिष्ठापित क्षमता में शतप्रतिशत वृद्धि के बावजूद भी दूध संग्रहण के लक्ष्य में संशोधन नहीं किया गया तथा 1995-96 में विधायित हिम दूध के विक्रय में 15.30 लाख रु0 लीटर की तुलना में वर्ष 1997-98 में गिरावट 4.10 लाख लीटर तक पहुंच गई। भविष्य में अविधायित दूध के विक्रय में 1995-96 मेंसे 3.17 लाख लीटर की तुलना में वृद्धि 1997-98 में 8.33 लाख लीटर तक हो गई तथा वेरका थैली दूध में 1995-96 में वृद्धि 25.73 लाख लीटर से 1997-98 में 33.78 लाख लीटर तक हुई।

इसलिए शिमला संयन्त्र के विकास के लिए 39.06 लाख रु0का व्यय न्यायोचित नहीं था।

प्रबन्ध निदेशक ने (अगस्त 1998) बताया कि 1992 में दुग्ध उद्योग में पंजाब तथा हरियाणा में लाइसैंस विहीन प्रणाली लागू किए जाने से दूध संग्रहण में कमी आई। प्रबन्ध निदेशक का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि गर्मी के महीनों में दूध में वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए शिफ्टों में कार्य करने पर संयन्त्र की विद्यमान क्षमता पर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त लाइसैंस विहीन नीति के दृष्टिगत संयन्त्र की क्षमता वृद्धि के निर्णय पर पुर्नविचार किया जा सकता था।

(ख) दूध संग्रहण के लिए निर्धारित लक्ष्य दुग्ध संयन्त्र की प्रतिष्ठापित क्षमता से बहुत कम रखे गए थे। प्रतिष्ठापित क्षमता की तुलना में 1993-98 वर्ष के समाप्त होने तक हर वर्ष औसत के आधार पर मण्डी में लक्ष्य 60 से 68 प्रतिशत तथा कांगड़ा केन्द्र में 18 प्रतिशत तक न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किए गए थे।

1993-94 वर्ष की तुलना में वर्ष 1997-98 में मण्डी तथा कांगड़ा में वास्तविक दुग्ध संग्रहण कम हुआ। प्रबन्ध निदेशक ने (मार्च 1998) बताया कि छोटे कस्बों में दूध की मांग में वृद्धि तथा परिवहन में सुधार के कारण दूध उत्पादक ऊंचे दाम प्राप्त कर रहे थे तथा दूध को समीपस्थ उप भोग केन्द्रों को बेचते थे। प्रबन्ध निदेशक का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि मिल्कफैड ने आई0आर0एम0ए0 की दूध संग्रहण में वृद्धि करने की सिफारिशों को अमल में नहीं लाया था।

6.2.6.4 राज्य के बाहर से ऊंची दरों पर दूध का उपार्जन

पिछले पांच वर्षों में राज्य के बाहर से दूध के उपार्जन के साथ-साथ राज्य में संग्रहीत दूध की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	कुल दुग्ध संग्रहण	राज्य में दूध का संग्रहण (प्रतिशतता कोष्ठ में) (लाख लीटरों में)	पंजाब दुग्ध संघ से दूध संग्रहण (प्रतिशतता कोष्ठ में)
1993-94	75.70	56.22 (74)	19.48 (26)
1994-95	69.82	53.90 (77)	15.92 (23)
1995-96	80.12	48.10 (60)	32.02 (40)
1996-97	89.70	55.45 (62)	34.25 (38)
1997-98	91.94	56.81 (62)	35.13 (38)
जोड़	407.28	270.48 (66)	136.80 (34)

1993-98 के दौरान स्थिरता रही उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि राज्य में दुग्ध उत्पादकों से दूध संग्रहण में जबकि राज्य के बाहर से दूध उपार्जन में 1993-94 में 19.48 लाख लीटर (26 प्रतिशत) से वृद्धि 1997-98 में 35.13 लाख लीटर (38 प्रतिशत) तक हुई। हिमाचल दुग्ध उत्पादकों के हितों को बढ़ावा देने के बजाय मिल्कफैड वास्तव में पंजाब दुग्ध संघ के उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा दे रहा था।

राज्य के भीतर दूध क्रय की तुलना में 1993-98 के दौरान दूध को पंजाब दुग्ध संघ से दूध ऊंची दरों पर खरीदा गया।

राज्य के भीतर विक्रय योग्य अधिक दूध की मात्रा के उपार्जन को बढ़ाने के बजाए मिल्कफैड ने पंजाब दूध संघ थैली का दूध अधिक मात्रा में ऊंची दरों पर खरीदना उचित समझा। 1993-98 वर्ष के दौरान राज्य के भीतर उत्पादकों से खरीदे गए दूध के 4.63 रु० तथा 6 रु० (औसत) प्रति लीटर के मूल्य की तुलना में उसी अवधि में पंजाब दूध संघ से खरीद गए दूध का मूल्य 8.42 लाख रु० तथा 12.02 रु० (औसत) के बीच था। 1993-98 वर्ष के दौरान पंजाब मिल्क संघ से खरीदे गए 136.80 लाख लीटर दूध के लिए 14.41 करोड़ रु० व्यय किए गए। इससे राज्य के भीतर उपार्जित दूध की तुलना में 7.06 करोड़ रु० (लगभग) अधिक व्यय किए गए।

प्रबन्ध निदेशक के (मार्च 1998) बताया कि दूध को राज्य के बाहर से तभी खरीदा जाता था जबकि इसकी मांग में वृद्धि होती थी तथा दूध मिल्कफैड के संयन्त्रों से उपलब्ध नहीं होता था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मिल्कफैड पंजाब दूध संघ से मार्च 1992 से प्रतिदित दूध की थैलियां प्राप्त कर रहा था।

6.2.6.5 अवशीतन संयन्त्रों की क्षमता का कम उपयोग

ग्रामीण सहकारी सभाओं से एकत्रित दूध को अवशीतन संयन्त्रों को लाया जाता था। अवशीतन के उपरान्त, दूध को दुग्ध विधायन संयन्त्रों को स्थानान्तरित कर दिया जाता था। मार्च

1998 तक, मिल्कफैड के 22 अवशीतन संयन्त्र थे। इनमें से 19 संयन्त्रों में से प्रत्येक की 2000 लीटर प्रतिदिन, दो में से प्रत्येक की 4000 लीटर प्रतिदिन तथा अन्य की 5000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता थी।

1993-97 के दौरान यह पाया गया कि 12 अवशीतन संयन्त्रों* की प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग 1 से 20 प्रतिशत तथा 8 अवशीतन संयन्त्रों का 15 तथा 44 प्रतिशत के मध्य था। सात अवशीतन संयन्त्रों** को बन्द करने का मसौदा (अप्रैल 1995) निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया परन्तु सितम्बर 1998 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था। प्रबन्ध निदेशक ने (अप्रैल 1998) कम प्रयुक्ति को दूध उत्पादकों के स्थानीय मांग केन्द्रों पर दूध को बेचने के लिए उपलब्ध लाभकारी निर्गमों को बताया जिन से उन्हें उच्च दाम प्राप्त होते थे। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि आई0आर0एम0ए0 की (मार्च 1993) सिफारिशों के बावजूद भी मिल्कफैड द्वारा इन अवशीतन केन्द्रों के उत्तम उपयोग के लिए दूसरी जगह पर स्थापित नहीं किया गया था।

अवशीतन संयन्त्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता का अधिकतर कम उपयोग हुआ।

6.2.6.6 अलाभकारी अवशीतन संयन्त्रों का परिचालन

मिल्कफैड की कार्यप्रणाली में मितव्ययिता लाने के लिए सरकार ने (मार्च 1996) पिछले तीन वर्षों की औसत के आधार पर 10 प्रतिशत से कम क्षमता वाले सात अवशीतन संयन्त्रों*** को बन्द करने तथा इन्हें स्थानान्तरित करने के आदेश दिए। सरकार ने यह आदेश भी दिए कि सिधयानी, कोटली तथा कुन्नू अवशीतन संयन्त्रों के परिचालन को बन्द किया जाए तथा इन केन्द्रों में किए गए दुग्ध संग्रहण को विधायन के लिए दुग्ध संयन्त्रों में भेजा जाए। तकनीकी अधिक्षकों, अवशीतन केन्द्रों के प्रभारियों तथा दूध उपार्जन सहायकों की सेवाओं को मिल्कफैड की शेष गतिविधियों में उपयोग करना था तथा 13 आकस्मिक कर्मियों की सेवाओं को समाप्त कर देना था।

अलाभकारी अवशीतन संयत्रों को बन्द नहीं किया गया था।

सात अमितव्ययी अवशीतन संयन्त्रों को जिन्हें बन्द करने के आदेश थे में से केवल पांच को (बंगाणा, बिन्द्रावन, दाड़लाघाट, नालागढ़ तथा राजा का तालाब) ही मई 1996 तथा फरवरी 1997 के मध्य बन्द किया गया तथा दो अवशीतन संयन्त्रों (चम्बा तथा जलाड़ी) को मुख्यमन्त्री की सिफारिश पर बन्द नहीं किया गया। इनमें से सरकार द्वारा जारी आदेशों (अगस्त 1997) द्वारा अगस्त-अक्तूबर 1997 के दौरान तीन अवशीतन संयन्त्रों को (बंगाणा, नालागढ़ तथा राजा का तालाब) दोबारा प्रारम्भ किया गया था। तीन अवशीतन संयन्त्रों को दोबारा चालू करने तथा तीन को बन्द न करने के कारणों को अगस्त 1998 तक नहीं बताया गया था।

---

* बंगाणा, भामला, दरकाटा, झलेड़ा, जलाड़ी, कटाला, नाहन, नालागढ़, मरयोग, मोहाल, परोल तथा राजा का तालाब

** बागथन, बिलासपुर, मिलवां, कोटली, कुन्नू, रेणुकाजी, सराहन तथा सिद्धयानि

*** बंगाणा, विद्रांवन, चम्बा, दाड़लाघाट, जलारी, नालागढ़ तथा राजा का तालाब

6.2.7 विधायन

6.2.7.1 स्प्रेटा दूध चूर्ण का अधिक उपयोग

1993-98 के दौरान मण्डी केन्द्र ने संगृहीत दूध में वसारहित ठोस की प्रतिशतता 7.2 तथा 7.6 के मध्य रखी। टोण्ड तथा दुगुना टोण्ड दूध में वसारहित ठोस की मात्रा को क्रमशः 8.6 तथा 9.1 प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिल्कफैड द्वारा उपार्जित दूध में स्प्रेटा दूध चूर्ण को मिलाया गया। मिल्कफैड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वसारहित ठोस को 89 से 91 किलोग्राम तक बढ़ाने के लिए 100 किलोग्राम स्प्रेटा दूध चूर्ण की आवश्यकता होती थी।

11.77 लाख रु0 के स्प्रेटा दूध चूर्ण का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया गया।

इससे पता चलता है कि 63,020 किलोग्राम स्प्रेटा दूध चूर्ण की आवश्यकता के प्रति 82,430 किलोग्राम स्प्रेटा दूध चूर्ण का प्रयोग किया गया जिसके परिणामस्वरुप 11.77 लाख मूल्य के 19,410 किलोग्राम अधिक स्प्रेटा दूध चूर्ण का प्रयोग किया गया। अधिक स्प्रेटा दूध चूर्ण के प्रयोग हेतु कारण अगस्त 1998 तक अपेक्षित थे।

6.2.7.2 पोली फिल्म का उपयोग

(i) पोली फिल्म का अधिक उपभोग

दूध की आपूर्ति खुले डिब्बों या थैलियों में की जाती थी। दूध को 0.5 लीटर की थैलियों में आपूरित करने के लिए थैली भरने की मशीनों की स्थापना कांगड़ा, मण्डी तथा शिमला के सभी तीन डेयरी संयन्त्र में की गई थी। प्रत्येक किलोग्राम पाउच फिल्म रोल से प्राप्त होने वाली थैलियों की संख्या तथा नष्टता के लिए मानक निर्धारित नहीं किए गए थे।

1993-97 के दौरान मण्डी तथा शिमला केन्द्रों में थैलियों का प्रतिकिलो उत्पादन 319 से 368 के मध्य था। 543.19 क्विंटल पोली फिल्म से 228.14 लाख थैलियों के आवश्यक निर्माण की अपेक्षा मण्डी तथा शिमला केन्द्रों ने 1993-97 के दौरान 664.20 क्विंटल पोली फिल्म का उपयोग किया जिसके परिणामस्वरुप 7.82 लाख रु0 मूल्य की 121 क्विंटल पोली फिल्म की अधिक खपत हुई।

प्रबन्ध निदेशक नें (मार्च 1998) बताया कि निर्मित थैलियों की संख्या विभिन्न कारकों पर निर्भर करती थी जैसे कि फिल्म की मोटाई, थैलियों में बन्द किए गए दूध की मात्रा तथा थैली बन्द करने में व्यवधान इत्यादि। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उपरोक्त सभी कारकों के दृष्टिगत दर संविदा के अनुसार पोली फिल्म की आपूर्ति के लिए प्रतिकिलों पोलीथीन से 420+ - 20 थैलियां बननी चाहिए थी।

(ii) **अनुपयोगी पोली फिल्म**

मार्च 1994 से मण्डी तथा शिमला केन्द्रों में दुगुना टोण्ड दूध तथा स्प्रेटा दूध के लिए छपी हुई 4084.2 किलोग्राम (मण्डी: 1019.2 किलोग्राम तथा शिमला: 3065 किलोग्राम) फिल्म जिसका मूल्य 2.63 लाख रु० था, भण्डार में अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

6.2.8 **वितरण**

6.2.8.1 **लक्ष्य एवं प्राप्तियां**

मिल्कफैड के दूध वितरण के तीन केन्द्रों के लक्ष्य एवं प्राप्तियां निम्न सारिणी में दर्शाई गई हैं:

इकाई	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्तियां	प्राप्तियों की प्रतिशतता में कमी
		(लाख लीटरों में)		
मण्डी	1993-94	9.50	7.15	25
	1994-95	8.00	7.86	2
	1995-96	12.00	11.22	7
	1996-97	14.00	11.90	15
	1997-98	13.00	10.09	22
शिमला	1993-94	50.50	41.77	17
	1994-95	44.00	33.42	24
	1995-96	39.00	44.20	--
	1996-97	50.00	46.50	7
	1997-98	50.50	46.21	9
कांगड़ा	1993-94	26.00	23.18	11
	1994-95	28.00	23.30	17
	1995-96	29.00	26.70	8
	1996-97	29.00	23.24	20
	1997-98	23.50	19.37	18

इससे पता चलता है कि 1995-96 के दौरान वितरण के लक्ष्यों को केवल शिमला इकाई द्वारा ही प्राप्त किया गया जबकि 1993-98 के दौरान मण्डी इकाई में 2 से 25 प्रतिशत, शिमला इकाई में 1993-95 तथा 1996-98 के दौरान 7 से 24 प्रतिशत तथा कांगड़ा इकाई में 1993-98 के दौरान 8 तथा 20 प्रतिशत की कमी रही।

प्रबन्ध निदेशक ने कमी के कारण (मार्च 1998) निजी पैक दूध थैलियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा बताया। प्रबन्ध निदेशक का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि मिल्कफैड द्वारा दूध विपणन में सुधार के लिए आईआरएमए द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू नहीं किया गया।

6.2.8.2 मिल्कफैड द्वारा ताजे दूध के विक्रय में असमर्थता

मिल्कफैड अपने विधायित दूध का विपणन "हिम मिल्क" के नाम से बेच रहा था। मिल्कफैड द्वारा हिम दूध के साथ शिमला केन्द्र में पंजाब दूध संघ द्वारा विधायित (वेरका किस्म) दूध शिमला तथा सोलन नगरों में भी बेचा जा रहा था।

ताजा दूध बेचने में अक्षम होने से मिल्कफैड द्वारा विधायित दूध की बिक्री वर्ष 1993-94 के 69 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1997-98 में 9 प्रतिशत रह गई।

छानबीन से पता चला कि मिल्कफैड के विधायित दूध के उपयोग में 1993-94 में 28.68 लाख लीटर (69 प्रतिशत) से 1997-98 में 4.10 (9 प्रतिशत) लाख लीटर गिरावट की आई। वर्ष 1995-96 में शिमला संयन्त्र की क्षमता में 10,000 लीटर प्रतिदिन से 20,000 लीटर प्रतिदिन की वृद्धि के बावजूद अविधायित दूध के विक्रय में 1993-94 के 0.47 लाख लीटर की तुलना में 1997-98 तक 8.33 लाख लीटर की वृद्धि हुई। इस प्रकार राज्य में दूध की अधिक मात्रा के संग्रहण के बजाए मिल्कफैड ने अविधायित दूध को बेचने तथा दूध को राज्य के बाहर से उपार्जित करने को अधिक उचित समझा जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि इसी अवधि में कुल बिक्री से वेरका विक्रय में 30 से 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वरिष्ठ प्रबन्धक (संयंत्र) शिमला केन्द्र ने (मार्च 1998) बताया कि "वेरका" तथा बाजार में विद्यमान दूध की अन्य किसमों की तुलना में दूध जिससे "हिमदूध" तैयार किया जाता था उपभोक्ताओं तक पहुंचते 3-4 दिन पुराना हो जाता था तथा अपनी ताजगी खो लेता था। इस प्रकार "हिमदूध" की कोई मांग नहीं थी तथा इसलिए केन्द्र ने "वेरका" दूध के विपणन को उचित समझा। प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि एकमुश्त संग्रहण तथा पहाड़ी रास्तों में गाड़ियों द्वारा दूध ढोने में अधिक समय लगने से दूध ताजा नहीं रहता था।

इस प्रकार दूध की गुणवत्ता में सुधार तथा इसे पंजाब दूध संघ स्तर तक लाने के लिए आईआरएमए की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया।

6.2.8.3 घटिया दूध की बिक्री

खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम, 1955 के अनुसार भैंस एवं गाय के दूध में ठोस वसारसहित तत्व न्यूनतम 9 तथा 8.5 प्रतिशत होने चाहिए। 1993-98 के दौरान राज्य में मिल्कफैड द्वारा विभिन्न अवशीतन संयंत्रों पर उपभोक्ताओं को 22.99 लाख लीटर 7.1 तथा 7.8 प्रतिशत ठोस वसारहित दूध का विक्रय किया गया जो कि निर्धारित मानकों से कम था।

1993-98 के दौरान मिल्कफैड ने 22.99 लाख लीटर घटिया दूध का विक्रय किया।

प्रबन्ध निदेशक ने बताया (अप्रैल 1998) कि उपभोक्ताओं को उन्हें आपूरित दूध की गुणवत्ता के विषय में ज्ञान था। उत्तर प्रासंगिक नहीं था क्योंकि यह खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम, 1955 की धाराओं की आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं था।

6.2.9 अन्य रुचिकर प्रसंग

6.2.9.1 बेकार उपस्कर

मिल्कफैड द्वारा मार्च 1985 तथा मार्च 1997 के मध्य प्राप्त 13.33 लाख रु० के विभिन्न यन्त्र तथा उपस्कर, अतिरिक्त पुर्जे तथा दूध इत्यादि की अनुपलब्धता के कारण अनुपयोगी पड़े हुए थे जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रमांक	इकाई का नाम	उपस्कर का विवरण	खरीद/प्राप्ति की तिथि	मूल्य (लाख रुपए)	जब से बेकार हैं	कारण
1.	कांगड़ा	क्रीम निकालने का यनत्र (2 सं०)	मार्च 1985	3.83	1990	दूध तथा मरम्मत की कमी के कारण
2.	कांगडा	घूमने वाली छड़ धोने का यन्त्र	मार्च 1985	0.62	1988	डिब्बों का कम होना तथा अधिक संचालन लागत
3.	कांगड़ा	तिथि मोहर	मई 1996	0.23	जुलाई 1996	प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि (मार्च 1990) जैसे कि कानूनों में सख्ती होगी उपयोग किया जाएगा।
4.	कांगडा	दूध जांच करने का यंत्र	1986	0.26	1995	डिब्बों में दूध की कमी तथा दूध संयंत्रों पर दूध का कम प्राप्त होना।
5.	कांगड़ा	दूध ठण्डा करने का यंत्र 3000 एलपीएच	1985	0.88	1996	डिब्बों में दूध की कमी तथा दूध संयंत्रों पर दूध का कम प्राप्त होना।
6.	शिमला	होमोगनाईजर यन्त्र (5000 ली०)	उपलब्ध नहीं	3.54	1992	अतिरिक्त पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण
7.	मण्डी	दही बनाने का पम्प तथा पनीर थैली बन्द करने का यन्त्र	फरवरी 1996/ मार्च 1997	3.97*	फरवरी 1996/ मार्च 1997	एन डी डी वी से वांछित उपस्कर की प्रतीक्षा की जा रही थी।
	जोड़			**13.33**		

* तीन अधिकारियों के प्रशिक्षण पर आनन्द (गुजरात) में 2.68 लाख रु० व्यय किए गए।

6.2.9.2 वितरकों को अनुचित लाभ

मिल्कफैड एक वितरक के माध्यम से सोलन तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में दूध एवं दूध से निर्मित उत्पाद का विक्रय कर रहा था। वितरक के साथ (दिसम्बर 1994) एक अनुबन्ध के अनुसार प्रतिदिन नकद अदायगी पर वितरक को दूध की आपूर्ति की जानी थी।

तथापि यह पाया गया कि वितरक ने अग्रिम में कभी भी दूध की पूरी कीमत जमा नहीं करवाई। 1993-98 के दौरान प्रत्येक महीने के अन्त में वितरक के पास 0.44 लाख रु० से 13.37 लाख रु० के मध्य तथा मार्च 1998 तक 1.63 लाख रु० बकाया थे।

वरिष्ठ प्रबन्धक (संयंत्र) शिमला ने बताया (मार्च 1998) कि वितरण की सेवाओं को बर्खास्त नहीं किया गया क्योंकि बकाया राशि को अभी तक वसूल किया जाना था तथा बर्खास्त मिल्कफैड के हित में नहीं थी।

6.2.9.3 मिल्कफैड द्वारा सम्बद्ध कार्यकलापों को बढ़ावा नहीं दिया गया

मिल्कफैड का एक उद्देश्य यह भी था कि दुग्ध उद्योग की उन्नति के लिए विकास एवं विस्तार से सम्बद्ध क्रियाकलापों को दुधारु पशुओं की सुरक्षा एवं सुधार तथा दूध उत्पादन में लगे लोगों की आर्थिक उन्नति से जोड़ा जाता।

मिल्कफैड द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई तथा यह मात्र दूध आपूर्ति योजना बन कर रह गई।

6.2.10 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

मिल्कफैड के वाणिज्यिक एवं विकास के पहलुओं में सुधार के उद्देश्य से सरकार ने (सितम्बर 1992) आई.आर.एम.ए. के माध्यम से अध्ययन करवाने का निर्णय लिया। आई.आर.एम.ए. ने (मार्च 1993) अपने प्रतिवेदन में विभिन्न आर्थिक एवं अन्य कार्यों में सुधार के लिए सिफारिशे कीं।

यह पाया गया कि आई.आर.एम.ए. द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार (जुलाई 1993) सरकार ने मिल्कफैड को 1993-94 तथा 1996-97 वर्षों के दौरान 6 करोड़ रु० ऋण तथा 67.60 लाख रु० दुलाई अनुदान के रुप में दिए तथा आई.आर.एम.ए. द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त 1996-97 के दौरान मिल्कफैड को 1.44 करोड़ रु० का अतिरिक्त अनुदान भी दिया गया। फिर भी आई.आर.एम.ए. द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार मिल्कफैड द्वारा विकास आन्दोलन चलाने के लिए कोई भी वरिष्ठ पर्यवेक्षक दल गठित नहीं किया गया। अमितव्ययी रास्तों तथा अवशीतन संयंत्रों को भी बन्द नहीं किया गया। मिल्कफैड द्वारा

परिशिष्ट-VI

(पृष्ठ 176 पर परिच्छेद 4.1.5 में संदर्भित)

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर प्राप्त बजट प्रावधान तथा व्यय को दर्शाने वाली केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे की विवरणी

वर्ष	भारत सरकार द्वारा विमोचित केन्द्रीय सहायता	बजट में राज्य सरकार द्वारा दी गई निधियां			व्यय		
		केन्द्रीय अंश	राज्यांश	कुल	केन्द्रीय अंश	राज्यांश	कुल
			(करोड़ रुपए)				
1991-92	53.32	44.90	44.90	89.80	45.91	46.13	92.04
1992-93	35.00	48.50	48.50	97.00	49.48	49.01	98.49
1993-94	75.95	52.35	69.35	121.70	45.08	65.30	110.38
1994-95	25.80	67.00	82.00	149.00	64.97	77.34	142.31
1995-96	4.00	59.00	99.00	158.00	59.10	94.61	153.71
1996-97	44.02	63.45	109.00	172.45	70.56	109.23	179.79
1997-98	57.85	58.85	118.90	177.75	58.75	108.99	167.74
जोड़	**295.94**	**394.05**	**571.65**	**965.70**	**393.85**	**550.61**	**944.46**

परिशिष्ट -VII

(पृष्ठ 179 पर परिच्छेद 4.1.7 में सन्दर्भित)

सृजित सिंचाई संभाव्य की प्रयुक्ति दशनि वाली विवरणी

वर्ष	गिरि परियोजना			बल्हघाटी परियोजना		
	सृजित संभाव्य	प्रयुक्त संभाव्य	प्रयुक्ति की प्रतिशतता (हैक्टेयर में)	सृजित संभाव्य	प्रयुक्त संभाव्य	प्रयुक्ति की प्रतिशतता
1991	6761	खरीफ: 2166	32	1967	खरीफ: 408	21
		रबी: 2294	34		रबी: 340	17
1992	6761	खरीफ: 2583	38	1967	खरीफ: 539	27
		रबी: 2662	39		रबी: 340	17
1993	6761	खरीफ: 2605	39	2117	खरीफ: 530	25
		रबी: 2360	35		रबी: 514	24
1994	6761	खरीफ: 2807	42	2177	खरीफ: 297	14
		रबी: 3007	44		रबी: 186	9
1995	6761	खरीफ: 2771	41	2177	खरीफ: 294	14
		रबी: 3899	58		रबी: 191	9
1996	6761	खरीफ: 2941	43	2177	खरीफ: 301	14
		रबी: 3143	46		रबी: 195	9
1997	6761	खरीफ: 2945	44	2177	खरीफ: 371	17
		रबी: 3925	58		रबी: शून्य	0

वर्ष	बाभौर साहिब चरण।			32 छोटे सिंचाई परियोजनाओं का समूह		
	सृजित संभाव्य	प्रयुक्त संभाव्य	प्रयुक्ति की प्रतिशतता (हैक्टेयर में)	सृजित संभाव्य	प्रयुक्त संभाव्य	प्रयुक्ति की प्रतिशतता
1991	923	खरीफ: 17	2	-	-	-
		रबी: 436	47			
1992	923	खरीफ: 11	1	-	-	-
		रबी: 450	49			
1993	923	खरीफ: 27	3	-	-	-
		रबी: 471	51			
1994	923	खरीफ: 30	3	-	-	-
		रबी: 480	52			
1995	923	खरीफ: 28	3	-	-	-
		रबी: 490	53			
1996	923	खरीफ: 28	3	1580	खरीफ: 946	60
		रबी: 516	56		रबी: 952	60
1997	923	खरीफ:25	3	1580	खरीफ: 1013	64
		रबी: 517	56		रबी: 948	60

परिशिष्ट- VIII

(पृष्ठ 202 पर परिच्छेद 4.9.6 में सन्दर्भित)

वर्ष 1992-98 के दौरान प्राप्तियां तथा घमनी सड़कों के शेष निर्माण कार्यों को दशनिं वाली विवरणी।

क्रमांक	सड़क का नाम (5/7 मीटर चौड़ाई)	कुल लम्बाई (कि0मी0)	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि (करोड़ रु0)	मार्च 1998 तक व्यय (करोड़ रु0)	वर्ष 1992-98 के दौरान निर्धारित प्रत्यक्ष लक्ष्य				वर्ष 1992-98 के दौरान प्रत्यक्ष प्राप्तियां				31.03.1998 को शेष निर्माणकार्यों में अधिशेष मेंवृद्धि/सुधार			
					चौड़ा करना	आर-पार जल निकास	पक्का करना	तारकोल बिछाना	चौड़ा करना	आर-पार जल निकास	पक्का करना	तारकोल बिछाना	चौड़ा करना	आर-पार जल निकास	पक्का करना	तारकोल बिछाना
1.	मुबारकपुर से गगरेट सम्पर्क सड़क मैहतपुर ऊना देहरा रानीताल मतौर सड़क	158.150	18.46	5.81	मुख्य अभियन्ता द्वारा सड़क वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे				54.175	33.460	50.390	65.100	103.975	124.690	107.760	93.050
2.	काला अम्ब नाहन सड़क	18.000	2.14	0.91					4.950	4.500	8.780	4.000	13.050	13.050	9.220	14.000
3.	सोलन यशवन्त नगर नैरीपुर सैंज सड़क	78.675	15.88	1.97					11.100	7.500	7.000	3.500	67.575	71.175	71.675	75.175
4.	ब्रहमपुक्खर घाघस हरितल्यांगर भोटा हमीरपुर-रानीताल सड़क	138.850	13.22	5.40					78.680	49.090	72.540	61.520	60.170	89.760	66.310	77.330
5.	नादौरा ज्वार अम्ब सड़क	38.550	5.59	1.01					22.150	6.650	9.250	5.360	16.400	31.900	29.300	33.190
6.	पालमपुर थुरल हमीरपुर भोटा जाहू कलखर रत्ती सड़क	116.225	11.26	1.70					30.800	13.050	21.820	16.410	85.425	103.175	94.405	99.815

क्रमांक	सड़क का नाम (5/7 मीटर चौड़ाई)	कुल लम्बाई (कि0मी0)	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि (करोड़ रु0)	मार्च 1998 तक व्यय (करोड़ रु0)	वर्ष 1992-98 के दौरान निर्धारित प्रत्यक्ष लक्ष्य				वर्ष 1992-98 के दौरान प्रत्यक्ष प्राप्तियां				31.03.1998 को शेष निर्माणकार्यों में अधिशेष मेंवृद्धि/सुधार			
					चौड़ा करना	आर-पार जल निकास	पक्का करना	तारकोल बिछाना	चौड़ा करना	आर-पार जल निकास	पक्का करना	तारकोल बिछाना	चौड़ा करना	आर-पार जल निकास	पक्का करना	तारकोल बिछाना
7.	ठियोग कोटखाई हाटकोटी सड़क	72.800	18.85	1.80					13.480	3.000	3.430	0.605	59.320	69.800	69.370	72.195
8.	धर्मशाला डोघ-पालमपुर वाय नगरी सड़क	31.250	5.55	0.89					5.260	0.750	5.150	0.500	25.990	30.500	26.100	30.750
9.	नुरपुर सैंजा नाला लाहरु तुन्नुहटी सम्पर्क सड़क लहारु से च्वाड़ी	52.890	7.27	1.95					22.440	17.100	19.160	20.890	30.450	35.790	33.730	32.000
10.	जोगिन्द्रनगर धर्मपुर सरकाघाट बामला घुमारवीं सड़क	91.500	11.97	1.28					17.920	7.500	16.370	9.470	73.580	84.000	75.130	82.030
11.	भूंतर मनीकरण सड़क	33.500	4.07	0.95					8.640	15.000	9.440	11.100	24.860	18.500	24.060	22.400
12.	स्वारघाट नालागढ़ बरोटीवाला सड़क	55.750	13.42	0.92					4.230	0.250	4.230	4.230	51.520	55.500	51.520	51.520
13.	शिमला बिलासपुर सड़क	77.950	21.84	0.87					2.880	1.200	5.010	1.230	75.070	76.750	72.940	76.530
14.	भोटा-ऊना-स्लोहा सड़क	60.000	14.23	0.06					--	--	--	--	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	लाल डाँक पांवटा सड़क	50.000	9.23	0.07					--	--	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	शिमला-नालदेहरा सड़क	20.000	8.02	0.04					0.350	--	--	--	19.650	20.000	20.000	20.000
	जोड़	1094.090	181.00	25.63					277.055	159.050	232.570	204.105	817.035	935.040	861.520	889.985

परिशिष्ट -IX

(पृष्ठ 237 पर परिच्छेद 6.1 (ग) में सन्दर्भित)

उन निकायों तथा प्राधिकरणों के नामों को दर्शाने वाले विवरण जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण	वर्ष जिनके लेखे प्रतीक्षित थे	1997-98 के दौरान की अनुदान राशि (करोड़ रुपए में)
	ग्रामीण विकास विभाग		
1.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, शिमला	1997-98	5.20
2.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, सोलन	1997-98	3.29
3.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, बिलासपुर	1997-98	3.01
4.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, मण्डी	1997-98	7.86
5.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, कुल्लू	1997-98	2.47
6.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, किन्नौर	1996-97 व 1997-98	0.37
7.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, कांगड़ा	1996-97 व 1997-98	9.16
8.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, लाहौल एवं स्पिती स्थित केलांग	1997-98	उपलब्ध नहीं
9.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, चम्बा	1997-98	4.61
10.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, ऊना	1997-98	2.27
11.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, नाहन	1997-98	3.26
12.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, हमीरपुर	1997-98	3.72
	शिक्षा		
13.	हिमाचल प्रदेश विश्विद्यालय, शिमला	1993-94 से 1997-98	
14.	एस वी एस महा विद्यालय, भटौली	1996-97 व 1997-98	
15.	डी ए वी महा विद्यालय, कांगड़ा	1996-97 व 1997-98	
16.	एम एल एस एम महा विद्यालय, सुन्दरनगर	1996-97 व 1997-98	उपलब्ध नहीं
17.	जी जी डी एस डी महा विद्यालय, बैजनाथ	1996-97 व 1997-98	
18.	सैंट बीटस महा विद्यालय, शिमला	1996-97 से 1997-98	
19.	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला	1996-97 व 1997-98	
	भाषा, कला एवं संस्कृत		
20.	भाषा, कला एवं संस्कृति अकादमी	1996-97 व 1997-98	0.42
	समाज एवं महिला कल्याण विभाग		
21.	हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण परामर्श बोर्ड, शिमला	1997-98	1.17
22.	हिमाचल प्रदेश शिशु कल्याण कॉसिल, शिमला	1997-98	1.70
23.	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जन जाति निगम, सोलन	1996-97 व 1997-98	उपलब्ध नहीं

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण	वर्ष जिनके लेखे प्रतीक्षित थे	1996-97 के दौरान की अनुदान राशि (करोड़ रुपए में)
	सामान्य प्रशासन विभाग		
24.	हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर	1997-98	0.67
	कृषि		
25.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय, पालमपुर	1995-96 से 1997-98	19.24
	वन खेती एवं संरक्षण		
26.	इण्डो जर्मन चगंर परियोजना, पालमपुर	1997-98	2.10
	उद्यान		
27.	डॉ वाई. एस. परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	1996-97 व 1997-98	14.35
	सहकारिता		
28.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ, शिमला	1997-98	(ऋण) 7.20*
29.	हिमाचल प्रदेश सहकारी संघ, शिमला	1993-94 से 1997-98	0.45
	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		
30.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण राज्य परिषद, शिमला	1997-98	0.97
31.	हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण बोर्ड, शिमला	1994-95 से 1997-98	0.83
32.	हिमाचल प्रदेश सरकार ऊर्जा विकास, एजैंसी, शिमला	1994-95 से 1997-98	4.50
	ग्राम एवं नगर योजना		
33.	हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण, शिमला	1997-98	उपलब्ध नहीं
	कार्मिक		
34.	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, मशोबरा में व्यवस्था अध्ययन केन्द्र	1997-98	0.82
	आवास		
35.	हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला	1996-97 व 1997-98	उपलब्ध नहीं
	पशु पालन		
36.	हिमाचल प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ, शिमला	1997-98	5.11
	युवा सेवाएं एवं क्रीड़ा		
37.	हिमाचल प्रदेश खेल परिषद, शिमला	1997-98	0.44
38.	हिमाचल प्रदेश राज्य युवा बोर्ड, शिमला	1997-98	0.38

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण	वर्ष जिनके लेखे प्रतीक्षित थे	1996-97 के दौरान की अनुदान राशि (करोड़ रुपए में)
	शहरी विकास		
39.	नगर निगम, धर्मशाला	1995-96 व 1997-98	0.44
40.	नगर समिति, शिमला	1997-98	3.73
41.	नगर समिति, सोलन	1996-97 व 1997-98	0.54
42.	नगर समिति, चम्बा	1996-97	0.09
43.	नगर समिति, कुल्लू	1996-97	0.08
44.	नगर समिति, मण्डी	1996-97 व 1997-98	0.10
45.	नगर समिति, सुन्दरनगर	1996-97	0.11
46.	नगर समिति, नाहन	1996-97	0.12
47.	नगर पंचायत, सुनी	1996-97	0.01
48.	नगर पंचायत, ज्वालामुखी	1996-97	0.02
		जोड़	**110.81**

नोट:- उपलब्ध नहीं

---

* ऋण

परिशिष्ट-X

(पृष्ठ 260 में परिच्छेद 6.4.4 (ग)(ii) में सन्दर्भित)

मुख्यमंत्री, महापौर, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय तथा वित्त संविदा एवं योजना समिति की सिफारिशों पर 1996-98 के दौरान आबण्टित दुकानों के ब्यौरे दर्शाने वाली विवरणी।

क्रमांक	परिसर का विवरण	किराया (रुपए प्रतिमास)	क्षेत्र (वर्ग फुट में)	किराया प्रति वर्ग फुट (प्रति वर्ग फुट दर) (रुपए में)	अभ्युक्तियां
1.	लोअर बाजार वाणिज्यिक परिसर	1120.00	112	10.00	निगम की सिफारिशों से आंबटित
2.	लोअर बाजार वाणिज्यिक परिसर	580.00	116	5.00	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
3.	दौलत राम वाणिज्यिक परिसर	1500.00	उपलब्ध नहीं	--	निदेशक यूएलबी/एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
4.	दौलत राम वाणिज्यिक परिसर	1500.00	उपलब्ध नहीं	--	निदेशक यूएलबी/एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
5.	दौलत राम वाणिज्यिक परिसर	1500.00	उपलब्ध नहीं	--	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
6.	दौलत राम वाणिज्यिक परिसर	1500.00	उपलब्ध नहीं	--	महापौर की सिफारिश से आंबटित
7.	दौलत राम वाणिज्यिक परिसर	1500.00	उपलब्ध नहीं	--	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
8.	स्ट्राबरी हिल, छोटा शिमला	260.00	64.70	4.00	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
9.	क्लॉक रुम नियर बस स्टैंड शिमला	1001.00	143	7.00	एफसी व पीसी/सीएम की सिफारिशों से आंबटित
10.	ओल्ड ऑक्ट्राय पोस्ट, शिमला	1900.00	380	5.00	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
11.	गैरेज नियर राम चन्द्र चौक	300.00	190	1.58	एफसी व पीसी/सीएम की सिफारिशों से आंबटित
12.	स्ट्राबरी हिल, छोटा शिमला	260.00	63	4.13	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
13.	दौलत राम वाणिज्यिक परिसर	1500.00	उपलब्ध नहीं	--	एफसी व पीसी/सीएम की सिफारिशों से आंबटित
14.	गोडान कैथू शिमला	598.92	225.21	2.65	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
15.	शॉप नियर बस स्टैंड सन्जौली	690.00	86.08	8.00	सीएम/एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
16.	गैरेज नं0 23 मोटर बैरियर	378.00	63	6.00	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित

टिप्पणी: 1. उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: 2. सभी दुकानों की पट्टावधि (क्रमांक 11 को छोड़कर) वार्षिक आधार पर एक साल के लिए बढ़ा दी गई जबकि पट्टावधि क्रमांक 11 के सम्बन्ध में 20 वर्षों की है।

राजकीय मुद्रणालय हि० प्र० शिमला—339-ए. जी./99—10-3-99—750 प्रतियाँ